

जिला आपदा प्रबंधन योजना (वर्ष 2024–2025)



हनुमानगढ़

सहयोग— यूनिसेफ, राजस्थान

जिला प्रशासन

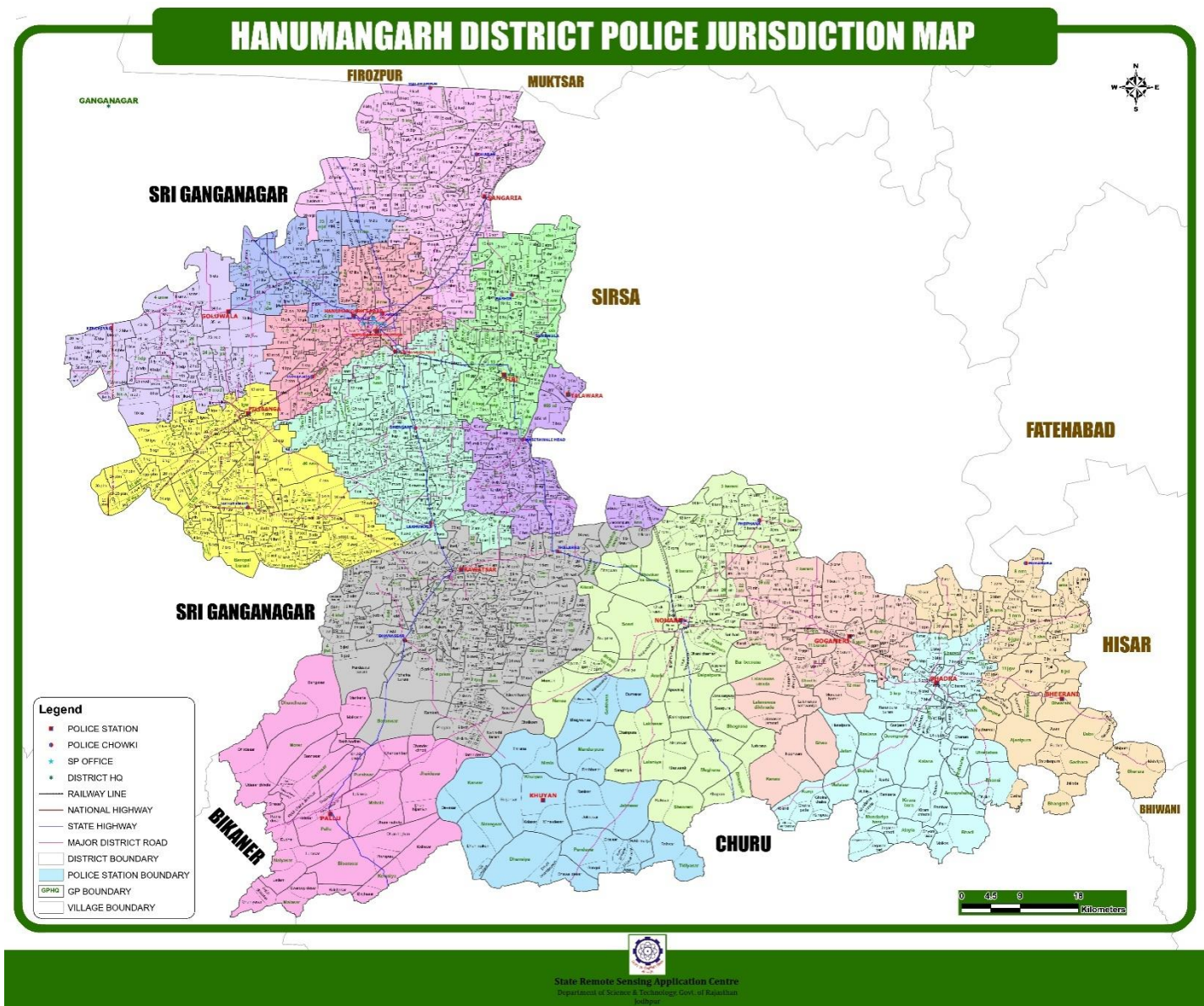
व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-701780 / 704950-6, फैक्स 705420, 702542, ई-मेल cdm_ripal@rediffmail.com

Hanumangarh District Map



विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग— अ	
अध्याय—1	प्रस्तावना	6—10
	विकास और आपदा	
1.1	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
1.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
1.3	आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)	
1.4	स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व / जिम्मेदारी	
1.5	कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें	
1.6	कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र—जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरण	
1.7	प्लान रिव्यू तथा अपडेशन	
अध्याय—2	आपदा, भेद्यता, क्षमता तथा जोखिम आकलन	11—97
2.1	जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य	
2.2	जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण	
2.3	विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	
2.4	आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण / एजेंसी	
2.5	सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)	
2.6	क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लेषण	
अध्याय—3	आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था	98—99
3.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	
3.3	जिला प्रशासन	
3.4	पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं	
3.5	नागरिक सुरक्षा तथा	
3.6	EOC setup and facilities available in the district	
अध्याय— 4	रोकथाम और शमन उपाय	100—102

4.1	स्ट्रक्चरल शमन उपाय	
4.2	गैर संरचनात्मक शमन उपाय	
4.3	तैयारी क्रियाविधि	
4.4	जागरुकता कार्यक्रम	
4.5	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
अध्याय- 5	तैयारियों के उपाय	103-109
5.1	आपदा प्रबंधन योजना के तीन चरण	
5.2	प्रथम चरण- आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना	
5.3	द्वितीय चरण-आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना	
5.4	तृतीय चरण-आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना	
5.5	संवेदनशीलता	
अध्याय-6	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	110-111
अध्याय-7	प्रतिक्रिया और राहत उपाय	112
अध्याय-8	पुनर्निर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय	113-114
अध्याय-9	DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	115
अध्याय-10	DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली	116-117
अध्याय-11	DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	118-126
अध्याय-12	SOP- मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन	127-132
परिशिष्ट नं. 1	जिला प्रोफाइल-आपदाओं का इतिहास	133-147
परिशिष्ट नं. 2	आश्रय प्रबंधन व्यवस्था	148-164
परिशिष्ट नं. 3	मीडिया भागीदारी	165
परिशिष्ट नं. 4	चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना	165-174
परिशिष्ट नं. 5	चपेट में आने वाले गांवों तथा कस्बों की सूची	174-177
परिशिष्ट नं. 6	जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची	177-199
परिशिष्ट नं. 7	विभिन्न संस्थाओं, एन.जी.ओ., स्वयं सेवकों की सूची	200-205
परिशिष्ट नं. 8	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची-मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धता	205-234

परिशिष्ट नं. 9	आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची-फोन न0 सहित	235-258
परिशिष्ट नं. 10	परिवर्णी शब्दों की सूची	258-259
परिशिष्ट नं. 11	फोन डायरेक्ट्री	260-270

विकास और आपदा —

आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष करता रहा है। आज भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। तथापि आज भी आपदायें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक विकास से मनुष्य ने मनुष्य कृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये हैं। जो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। जिससे जान व माल की काफी हानि होती है।

भारत में आपदा जोखिम

भारत में अलग-अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मानव-जन्य आपदाएं आती रहती हैं। लगभग 58.6 प्रतिशत भू-भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षेत्र है, 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ़ और नदी अपरदन संभावित है, 7,516 कि.मी. तटीय क्षेत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. क्षेत्र चक्रवात और सुनामी संभावित है, 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित है और पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन और हिम-स्खलन की बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकीरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण, उच्च-जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य—

बहु-आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबंधन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 60 वर्षों 1950-2010 में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 54 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92 व 1999-2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96 व 1997-98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी-कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असंतुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विषाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य—

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
 2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
 3. आपदा न्यूनीकरण (Minimization) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
 4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
 5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
 6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
- निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-
- क. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- ख. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- ग. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standardisation) करना।
- घ. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- ड. स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- च. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- छ. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

नीतिगत कथन

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.01.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुण्करणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

23 दिसम्बर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी डी एम ए) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबंधी लाभों को बनाए रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिये राहत—केन्द्रित कारवाई के पहले के दृष्टिकोण के स्थान पर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

1.3 आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)—

आपदा प्रबंधन कार्य—योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटना, रेल व वायुयान दुर्घटना इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची है पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं। 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी-कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असंतुलन के कारण भी होता है इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन व पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विषाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला हनुमानगढ़ का अधिकांश क्षेत्र सूखा एवं हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी पंचायत समिति घग्घर नदी के बाढ़ से प्रभावित होती रही है। इसी प्रकार मार्च माह में गेहूँ कटाई के समय आग का लगना। कुआ खुदाई के समय भू-स्खलन एवं गलियों में शौचालय की कुईयों का धसना आदि मुख्य आपदाएँ हैं।

1.4 स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी— जिले में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक मुख्य हितधारकों की बड़ी संख्या है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ एवं लाइन डिपार्टमेंट

के जाने पहचाने हितधारक समूहों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी ऐसे हितधारक भी हैं जो आपदा और शांति दोनों स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हितधारक समूहों की सूची—

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह
1.	ग्राम पंचायत स्तर	1. सरपंच
		2. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव
		3. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
		4. ग्राम पंचायत शिक्षा कमेटी
		5. गैर सरकारी संगठन/स्वयं सहायता समूह
		6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि।
		7. ग्राम पंचायत वार्ड मेम्बर

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	
2.	जिला स्तर (लाइन डिपार्टमेंट)	1. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	11. नगर निकाय
		2. श्रम संसाधन विभाग	12. जल संसाधन विभाग
		3. पंचायत राज विभाग	13. कृषि विभाग
		4. स्वास्थ्य विभाग	14. पशुपालन विभाग
		5. पुलिस विभाग	15. मत्स्य विकास विभाग
		6. डाक एवं संचार विभाग	16. बीएसएनएल
		7. ग्रामीण विकास विभाग	17. शिक्षा विभाग
		8. सामाजिक सुरक्षा विभाग	18. उर्जा विभाग
		9. सांख्यिकी विभाग	19. अग्निशमन सेवा(दमकल)
		10. परिवहन विभाग	20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
			21. उद्योग विभाग
3.	अन्य हितधारक समूह	1. शैक्षणिक संस्थाएं	
		2. वास्तुकार, अभियंता, डिप्लोमा धारक और राज मिस्त्री	
		3. कारीगर शिल्पकार समूह	
		4. व्यावसायिक समूह(निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट, उद्योग, एमएसएमई) बाजार एवं बाजार संघ	
		5. भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त पेशेवर संघ	
		6. स्वास्थ्य संगठन(मेडिकल संघ, केमिस्ट एवं ड्रग एसोशिएसन, आरभीसी एवं नर्स संगठन)	
		7. इंटर एजेंसी ग्रुप	

		8. स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया
		9. स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं, रेडक्रॉस, राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं
		10. स्वयं सहायता समूह, महिलाएं एवं किसान संगठन, जीविका समूह
		11. ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, और नाव)
		12. युवा संगठन

1.5 कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें— परिस्थितियों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में दी गई जानकारी को काम में लेते हुये इस कार्य योजना को प्रयोग में लाएंगे।

1.6 कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र—जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरण— स्थाई व्यवस्था— जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं—

क्र.सं.	पदनाम		फोन नम्बर
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	9414616333
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	9650653050
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	सदस्य	9413321521
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य सचिव	7427828848
5	अधीक्षण अभियंता सार्व.निर्माण वि. वृत्त हनुमानगढ़	सदस्य	9414260643
6	अधीक्षण अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग वृत्त हनुमानगढ़	सदस्य	9414137051
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़	सदस्य	7597222000

1.7 प्लान रिव्यू तथा अपडेशन— जिला आपदा प्रबंधन प्लान को जिले परिस्थितियों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित करते हुए अपडेट किया जाएगा।

अध्याय-2

(आपदा, भेता, क्षमता तथा जोखिम आकलन)

2.1 जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य— (परिशिष्ट 1 में देखें)

2.2 जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण—

घटित आपदाएं एवं प्रबंधन

गुजरात के भूज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जुझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लूणकरणसर में बाढ़ तथा रावतसर में दिनांक 12.9.2007 को बादल का फटना, पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जावे ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

2.3 विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदायें जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरांत सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है। बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि उनकी आर्थिक व शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित आपदाओं की पहचान:-

जलवायु संबंधित	भू-गर्भ संबंधित	रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणु विपदा	दुर्घटना संबंधित	जैविक आपदायें
बाढ़	भूकंप	रेडियो ऐक्टिव विकिरण	टाग	महामारी

सूखा	भू-स्खलन	गैस रिसाव	मुख्य भवन ढहना	टिड्डी दल
चक्रवात	बांध का टूटना	बम विस्फोट	सड़क, रेल दुर्घटना	जानवरों की महामारी
बादल फटना	खान में आग लगना	—	खान में बाढ़ आना	कीट आक्रमण
ओलावृष्टि	—	—	—	लम्पी रोग
तूफान, गर्म (लू) व ठंडी (शीत) हवायें, पाला, आंधियां	—	—	—	गुलाबी सूण्डी
				कोविड-19

हनुमानगढ़ जिले की आपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना का एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदायें, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा आपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले के संभावित जो आपदायें चिन्हित की गईं इनमें से मुख्य पांच आपदाओं के लिए विस्तृत एवं विशिष्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गई।

जिले में विशिष्ट एवं सामान्य आपदायें

विशिष्ट आपदायें	सामान्य आपदायें
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृष्टि
दुर्घटना (सड़क, रेल, कुँओं का धसना, कृषि आग, नहरों का टूटना)	अतिवृष्टि
सेम विस्तार	मौसमी कीड़ों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
कोविड-19	रसायनिक, औद्योगिक बम विस्फोट
पशुओं में लम्पी रोग	

विभिन्न आपदाओं को उनकी तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय के अन्तराल की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है—

अ. आकस्मिक आपदायें— इस प्रकार की आपदाओं में भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्निकांड, दुर्घटनायें, रासायनिक दुर्घटनायें आती हैं। तथा उनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में मानव एवं पशुधन व मकानों आदि का नुकसान हो जाता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वहाँ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जन सहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त सहयोग की आवश्यकता होती है एवं कम समय में ही बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव व सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों, आश्रय स्थलों, चिकित्सा एवं भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।

ब. धीमी गति की आपदायें—इस प्रकार की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदायें आती हैं जिसका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है तथा उसके लिए राहत सामग्री आदि पहुँचाने के लिए एवं तैयारी के लिए पूर्व में काफी समय मिल जाता है। अकाल के लिए जो राहत कार्य किये जाने की आवश्यकता होती है। उसमें उतनी तत्परता एवं रेस्पॉन्स की शीघ्रता नहीं होती है, जितनी की भूकम्प या बाढ़ की स्थिति में होती है। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है।

2.4 आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी—

निम्न प्राधिकरण/एजेंसीज कार्यरत हैं—

(अ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)— यह आपदा प्रबंधन के लिये एक शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये इनके प्रवर्तन, और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिये उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी-2 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(ब) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति— इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं तथा इसमें कृषि, परमाणु उर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी के सदस्यों के रूप में शामिल हैं। इसकी बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे।

(स) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)— राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह अन्य बातों के साथ-2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिये प्रावधान की सिफारिश करेगा, और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

(द) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण—जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह-अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्यवाई उपायों संबंधी

दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

(य) स्थानीय प्राधिकरण— इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने आधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

(र) जिला प्रशासन— जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

2.5 सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन) जिले की सम्भावित आपदाएं एवं उनसे बचाव हेतु कार्य योजना

बाढ़—

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबंधन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो नदियां असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है— विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी क्रम उत्तरदायी नहीं है।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

बाढ़ के बचाव हेतु कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।

प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।

बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।

मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह अपवाह तंत्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

नदी के बान्ध में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।

तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इंजीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियंत्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियंत्रण करके नियमों को पालन करें।
- संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियंत्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

जिले में बाढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

परिचय :-

घग्घर नदी का आगमन हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों के पास से होता है। इस नदी में मारकण्डा, कौशलया, टांगड़ी, सरस्वती, नाडला, झांझरा, दोधगढ़वाली, ओमला इत्यादि नदियाँ मिल जाती हैं। यह नदी अपने प्राकृतिक बहाव से पंजाब के चंडीगढ़ व पटियाला एवं हरियाणा राज्य के अम्बाला सिरसा से बहती हुई ओटू वियर के माध्यम से राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ तलवाड़ा गाँव के पास होती हुई इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी. 629 घग्घर साईफन से जी.डी.सी. में बहने लगती है। यह बाढ़ का पानी राज्य सरकार के निर्धारित रेगुलेशन के अनुसार जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 24.000 व 24.500 पर बने दो एस्केप (I-6500 Cs & II-8000 Cs = 14500 Cs) के माध्यम से नाली बैड में छोड़ा जाता है।

यह बाढ़ का पानी भाखड़ा एवं इ.गा.न.प. नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र के गाँव/शहर टिब्बी, पीरकामड़िया, पन्नीवाला, फतेहपुर, शेरकां, भद्रकाली माँ, कमरानी, मसानी, फतेहगढ़, ढालिया, अमरपुरा थेड़ी, चक बुडसिंहवाला, गाडू, सतीपुरा, ज्वालासिंहवाला, हनुमानगढ़ टाऊन व जंक्शन, श्रीनगर, खुंजा, गंगागढ़, मक्कासर, सहजीपुरा, करणीसर, बहलोल नगर, डबली, पीलीबंगा, 23 एसटीजी, 5 पी.बी.एन., 29 एसटीजी, सरामसर, बारका, रंगमहल, सूरतगढ़, मानकसर, सीलवानी, अमरपुरा जाटान, जैतसर रोड ब्रिज से होती हुई जी.बी. चकों (6 जी.बी. द्वितीय, 13 जी.बी., 22 जी.बी., 25 जी.बी., 27 जी.बी., 56 जी.बी. द्वितीय, 68 जी.बी. तृतीय, 69 जी.बी., 75 जी.बी., 80 जी.बी., 4 एमएसआर), श्री विजयनगर, रामसिंहपुरा, कुपली व अनूपगढ़ मण्डी से होती हुई बिंजौर (94 जी.बी.) से भारत पाक सीमा भेड़ताल तक बहता है।

जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बने हैड क्रॉस रेगुलेटर के माध्यम से सूरतगढ़ ब्रांच में (1850 Cs) पानी मांग अनुसार छोड़ा जाता है और शेष या अधिक बाढ़ का पानी आने पर जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 158.700 टेल के डाऊन स्ट्रीम में बने प्राकृतिक डिप्रेशन 1 से 18 में डाला जाता है जिसकी भराव क्षमता 604 फिट के जल स्तर पर 0.73 MAF है।

घग्घर नाली बैड सीमांकन दो जिलों के अन्तर्गत निम्नानुसार आता है :-

जिला हनुमानगढ़	कार्य क्षेत्र
अधिशायी अभियंता, (मा. 8306500207) घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़	तलवाड़ा प्रोटेक्शन बन्ध, जी.डी.सी. बुर्जी संख्या 0 से 158.700 (टेल), एवं इस पर स्थापित विभिन्न रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर तथा उनका रेगुलेशन। उत्तर प्रोटेक्शन बन्ध, दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध तथा पंजाबी मोहल्ला बन्ध।
अधिशायी अभियंता, (माण 7014642404) जल ससाधन खण्ड रावतसर	नाली बैड एस्केप बुर्जी संख्या 24 जी.डी.सी. से 26 एनजीसी तक
अधिशायी अभियंता, (माण 8112213912) जल ससाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	26 एनजीसी से चेतक प्वाइंट सूरतगढ़ तक, उत्तर व दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध को छोड़कर।
अधिशायी अभियंता, (मा 8118835787) रेगुलेशन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़	इनटेक स्ट्रक्चर आईजीएफ बुर्जी संख्या 629 पर

जिला श्रीगंगानगर	कार्य क्षेत्र
------------------	---------------

अधिशायी अभियंता, (मा- 8306500207) घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड, हनुमानगढ़	जी.डी.सी. टेल से डाउन स्ट्रीम डिप्रेशन नं. 1 से 18 तक तथा इसके बीच आने वाले समस्त 26 सैडल बन्ध, कट, नहर एवं माईनर एस्केप तथा उनका रेगुलेशन।
अधिशायी अभियंता, (मा- 8387807766) जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर	जैतसर चेतक प्वाइंट से पाकिस्तान बार्डर तक। नाली बैड व इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।

अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ एवं जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर के अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार यह ध्यान रखते हैं कि घग्घर बाढ़ का पानी बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहे।

ब- जिले की विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा तथा घग्घर नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों/बस्तियों का विवरण

1. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम ऐसे हैं, जहां वर्षा होने पर नुकसान की सम्भावना रहती है। -

(अ)-डबली राठान, डबली कुतुब, सहजीपुरा, फतेहगढ़, रणजीतपुरा, मक्कासर, अमरपुराथेड़ी चक ज्वालसिंहवाला, पक्का सारणा, जण्डावाली, रामसरानारायण, किशनपुरा दिखनादा, 22 एन डी आर मटोरियावाली ढाणी, मुण्डा, बहलोलनगर।

2. शहरी क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

- बरकत कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन वार्ड संख्या 33 हनुमानगढ़ टाउन
- मुखर्जी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन वार्ड संख्या 30 हनुमानगढ़ टाउन
- अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन वार्ड संख्या 14 हनुमानगढ़ टाउन
- लोहिया कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन वार्ड संख्या 15 हनुमानगढ़ टाउन
- भट्टा बस्ती वार्ड नं. 15, 16, 12 हनुमानगढ़ जंक्शन
- सुरेशिया क्षेत्र वार्ड नं. 54 से 60 हनुमानगढ़ जंक्शन
- वेयर हाउस के पीछे की बस्ती, वार्ड संख्या 01, हनुमानगढ़ जंक्शन

3. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र -

पटवार मण्डल	नाली क्षेत्र के चक	आबादी के चक	मकानों की संख्या	अनुमानित आबादी
छुलमाना	22-23-24 एसटीजी	22 एसटीजी	100	500
पीलीबंगा गांव	25-26 एसटीजी	25 एसटीजी 26 एसटीजी	11	590

अमरपुरा राठान	29-32 एसटीजी 1 बीआरपी 2 बीआरपी	32 एसटीजी 29 एसटीजी 1 बीआरपी सरामसर 2 बीआरपी भाखड़ा	90 200	510 1060
थनहालपुरा	28 एसटीजी	28 एसटीजी	3 ढाणियां	18
श्रामपुरा	रामपुरा रंगमहल 36 एसटीजी बी	36 एसटीजी बी	700	3500

4. शहरी क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

अतिवृष्टि के दौरान पालिका क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में जगह नीची होने के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा होता है –

- वार्ड नं. 17 में गिनाणी के आस पास का क्षेत्र
- खरलिया रोड़ वार्ड नं. 11,25 के आस पास का क्षेत्र
- वार्ड नं. 4, 5 व 6 का क्षेत्र
- वार्ड नं. 03 में सांसी मोहल्ला व इसके आस पास का क्षेत्र
- वार्ड नं. 23 में गिनाणी का आस पास का क्षेत्र
- वार्ड नं. 22 में सबग्रिड स्टेशन के आस पास का क्षेत्र
- वार्ड नं. 20 में राजकीय उच्च प्रा. पाठशाला दुलमानी के आस पास का क्षेत्र

5. शहरी क्षेत्र, तहसील संगरिया

नगरपालिका संगरिया क्षेत्र में बरसात के समय वार्ड नं. 26 से 33 गुरुनानक नगर, दुर्गा मन्दिर के पास वेयर हाउस रोड़, बस स्टैण्ड से शिव बाड़ी रोड़, उपखण्ड कार्यालय, वार्ड नं. 1,2,17, मंगल विहार कॉलोनी, साहिल मेरिज पैलेस के पीछे आदि स्थानों पर पानी भर जाता है।

6. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील टिब्बी

घग्घर नदी में अधिक पानी आने से टिब्बी तहसील दो भागों में बंट जाती है, प्रभावित ग्राम पन्नीवाली, पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, चन्दूरवाली, सुरेवाला का सम्पर्क तहसील मुख्यालय से टूट जाता है। इन गावों का हनुमानगढ़ से चूना फाटक होकर एनजीसी नहर के सहारे स्थित रोड़ से पहुंचकर सहयोग किया जा सकता है।

गांव तलवाड़ा, टिब्बी, राठीखेड़ा, रताखेड़ा, ढाणी तारासिंह वाली तक टिब्बी से सम्पर्क रहता है तथा अधिक पानी आने पर टिब्बी से सम्पर्क कटने की स्थिति में हनुमानगढ़ से रेलवे मार्ग तथा रावतसर, चाईयां होकर सड़क मार्ग से सम्पर्क हो सकता है।

7. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील रावतसर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम राजस्व ग्राम
1.	भाखरांवाला	भाखरांवाला
2.	क्नवानी	क्नवानी

3.	सरदारपुरा खालसा	सरदारपुरा खालसा
4.	25 आरडब्ल्यूडी	प्रेमनगर, 25 आरडब्ल्यूडी, नेहरावाली ढाणी

8. शहरी क्षेत्र, तहसील रावतसर

रावतसर शहर में पानी बहाव का क्षेत्र, वार्ड नं. 04,05 का कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 07,24 का कुछ क्षेत्र में पानी एकत्रित होता है।

9. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील नोहर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	प्रभावित गांव
1.	थसरंगसर	नोहर	थसरंगसर
2.	परलीका	नोहर	परलीका
3.	पाण्डुसर	नोहर	पाण्डुसर एवं जोजासर उगाड़
4.	भूकरका	नोहर	हरिजन मोहल्ला भूकरका
5.	मंदरपुरा	नोहर	मंदरपुरा के उगाड़ चौगान
6.	पिचकराई	नोहर	16-17 केएनएन
7.	छीपलाना	नोहर	छीपलाना

10. शहरी क्षेत्र, तहसील नोहर

नगरपालिका नोहर क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित वार्डों/स्थलों की सूची निम्न प्रकार हैं –

1. वार्ड सख्यां 20 महावीर पार्क व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पीछे की साईट – इस वार्ड में पार्क के दक्षिणी में व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पीछे पुराने खड्डे हैं, जिसमें शहर का गन्दा/बरसाती पानी इकट्ठा होता है, जिसे गिनाणी महावीर पार्क के पास कहते हैं। इन स्थानों पर शहर की आबादी का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र का गंदा एवं बरसाती पानी आता है। यहां पर पालिका द्वारा मड पम्प लगाए गए, जिससे गंदा/बरसाती पानी पाईप लाईन के जरिये शहर से 2 कि.मी. दूर नगरपालिका की खाली भूमि में डाला जाता है। बरसात के समय जोहड़ ओवर फ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं पुराने जोहड़/गिनाणी में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

2. वार्ड सख्यां 20 श्याम मंदिर व हनुमान मंदिर के मध्य का पुराना जोहड़ साईट – इस वार्ड में श्याम मंदिर व हनुमान मंदिर के मध्य लम्बा चौड़ा जोहड़ा है, जिसे पुराना जोहड़ श्याम मंदिर/हनुमान मंदिर के पास का कहते हैं। इस जोहड़ में वार्ड सख्यां 20 महावीर पार्क व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पीछे की साईट के बरसाती पानी के ओवरफ्लो से पानी इकट्ठा होता है, बरसात के समय भराव क्षमता से अधिक पानी आवक होने से जोहड़ ओवर फ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं पुराने जोहड़/गिनाणी में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

3. वार्ड सख्यां 16 सूर्य भवन मंदिर के पीछे डेरा सच्चा सौदा के पास की साईट – शहर का 40 प्रतिशत गंदा व बरसाती पानी इस खड्डे में इकट्ठा होता है एवं खड़ा ओवर फ्लो होने पर पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है। इस स्थल से पश्चिम/दक्षिण एवं आषिक उत्तरी दिशा की तरफ

सघन आबादी क्षेत्र है, जहां आर्थिक दृष्टि से मध्यम/कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। मड़ पम्पों से पानी की निकासी एवं गिनाणी में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

4. वार्ड संख्या 1 शोभाणा जोहड़ :- अनाज मण्डी, पिवाजी बस स्टैण्ड, नया पुलिस थाना, रीको भूमि से दक्षिण की तरफ एवं रेलवे ट्रैक/रेलवे बिजलीघर के मध्य स्थित नीचला पुरानी जोहड़ भूमि है, जिसमें गन्दा/बरसाती पानी इकट्ठा होने से आसपास के व्यवसायिक क्षेत्रों में पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है।

5. वार्ड संख्या 29 श्याम बाबा कॉलोनी :- इस क्षेत्र की सड़कें पूर्ववर्ती बनी मुख्य सड़कों के अनुरूप बनने एवं आबादी की बसावट नीचे क्षेत्र में होने के कारण घरों के पानी का निकास सहज रूप से नहीं हो जाता एवं बरसात के समय पानी ऑवर फ्लो होकर गलियों, सड़कों एवं घरों में घुस जाता है।

6. वार्ड संख्या 6 ईदगाह के पीछे :- शहर के कुछ वार्डों का बरसाती/गन्दा पानी ईदगाह के पीछे खड्डों में इकट्ठा होता है, जिसमें गन्दा/बरसाती पानी इकट्ठा होने से आसपास के व्यवसायिक क्षेत्रों में पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है।

11. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील भादरा

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	नाम ग्राम/चक	स्थान व कारण
1.	मुन्सरी	गांव के बीच में जोहड़ में बरसात होने पर पानी भर जाता है। घरों का गंदा पानी इसी जोहड़ में आता है।
2.	झांसल	झांसल ग्राम में जोहड़ ग्राम के बीच में होने पर बरसात से भर जाता है, जिससे पानी घरों में व गलियों पर फैल जाता है।
3.	निनाण	ग्राम की सड़क से उत्तर व गांव की पूर्व दिशा में निचली बस्ती में व गलियों में पानी भर जाता है व घरों में घुस जाता है।
4.	मलखेड़ा	ग्राम की दक्षिणी दिशा में जोहड़ के पास आबादी बसी होने के कारण पानी गलियों व घरों में भर जाता है।
5.	नेठराना	नेठराना ग्राम में हल्की बरसात होने पर भी गांव के बीच में नीचा क्षेत्र होने से पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है व नजदीक के घरों में घुस जाता है।
6.	शेरड़ा	ग्राम की निचली बस्ती बरसात होने पर गलियों व घरों में पानी भर जाता है।
7.	भिरानी	भिरानी गांव में जोहड़ गांव के बीच में होने पर बरसात होने पर घरों व गलियों में पानी भर जाता है।
8.	श्रामबास	रामबास ग्राम में बरसात बरसात होने पर जोहड़ व गलियों में पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है।
9.	छानीबडी	छानीबडी के वार्ड 10 व 11 में पक्की सड़क से उत्तर दिशा में वर्षा का पानी गलियों में भर जाता है।

12. शहरी क्षेत्र, तहसील भादरा

नगरपालिका भादरा के क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले संभावित वार्डों की सूची निम्न प्रकार है –

- डूम सागर वार्ड नं० 22 मोची मौहल्ला
- वार्ड नं० 5 व 6 मुमताज खां की बाड़ी

➤ वार्ड नं. 7 क्यामखानी चौक पर लाल कुएं के पास

➤ वार्ड नं. 2 अनाज मण्डी में पानी इकट्ठा

इन स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग 12 कुओं का निर्माण करवाया जा चुका है। इन कुओं में केवल बरसात का पानी ही जायेगा।

1. वार्ड नं. 19 डूमसागर मौची मोहल्ला – इस वार्ड में गंदे पानी का लम्बा चौड़ा जोहड़ा है, जिसे डूम सागर कहते हैं। जहां शहर का करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र का गंदा एवं बरसाती पानी आता है। यहां पर पालिका द्वारा मड पम्प लगाए गए जिससे गंदा पानी पाईप लाईन के जरिये शहर से 2 कि.मी. दूर नगरपालिका की खाली भूमि में डाला जाता है। बरसात के समय जोहड़ ऑवरफ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं डूम सागर में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

2. वार्ड नं. 5 में गन्दे पानी के खड्डे – शहर का 30 प्रतिशत गंदा व बरसाती पानी इस खड्डे में इकट्ठा होता है एवं खड्डा ऑवरफ्लो होने पर पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं।

3. वार्ड नं. 9 कल्याण भूमि के पास गंदे पानी का जोहड़ एवं नाथवाना जोहड़ –

वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 का सम्पूर्ण बरसाती पानी एवं गंदा पानी कल्याण भूमि के पास स्थित जोहड़ में भरता है। ऑवरफ्लो होकर पानी गलियों, सड़कों एवं घरों में घुस जाता है।

4. राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाईन तक –

रेलवे लाईन के नीचे से पाईप कलर्ट छोटा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है एवं पानी सड़क पर गलियों में एवं दुकानों में घुस जाता है एवं सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

बाढ़ के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य

बाढ़ नियंत्रण कक्ष :- बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान करने बाबत बाढ़ समय 15 जून से 30 सितम्बर तक जिला हनुमानगढ़ में निम्न जगह पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है :-

- (I) बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 491-92 दिनांक 09 जून 2023 ईओसी कार्यालय की अनुपालना में चालू वर्ष 2024 के बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण कक्ष (कार्यालय अधिशाषी अभियंता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़) में स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष 01552-260079 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित कर्मचारीगण घग्घर नदी के पानी की गेजों की सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। यह कक्ष 24 घण्टे मानसून अवधि (15 जून से 30 सितंबर) के दौरान स्थापित रहता है।

सिंचाई विभाग

सुरक्षित स्थानों का चयन

सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबंधन

वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना

सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।

अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।

नावों तथा तैराकों का प्रबन्ध करना।

घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 2025 में घग्घर बाढ़ से

बचाव हेतु कार्य योजना (आपदा प्रबन्धन) निम्नानुसार है:-

बाढ़ के दौरान बचाव कार्य योजना :-

आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ का कार्यक्षेत्र दो जिलों के अन्तर्गत आता है एवं इसका प्रशासनिक नियंत्रण श्रीमान् अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त नोहर के अधीन है

जिला हनुमानगढ़ :-

इस खण्ड कार्यालय की देखरेख में घग्घर नदी के बाढ़ का पानी जी.डी.सी. आर.डी. 24.000 तथा 24.500 से घग्घर नाली बेड में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेगुलेशन प्रोग्राम के अनुसार छोड़ा जाता है। घग्घर नाली बेड के बहाव क्षेत्र की मुख्य धार के दोनों ओर स्थित आबादियों के बचाव के लिए निजी बन्धे बने हुए हैं। जिनका रख-रखाव आबादियों में रहने वाले लोग स्वयं एवं जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर करते हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग एवं आपातकाल स्थिति में खाली सीमेंट के थैले उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह थैले आवश्यकता पड़ने में तहसीलदार की मांग पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। संवेदनशील बिन्दू एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची संलग्न है—

संवेदनशील बिन्दु एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची निम्न प्रकार है—

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	जिला – हनुमानगढ़	
	अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्डद्वितीय हनुमानगढ़	
1.	पीरकामड़िया	पीरकामड़िया
2.	पन्नीवाला	पन्नीवाला
3.	शेरेकां	शेरेकां
4.	क्मरानी	शेरेकां

5.	फतेहपुर	फतेहपुर
6.	ढालिया	सतीपुरा
7.	टमरपुरा	अमरपुरा थेड़ी
8.	चक बुड़सिंहवाला	सतीपुरा
9.	गाहडू	चक ज्वालासिंहवाला
10.	स्तीपुरा	सतीपुरा
11.	ज्वालासिंहवाला	चक ज्वालासिंहवाला
12.	हनुमानगढ़ जंक्शन एवं टाउन	हनुमानगढ़
13.	गंगागढ़	गंगागढ़
14.	श्रीनगर	श्रीनगर
15.	खुन्जा	खुन्जा
16.	सहजीपुरा	सहजीपुरा
17.	करणीसर	सहजीपुरा
18.	बहलोल नगर	बहलोल नगर
19.	23 एस.टी.जी.	दुलमाना
20.	26 एस.टी.जी.	गांव पीलीबंगा
21.	29 एस.टी.जी.	अमरपुरा राठान
22.	स्रामसर	अमरपुरा राठान
23.	5 पीबीएन	अमरपुरा राठान
24.	34 एस.टी.जी.-ए	गांव पीलीबंगा
	जिला-श्रीगंगानगर	
25.	43 एस.टी.जी. – ए (बारेंका)	रंगमहल
26.	43 एस.टी.जी. – बी (रंगमहल)	रंगमहल, सूरतगढ़
27.	35 पीबीएन (केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़)	सूरतगढ़
28.	सूरतगढ़	सूरतगढ़
29.	मानकसर	मानकसर

30.	36 पीबीएन (अमरपुरा राठान)	अमरपुरा राठान
31.	सीलवानी	सीलवानी
32.	लुढ़ाणा एवं सरदारगढ़	सरदारगढ़

1. घग्घर नाली बैड का बहाव क्षेत्र संवेदनशील बिन्दू जहाँ से 3 बीघा से चौड़ाई कम है। उस जगह पर सम्बंधित काश्तकारों द्वारा अवैध बन्धे बनाकर नाली के मुख्यधार के बहाव को संकरा कर रखा है। बाढ़ का पानी अधिक आने पर ऐसे समस्त अवरोधों को हटवाया जाना है। अवरोधों के हटते ही काश्तकारों द्वारा नाली अधिघोषित क्षेत्र की सीमा में सुरक्षा हेतु बन्धे न बनाने की स्थिति में गाँव/आबादी/शहर व फसल आदि प्रभावित हो सकते हैं। जिसकी सूची सलग्न है

संवेदनशील बिन्दु नाली बैड में जहां चौड़ाई 3 बीघा से कम है

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	जिला – हनुमानगढ़	
1.	21 NGC	पीरकामड़िया
2.	25 NGC	पीरकामड़िया
3.	4 HMH	पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, फतेहपुर, अमरपुरा
4.	6 HMH	टमरपुरा
5.	8 HMH	भद्रकाली, अमरपुरा, ढालिया
6.	46 NGC	बुड़सिंहवाला, गाहडू
7.	47 NGC	ज्वालासिंहवाला, सतीपुरा, हनुमानगढ़ जं० व हनुमानगढ़ टाउन
8.	3-4 KNJ	हनुमानगढ़ जं० व हनुमानगढ़ टाउन
9.	3-4 KNJ & 3-5 KNJ	श्रीनगर, खुंजा, हनुमानगढ़ जं० व हनुमानगढ़ टाउन
10.	6 & 4 SNM	श्रीनगर, गंगागढ़
11.	11 STG, 23 HMH	गंगागढ़, पुरुषोत्तमवाला बास
12.	23 HMH	पुरुषोत्तमवाला बास
13.	12 STG	पुरुषोत्तमवाला बास, श्रीनगर, गंगागढ़
14.	13 STG	करनीसर, सहजीपुरा
15.	15 STG “A”	करनीसर, सहजीपुरा
16.	15 STG “B”	करनीसर, सहजीपुरा
17.	16 STG	करनीसर, सहजीपुरा, चक जहाना, बहलोल नगर

18.	19 STG	बहलोल नगर, मसरुवाला
19.	22 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
20.	23 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
21.	26 STG	आबादी चक 25-26 एस.टी.जी.
22.	29 STG	आबादी चक 29 एस.टी.जी.
23.	34 STG	-----
	जिला – श्रीगंगानगर	
24.	43 STG “A”	बारेंका, सूरतगढ़
25.	43 STG “B”	रंगमहल, सूरतगढ़
26.	45 STG	-----
27.	35 PBN	केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़
28.	36 PBN	अमरपुरा राठान
29.	41 PBN	सेलवानी

II}- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में नाली बहाव क्षेत्र को 6 बीघा चौड़ाई में अधिघोषित किया हुआ है। इस 6 बीघा चौड़ाई अधिघोषित बहाव क्षेत्र में संशोधन/बदलाव हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 बीघा चौड़ाई में करने की सशर्त अनुमति अध्याधीन प्रदान की गई है। जिस पर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है जो प्रक्रियाधीन है।

2. I}- मानसून अवधि में घग्घर नदी में बाढ़ का पानी आने पर बाढ़ बचाव कार्य हेतु सरकारी तलवाड़ा सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 18.100 एवं हनुमानगढ़ जं. के उत्तरी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 18.000 एवं दक्षिणी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 3.850 एवं जी.डी.सी. की आर.डी. 0 से 75.000 तक रख-रखाव एवं वाचिंग एवं मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

II}- जीडीसी आर.डी 75.000 से 158.700 टेल, डिप्रेशन नं. 1 से 5 एवं सैडल नं. 1 से 4 तक रख-रखाव एवं वाचिंग एवं मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

3. जिला श्रीगंगानगर

III}- घग्घर डिप्रेशन नं. 6A,B,C,D व 7 से 11 तथा 16 से 18 एवं सैडल एस-6, 7, 7ए, 8, एस-8, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12, एस-13, 14, 14ए, 15 से 18 तथा 20 तथा किशनपुरा माईनर आर.डी. 0 से 15.000 एवं एस्केप चैनल आर.डी. 0 से 1.420 एवं पी.बी.

एन. करणी जी लिंक चैनल आर.डी. 0 से 2.500 और 24 से 97.700 टेल तक रखरखाव एवं वाचिंग, मिट्टी से भरे सीमेंट के थैले बैंको पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III सूरतगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष :- बाढ़ नियंत्रण कक्ष :- बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान करने बाबत बाढ़ समय 15 जून से 15 अक्टूबर तक जिला हनुमानगढ़ में निम्न जगह पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है :-

(II) बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कार्यालय अधिशाषी अभियंता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़ में वर्ष 2025 के बाढ़ अवधि के दौरान (15.06.2025 से 15.10.2025) कि जाएगी। जिसका दूरभाष 01552-260079 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित कर्मचारीगण घग्घर नदी के पानी की गेजो की सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। यह कक्ष 24 घण्टे मानसून अवधि (15.06.2025 से 15.10.2025) के दौरान स्थापित रहता है।

4. **गेज स्टेशन :-** बाढ़ की अवधि 15 जून से बाढ़ अवधि तक निम्नलिखित स्थानों से गेजे प्राप्त की जा सकती है :-

जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ के अधीन)

- (III) जी.डी.सी. आर.डी 0.000 (आई.जी.एफ. घग्घर साईफन आर.डी 629)
- (IV) जी.डी.सी. आर.डी 24.000 एस्केप (नाली बैड का उद्गम स्थल)
- (V) जी.डी.सी. आर.डी 42.370 (क्रॉस रेगुलेटर)
- (VI) बाढ़ नियंत्रण कक्ष हनुमानगढ़ (घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेजखण्ड हनुमानगढ़ कार्यालय में)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़ के अधीन)

- (VII) जी.डी.सी. आर.डी. 133.400 (क्रॉस रेगुलेटर एवं हैड रेगुलेटर सूरतगढ़ ब्रांच)
- (VIII) जी.डी.सी. आर.डी. 158.700 टेल (क्रॉस रेगुलेटर)

5. **गेज रीडिंग :-** घग्घर नदी में आने वाले बाढ़ के पानी की मात्रा की जानकारी निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त की जाती है।

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम, हनुमानगढ़)

- (I) खनौरी साईफन
- (II) चांदपुर साईफन
- (III) ओटू वीयर
- (IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 0.000 (इ.गा. फीडर की बुर्जी संख्या 629 घग्घर साईफन)
- (V) जी.डी.सी. आर.डी 24.000 एस्केप (नाली बैड का उद्गम स्थल)
- (VI) जी.डी.सी. आर.डी 42.370(क्रॉस रेगुलेटर)

- (सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़)
- (VII) जी.डी.सी. आरडी 133.400 (क्रॉस रेगुलेटर एवं हैड रेगुलेटर सूरतगढ़ शाखा)
- (VIII) जी.डी.सी. आरडी 158.700 (क्रॉस रेगुलेटर)

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

- (IX) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से हनुमानगढ़)
- (X) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15)
- (XI) एस्कैप एस-8ए (घग्घर डिप्रेषन 6ए)
- (XII) कट नं. 15 (राष्ट्रीय सड़क मार्ग - 15)
6. **बाढ़ बचाव हेतु उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में :-** बाढ़ के बचाव हेतु सामग्री की व्यवस्था निम्नलिखित बने स्टोरों पर की जाती है जो कि इन स्टोरों पर उपलब्ध रहती है। बाढ़ सामग्री की सूची सलग्न है (परिशिष्ट - 3)

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़ के अधीन)

- (I) हनुमानगढ़ संगम **एक** स्टोर, हनुमानगढ़ संगम ।

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

- (I) जी.एफ.सी. कॉलोनी, सूरतगढ़ ।

7. **कार्यरत अभियांत्रिक स्टाफ :-** इस खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत फील्ड स्टॉफ कार्य क्षेत्र के अनुसार बाढ़ अवधिके समय कार्यरत रहते हैं। सूची सलग्न है (परिशिष्ट -4)
8. घग्घर बाढ़ की अक्स्मात् स्थिति से निपटने हेतु सामाजिक सहायतार्थ समाजसेवी संस्थाओं, प्रशासकीय कार्यालयों एवं घग्घर बाढ़ नियंत्रण खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के दूरभाष नं. सहित सूची सलग्न है
- 8-कार्यरत अभियांत्रिक स्टाफ :-** फील्ड स्टाफ के कार्य क्षेत्र के अनुसार सूची निम्न प्रकार है जो कि बाढ़ अवधि के समय कार्यरत रहेंगे।

वर्ष 2023 के बाढ़ बचाव हेतु आवश्यक सामग्री की मांग एवं उपलब्धता एवं बकाया जरूरत की सूची

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवम् ड्रेनेज खण्ड, हनुमानगढ़

क्रं. सं.	नाम सामग्री	सामग्री की आवश्यकता (अनुमानित गत वर्षों के अनुभव के आधार पर)	वर्तमान में उपलब्धता	बकाया सामग्री की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	सीमेन्ट बैग (खाली)	50000 Nos.	20000 Nos.	30000 Nos.

2.	बंस	100 Nos.	--	100 Nos.
3.	बत्ता	100 Nos.	--	100 Nos.
4.	बल्लियां	500 Nos.	--	500 Nos.
5.	नारियल रस्सी	50 Kg.	--	50 Kg.
6.	सूतली	10 Kg.	--	10 Kg.
7.	पॉलीथीन	300 Kg.	--	300 Kg.
8.	टार्च	50 Nos.	--	50 Nos.
9.	टार्च सैल	100 Nos.	--	1000 Nos.
10.	लाइफ जैकेट	30 Nos.	20 Nos.	10 Nos.
11.	छोलदारी	10 Nos.	--	10 Nos.
12.	थतरपाल	20 Nos.	--	20 Nos.
13.	वायरलैस सैट	6 Nos.	6 Nos.	--
14.	वायरलैस बैट्री	12 Nos.	--	--
15.	डोजर/जेसीबी	2 Nos.	--	2 Nos.
16.	जिप	4 Nos.	--	4 Nos.

जिला हनुमानगढ़ : रेगुलेशन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के अन्तर्गत अभियांत्रिक स्टॉफ के कार्यक्षेत्र अनुसार विवरण

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
1.	श्री कंवरपाल सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़ मो. 9680210357	सहायक अभियंता	1. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. गेज स्टेशन I. कैनाल कॉलोनी ओटू वियर (सिरसा) II. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 (घग्घर साईफन, इन्दिरा गांधी फीडर आरडी 629) III. जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (घग्घर नाली बैड का उद्गम स्थल) IV. जी.डी.सी. आरडी 42.370 (क्रॉस रेगुलेटर)

			V. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड हनुमानगढ़ 3. तलवाड़ा सुरक्षा बांध आरडी 0 से 18.100, उत्तरी सुरक्षा बांध 0.000 से 18.000, दक्षिण सुरक्षा बांध आरडी 0.000 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आरडी 0 से 3.850 4. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड स्टोर हनुमानगढ़ जं.।
I.	श्री हरविन्दरसिंह मो.:-7976451932	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 0.000 से 20.000 एवं तलवाड़ा सुरक्षा बांध बुर्जी सं. 0 से 18.100 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	श्री हरविन्दरसिंह मो.:-7976451932	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 20.000 से 42.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	श्री हरविन्दरसिंह मो.:-7976451932	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 42.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
IV.	श्रीमती विनोद कुमारी मो.:-9783328293	कनिष्ठ अभियंता	एन.पी., एस.पी. व पीएमबी बंधे एवं आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड स्टोर, हनुमानगढ़ जं.।

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
2.	श्री निरंजन लाल कटारिया सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ मो.8696586100	सहायक अभियंता	1. जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 158.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. घग्घर डिप्रेषन 1 से 5 एवं सैडल (बांध) एस-1 से एस-4 3. वायरलैस स्टेशन I. जी.डी.सी. आरडी 133.400 (हैड क्रॉस रेगुलेटर) II. जी.डी.सी. आरडी 158.700 टेल (क्रॉस रेगुलेटर)
I.	श्री अभिनन्दन मो. 6350552349	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 98.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	श्रीमती ज्योति मो. 8930985264	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 98.000 से 120.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	श्री अभिनन्दन मो. 6350552349 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 120.000 से 142.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
IV.	श्री विनोद कुमार मो 9772512290	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 142.000 से 158.700 व एस-1 से एस-5 एवं समस्त स्ट्रक्चर

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
3.	श्रीमतीसीमा सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ मो. 8949479461	सहायक अभियंता	- घग्घर डिप्रेशन 6 ए से 18 एवं सैडल (बांध) एस-6 से एस-20 एवं समस्त स्ट्रक्चर - मानकथेड़ी माईनर आरडी 0 से 18.500 एवं समस्त स्ट्रक्चर - किशनपुरा माईनर आरडी 0 से 15 एवं समस्त स्ट्रक्चर - एस्केप चैनल आरडी 0 से 1.420 एवं समस्त स्ट्रक्चर - पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आरडी 0 से 2.500 एवं 24 से 97.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर - कट 15 क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केप एस-8ए - वायरलैस स्टेशन, बाढ़ नियंत्रण कक्ष आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ - जीएफसी स्टोर सूरतगढ़ / एस्केप एस-8 ए एवं पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आर.डी. 24 एवं 35.900 - गेज प्वाइंट सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ रेलवे पुल - गेज प्वाइंट सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड़ पुल
I	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस-6, 7, 7ए, 8, डिप्रेशनस - 6बी, 6सी, 6डी, 7 कट 4, 4ए, 4 बी, 5, 6, 7, मानकथेड़ी माईनर एवं हैड रेगुलेटर, फार्म माईनर एवं हैड रेगुलेटर, सैडल्स एस-8ए, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12
II.	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769	कनिष्ठ अभियंता	डिप्रेशनस 6ए, 8, 9, 10 व 11, कट 8, 9, 10, 11, न्यू कट 8 से 6ए, एस्केप एस-8ए, एस्केप हैड रेगुलेटर, चैनल किशनपुरा माईनर व हैड रेगुलेटर
III	श्री गोवर्धन मीना मो. 9694585769 (अतिरिक्त कार्यभार)	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस-13, 14, 14ए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डिप्रेशनस 7, 8, 9, 10, कट 12, 13, 14, 14ए, 15, 15ए वायरलैस स्टेशन, सूरतगढ़, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर सूरतगढ़, आर एण्ड एम ऑफ उपखण्ड वाहन, क्रॉस रेगुलेटर कट नं. 15 सैडल्स एस-19, 19ए, 21 से 26 डिप्रेशनस 16, 17, 18 कट 16 व 17, पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आरडी 0 से टेल, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर एट आरडी 24 व आरडी 35.900 ऑफ लिंक चैनल, गेज प्वाइंट सूरतगढ़-हनुमानगढ़ ब्रिज, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर ब्रिज, हैड रेगुलेटर ऑफ लिंक चैनल टेकिंग डिप्रेशन नं. 16

नोट :- उपलब्ध कार्यप्रभारी कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधित सहायक अभियंता लगाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

8. बाढ़ समय से पूर्व करवाये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में :-

(बाढ़ अवधि समय 15 जून से 15 अक्टूबर एवं नॉन फ्लड का समय 16 अक्टूबर से 14 जून तक माना जाता है।

- (I) बाढ़ बचाव हेतु सुरक्षा बांध एवं नहरों इत्यादि के रख रखाव व निगरानी बाबत लेबर आदि के कार्य निविदा आमंत्रित कर करवाये जाते हैं।
- (II) जी.डी.सी. व नहरों आदि के हैड रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केपों के गेटों आदि की आईलिंग ग्रीसिंग का कार्य बाढ़ अवधि से पूर्व करवा लिया जाता है।
- (III) निर्धारित स्थानों पर वायरलैस सेटों को 15 जून को स्थापित कर दिये जाते हैं।
- (IV) आवश्यकतानुसार खाली सीमेन्ट के थैलों की व्यवस्था बाढ़ से पूर्व कर ली जाती है।
- (V) फ्लड मेमोरण्डम के निर्देशानुसार घग्घर नाली बैड एवं जी.डी.सी. बाढ़ सम्बन्धी स्ट्रक्चरों जैसे वी.आर.बी., डी.आर.बी., हैड रेगुलेटर एवं क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केप एवं घग्घर साईफन पर बाढ़ सम्बन्धी पानी की सूचना हेतु 3 आवश्यक चिन्ह निम्नानुसार दर्शाने के सम्बन्ध में सम्बंधित सहायक अभियंताओं को दिशानिर्देश जारी कर दिये जाते हैं।

(VI)

आईटम	इण्डीकेशन
1- सफेद सिग्नल	सावधान। (<i>Alert</i>)
2. नीला सिग्नल	तैयारी के लिए। (<i>Ready for execution</i>)
3. लाल सिग्नल	तुरन्त कार्यवाही। (<i>Immediate execution</i>)

- (VII) इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ फील्ड स्टॉफ के सभी सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं/मैट/गेज रीडर/बैलदार/सुपरवाइजर को अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने एवं फील्ड ड्यूटियों पर रहने व चौकसी बरतने हेतु पाबंद करने के दिशा-निर्देश बाढ़ से पूर्व जारी कर दिये जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्टॉफ की भी व्यवस्था की जाती है।
- (VIII) सुरक्षा बांध एवं जी.डी.सी. व अन्य नहरें इत्यादि की सुरक्षा हेतु खाली सीमेन्ट के थैले मिट्टी से भरकर रखने के आदेश बाढ़ से पूर्व जारी कर दिये जाते हैं।
- (IX) बाढ़ बचाव हेतु आपात स्थिति (आपदा प्रबंधन) के लिए आवश्यक बाढ़ सामग्री आवश्यकतानुसार बाढ़ से पूर्व क्रय कर ली जाती है।
- (X) बाढ़ से पूर्व बाढ़ कार्यालय द्वारा निकाली जाने वाली विज्ञप्ति की कार्यवाही बाढ़ से पूर्व कर दी जाती है।
- (XI) घग्घर बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह कभी भी आ सकती है। बाढ़ के सम्भावित पानी के मध्यनजर जान-माल की हानि से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना वर्ष 1964 से शुरू की गयी। गत वर्षों में आये बाढ़ के अधिकतम पानी की सूची वर्षवार सलंगन है। (परिशिष्ट - 6)
- (XII) घग्घर बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत घग्घर नदी ओटू वियर से भारत पाक सीमा तक का इन्डेक्स प्लान (नक्शा) सलंगन है। (परिशिष्ट - 7)

घग्घर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत बने स्ट्रेक्चरों की सूची

जिला हनुमानगढ़

जिला हनुमानगढ़

1. घग्घर साईफन (जी.डी.सी. आर.डी. 0) आई.जी.एफ.आर.डी. 629
2. जी.डी.सी. आर.डी. 20.750 का पुल
3. जी.डी.सी. आर.डी. 24.000 व 24.500 दो एस्केप घग्घर नाली बैड (रेगुलेशन कार्य)
4. जी.डी.सी. आर.डी. 40.200 का पुल (वी.आर.बी.)
5. जी.डी.सी. आर.डी. 42.370 क्रॉस रेगुलेटर एवं रेलवे पुल (रेगुलेशन कार्य)
6. जी.डी.सी. आर.डी. 56.500 का पुल (वी.आर.बी.)
7. जी.डी.सी. आर.डी. 75.000 का पुल (वी.आर.बी.)
8. जी.डी.सी. आर.डी. 98.200 का पुल (वी.आर.बी.)
9. जी.डी.सी. आर.डी. 120.000 का पुल (वी.आर.बी.)
10. जी.डी.सी. आर.डी. 133.400 हैड क्रॉस रेगुलेटर एवं रोड़ पुल (वी.आर.बी.) (रेगुलेशन कार्य)
11. जी.डी.सी. आर.डी. 142.723 का पुल (वी.आर.बी.)
12. जी.डी.सी. आर.डी. 150.000 का पुल (वी.आर.बी.)
13. जी.डी.सी. आर.डी. 158.700 का पुल एवं क्रॉस रेगुलेटर (रेगुलेशन कार्य)

जिला श्रीगंगानगर

14. एस्केप चैनल सैडल 8 ए का पुल (वी.आर.बी.)
15. कट नं. 15 क्रॉस रेगुलेटर एवं रोड़ पुल

घग्घर नाली बैड स्ट्रेक्चर

16. घग्घर नाली बैड हनुमानगढ़ टाऊन एवं जंक्शन पुल।
17. घग्घर नाली बैड पीलीबंगा से रावतसर रोड़ पुल।
18. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ रोड़ एवं रेलवे पुल।
19. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से एयरफोर्स रोड़ पुल।
20. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड़ पुल।
21. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से जैतसर चेतक प्वाइन्ट रोड़ पुल।
22. घग्घर नाली बैड श्री विजयनगर से रजियासर रोड़ पुल।
23. घग्घर नाली बैड रामसिंहपुरा से कूपली रोड़ पुल।
24. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से अनूपगढ़ रोड़ एवं रेलवे पुल।
25. घग्घर नाली बैड रायसिंहनगर से अनूपगढ़ रोड़ पुल।

घग्घर बाढ़ के पानी का उपयोग निम्नानुसार होता है :-

1. जी.डी.सी. के दोनों तरफ में 129 मोघों के माध्यम से भाखड़ा व इ.गां.न.प. प्रणाली के सिंचित क्षेत्र को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
2. जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बने हैड क्रॉस रेगुलेटर के माध्यम से इ.गां.न.प. प्रणाली की सूरतगढ़ ब्रांच को अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
3. वर्ष 2008 में टी.एफ.सी. के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर जी.डी.सी. को क्रॉस करने वाली भाखड़ा व इ.गां.न.प. प्रणाली की नहरों को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) करने के लिए इन नहरों के हैड रेगुलेटरों का निर्माण करवाया गया है:-
 - (I) जी.डी.सी. की आर.डी. 42.370 R/S पर साऊथ घग्घर सब ब्रांच का हैड रेगुलेटर
 - (II) जी.डी.सी. की आर.डी. 68.800 R/S पर किशनपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर
 - (III) जी.डी.सी. की आर.डी. 80.298 R/S पर मुण्डा माईनर का हैड रेगुलेटर
 - (IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 104.045 R/S पर नौरंगदेसर डिस्ट्रीब्यूटरी का हैड रेगुलेटर
 - (V) जी.डी.सी. की आर.डी. 135.148 R/S पर हाईलेवल माईनर का हैड रेगुलेटर
 - (VI) जी.डी.सी. की आर.डी. 141.580 R/S पर जोरावरपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर
4. घग्घर डिप्रेषन नहरें :-
 - (I) डिप्रेषन नं. 6-बी के सैडल्स 7 से मानकथेड़ी माईनर
 - (II) डिप्रेषन नं. 11-बी के सैडल्स 10 से किशनपुरा माईनर
 - (III) डिप्रेषन नं. 16 से पी.बी.एन. करणीजी लिंक चैनल
 - (IV) डिप्रेषन नं. 6-बी के सैडल्स 8 से फार्म माईनर (केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जैतसर)

5. GHAGGAR RIVER ANNUAL MAXIMUM DISCHARGE AT OTTU WEAR, GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S) AND ESCAPE AT RD 24.000 & 24.500 OF G.D.C. (IN NALI BED)

YEAR	OTTU WEAR (D/S)(Maximum) Discharge in Cusec	GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S) (Maximum) Discharge in Cusec	ESCAPE AT RD 24.000 & 24.500 OF G.D.C. (IN NALI BED) (Maximum) Discharge in Cusec
1964	21456	15080	N.A.
1965	1620	N.A.	N.A.
1966	15589	N.A.	N.A.
1967	15437	5668	N.A.

1968	18188	N.A.	N.A.
1969	9758	12300	N.A.
1970	7497	11688	N.A.
1971	13800	17808	N.A.
1972	11534	8543	N.A.
1973	11560	10944	N.A.
1974	4046	5360	N.A.
1975	12255	11952	N.A.
1976	20816	22400	8000
1977	9999	8000	5053
1978	24401	22816	12013
1979	6902	656	3520
1980	19540	17822	6096
1981	8330	8000	5000
1982	8330	8580	7000
1983	24588	17350	5533
1984	5766	4950	3971
1985	9563	7800	7459
1986	4760	4740	4541
1987	1290	1426	1368
1988	34805	32000	17330
1989	10472	8280	6234
1990	13802	12576	6000
1991	1440	1360	N.A.

1992	6450	6450	6060
1993	40763	31742	17888
1994	30268	19555	7000
1995	40313	33132	17050
1996	8815	8576	6000
1997	8568	7592	6000
1998	13410	10410	6000
1999	6664	6196	4199
2000	19543	13759	5000
2001	9520	7798	5000
2002	5500	5060	3800
2003	6200	5366	3900
2004	20700	13013	5000
2005	7500	5009	3000
2006	2950	2900	3000
2007	5550	4402	3000
2008	8800	812	4500
2009	8250	7344	4000
2010	24000	13050	5000
2011	4550	4500	3000
2012	3350	3200	3000
2013	6200	6400	4000
2014	2050	1850	1800
2015	8850	6700	4000

2016	850	3000	3000
2017	3060	2800	2400
2018	16500	10300	4700
2019	26950	10100	5000
2020	7100	5150	3000
2021	30000	10950	5000
2022	13950	9800	5000
2023	40700	23287	7049
2024	7500	4150	3950

नोट:-

घग्घर नदी में पानी की अधिकतम आवक ओटू हैड हरियाणा से 40700 क्यूसेक तथा राजस्थान में 28662 क्यूसेक हुई जिसमें से **इनटेक स्ट्रक्चर से इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 5112 क्यूसेक** व घग्घर साईफन में 23500 क्यूसेक तथा घग्घर नदी (नाली बैड) में 7049 क्यूसेक अधिकतम पानी का वितरण किया जा सका जिससे बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सका।
6. वर्षा ऋतु में घग्घर नदी में बाढ़ के पानी को घग्घर नाली बैड एवं घग्घर डाइवर्सन नहर के बीच निम्नानुसार करने की राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है।

क्रं. सं.	नहर/नदी का नाम	पानी की मात्रा (क्यूसेक्स में)
1.	नाली बैड	3000
2.	जी.डी.सी.	सूरतगढ़ ब्रांच की आवश्यकतानुसार सूरतगढ़ ब्रांच व जी.डी.सी. की लिंक पैनल की आर.डी. 133 पर सूरतगढ़ ब्रांच को पानी देने के लिए लिंक बना हुआ है।
3.	नाली बैड	4000
4.	जी.डी.सी.	3500
5.	नाली बैड	5000
6.	जी.डी.सी.	10000
7.	नाली बैड	6000
8.	जी.डी.सी.	12000
9.	नाली बैड	7000
10.	जी.डी.सी.	13000
11.	नाली बैड	8000
12.	जी.डी.सी.	14000
13.	नाली बैड	9000
14.	जी.डी.सी.	15000
15.	नाली बैड	10000

16.	जी.डी.सी.	16000
17.	नाली बैड	शेष

जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव हेतु कार्य योजना

1. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

ग्राम पंचायत डबली मौलवी व डबली कुतुब में भूमिगत बोरिंग व्यवस्था की गयी हैं।

क्र. स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत भवन यदि है तो भवन में कमरों की संख्या	प्राकृतिक आपदा के बचाव हेतु पंचायत भवन में उपलब्ध संसाधनों का विवरण	बरसात के दौरान ग्राम में जल भराव होता है हां/नही	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपाय	ग्राम घघर नदी के बाढ़ सभावित क्षेत्र में है। हां/नही	बाढ़ के बचाव हेतु उपाय
1	भुन्नावाली ढाणी	5	—	हा	पम्प, बर्मा	हा	—
2	पक्का सहारणा	4	कोई नही	लां	पम्पसैट	नही	कोई नही
3	अरईयावाली	5	नहीं	हां	निकासी खाला	नहीं	किराये के संसाधनjcb tractor
4	भोमपुरा	3	—	लां	पम्प, बर्मा	नहीं	—
5	लखुवाली	5	पंचायत भवन में ढहरने के लिये बढा हॉल	लां	पम्पसैट	नही	कोई नही
6	01 एसटीबी	5	पंचायत भवन में ढहरने के लिये बढा हॉल	लां	पम्पसैट	हाँ	कोई नही
7	जोडकिया	2	न्ही	लां	पम्प द्वारा किसानो के खेतो मे निकासी	नही	नही
8	हिरणावाली	4	—	लां	बोरवेल	नही	नही
9	मटोरियावाली ढाणी	5	पंचायत भवन में ढहरने के लिये बढा हॉल	लां	पम्पसैट	हाँ	कोई नही
10	मक्कासर	2 कमरे	nil	हां / निचले क्षेत्र मे	पम्पसेट, बरमा,	हां	घघर नदी के बंधो को मजबूत किया जाये व किनारों पर भूमिगत

							बोरवेल लगवाये जाये
11	मैनावाली	3	टार्च , इनवेटर	लां	पम्प द्वारा खेतों में	हाँ	घग्घर बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण का हटाया जावे व जोहड की खुदाई करवायी जाये
12	सहजीपुरा	3	टार्च , इनवेटर,भवन ट्रेक्टर,	लां	पम्प ,बरमा,ट्रेक्टर	हाँ	घग्घर तटबंधों को मजबूत करवाना
13	बलोलनगर	3	नहीं	लां	जोहड	हाँ	तटबंधों को मजबूत करवाना
14	मुण्डा	3	टार्च , इनवेटर,भवन ट्रेक्टर,	लां	पम्प ,बरमा,ट्रेक्टर	हाँ	घग्घर तटबंधों को मजबूत करवाना
15	सतीपुरा	—	—	लां	पम्प सेट	हाँ	—
16	कोहला	3	टार्च , इनवेटर,भवन ट्रेक्टर,ट्राली	लां	—	नहीं	—
17	गुरुसर	4	टार्च , इनवेटर,भवन ट्रेक्टर,ट्राली	लां	नहीं	—	—
18	रोड़ावाली	5	पंचायत भवन में ढहरने के लिये बड़ा हॉल	लां	पम्प सेट	नहीं	कोई नहीं

2. शहरी क्षेत्र, तहसील हनुमानगढ़

1. शहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ के लिये सीवरेज प्रोजेक्ट निर्माण कार्य राशि 65.00 करोड की प्रगतिरत है व कार्य नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जा रहा है।
2. पानी की निकासी हेतु एसपीएस पर पम्प लगा हुआ है एवं 2 मोटर स्टेण्ड बाई है। एसटीपी पर खुदाई कार्य हेतु 150.00 लाख की निविदा आमंत्रित कर ली गई है।
3. परिषद क्षेत्र में चिन्हित 26 नीची बस्तियों में वर्षा जल बराव क्षेत्र में पानी निकासी हेतु अतिरिक्त पम्प लगाने हेतु योजना तैयार कर ली गई है।
4. शहरी क्षेत्र नीची बस्तियों में आबादी के बसावट रोकने हेतु नीची भूमि के चारों ओर तार बन्दी करवाकर समस्या का समाधान सम्भव है। बैराकेटिंग/तारबन्दी हेतु कार्य योजना तैयार कर निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी।

3. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र —

क्र. स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत भवन यदि है तो भवन में कमरों की संख्या	प्राकृतिक आपदा के बचाव हेतु पंचायत भवन में उपलब्ध संसाधनों का विवरण	बरसात के दौरान ग्राम में जल भराव होता है हां/नहीं	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपलब्ध संसाधन का विवरण	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपाय	ग्राम घघर नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्र में है। हां/नहीं	बाढ़ के बचाव हेतु उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमरपुरा राठान	2	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
2	अयालकी	2	कस्सी बट्टल आदि	हां	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	नहीं	—
3	डबली कुतुब	2	कस्सी बट्टल आदि	हां	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
4	डबली चुगता	3	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
5	डबली मौलेवी	4	कस्सी बट्टल आदि	हां	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
6	डींगवाला	2	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से

								बचाव किया जाता है
7	छुलमाना	3	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
8	गोलूवाला निवादान	3	कस्सी बट्टल आदि	हां	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	नहीं	—
9	गोलूवाला सिहागान	4	कस्सी बट्टल आदि	हां	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा बर्मा लगाकर पानी की निकासी खेतों में कर दी जाती है।	नहीं	—
10	जाखड़ावाली	3	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
11	वालीबंगा	3	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
12	मानकथेडी	2	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
13	पीलीबंगा गांव	3	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
14	मिंपुरा	2	कस्सी बट्टल आदि	नहीं	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है

15	श्रामपुरा	2	कस्सी बट्टल आदि	नही	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
16	4 एनआर निहालपुरा	4	कस्सी बट्टल आदि	नही	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
17	06 बीएचएम	निर्माणाधीन	कस्सी बट्टल आदि	नही	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है
18	11 एसटीबी	निर्माणाधीन	कस्सी बट्टल आदि	नही	—	—	हां	ग्रामीणों एवं प्रशासन के सहयोग से बचाव किया जाता है

पटवार मण्डल	नाली क्षेत्र के चक	आबादी के चक	मकानों की संख्या	अनुमानित आबादी
छुलमाना	22-23-24 एसटीजी	22 एसटीजी	100	500
पीलीबंगा गांव	25-26 एसटीजी	25 एसटीजी 26 एसटीजी	11	590
अमरपुरा राठान	29-32 एसटीजी 1 बीआरपी 2 बीआरपी	32 एसटीजी 29 एसटीजी 1 बीआरपी सरामसर 2 बीआरपी भाखड़ा	90 200	510 1060
थनहालपुरा	28 एसटीजी	28 एसटीजी	3 ढाणियां	18
श्रामपुरा	रामपुरा रंगमहल 36 एसटीजी बी	36 एसटीजी बी	700	3500

4. शहरी क्षेत्र, तहसील पीलीबंगा

अतिवृष्टि के दौरान पालिका क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में जगह नीची होने के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा होता है —

- (I) वार्ड नं. 3 में सांसी मोहल्ला व इसके आसपास का क्षेत्र।
- (II) वार्ड. नं. 11 में जलदाय विभाग कार्यालय के आसपास का क्षेत्र, जिन्दल फैक्ट्री के पीछे का ऐरिया
- (III) वार्ड नं. 17 में गिनाणी के आस-पास का क्षेत्र।
- (IV) वार्ड नं. 22 का ऐरिया।

- (1) वार्ड नं. 04 में पशु चिकित्सालय से धानमंडी तक नाला बना हुआ है
- (2) वार्ड नं. 11 में समाज कल्याण छात्रावास से लग्न मैरिज पैलेस के आगे से होते हुए गंगा मैरिज पैलेस तक,
- (3) वार्ड नं. 20 में बालूराम की चक्की से लेकर वार्ड नं. 19, 18, 12 से होते हुए वार्ड नं. 11 में खरलियां रोड़ के मैन नाले तक,
- (4) तावणियां रेस्टोरेन्ट से लेकर नई धानमंडी तक,
- (5) वार्ड नं. 01 की सीमा से वार्ड नं. 02 के जोहड़े तक, जिनकी पूर्व में पूर्ण रूप से सफाई व शिल्ट निकलवा दी गई है एवं पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में नाला/नाली से शिल्ट निकालने का कार्य वार्ड नम्बर 01 से 35 तक निविदा आमंत्रित की गई है।

5. शहरी क्षेत्र, तहसील संगरिया

नगरपालिका संगरिया क्षेत्र में थोड़ी बून्दा-बून्दी होने से गुरुनानक बस्ती वा.नं. 21, 22, 23 में पानी भर जाता है। पानी निकासी के लिए पालिका के पास 4 ट्रेक्टर, 4 पम्प सैट है। एक पम्प सैट पानी निकासी हेतु फिक्स है तथा तीन पम्प सैट आवश्यकता पड़ने पर पानी निकासी हेतु ट्रेक्टर पर फिक्स कर ले जाया जाता है। नगरपालिका संगरिया में 1 जेसीबी व ट्रेक्टर ट्राली, मोटर है। वार्ड नं. 20 तथा नेहरू पार्क में पानी निकासी हेतु पम्प फिक्स है।

आपदा प्रबंधन के समय आवश्यकता होने पर निम्न स्थानों को आश्रय स्थलों के रूप में चिन्हिकरण किया गया है –

1. नगरपालिका क्षेत्र में समस्त सुविधाओं सहित 7 धर्मशालाएँ हैं जिनमें प्रत्येक में 200 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है। ।
2. नगरपालिका क्षेत्र में 7 प्राईवेट हॉस्पिटल है जिनमें दुर्घटना के समय चिकित्सा सेवा प्राप्त की जा सकती है।
1. सी एच सी संगरिया, मालारामपुरा, किशनपुरा उत्तराद्धा, दीनगढ़ एवं ढाबां में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब, रेस्टोरेन्ट क्लब, समाज सुधारक जनसेवा समिति, महावीर इन्टरनेशनल, महावीर दल, सेवा भारती, उपभोक्ता संरक्षण समिति, विभिन्न गुरुद्वारे इत्यादि स्वयं सेवी संस्थाएं समाज सेवा इत्यादि के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपदा प्रबंधन/वर्षा से पानी की निकासी की आवश्यकता होने उपरोक्त संस्थाएं तथा व्यवस्थाओं के एकत्रित कर प्रबंधन की जाती है।

6. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील संगरिया

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत भवन यदि है तो भवन में कमरों की संख्या	बरसात के दौरान ग्राम में जल भराव है हां/नही	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपलब्ध संसाधन का विवरण	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपाय	ग्राम घघर नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्र में है। हां/नही	ग्राम को बाढ़ से बचाव हेतु उपलब्ध संसाधनो का विवरण	बाढ़ के बचाव हेतु उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमरपुरा जालू		नही			नही	—	—

		भवन नही		डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी			
2	भगतपुरा	2	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
3	भाखरावाली	2	लां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
4	बेलावाली	3	लां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
5	चकहीरासिंहवाला	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
6	दीनगढ़	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
7	ढाबा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
8	फतेहपुर	3	लां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी के कट्टे व पट्टा मजबूतीक रण
9	ळरीपुरा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
10	इन्द्रगढ़	5	लां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
11	जण्डवाला सि.	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
12	वीकरवाली	2	लां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
13	किशनपुरा उ.	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—

14	लेलावाली	2		डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
15	मलारामपुरा	3		डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
16	मनकसर	2	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
		3						
17	मोरजंड सि0	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
18	नगराना	2	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
19	नाथवाना	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
20	नुक़ेरा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
21	श्रासुवाला	2	हां	बोरवेल	बोरवेल व जोहड़	नही	किराये के संसाधन	बोरवेल व नाला निर्माण
22	श्रतनपुरा	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
23	स्तंपूरा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
24	शाहपीनी	2	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर व बोरवेल	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	जेसीवी व मिट्टी के थैले	—

25	थसंहपुरा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—
26	इन्द्रपुरा	3	नही	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ व खेतों में निकासी	नही	—	—

7. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील टिब्बी

1. घग्घर नदी में अधिक पानी आने से टिब्बी तहसील दो भागों में बंट जाती है, प्रभावित ग्राम पन्नीवाली, पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, चन्दूरवाली, सुरेवाला, का सम्पर्क तहसील मुख्यालय से टूट जाता है। इन गावों का हनुमानगढ़ से चूना फाटक होकर एनजीसी नहर के सहारे स्थित रोड़ से पहुंचकर सहयोग किया जा सकता है।

गांव तलवाड़ा, टिब्बी, राठीखेड़ा, रताखेड़ा, ढाणी तारासिंह वाली तक टिब्बी से सम्पर्क रहता है तथा अधिक पानी आने पर टिब्बी से सम्पर्क कटने की स्थिति में हनुमानगढ़ से रेलवे मार्ग तथा रावतसर, चाईयां होकर सड़क मार्ग से सम्पर्क हो सकता है।

2. बाढ़ के समय गावों की प्रभावित जनता को निम्नानुसार सुरक्षात्मक स्थानों पर पहुँचाया जा सकता हैं —

क्र.सं.	बाढ़ प्रभावित ग्राम	सुरक्षित स्थान/ग्राम
1.	तलवाड़ा झील	इस ग्राम के प्रभावित लोगों को ग्राम बेहरवाला एवं सिलवाला कलां के राजकीय स्कूल एवं गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।
2.	राठीखेड़ा एवं रताखेड़ा	इन दोनों ग्रामों की आबादी को चक 2 व 3 जीजीआर के स्कूलों व गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।
3.	टिब्बी	टिब्बी ग्राम में निचले क्षेत्र की आबादी प्रभावित होती है, जिसे गुरुद्वारा वाली धर्मशाला, राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में ठहराया जा सकता है।
4.	म्सानी	सलेमगढ़ के स्कूल, गुरुद्वारा एवं पंचायत घर में ठहराया जा सकता है।
5.	तारासिंह की ढाणी	इस ढाणी की आबादी को सुलतान पीर थेड़ पर तम्बू लगाकर ठहराया जा सकता है।
6.	शेरेकां	शेरेकां ग्राम की कुछ आबादी प्रभावित होती हैं, जिसे शेरेकां के राजकीय मिडिल स्कूल में ठहराया जा सकता है।
7.	कमरानी	इस ग्राम की आबादी को कमरानी के राजकीय स्कूल एवं मस्जिद परिसर तथा झाम्बर ग्राम के स्कूलों एवं गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।
8.	पन्नीवाली	इस ग्राम की आबादी को दौलतपुरा के स्कूल एवं गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।
9.	पीरकामड़िया	इस ग्राम की आबादी को चक 11 व 13 एफटीपी ढाणीयों एवं 12 एफटीपी के स्कूल में ठहराया जा सकता है।

10.	सूरेवाला	इस ग्राम की आबादी को सुरेवाला के राजकीय स्कूलों, गुरुद्वारा व नाईवाला के स्कूल एवं गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।
11.	चन्दूरवाली	इस ग्राम की आबादी को बशीर के स्कूल एवं गुरुद्वारों में ठहराया जा सकता है।

3. **परिवहन** – आपातकाल के समय ट्रेक्टरों एवं नावों की आवश्यकता होगी। ट्रेक्टर समीपस्थ गावों के प्रभावशाली कृषकों की सूची जिनके पास ट्रेक्टर है, पटवारियों के सहयोग से तैयार कर तहसील में उपलब्ध होगी उनका सहयोग लिया जावेगा तथा नावें मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

4. **गोताखोर, लाईफ जैकेट** – गोताखोरों स्थानीय तौर पर ग्राम सुरेवाला में उपलब्ध है। जीतसिंह रायसिख व पार्टी जिनकी सूची (परिशिष्ट संख्या 14) पर व पटवारी सुरेवाला व तहसील में उपलब्ध है, सहयोग लिया जा सकता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर लाईफ जैकेट व गोताखोर हेतु जिला मुख्यालय से निवेदन करना होगा।

5. **खाद्य सामग्री एवं भोजन व्यवस्था** – एक साथ 11 गावों में अधिक पानी आने पर लगभग 50000 हजार जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। जिसकी दैनिक भोजन व्यवस्था में 200 क्विंटल आटा, दाल एवं जलाऊ लकड़ी, केरोसीन की आवश्यकता होगी, मौके पर ग्रामवासियों (दानदाताओं) से भी यथा सभव सहयोग लिया जा सकता है।

6. **चिकित्सा व्यवस्था** – स्थानीय व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता पड़ने पर मोबाईल मेडिकल टीमों का सहयोग हेतु गठित किया जाना प्रस्तावित है।

7. **रोशनी** – बिजली विभाग की लाईन आदि डूबने व टूटने की स्थिति में करन्ट की स्थिति को देखते हुए कनेक्शन कटाया जाकर जरनेटर, पेट्रोमेक्स, लालटेन आदि की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

8. **पशुधन व्यवस्था** – प्रभावित पशुधन के लिए अस्थाई तौर पर चारे की व्यवस्था करानी होगी, जिसके लिए चारा डिपो की व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

9. **पी.ओ.एल. व्यवस्था** – परिवहन व भोजन व्यवस्था हेतु सभी राशन डीलरों के पास 200-200 ली. केरोसीन, डीजल रिजर्व स्टॉक में रखवाना तथा मै0 सूरज ऑटो सर्विस को उचित मात्रा में पेट्रोल व डीजल रखवाने के निर्देश जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी महोदय स्तर पर प्रसारित कराना प्रस्तावित है।

10. **अतिवृष्टि की स्थिति में** – सभी राजकीय संस्थानों, सामुदायिक केन्द्रों, शालाओं के प्रधानों को अस्थायी निवास हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु तत्काल निर्देश प्रदान करना प्रस्तावित है।

11. **घग्घर नदी तटबंधों की सुरक्षा** – निवेदन है कि क्षेत्र में नदी के तट घग्घर फ्लड विभाग के अधिनस्थ निजी कृषकों के हैं। इस सन्दर्भ में संबंधित अधिकारीगण को तटबन्धों को मजबूत कराने के आरडी पर रखवाये जाने बाबत निर्देशित किया जाना तथा तट से संबंधित कृषकों को अपने क्षेत्र के तटों को मजबूत किये जाना तथा बाढ़ के समय 24 घण्टे निगरानी कराया जाना प्रस्तावित है।

12. **अन्य सामान** – तटों में कटाव आने की स्थिति में रस्से, बांस, बल्लियां, ट्यूब, बठ्ठल तगारी), फावड़े, टार्च आदि की व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

8. **ग्रामीण क्षेत्र, तहसील रावतसर**

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत भवन यदि है तो भवन में कमरों की संख्या	बरसात के दौरान ग्राम में जल भराव होता है हां/नहीं	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपलब्ध संसाधन का विवरण	ग्राम में जल भराव की निकासी हेतु उपाय	ग्राम घघर नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्र में है। हां/नहीं	ग्राम को बाढ़ से बचाव हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवरण	बाढ़ के बचाव हेतु उपाय
1	बिसरासर	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			हां		
		3	हां			हां		
2	भैरूसरी	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	नहीं	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			नहीं		
		3	हां			नहीं		
3	चाईया	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			हां		
		3	हां			हां		
4	खेदासरी	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			हां		
		3	हां			हां		
5	मालासर	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			हां		
6	मोधुनगर	3	हां	डीजल पम्प सैट किराये पर	जोहड़ खेतों में निकासी	हां	किराये के संसाधन	मिट्टी व पटड़ा मजबूतीकरण
		3	हां			हां		
		3	हां			हां		

ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति में ग्राम पंचायत का यह भी निर्देश है कि पानी निकासी के लिए निकासी पम्प (बरमा), आवश्यक पाईप की व्यवस्था ग्राम पंचायत में या किराये पर मिलने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करके रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से उनकी मदद ली जा सके। घरों में पानी भरने की स्थिति में सरकारी भवनों पर प्रभावित लोगों के रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि आकस्मिक रूप से कहीं आपात, स्थिति में कोई अगर गांव प्रभावित होता है, तो पंचायतों को यह निर्देश है कि वो जन सहयोग से एवं पंचायत की आपतकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी निजी आय से लोगों के जानमाल की रक्षा करें।

9. शहरी क्षेत्र, तहसील रावतसर

रावतसर शहर में पानी बहाव का क्षेत्र, वार्ड नं. 3 खड्डा स्कूल के पास, वेयर हाउस के पास खड्डा, वार्ड नं. 4 व 7 के खड्डो में पानी एकत्रित होता है।

1 अधिक वर्षा होने पर इन क्षेत्रों में पानी भराव होने से खड्डे पानी से भर जाते हैं एवं निचले क्षेत्र में घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी निकासी नगरपालिका द्वारा डीजल पम्प लगाकर किया जाता है। वर्ष 2007 में अतिवृष्टि होने से रावतसर शहर को काफी नुकसान हुआ था।

2. गन्दे पानी एवं वर्षा का पानी निकासी हेतु निम्न सदस्यों की समिति गठित की गई –

क.— श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नोहर।

ख.— श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतसर।

ग.— श्रीमान् सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, रावतसर।

घ.— अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर।

इस समिति की देखरेख में शहर में पानी निकासी हेतु पाईप लाईन डलवायी गयी है एवं तीन पम्प हाउस स्थापित किये गये हैं। शहर के एवं अन्य साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र की सेम समस्या के समाधान हेतु सेमनाला जीवननगर चक सं. 91 आर.डी. तक सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया गया है। यह नाला शहर में से होकर गुजरता है एवं नगरपालिका के गन्दे पानी के खड्डे सेमनाला में आने के कारण गन्दे पानी के निकासी स्वतः ही सेमनाले में प्रारम्भ हो गयी।

10. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील नोहर

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	प्रभावित गांव	निराकरण
1.	थसरंगसर	नेहर	थसरंगसर	इंजन व पाईपों द्वारा निकासी या पक्का खाला निर्माण द्वारा
2.	प्लीका	नेहर	प्लीका	जोहड़ से पक्की सड़क पार तक 1200 फीट पक्का नाला निर्माण से पानी निकासी हो सकती है।
3.	पाण्डुसर	नेहर	पाण्डुसर एवं जोजासर उगाड़	पक्का नाला निर्माण कर पानी निकासी
4.	भूकरका	नेहर	हरीजन मोहल्ला भूकरका	हरीजन मोहल्ला से सोखता कुआं
5.	मंदरपुरा	नेहर	मंदरपुरा के उगाड़ चौगान	उगाड़ चौगान से दो सोखता कुआं निर्माण से
6.	पिचकराई	नेहर	16—17 केएनएन	
7.	छीपलाना	नेहर	छीपलाना	जोहड़ से आबादी के बाहर तक पक्का नाला निर्माण

11. शहरी क्षेत्र, तहसील नोहर

नगरपालिका नोहर क्षेत्र स्थित निचले ईलाकों में स्थित आबादी क्षेत्र में वर्षा से जल भराव उत्पन्न समस्या का समाधान हेतु विस्तृत रूप से सर्वे कराया जाकर, उसके अनुरूप कार्ययोजना (डीपीआर) तैयार करवाई जाकर, स्थाई समाधान कराया जा सकता है, जिसके लिए कार्ययोजना अतिषीघ्र प्रस्तावित की जानी है।

12. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील भादरा

ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि (प्राकृतिक) आपदा से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैं –

क्र.सं.	नाम ग्राम/चक	वांछित उपाय
1.	मुन्सरी	गांव के बीच में जोहड़ में बरसात होने पर पानी भर जाता है। घरों का गंदा पानी इसी जोहड़ में आता है। समाधान जोहड़ की दीवारें ऊँची बनाकर एवं जोहड़ से गांव के बाहर तक नाला निर्माण कर समस्या का समाधान संभव है। अनुमानित लागत 3 लाख रुपये।
2.	झांसल	झांसल ग्राम में जोहड़ ग्राम के बीच में होने पर बरसात से भर जाता है, जिससे पानी घरों में व गलियों पर फैल जाता है। समाधान – जोहड़ से गांव के बाहर तक नाला निर्माण कर पानी खेतों में लगाया जाकर समाधान संभव है। अनुमानित लागत 4 लाख रुपये।
3.	निनाण	ग्राम की सड़क से उत्तर व गांव की पूर्व दिशा में निचली बस्ती में व गलियों में पानी भर जाता है व घरों में घुस जाता है। समाधान – बस्ती से गांव के बाहर पानी की निकासी नाले का निर्माण कर समस्या का समाधान संभव है। अनुमानित लागत 5 लाख रुपये।
4.	मलखेड़ा	ग्राम की दक्षिणी दिशा में जोहड़ के पास आबादी बसी होने के कारण पानी गलियों व घरों में भर जाता है। समाधान – खड़ंगा का निर्माण कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अनुमानित लागत 10 लाख रुपये।
5.	नेठराना	नेठराना ग्राम में ग्राम में बरसात हल्की बरसात होने पर भी गांव के बीच में Low Lying Area होने से पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है व नजदीक के घरों में घुस जाता है। समाधान – जोहड़ को गहरा किया जाकर व जोहड़ के चारों तरफ दीवार का निर्माण कर अनुमानित लागत 8 लाख रुपये।
6.	शेरड़ा	ग्राम की निचली बस्ती बरसात होने पर गलियों व घरों में पानी भर जाता है। समाधान – खड़ंगा निर्माण कर समाधान किया जा सकता है। अनुमानित लागत 4 लाख रुपये।
7.	भिरानी	भिरानी गांव में जोहड़ गांव के बीच में होने पर बरसात होने पर घरों व गलियों में पानी भर जाता है। समाधान – जोहड़ की चार दीवारी व खड़ंगा का निर्माण कर अनुमानित लागत 5 लाख रुपये।
8.	श्रामबास	श्रामबास ग्राम में बरसात बरसात होने पर जोहड़ व गलियों में पानी भरता है, जो गलियों में फैल जाता है समाधान – गांव के मुख्य जोहड़ से पाइप लाइन डालकर पानी की निकासी करना
9.	छानीबड़ी	छानीबड़ी के वार्ड 10 व 11 में पक्की सड़क से उत्तर दिशा में वर्षा का पानी गलियों में भर जाता है। समाधान – वार्ड 10 व 11 से भूमिगत पाइप लाइन डालकर जोहड़ से जोड़ना।

13. शहरी क्षेत्र, तहसील भादरा

नगरपालिका भादरा के क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले संभावित वार्डों की सूची निम्न प्रकार हैं —

1. **वार्ड नं. 19 डूमसागर मौची मोहल्ला** — इस वार्ड में गंदे पानी का लम्बा चौड़ा जोहड़ा हैं, जिसे डूम सागर कहते हैं। जहां शहर का करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र का गंदा एवं बरसाती पानी आता है। यहां पर पालिका द्वारा मड पम्प लगाए गए जिससे गंदा पानी पाईप लाईन के जरिये शहर से 2 कि.मी. दूर नगरपालिका की खाली भूमि में डाला जाता है। बरसात के समय जोहड़ ऑवरफ्लो होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है एवं घरों में घुस जाता है। मड पम्पों से पानी की निकासी एवं डूम सागर में पानी की आवक में अन्तर के कारण यह स्थिति हर बरसात में पैदा हो जाती है।

समाधान — आस-पास के क्षेत्र की सड़कों एवं नालियों को ऊँचें लेवल पर बनाना प्रस्तावित है। अधिकांश लोग कमजोर वर्ग (मोची जाति) के हैं, जिनके घर नीचे हैं। वैकल्पिक समाधान के तौर पर डूमसागर से ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित खाली भूमि तक अण्डर ग्राउण्ड बरसाती नाला (सिविल लाईन पाईप) 2 कि.मी. तक बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ में डूमसागर की चारदीवारी एवं डूम सागर को गहरा किया जाना प्रस्तावित है। अनुमानित लागत 150 लाख रुपये है।

2. **वार्ड नं. 5 में गन्दे पानी खड्डे** — शहर का 30 प्रतिशत गंदा व बरसाती पानी इस खड्डे में इकट्ठा होता है एवं खड़ा ऑवरफ्लो होने पर पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं।

समाधान — खड्डे के आस-पास की सड़कों का निर्माण ऊँचें लेवल पर करने से समस्या का आंशिक समाधान संभव है। इस स्थान पर मड पम्प लगाकर पाईप लाईन से अन्य खड्डे में एवं नोहर की भूमि पर या निजी खेतों में डाला जा सकता है। अनुमानित लागत 50 लाख रुपये है।

3. **वार्ड नं. 11 धानका मौहल्ला** — वार्ड नं. 11 का कुछ भाग जो समाध भवन की तरफ है, नीचा होने से बरसात का पानी गलियों एवं घरों में घुस जाता है।

समाधान — ऊँचें लेवल पर सड़कों एवं नालियों का निर्माण करने से समाध भवन के पास बने मेन नाले से होकर पानी की निकासी संभव है एवं समस्या का संभव है। अनुमानित खर्चा 30 लाख रुपये है।

4. **वार्ड नं. 9 कल्याण भूमि के पास गंदे पानी का जोहड़ एवं नाथवाना जोहड़** —

वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 का सम्पूर्ण बरसाती पानी एवं गंदा पानी कल्याण भूमि के पास स्थित जोहड़ में भरता है। ऑवरफ्लो होकर पानी गलियों, सड़कों एवं घरों में घुस जाता है।

समाधान — ऊँचें लेवल पर सड़कों एवं नालियों का निर्माण करने पर एवं इस जोहड़ से नथवाना जोहड़ तक नाले का पुनः निर्माण कराया जा सकता है। कल्याण भूमि के पास वाले जोहड़ की दो साईड की चारदीवारी निर्माण एवं नथवाना जोहड़ की प्लेन भूमि पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा कर पानी का कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। नथवाना जोहड़ की 7 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि समतल है एवं इसमें शहर का 30 प्रतिशत बरसाती एवं गंदा पानी आता है। अनुमानित खर्चा 90 लाख रुपये है।

5. **राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाईन तक** — रेलवे लाईन के नीचे से पाईप कलर्ट छोटा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है एवं पानी सड़क पर गलियों में एवं दुकानों में घुस जाता है एवं सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

समाधान — राजकीय अस्पताल से रेलवे लाईन तक सड़क को ऊँचा उठा कर बनाना एवं इस स्थान पर अण्डर ग्राउण्ड कवर बने नाले का निर्माण करने एवं रेलवे लाईन के नीचे से 4 फीट व्यास को 2 पाईप कल्वर्ट लगाने से समस्या का स्थायी समाधान संभव है। अनुमानित लागत 60 लाख रुपये है।

इस प्रकार 1 से 5 तक वर्णित सभी समाधानों के लिए राशि 350 लाख रुपये की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है।

Low Lying Area में होने वाली बसावट को रोकने की कार्यवाही Low Lying Area होने वाली बसावट को पालिका द्वारा समय-समय पर हटा दिया जाता है। पुरानी बसावट को हटाया जाना सम्भव नहीं है।

आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, नरेगा, अकाल एवं बाढ़ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना वर्ष-2024

1. प्रस्तावना

हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर में स्थित है। यहां सर्दी-गर्मी दोनों ही मौसम में प्राकृतिक ठण्डक व गरमी की अधिकता का सामना करना पड़ता है। जिले से घग्घर नदी प्रवाहित होती है, जिसमें आमतौर पर माह जून के मध्य में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है, जो माह अक्टूबर तक बहता है। सर्दी के मौसम में शीत लहर, मरमी में लू एवं तापघात एवं बरसाती मौसम में पानी जमा होने पर मौसमी बीमारियों की आषंका भी रहती है।

साथ ही इस क्षेत्र में आगजनी, तोड़-फोड़, महामारी-अकाल की आषंका, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जमीन/मिटटी या कुओं में धंसाव आदि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं के समय जान-माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:-

हनुमानगढ़ जिले में चिकित्सा संस्थानों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	संस्थान का प्रकार	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	1
2	उप जिला चिकित्सालय	2
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/राज.चिकि.	18
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	63
5	शहरी प्राथ.स्वा.केन्द्र	5
6	जनता क्लिनिक	5
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र	396
	कुल संस्थान	490

2. विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन, संभावित आपदाओं की पहचान- जिले की विषिष्ट एवं सामान्य आपदाएं

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :-

जिले में भीड़-भाड़ वाले तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले जान-माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था जिले के सभी नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनशील क्षेत्र :-

1. रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन
2. बस अड्डा, हनुमानगढ़ जंक्शन
3. भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन
4. बाबा रामदेव मन्दिर, ओवरब्रिज के नीचे, हनुमानगढ़ जं.
5. रोडवेज डिपो के सामने का चौक, सूरतगढ़ रोड, हनुमानगढ़ जं.

6. कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर ,हनुमानगढ जं.
7. हनुमान जी का मन्दिर,टाउन रोड, हनुमानगढ
8. अंबेडकर चौक, हनुमानगढ जं.
9. गंगानगर फाटक, हनुमानगढ जं
10. सतीपुरा चौराहा, हनुमानगढ जं.
11. बस स्टेण्ड, हनुमानगढ टाउन
12. शिलापीर व बाबा सुखासिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में मेला, हनुमानगढ टाउन
13. सुभाष चौक व इन्द्रा चौक, नगरपालिका रोड, हनुमानगढ टाउन
14. हिसारिया मार्केट/लालाजी चौक,हनुमानगढ टाउन
15. चूंगी नं.6, हनुमानगढ टाउन
16. भद्रकाली मेला, हनुमानगढ टा.
17. बाबा रामदेव/खेतरपाल मेला, रावतसर
18. माता का मंदिर, पल्लू
19. सिंधी/रानी बाजार,नोहर
20. गोगामेडी मेला/गोरखनाथ टीला, गोगामेडी
21. मूर्ती चौक, भादरा
22. तहबाजारी, पीलीबंगा
23. सोनड़ी बस अड्डा,नोहर

(ख) सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान:-

घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा.केन्द्र, तलवाड़ा झील, सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबंगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ़ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ़ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औषधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेंगे। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंग पाउडर, ओ.आर.एस. पैकेट्स, हैलोजन की गोलियां, आई.वी. फ्ल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ़/वर्षा से भरे गढ़ों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्या:-

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया, पीलिया, हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी।

(घ) खान-पान संबंधी:-

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग, दूषित खाना खाने, दूषित जल पीने से उल्टी-दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बीमारीयां होने की संभावना रहती है। ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टॉफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च) अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना, सर्दी, बुखार, सिरदर्द, डि-हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है। इनको समय समय पर

चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाड़े में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ नर्स-2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगे वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

3. आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न चरणों का विवरण:-

संभावित आपदाओं से पूर्व प्रत्येक तहसील एवं जिला मुख्यालय पर रेपिड रेस्पोंस टीम (आर.आर.टी) का गठन किया गया है, (टीमों का गठन परिषिष्ट-क पर संलग्न है) जो किसी प्रकार की आपदा की सूचना मिलते ही प्रभावित स्थल के लिये रवाना होगी। साथ ही जिले में विभिन्न स्थानों पर 108 एम्बुलेंस तैनात की गई है, जो सूचना मिलते ही प्रभावित स्थल पर पहुंच जायेगी। चिकित्सा दल द्वारा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर रोग सर्वे, बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ उपचार की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। इसके लिये आवश्यकतानुसार अतिरिक्त चिकित्सा दलों का गठन कर स्वास्थ्य, मलेरिया, जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु सर्वेदल द्वारा आई.ई.सी./प्रचार-प्रसार के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

4. आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय हेतु कार्ययोजना/कार्यवाही

(क) आपदा प्रबंधन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी):-

सभी प्रकार की आपदाओं /मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोंस टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स -II एवं एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते हैं। ये टीम मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर-घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख) नियंत्रण कक्ष का गठन :-

प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रों पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से सूचना पहुंचने पर तुरन्त संबंधित स्वास्थ्य कर्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलों का गठन किया गया है।

(ग) एम्बुलेंस की व्यवस्था :-

जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बुलेंस का उपयोग रोगियों को लाने-ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने-ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बुलेंस में आपातकालीन औषधियां, स्ट्रेचर, की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतु एम्बुलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.

आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति सुविधा के लिये 104 नं.एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

एम्बुलेंसों की सूची :-

List of (104-108 Ambulance) Distt. Hanumangarh					
S.No.	Ambu.	Van no	Block	Place	Contact No.
1	104	RJ14PF6776	Bhadra	PHC Ajitpura	86909-86408
2	104	RJ14PF7432	Bhadra	PHC Kalana	86909-86415
3	104	RJ14PE6647	Bhadra	PHC Dabri	86909-86417
4	104	RJ14PF5849	Bhadra	CHC Bhadra	86909-86419
5	104	RJ14PF6792	Hanumangarh	PHC Dholipal	86909-86416
6	104	RJ14PE7266	Nohar	PHC Meghana	86909-86412
7	104	RJ14PE6663	Nohar	PHC Mandarpura	86909-86413
8	104	RJ14PF6682	Nohar	PHC Dhansiya	86909-86414
9	104	RJ14PF6749	Pilibanga	PHC Jakhranwali	86909-86411
10	104	RJ14PF5327	Pilibanga	CHC Pilibanga	86909-86418
11	104	RJ14PE7265	Rawatsar	PHC Baramsar	86909-86409
12	104	RJ14PF6790	Sangria	PHC Deengarh	86909-86410
13	104	RJ14PF6708	Sangria	CHC Sangria	86909-86421
14	104	RJ14PF6718	Tibbi	CHC Tibbi	86909-86422
1	108	RJ14PE8064	Bhadra	Phc Gheau	9672974081
2	108	RJ14PE8063	Bhadra	PHC Bhirani	9672970090
3	108	RJ14PD7076	Bhadra	PS Bhadra	7412037261
4	108	RJ14PF7081	Bhadra	CHC Ghandhibari	9773399415
5	108	RJ14PF7010	Bhadra	PHC Jigasari Choti	9773308016
6	108	RJ14PF6426	Hanumangarh	PHC Pakkasaran	8690986416
7	108	RJ14PG5460	Hanumangarh	PS Shergarh	9672976591
8	108	RJ14PD7036	Hanumangarh	PCR Hanumangarh	9257094587
9	108	RJ31PA4794	Hanumangarh	TCR Hanumangarh	7412037286
10	108	RJ14PD7116	Hanumangarh	DH Hanumangarh	9672972773
11	108	RJ14PF7083	Hanumangarh	CHC Dholipal	9773305782
12	108	RJ14PF7061	Nohar	PS Gogamedi	7412078535
13	108	RJ14PD7056	Nohar	PS Nohar	7412037348
14	108	RJ14PE7701	Nohar	CHC Nohar	8905998120

15	108	RJ14PF7084	Nohar	CHC Phephana	9773396693
16	108	RJ14PG3998	Nohar	PS Khuniyan	9257094548
17	108	RJ14PD7028	Pilibanga	CHC Goluwala	7412037285
18	108	RJ14PE7594	Pilibanga	PS Goluwala Kenchiya	9672974082
19	108	RJ14PG4040	Pilibanga	PS Pilibanga	9257094549
20	108	RJ14PD7099	Pilibanga	PS Dabli Rathan	7412035485
21	108	RJ14PF7071	Pilibanga	PHC Jhakranwali	9672978918
22	108	RJ14PE7704	Rawatsar	CHC Rawatsar	9773300971
23	108	RJ14PF6425	Rawatsar	PS Rawatsar	9672976592
24	108	RJ14PD7059	Rawatsar	PS Pallu	7412037349
25	108	RJ14PF7073	Rawatsar	PHC Baramsar	9672786591
26	108	RJ14PE7829	Sangria	PS Sangria	9672977836
27	108	RJ14PE7830	Tibbi	PS Tibbi	9672972771
28	108	RJ14PE7831	Tibbi	Masitanwali Head	9672972774

(घ) औषधि भण्डारण:-

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं:-जैसे हेलोजन गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर, ओ.आर.एस/क्लोरोक्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./जी.डी.डब्ल्यू, ओ.आर.एस. आदि। सभी रोगियों को औषधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च) मलेरिया नियंत्रण हेतु उपाय:-

मलेरिया नियंत्रण हेतु बुखार के रोगियों का घर-घर सर्वे कर रक्त पट्टिकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिड़काव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिंग प्लेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ. डालकर उपचारित किया जायेगा। मच्छरों के बायोलॉजिकल नियंत्रण हेतु जोहड़ तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोड़ी जाएगी। बीटीआई/वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) पीलिया रोग की रोकथाम:-

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलॉजीकली जांच हेतु सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि.प्रयोगशाला में भिजवाये जाते हैं तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है। डिग्गी,कुण्डों एवं टांको का जलशुद्धिकरण करवाया जाता है। पानी में क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरीनेशन की कार्यवाही भी की जाती है।

(ज) कोविड-19 की रोकथाम :-

वर्ष 2020, 2021 में मुख्य रूप से फैली विश्वव्यापी बीमारी कोविड का प्रकोप जिले में रहा है। इस बीमारी से बचाव, उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की गई तथा सर्वे के लिये दल भी गठित किये गये थे। बीमारी की जांच के लिये जिला चिकित्सालय में आर.टी.पी.सी.आर लैब स्थापित की गई है तथा स्पॉट टेस्ट से भी रोगी की जांच की जाती है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

(ज) स्वास्थ्य शिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां:-

समय-समय पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है:-

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बांध कर या छाता लेकर ही निकलें। लू-ताप घात से प्रायः कुपोषण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटाये व कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवाश में हो तो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें। रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदीकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें।
- सार्वजनिक स्थानों एवं विद्यालयों के आस-पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतु जन साधारण को जानकारी दी जायेगी।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतों का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतु नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जांच करवाये एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जांच हेतु नमूने लेकर समय रहते जांच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगों को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानों में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर एवं प्रा.स्वा. केन्द्रों पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों एवं जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाइयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिश्चित की जाएगी।
- विगत वर्षों में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनों में असतोंषप्रद पाये पेयजल स्रोतों का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्रोतों का सुपरक्लोरीनेशन एवं नमूनों का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।

- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल,मल,उल्टी खून तथा पानी के नमूनों की कार्यवाही को सुदृढ़ बनाया जायेगा।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनों की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।
- कोविड-19 से बचाव हेतू मुंह एवं नाक को ढककर रखने के लिये मास्क तथा थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हाथों को सैनेटाईजर से धोना चाहिये। बार-बार अपने हाथों को मुंह एवं आंखों पर नहीं लगाना चाहिये।

5. चिकित्सा/जांच व्यवस्था :-

सभी चिकित्सा संस्थानों जिला/उप जिला चिकित्सालयों,सीएचसी एवं पीएचसी में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदीकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी/उपकेन्द्र पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानों में विशेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के आस-पास उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला चिकित्सालय में 200, उप जिला चिकित्सालयों में 100-100, सीएचसी रावतसर 75, संगरिया में 50 अन्य सीएचसी में 30-30 तथा प्रत्येक पीएचसी में 6 बैड की क्षमता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैडस की व्यवस्था भी की जा सकती है।

जिला/उप जिला चिकित्सालयों,सीएचसी-छानीबाड़ी,पीलीबंगा,टिब्बी,रावतसर,फेफाना व गोलूवाला में एक्स-रे मशीन, वायल्स ऑप्रेटर्स, ऑटोक्लेव मशीनों की व्यवस्था है। सभी चिकित्सालयों/ सीएचसी/पीएचसी में पैथोलोजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

6. कोविड-19 महामारी बेड केपेसिटी

जिले के राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कुल सामान्य बैड 1298 है तथा आईसोलेसन बैडस बिदाउट 02 सपोर्ट कुल 50 है। आईसोलेसन बैडस बिदाउट 02 सपोर्ट कुल 370 है, जो सभी क्रियाशील है। जबकि बैड विद वेंटिलेटर्स कुल 16 क्रियाशील है। सीएचसी रावतसर, संगरिया एवं पीलीबंगा में वेंटीलेटर बैड अक्रियाशील है।

कोविड जांच सुविधा

जिला चिकित्सालय में स्थापित आर.टी.पी.सी.आर.लैब में प्रतिदिन 1500 सैम्पल जांच किये जा सकते है। इसके अलावा तज्ज् अपज से भी आवश्यकतानुसार सैम्पल लिये जा सकते है। यह सभी सुविधाएं जिले में उपलब्ध है।

दवाईयां/लोजिस्टिक्स

जिले में कोविड रोगियों की जांच/उपचार हेतू वी.टी.एम. किट, तज्ज् अपज, एन-95 मास्क आदि सामग्री की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकतानुसार आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा पैरासिटामोल,डोक्सीसाईक्लिन,एजीथ्रोमाईसिन,टोसिलीजुमेब,ओस्टलटेमीविर आदि औषधियों की आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाती है।

उपलब्ध लोजिस्टिक्स का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	वेंटीलेटर	ऑक्सीजन कन्सट्रेटर	ऑक्सीजन सिलेण्डर	ऑक्सीजन प्लांट	पल्स ऑक्सीमीटर
उपलब्धता	38	1254	1245	8	748
क्रियाशील	24	1254	1245	7	748

ऑक्सीजन प्लांट

जिले में रोगियों को आक्सीजन की आपूर्ति निरन्तर मिलती रहे इसके लिये जिले में निम्न विवरणानुसार ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किये गये हैं:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	आक्सीजन प्लांट की क्षमता
1	राज.जिला चिकि.हनुमानगढ़ 385	500 एल.पी.एम.
2	उप जिला चिकि.नोहर 102	500 एल.पी.एम.
3	उप जिला चिकि.भादरा 35	160 एल.पी.एम.
4	सामु.स्वा.केन्द्र,रावतसर	160 एल.पी.एम.
5	सामु.स्वा.केन्द्र,संगरिया	160 एल.पी.एम.

मॉक ड्रिल

जब भी कोविड-19 के नए रोगी आने का सिलसिला प्रारम्भ होता है। राज्य सरकार एवं प्रशासन के दिशा-निर्देशानुसार मॉक ड्रिल की जाती है, जिसमें सभी सीएचसी/पीएचसी/चिकित्सालयों में कोविड-19 के बचाव एवं उपचार की व्यवस्थाओं की जांच करली जाती है। आवश्यकतानुसार उनका नवीनीकरण/मरम्मत/उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

जिले में उपखण्डवार कोविड-19पोजीटिव केसेज की स्थिति

क्र.सं.	उपखण्ड	2020	2021	2022	2023
1	हनुमानगढ़	1765	5242	2458	24
2	पैलीबंगा	311	3269	783	4
3	रावतसर	223	2362	823	3
4	टिब्बी	153	1499	388	2
5	संगरिया	308	1859	587	1
6	नोहर	359	3041	746	4
7	भादरा	250	2983	835	2
	कुलयोग	3369	20255	6620	40

7. आई.ई.सी./प्रचार-प्रसार:-

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु समय-समय पर प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटस वितरण, होर्डिंग्स,बैनर,पोस्टर आदि प्रदर्शित किये जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों द्वारा जन साधारण को रोंगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। समय-समय पर विभाग द्वारा पूरे जिले में दिवारों पर स्लोगन लिखवाये जाते हैं। साथ ही आवश्यकतानुसार नुक्कड़ नाटक द्वारा जन साधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

8. विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधायें :-

संस्थान	संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़	आउटडोर, इण्डोर, विशेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच, एक्स-रे,सी.टी.स्केन, अल्ट्रासोनोग्राफी, निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेंस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑपरेशन, पट्टी, आधारभूत

	प्रसव सुविधाएं, आपातकालीन जटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी, पोस्टमार्टम,एक्स-रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उप जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, विशेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच, एक्स-रे निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेंस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑपरेशन, पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं, आपातकालीन जटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी, पोस्टमार्टम,एक्स-रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, लैबोरेटरी जांच, निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेंस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य,पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं, एमएलसी, पोस्टमार्टम, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उपकेन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य,पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं,नमक में आयोडीन, पानी की एफ टीके विधि से जांच, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

9. ब्लड बैंक की सुविधा

जिले में राजकीय एवं निजी ब्लड बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ब्लड बैंक का विवरण
राजकीय ब्लड बैंक	
1	महात्मा गांधी स्मृति राज.जिला चिकित्सालय,हनुमानगढ़ 9667404395
2	उप जिला चिकित्सालय,नोहर (स्वीकृति परन्तु संचालित नहीं)
राजकीय ब्लड स्टोरेज सेंटर	
1	उप जिला चिकित्सालय,नोहर 7976053054
2	उप जिला चिकित्सालय,भादरा 9694672833
3	सामु.स्वा.केन्द्र,रावतसर 9829425976
4	सामु.स्वा.केन्द्र,संगरिया 9494380689
निजी ब्लड बैंक	
1	विवेकानन्द चिकित्सालय समिति,भादरा 9509083480
2	लाईफ लाईन ब्लड बैंक,बॉम्बे होस्पिटल,हनुमानगढ़ जं. 9414088635
3	भटनेर ब्लड बैंक,मैगा हाइवे-हनुमानगढ़ टाउन 9694616333
4	सहारण ब्लड बैंक,कान्हाराम सहारण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पि.हनुमानगढ़ टा. 7015065104
5	अप्रण ब्लड बैंक,कोहला, हनुमानगढ़ टाउन 9649909847

10. रेपिड रेस्पोंस टीमों का गठन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) जिला हनुमानगढ़

क्र.सं.	टीम के सदस्य	संस्थान का नाम	चिकित्सालय दूरभाष/ प्रभारी के मोबाइल नं.
1	डॉ.सुनील नोखवाल,चि.अ. श्री जसवन्त जांगीड,व.न.अ. श्री देवीलाल,वा.बॉय	उप जिला चिकि. भादरा	223940 / 9694672833
2	डॉ.सुनीता,चि.अ. श्री विजयकुमार नाई,न.अ. श्री कमलकुमार,वा.बॉय	उप जिला चिकि. नोहर	220022 / 7976053054
3	डॉ.महेन्द्र शर्मा,चि.अ. श्री दिनेश शर्मा,न.अ. श्रीमती कृष्णादेवी,वा.बॉय	सामु.स्वा. केन्द्र,रावतसर	250068 / 9829425976
4	डॉ.हरिऔम बंसल,व.चि.अ. श्री लक्ष्मकुमार,न.अ. श्री लाधूराम, वा.बॉय	सामु.स्वा. केन्द्र,पीलीबंगा	233112 / 9468876631
5	डॉ.भूपेन्द्र कुमार,चि.अ. श्री रामस्वरूप,न.अ. श्री सुभाष,वा.बॉय	सामु.स्वा. केन्द्र,संगरिया	250122 / 9414380689
6	डा.राजपाल,चि.अ. श्री सुभाषचन्द्र,न.अ. श्री खीयाराम,वा.बॉय	सामु.स्वा.केन्द्र,टिब्बी	225216 / 9001517191
7	डॉ.अनुपमा,चि.अ. श्री राकेश सिहाग,न.अ. श्री नरेशकुमार,वा.बॉय	राज.चिकि.कैनाल कॉलोनी,हनु.	261887 / 9828378002
8	ब्लॉक हनुमानगढ से आवश्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	260702 / 9414243233
9	राज.जिला चिकि.हनुमानगढ से आवश्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	231399 / 9929046420

11. खाद्य सुरक्षा दल अधिकारी

क्र.सं.	टीम के सदस्य	संस्थान का नाम	चिकित्सालय दूरभाष/ प्रभारी के मोबाइल नं.
1	श्री रफीक मोहम्मद	इस कार्यालय	9783361651
2	श्री सुदेश गर्ग	इस कार्यालय	9414512493
3	श्री संदीप सिसोदिया	इस कार्यालय	9929110420

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे। संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।

समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

लम्पी डिजीज महामारी

1. वर्ष 2023-24 में हनुमानगढ़ जिले को बुरी तरह से प्रभावित किया था।

लम्पी स्किन डिजीज एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके संक्रमणीय एवं संसर्ग जन्य (Contagious & infectious) होने के मध्यनजर इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निम्न उपाय किये जाने जरूरी है—

- I. पशुओं के आवागमन पर नियंत्रण।
- II. जैव सुरक्षा उपायों की कड़ी पालना।
- III. वेक्टर कंट्रोल।
- IV. सफाई — विसंक्रमण के सामान्य सिद्धांतों की पालना।
- V. रोगी पशुओं एवं इसके देखभाल में नियोजित व्यक्तियों को स्वस्थ पशुओं से अलग/दूर रखना।

लम्पी स्किन डिजीज रोग प्रकोप के फैलाव के दृष्टिगत रोग सर्वेक्षण, रोग निदान, उपचार एवं रोग नियंत्रण/रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही निष्पादित की जानी जरूरी है—

1. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर रोग सर्वेक्षण, रोग निदान, उपचार एवं रोग नियंत्रण/रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही दलों का आवश्यकतानुसार गठन।
2. जिला एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रोग के प्रकोप की सूचना त्वरित गति से प्राप्त हो सके।
3. पशु चिकित्सा संस्था द्वारा रोग प्रकोप की पूर्ण सूचना जिला कार्यालय एवं तदनुसार जिला कार्यालय से निदेशालय को समय पर प्रेषित की जावे ताकि रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यों को समय पर क्रियान्वित किया जा सके।
4. लम्पी स्किन एक विषाणु जनित रोग है जिसका निश्चित उपचार संभव नहीं है एवं उपचार की तौर पर एंटीबायोटिक्स (to prevent secondary bacterial infection) इम्यूनोमॉड्यूलेटर (to improve immunity of animal) एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टी हिस्टामिनिक व मल्टीविटामिन दवाएं प्रयोग में ली जाती हैं। औषधियां एक स्तर तक ही प्रभावी है अतः रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पशुपालकों एवं अन्य स्टेकहोल्डर को रोग के संबंध में जागरूक बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
5. पशुपालकों व अन्य स्टेकहोल्डर्स को रोग के लक्षणों इसके सामान्य घरेलू उपचार, जैव सुरक्षा उपायों आदि को अपनाए जाने तथा रोगी पशुओं को आईसोलेट करने, आवागमन निषिद्ध किये जाने आदि के संबंध में गोष्ठी, वार्ता, समाचार पत्रों में प्रेस नोट व अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम से संवेदी बनाया जाये।

6. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार Prophylactic Vaccination हेतु Goat Pox Vaccine IP का उपयोग गो वंशीय पशुओं में किया जावे।

लम्पी स्किन डिजीज वर्ष 2023-24 में विधानसभावार सूचना जिला हनुमानगढ़

विधानसभा क्षेत्र	प्रभावित पशु संख्या	बीमारी से ठीक हुए पशु संख्या	मृत पशु संख्या	टीकाकरण
संगरिया	15284	14644	640	83400
हनुमानगढ़	10416	10096	320	92300
नेहर	14050	13640	410	69200
पैलीबंगा	26001	24362	1639	139030
भादरा	11580	11398	182	51270
कुल	77331	74140	3191	435200

- सम्भावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाईल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में सम्भावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी सम्बंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालना जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रखरखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।

- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल, गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।

अग्नि शमन केन्द्र

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 7 अग्निशमन वाहन (4 बड़ी व 3 छोटी) उपलब्ध है, जिसमें से 3 नगरपालिका हनुमानगढ़ में है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 01552-222855 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद्/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना
- ट्रेक्टर, ट्राली तथा पम्पसेटो की उपलब्धता कराना
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी।

सूखा-

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है-प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जब कि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य

वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गम्भीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबंधन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलो का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूखा— अपर्याप्त वर्षा , अनियमितता, पानी का असमान वितरण

जल विज्ञान सम्बन्धी सूखा— पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबो, कुओं तथा जलाशयों का सूखना।

कृषि सम्बन्धी सूखा— फसल अथावा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्रोतो का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलो का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयमसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली सम्भावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धवस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जन सामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पैरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था

- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

स्वयं सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेययल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियां उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाइन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मंजन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्यो कि फंव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोले व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

जिले में सूखे की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जिले की रावतसर, नोहर व भादरा में कृषि हेतु सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव है। इन तहसीलों के कुल कृषि क्षेत्रफल का 76.64 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है तथा प्रत्येक वर्षा समय पर वर्षा नहीं होने के कारण इनकी कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन क्षेत्रों में गत वर्षों में अकाल अथवा ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

तहसील	ग्रामों की संख्या					
	सम्वत् 2061	सम्वत् 2062	सम्वत् 2063	सम्वत् 2069	सम्वत् 2075	सम्वत् 2076
श्रावतसर	80	40	42	4		
नेहर	159	---	75	—		
भादरा	146	---	—	—		
पेलीबंगा	---	---	12	11		
संगरिया	---	---	19	—		
हनुमानगढ़	—	—	—	2		
योग	385	40	148	17		

दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं। जिनमें बहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएँ कहीं भी किसी भी रूप से घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना होगी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर

तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय— दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय— सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधें।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबंधन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिष्ट 3, 4, 5 व 6 पर है।

डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना।

एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।

प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।

दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेलवे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध कराना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रैक्टर, डम्पर, एलएनटी आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद्/पालिका/पंचायत

- पानी के टैंकरो की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसीन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयं सेवी संघठन

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो—

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खालने पर पता लगाएं की छाती अथावा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़े को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट उंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें।
- यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के उपर के हिस्सों को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयर-वे से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4-5 सेमी0 का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60-80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेंट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड या (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे—

- चक्कर या शिथिलता
- उल्टी होना

- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक और झूका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

आग

प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जनहानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन पर यदि त्वरित नियंत्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं। यथा— वे औद्योगिक इकाइयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परता पूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भव्यता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड वाले उपकरणों में ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आईएसआई द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का बेल्टिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के सटोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखे।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर—

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय—समय पर गैस कम्पनी से चेक करवायें, गैस की नलकी आई—एस—आई— मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलिफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय अगर आग जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पॉन्टेनिकस कम्बशन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की उंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवो मे अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिये।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फेंकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवो में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (सायरन) बीटर्स, फावड़े बैल्वे, कापा हुक, बाल्टी, आर्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिपेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग कोड रुड़की द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।

- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्त्रीकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह-जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन-ओ-सी- लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पहुंच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय-समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार या जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथा शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साईट इमरजेन्सी डाईरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, समेकित आपदा प्रबन्ध समिति” को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथी ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।

- विधि एवं शांति व्यवस्था सम्बंधी समस्याएं।

अग्निशमन केन्द्र— नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता।
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन।
- सीमावर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसिएशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा आदि में आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, ऑक्सीजन सिलेण्डर, सीढ़ी, मिटटी के थैले आदि।
- रेडक्रॉस लॉयन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समंवयक।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना
- जन सामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

प्राथमिक उपचार

- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबंधन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें—

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगो को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में अग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर सम्भव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के ओदशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।

- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुचन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भित चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारो ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि-मी- की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं उसे उद्गम केन्द्र यो भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6-9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 कि०मी० दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30,000 करोड़ रुपये की सम्पति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन मे अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलाजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इस पांच भागो में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV.V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वगै मि०मी० में महसूस होते हैं जब कि IX&X तीव्रता वाले भूकम्प 500-00 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

(1) क्षेत्र V — इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

- (2) क्षेत्र IV — इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड VII सम्भावित है, इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- (3) क्षेत्र III — इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- (4) क्षेत्र II — इस क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुसार सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- (5) क्षेत्र I — इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव)	रिएक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3-5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4-2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन	4-3
टाद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4-8

बिल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4-9-5-4
टतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5-5-6-1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती हैं।	6-2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6-2-6-9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं ढालों में भूस्खलन होता है।	7-0-7-3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7-4-8-1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय प्रदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8-1 से अधिक

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।

- मलब में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे0सी0बी0/अन्य उपकरणों की व्यवस्था।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टॉफ व दवाईयाँ उपलब्ध करना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपत्ति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लॉस्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिल से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखें। भारी गमलों वाले पोथों को झूलने हेतु नहीं लटकाएं। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती हैं।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उनसे बिस्तर को दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दप्रण, पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकाएं।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्तों में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयाँ, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।

- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तरफ तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें सम्भवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि की सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कम्पन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन विस्तृत रूप में आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा उंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या उपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखो।
- भूकम्प के झटके रुकने पर मलबे में फसे लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करे, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की लीक की सम्भावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ—

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ—

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे: भोपाल गैस कांड अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बेकार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोड़वेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर इस आपदा से निपटे।

मौसमी कीड़ों का प्रभाव

हनुमानगढ़ जिले में खरीफ की फसल में देसी कपास तथा अमेरिकन कपास काश्त किया जाता है, जो वाणिज्यिक फसलें हैं। कभी-कभी इस फसल को कीड़े (अमेरिकन सुण्डी) से क्षति पहुंचती है। यह कीड़ा फसल को खाकर नष्ट कर देता है तथा कीड़ेमार दवाईयां (पेस्टीसाईड्स) भी बेअसर होती है।

टिड्डी प्रकोप के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार

टिड्डी के संभावित प्रकोप के प्रबंधन हेतु हनुमानगढ़ जिले की वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना निम्नानुसार है :-

1. मास्टर्स ट्रेनर्स एवं मोटिवेटर्स की नियुक्ति :- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों इत्यादित को टिड्डी के नियंत्रण एवं प्रबंधन की तकनीकी जानकारी हेतु मास्टर्स ट्रेनर्स एवं मोटिवेटर्स की नियुक्ति की जावेगी।

इस हेतु कार्यालय टिड्डी मण्डल सूरतगढ के कीट वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जावेगा।

2. जिला स्तरीय/उप जिला स्तरीय कमेटी :-

मौसम की अनुकूलता के मध्यनजर हनुमानगढ जिले में आक्रमण की संभावना के मध्यनजर जिले में टिड्डी आक्रमण से निपटने, प्रभावी सर्वे, मोनितरिंग कार्य व आक्रमण होने की दशा में नियंत्रण करने के आवश्यक उपायों की व्यवस्था के मध्यनजर टिड्डी आगमन पर प्रभावी नियंत्रण व सूचनाओं के आदान प्रदान तथा प्रभावी नियंत्रण एवं मानितरिंग हेतु जिला व उपजिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया जावेगा। जिसका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

अ- कृषि जिला स्तरीय कमेटी :- हनुमानगढ (मोनितरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु) सम्पूर्ण जिले हेतु।

ब- कृषि उपजिला स्तरीय कमेटी :- हनुमानगढ (मोनितरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

स- कृषि उप जिला स्तरीय कमेटी :- नोहर (मोनितरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

द- कृषि उप जिला स्तरीय कमेटी :- भादरा (मोनितरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

3. टिड्डी सर्वेक्षण दलों का गठन :- प्रत्येक तहसील स्तर पर दो-दो सर्वेक्षण दलों का गठन किया जावेगा। यह सर्वेक्षण दल टिड्डी दलों का जिले की सीमा में प्रवेश, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति की सीमा में प्रवेश अथवा टिड्डी दलों के मूवमेन्ट एवं जिले में प्रवेश/प्रकोप/पर्याक्रमण/ पुनःप्रकटन तथा प्रवेश की स्थिति में रात्रि पड़ाव से संबंधित सर्वेक्षण कार्य कर सूचना नियंत्रण कक्ष/उच्चाधिकारियों/नियंत्रण दलों को प्रेषित करेंगे, जिससे समय पर टिड्डी नियंत्रण कार्य शुरू किया जा सके।
4. टिड्डी नियंत्रण दलों का गठन :- जिले में टिड्डी प्रवेश/प्रकोप/पुनःप्रकटन की स्थिति में प्रत्येक तहसील स्तर पर दो-दो नियंत्रण दलों का गठन किया जावेगा। नियंत्रण दल उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए टिड्डी नियंत्रण कार्य सम्पादित करवायेंगे।
5. नियंत्रण कक्ष संचालन का विवरण- टिड्डी दल के जिले में प्रवेश/प्रकोप/पुनः प्रकटन हेतु सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जावेंगे।
6. ट्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर्स का चिन्हिकरण- जिले में कृषकों के पास उपलब्ध ट्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर्स का चिन्हिकरण कर सूचीबद्ध किया जावेगा, ताकि आवश्यकता होने पर टिड्डी नियंत्रण हेतु स्प्रेयर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
7. टिड्डी नियंत्रण हेतु अनुमोदित कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता की जावेगी।
8. सर्वेक्षण एवं नियंत्रण हेतु जिले में उपलब्ध 4x4 वाहनों का चिन्हिकरण कर सूचीबद्ध किया जावेगा, ताकि आवश्यकता होने पर दूरस्थ एवं डेजर्ट क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण/सर्वेक्षण हेतु उपयोग में लिये जा सके।
9. टिड्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जिले के कृषकों को प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों यथा किसान गोष्ठी, पम्पलेट्स, समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षित किया जावेगा।
10. जिले में कार्यरत कीटनाशी विक्रेता केवीएसएस/जीएसएसए/लेम्पस इत्यादि को टिड्डी नियंत्रण हेतु सिफारिश किए गए कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

11. जिले में उपलब्ध फायर ब्रिगेड/फाल्कन मशीनों एवं कीटनाशी रसायन निर्माता कम्पनियों के पास उपलब्धता बूम स्प्रेयर्स एवं ड्रोन का चिन्हिकरण कर सूचीबद्ध किया जावेगा, ताकि आवश्यकता होने पर उपयोग में लिए जा सके।
12. टिड्डी प्रबंधन हेतु मय चालक संसाधनों की दरों का निर्धारण— किराये के संसाधन उपयोग में लिए जाने के मध्यनजर किराये की दरों का निर्धारण किया जावेगा।
13. टिड्डी प्रवेश/प्रकोप की जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों के समूहों का गठन किया जायेगा, जो स्वप्रेरणा से टिड्डी के नियंत्रण कार्यों में सहयोग करेंगे।
14. अन्तर विभागीय समन्वय हेतु अधिकारी/कार्मिकों— अन्तर विभागीय समन्वय हेतु अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए जावेगे।

वाहन व अन्य संसाधनों तथा बजट की व्यवस्था :—

हनुमानगढ़ जिले में टिड्डी के प्रवेश/आक्रमण/ पर्याक्रमण/पुनःप्रकटन की ध्वतर्बेज होने पर जिले में टिड्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु संसाधनों एवं अन्य नियंत्रण उपायों की व्यवस्था/तैयारी हेतु कृषि आयुक्तालय/श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा एसडीआरएफ अन्तर्गत आवश्यकतानुसार वाहन एवं ट्रेक्टर माउण्टेड स्प्रेयर्स आदि के लिए आवश्यकतानुसार बजट राशि की व्यवस्था किये जाने के एवं आवश्यकतानुसार उपजिला स्तरों पर ट्रेक्टर माउण्टेड स्प्रेयर्स मय ट्रेक्टर व पानी के टैंकर्स का चिन्हिकरण करा कर उनके किराये की दरों का अनुमोदन के प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को भिजवाये जायेंगे।

एसडीआरएफ के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराई गई स्प्रे मशीनों एवं अन्य संसाधनों आदि का भी आवश्यकतानुसार टिड्डी नियंत्रण में उपयोग किया जावेगा।

जिले में टिड्डी कन्ट्रोल कार्य हेतु ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध किसान सेवा केन्द्रों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र/राजीव गांधी सेवा केन्द्र का उपयोग भी नियंत्रण दलों के केम्प हेतु किया जावेगा। अत्यधिक टिड्डी प्रकोप की स्थिति में पंचायत/राजस्व विभाग के सहयोग से अन्य वांछनीय व्यवस्थाए सुनिश्चित करवाई जायेगी।

कार्य योजना हेतु आवश्यक बिन्दु :-

1. सूचना तंत्र का विकास— सूचना तंत्र के विकास हेतु प्रत्येक उपजिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाये हुए हैं तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संभावित क्षेत्र में पटवारी एवं गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधियों एवं जागरूक किसानों के द्वारा सूचना संप्रेषण में पूर्ण सहयोग लिया जावेगा। हवा के रुख के सही आंकलन हेतु Windy.Com App Down Load एप का प्रयोग किया जाएगा।
2. कार्मिकों का प्रशिक्षण— जिले में उक्त मास्टर्स ट्रेनर्स व मोटिवेटर्स के सहयोग से फील्ड स्टॉफ के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन तहसील/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जावेगा तथा तदनुसार तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्तियां की जायेगी।
3. कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता— टिड्डी नियंत्रण हेतु अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन विभागीय परमिट/अनुशंसा के आधार पर निकटवर्ती सहकारी समिति से लिये जाने का प्रावधान किया जाएगा। टिड्डी के पड़ाव का स्थान पूर्व नियोजित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में यथा समय पर किसानों को दूरस्थ स्थित सहकारी समिति में जाकर विभागीय अनुशंसा के अनुसार अनुदान पर कीटनाशी क्रय कर प्रातःकाल समय पर छिडकाव किया

जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समय पर किसानों को पौध संरक्षण रसायन, विभागीय कार्मिक/अधिकारी के पास पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी रसायन की उपलब्धता/स्टॉक होने पर, विभाग किसानों को अनुदान पर रसायन उपलब्ध करवा कर उचित समय पर छिड़काव करवाया जाने हेतु प्रोत्साहित कर फसलों में होने वाली हानि से बचाव किये जाने में मदद रहेगी। इस संबंध में कृषि आयुक्तालय स्तर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

कपास फसल में गुलाबी सुण्डी प्रकोप

कपास भारत की प्रमुख रेशे वाली फसल है तथा विश्व में भारत का कपास उत्पादन क्षेत्र में प्रथम एवं पैदावार में तीसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 में भारत में लगभग 125.0 लाख हैक्टेयर तथा राजस्थान में 10.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल (Final Estimate 2023-24) में कपास की खेती की गई है। राजस्थान में कपास की खेती श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, बासवाड़ा, नागौर, जोधपुर, अलवर, अजमेर जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। देशी, अमेरिकन एवं बीटी कपास इस क्षेत्र की खरीफ मौसम की मुख्य फसल है। कपास की फसल को कई प्रकार के जैविक एवं अजैविक कारक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैविक कारक जैसे कीट व्याधि एवं खरपतवार तथा अजैविक कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा एवं वायु आदि। कीटों के द्वारा फसल को लगभग 30-40 प्रतिशत नुकसान पहुंचाया जाता है। कपास में लगने वाले कीटों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों (रस चूसक एवं टिण्डा छेदक) में बांटा गया है। रस चूसक कीट जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, थ्रिप्स (जू), चेपा एवं मिलिबग तथा टिण्डा छेदक कीट जैसे तम्बाखु वाली सुण्डी, हरी सुण्डी, चितकबरी सुण्डी व गुलाबी सुण्डी का प्रकोप मुख्य रूप से होता है। नरमा कपास में कृत्रिम जीनों (Cry1ac व Cry2ab (बॉलगार्ड II) का समायोजन कर बीटी कपास को विकसित किया गया जो कि टिण्डा छेदक कीटों के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसके उत्पादन का प्रचलन बढ़ता गया तथा भारत वर्ष में कुल कपास उत्पादन क्षेत्रफल में से लगभग 85-95 प्रतिशत क्षेत्रफल में बीटी कपास की खेती की जाने लगी। बीटी कपास के आगमन के बाद से टिण्डा छेदक कीटों का प्रकोप कम होने लगा साथ ही कीटनाशकों का अनावश्यक प्रयोग भी कम हुआ व किसानों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होता रहा है। वर्ष 2014-15 में गुलाबी सुण्डी का प्रकोप गुजरात के कुछ कपास उत्पादक हिस्सों में बीटी नरमा में आर्थिक हानि स्तर से अधिक पाया गया। इसके उपरान्त यह कीट वर्ष 2017-18 में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक व मध्यप्रदेश आदि कपास उत्पादक राज्यों में बीटी नरमा में महामारी के रूप में देखा गया तथा इस कीट ने बीटी कपास में अत्याधिक नुकसान किया। उत्तरी भाग में इस कीट का प्रकोप वर्ष 2018 में हरियाणा में जिंद व पंजाब की बठिण्डा की कपास मिलों के आसपास के खेतों में बोई गई बीटी कपास की फसल पर दर्ज किया गया है तथा वर्ष 2021 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के बीटी कपास उत्पादक क्षेत्र में आर्थिक हानि स्तर से अधिक प्रकोप देखा गया। वर्ष 2022 में जिले के हरियाणा सीमावृत्ति क्षेत्र तहसील संगरिया में गुलाबी सुण्डी का प्रकोप वृहद स्तर पर पाया गया। जिले की शेष तहसीलों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में भी कम एवं अधिक प्रकोप के कारण कृषकों को आर्थिक नुकसान हुआ। वर्ष 2023 में माह मार्च-अप्रैल में अपेक्षाकृत कम तापमान एवं अगेती बुवाई के कारण जिले

के लगभग समस्त कपास उत्पादक क्षेत्र में गुलाबी सुण्डी का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक पाया गया, जिसके कारण जिले की औसत उत्पादन में गिरावट हुई तथा कृषकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में जिले में बीटी कपास के बुवाई क्षेत्र में कमी आई। कृषि एवं अन्य सबद्ध विभागों द्वारा वर्ष 2024 में गुलाबी सुण्डी नियंत्रण/प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार कर बुवाई पूर्व से ही प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। मौसम की गुलाबी सुण्डी के प्रकोप के प्रति प्रतिकूलता एवं समन्वित प्रबंधन के परिणाम स्वरूप जिले के बीटी कपास उत्पादक क्षेत्र में कहीं-कहीं गुलाबी सुण्डी का फसल पकाप की अंतिम अवस्था में प्रकोप हुआ, जो कि आर्थिक हानि स्तर से कम था।

गुलाबी सुण्डी के क्षति के लक्षण एवं जीवनचक्र :-



गुलाबी सुण्डी (पेक्टिनॉफोरा गॉसिपिएला) इस कीट के प्रौढ़ गहरे सलेटी चमकीले रंग के सोने जैसी झाई युक्त 8 से 9 मि०मी० आकार का फुर्तीला कीट है। इसके अण्डे हल्के गुलाबी व बैंगनी रंग की झाईयां लिये होते हैं, जो प्रायः फूलों, नये टिण्डों, पुष्प दलों के संयोजन व नई पत्तियों पर पाए जाते हैं, अण्डों से निकली प्रारम्भिक अवस्था की सुण्डियों का रंग सफेद होता है तथा अण्डों से निकलने के दो दिन बाद सुण्डी पुष्पों, अण्डाशय व नव निर्मित टिण्डों को भेदना शुरू कर देती है। सुण्डियों का रंग अण्डों से निकलने के तीन-चार दिन बाद गुलाबी रंग में बदल जाता है तथा इनका गुलाबी रंग खाने की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि सुण्डियां कपास के परिपक्व बीज खाती हैं तो उनका रंग गहरा गुलाबी हो जाता



है। इस कीट की सुण्डियां फलीय भागों को खाना पसंद करती है। यह पौधों के वानस्पतिक भागों पर जीवित नहीं रह सकती तथा इस कीट की कृमिकोश (प्यूपा) अवस्था बीजों व टिण्डों में पाई जाती है। यदि इस कीट का व्यस्क पौधों पर फलीय भाग बनने से पहले उत्पन्न हो जाता है तो इसे कीट का आत्माघाती उधमवन (स्यूसाइडल इर्मजेंन्स) कहते हैं। उत्तर भारत में यह कीट अपनी 4-5 पीढ़ियां पूर्ण कर लेता है साथ ही पहली पीढ़ी में इसकी संख्या कम होती है तथा बाद की पीढ़ियों में संख्या उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। इस कीट की सुण्डी अवस्था सर्दी के मौसम में सुसुप्तावस्था में चली जाती है जो कपास के दो बीजों को जोड़कर या बीज का आकार बड़ा होने पर एक बीज के मध्य उपस्थित रहती है। मई जून माह में इस कीट के पंतगे निकलने शुरू हो जाते हैं जो कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं जिनका जीवनकाल अल्प समय का होता है तथा इनमें एक साथ जोड़े बनाकर प्रजनन करने की प्रवृत्ति होती है।

गुलाबी सुण्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु क्या करे अथवा नहीं करे कपास की जिनिंग व बिनौलो से तेल निकालने वाली मिलों के लिए जरूरी परामर्श



जिनिंग व बिनौलों से तेल निकालने वाली मिलों में बिनौलों का भण्डारण किया जाता है, इन बिनौलो में भी गुलाबी सुण्डी सुसुप्ता अवस्था में पाई जाती है तथा अनुकूल मौसम आने पर इनमें से गुलाबी सुण्डी के पंतगे निकलकर जिनिंग व बिनौलों से तेल निकालने वाली मिलों के नजदीक आसपास के खेतों में बोई गई बीटी कपास फसल पर अण्डे देते हैं, जिससे गुलाबी सुण्डी का प्रकोप होता है। इसके अलावा बीटी कपास की जिनिंग (रूई पिनाई) उपरान्त अवशेष कचरे को जिनिंग मिलों के आसपास डाल दिया जाता है। उसमें भी गुलाबी सुण्डी सुसुप्ता अवस्था पाई जा सकती है, जिससे भी इसका प्रकोप कपास फसल पर होता है। इस प्रकार से यह कपास की जिनिंग व बिनौलो से तेल निकालने वाली मिले गुलाबी सुण्डी के प्राथमिक संक्रमण का कारण बनती है।

1. जिनिंग व बिनौलों से तेल निकालने वाली मिलों में बिनौलों को खुले में भण्डारित नहीं किया जावे तथा जरूरत पड़ने पर बिनौलों को पॉलिथीन शीट/मच्छरदानी से ढककर रखें।
2. बिनौलों को मार्च महिने के अन्त तक उपयोग में लाये जाने के प्रयास किए जावे तथा यदि बिनौलें उपयोग में आने से बच जाते हैं, तो उन्हें अप्रैल महिने में एल्युमिनियम फॉस्फाईड की 3.0 ग्राम टिकिया से प्रति घनमीटर के हिसाब से 48 घंटों तक धूमित करना चाहिए। ऐसा करने से बिनौलों के अन्दर मौजूद गुलाबी सुण्डी नष्ट हो जाती हैं।
3. जो बिनौले एल्युमिनियम फास्फाईड से धूमित (फ्यूमिगेट) नहीं किए गए हो, उनको जिनिंग व बिनौलों से तेल निकालने वाली मिलों में ढक्कर रखना चाहिए तथा जहां तक संभव हो पशुओं के खिलाने के लिए केवल कपास की खली (केक) ही रखे।
4. मिलों में जिनिंग (रूई पिनाई) उपरान्त अवशेष कचरे को जमीन में गाढ़कर अथवा जलाकर नष्ट कर देना चाहिए।
5. कपास की जिनिंग मिलों व अनाज मण्डियों के आस-पास फेरोमोन ट्रेप लगाने चाहिए तथा इसमें आये पंतगों को मार देना चाहिए। यह कार्य नरमें की फसल के समय साथ-साथ पूरे वर्षभर करना चाहिए।

ईट भट्टा पर उपयोग होने वाले बन्छटिटियों के प्रबंधन हेतु परामर्श



प्रायः ईट भट्टों पर कपास की बन्छटिटियों का ईंधन के रूप में काटकर अकेले अथवा सरसों के नीरे में मिक्स कर ईट पकाने हेतु उपयोग किया जाता है। ईट भट्टा मालिकों द्वारा कृषकों के खेत किराये पर लेकर बन्छटिटियों का भण्डारण किया जाता है तथा वहां से ही मशीनों द्वारा कुट्टी करके ईट भट्टों पर लाया जाता है। इस तरह से रखी गई बन्छटिटियां एवं भट्टों पर खुले में भण्डारित बन्छटिटियों की कुट्टी आसपास के खेतों में गुलाबी सुण्डी में प्राथमिक संक्रमण का कारण बनती है।

1. ईट भट्टों में उपयोग हेतु कृषकों के खेतों पर बड़ी मात्रा में एकत्रित कर रखी गई बन्छटिटियों को वहां से हटाया जावे अथवा उनको झाड़कर बन्छटिटियों पर लगे अधखिले टिण्डों आदि को अलग कर जमीन में गाढ़कर अथवा जलाकर नष्ट करना चाहिए।
2. ईट भट्टों पर खुले में रखी गई बन्छटिटियों की कुटी का उपयोग मार्च महिने के अन्त तक ईंधन के रूप में कर लेना चाहिए।
3. यदि मार्च महिने के अंत तक बन्छटिटियों की कुटी का उपयोग नहीं होता है तो इसको पॉलिथीन शीट से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए।
4. ईट भट्टों के आसपास फेरोमैन ट्रेप लगाए जाने चाहिए।

गुलाबी सुण्डी के प्रबंधन हेतु कृषकों को परामर्श

1. बीटी कपास की बुवाई हेतु बीज दर 450 ग्राम प्रति बीघा रखें तथा बुवाई कतार से कतार की दूरी 108 सेमी० एवं पौधे से पौधे की दूरी 60 सेमी० रखते हुए करें।
2. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किस्मों का बीज अनुज्ञापत्रधारी विश्वसनीय बीज विक्रेता से ही क्रय कर बुवाई करें, अज्ञात स्रोत एवं गैर अनुमत किस्मों की बुवाई न करें। बीज क्रय करने का पक्का बिल लिया जावे।
3. समन्वित कीटनाशी प्रबंधन अपनाते हुए गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनायें तथा खेत व खेत के चारों ओर उगे खरपतवारों को नष्ट करें।
4. बीटी कपास की बुवाई का उचित समय 1 मई से 20 मई के मध्य की जानी चाहिए।



5. बीटी नरमें की बन्छटिटियों को छाया व खेत में इक्का ना करें। बन्छटिटियों को काट कर जमीन में मिला देवे।
6. यदि बीटी नरमें की बन्छटिटियों का भण्डारण करना हो तो बन्छटिटियों को कपास की अगली फसल की बुवाई से पूर्व जमीन पर झाड़ ले और खेत से दूर जमीन पर लम्बवत खड़ा करें तथा झाड़ने के उपरान्त बन्छटिटियों से अलग हुए अधखिले टिण्डों आदि को जलाकर नष्ट कर देवें।
7. बीटी नरमें की लकड़ियों से निकलने वाले गुलाबी सुण्डी के पंतगों को रोकने के

लिए अप्रैल महिने से भंडारित लकड़ियों को पॉलिथीन शीट/मच्छरदानी से ढकें।

8. गुलाबी सुण्डी से प्रभावित क्षेत्रों से नये क्षेत्र में बीटी नरमें की बन्छट्टियों को नहीं ले जाना चाहिए।
9. अंतिम चुगाई के बाद खेत में बचे अधखुले व खराब टिण्डों को नष्ट करने के लिए खेत में भेड़, बकरी आदि जानवरों को चराए।
10. कम ऊंचाई वाली व कम अवधि में पकने वाली किस्मों की बुवाई करें तथा 45–60 दिवस की अवधि में नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव व मिश्रित कीटनाशियों की अपेक्षा एकल कीटनाशी का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज के अनुसार छिड़काव करें व पायरेथ्राईड आधारित कीटनाशियों का उपयोग फसल की अवधि 120 दिवस की होने के उपरान्त ही किए जाने पर कीट के प्रकोप का नियंत्रण किया जा सकता है।
11. फसल की शुरूआती अवस्था में गुलाबी सुण्डी से प्रभावित नीचे गिरें रोजेटी फूल, फूल डोडी व टिण्डों आदि को एकत्रित कर नष्ट करें।

गुलाबी सुण्डी के प्रकोप की निगरानी व नियंत्रण के लिए आर्थिक स्तर

- ✓ फसल की बिजाई के 40 से 50 दिन के पश्चात् दो फेरोमोन ट्रेप प्रति बीघा लगाएं तथा इनमें 5–8 पंतगे प्रति ट्रेप लगातार तीन दिन तक आने पर।
- ✓ बीटी नरमा के पौधे पर लगे हुए 100 फूलों में से 5–10 फूल गुलाब की तरह बंद (रोजेटी फूल) दिखाई देने पर।
- ✓ 20 हरे टिण्डों (10–15 दिन पुराने बड़े आकार के टिण्डे) को खोलने पर 1–2 टिण्डों में सफेद गुलाबी लार्वा (सुण्डी दिखाई देने पर)।

गुलाबी सुण्डी के नियंत्रण के लिए आर्थिक कगार पर सुझाये गए कीटनाशक

कपास की फसल 60 दिन तक की होने पर	नीम का तेल (5 मिली0) + एनएसकेई, 5 प्रतिशत (50 मिली0) + कपड़े धोने का पाउडर (1 ग्राम) प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या नीम आधारित कीटनाशी 5 मिली0 प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
कपास की फसल 60–120 दिन तक की होने पर	प्रोफेनोफास 50 ई0सी0 500–800 मिली0 या ईमामेक्टिन बेंजोएट 5 एसजी 100 ग्राम या क्लोरोपायरीफास 20 ईसी 500–1000 मिली या क्यूनालफास 20 ए.एफ. 900–1100 मिली या थीयोडीकार्ब 75 डब्ल्यू पी. 250–400 ग्राम या इण्डोक्साकार्ब 14.5 ई.सी. 200 मिली0 को 150–200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें।
कपास की फसल 121–150 दिन तक की होने पर	इथियोन 20 ई.सी. 800 मिली0 या फैनवेलरेट 20 ई.सी. 100–200 मिली0 या साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी. 200–250 मिली0 या साइपरमेथ्रिन 25 ई.सी. 80–100 मिली. या साइपरमेथ्रिन 5 ईसी0 200 मिली0 या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ईसी0 160–200 मिली0 या अल्फामेथ्रिन 10 ईसी0 300 मिली0 को 175–200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

गुलाबी सुण्डी के प्रकोप के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार

गुलाबी सुण्डी के संभावित प्रकोप के मध्यनजर प्रबंधन हेतु हनुमानगढ़ जिले की वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना निम्नानुसार है :-

1. मास्टर्स ट्रेनर्स की नियुक्ति :-

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों इत्यादित को गुलाबी सुण्डी के नियंत्रण एवं प्रबंधन की तकनीकी जानकारी हेतु मास्टर्स ट्रेनर्स को कृषि विभाग के कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्रो, कृषि विज्ञान केन्द्रो, कपास अनुसंधान संस्थान आदि के वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जावेगा।

2. जिला स्तरीय/उप जिला स्तरीय कमेटी :-

गुलाबी सुण्डी आक्रमण से निपटने, प्रभावी सर्वे, मोनिटरिंग कार्य व आक्रमण होने की दशा में नियंत्रण करने के आवश्यक उपायों की व्यवस्था के मध्यनजर गुलाबी सुण्डी आगमन पर प्रभावी नियंत्रण व सूचनाओं के आदान प्रदान तथा प्रभावी नियंत्रण एवं मानिटरिंग हेतु जिला व उपजिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया जावेगा। जिसका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

अ- कृषि जिला स्तरीय कमेटी :- हनुमानगढ़ (मोनिटरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु) सम्पूर्ण जिले हेतु।

ब- कृषि उपजिला स्तरीय कमेटी :- हनुमानगढ़ (मोनिटरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

स- कृषि उप जिला स्तरीय कमेटी :- नोहर (मोनिटरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

द- कृषि उप जिला स्तरीय कमेटी :- भादरा (मोनिटरिंग, सूचना संग्रहण एवं प्रेषण हेतु)

3. गुलाबी सुण्डी सर्वेक्षण दलों का गठन :-

प्रत्येक तहसील स्तर पर दो-दो सर्वेक्षण दलों का गठन किया जावेगा। यह दल कृषि जिला एवं उप जिला स्तर की समितियों के साथ समन्वय करके नियंत्रण में क्षेत्रों का चयन आदि में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

4. नियंत्रण कक्ष संचालन का विवरण-

गुलाबी सुण्डी दल के जिले में प्रवेश/प्रकोप/पुनः प्रकटन हेतु सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जावेंगे।

5. गुलाबी सुण्डी नियंत्रण हेतु अनुमोदित कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता की जावेगी।

6. गुलाबी सुण्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जिले के कृषकों को प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों यथा किसान गोष्ठी, पम्पलेट्स, समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षित किया जावेगा।

7. जिले में कार्यरत कीटनाशी विक्रेता केवीएसएस/जीएसएसए/लेम्पस इत्यादि को गुलाबी सुण्डी नियंत्रण हेतु सिफारिश किए गए कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।
8. गुलाबी सुण्डी प्रवेश/प्रकोप की जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों के समूहों का गठन किया जायेगा, जो स्वप्रेरणा से गुलाबी सुण्डी के नियंत्रण कार्यों में सहयोग करेंगे।
9. अन्तर विभागीय समन्वय हेतु अधिकारी/कार्मिकों— अन्तर विभागीय समन्वय हेतु अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए जावेंगे।

वाहन व अन्य संसाधनों तथा बजट की व्यवस्था :-

हनुमानगढ़ जिले में गुलाबी सुण्डी के प्रकोप होने पर जिले में गुलाबी सुण्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु संसाधनों एवं अन्य नियंत्रण उपायों की व्यवस्था/तैयारी हेतु कृषि आयुक्तालय/श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा एसडीआरएफ अन्तर्गत आवश्यकतानुसार वाहन प्रचार प्रसार सामग्री कार्यशाला, रसायन, फरोमोन ट्रेप आदि के लिए आवश्यकतानुसार बजट राशि की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को भिजवाये जायेंगे।

ताप (लू) व शीतघात

तापघात (लू)

—राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में “लू” कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39–70 से और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24–30 से— रहता है जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 24–30 से 45° से— तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।

- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जाये तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें कि जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित होते हों, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22–0° से— व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5–8° से— रहता है। शीतलकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एड़ियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।

- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी से ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। कैफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कम्बल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं। उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमों लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउण्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय-समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़े तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।

रेवले व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।

- नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वयक करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउण्टर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन0सी0सी0 इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में प्रभावितों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को प्रभावितों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुंचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।

- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलेस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिका/परिषद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी0डी0टी0 अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

2.6 क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लेषण—

जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना बनाने के उद्देश्य जिले में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं से होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने एवं उनके स्थाई समाधान हेतु आपदा नीति तैयार करवाना है। यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर तैयार की जायेगी जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है:—

1. आपदा प्रबंधन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय एवं आपदा उपरांत सहायता, पुर्नवास एवं मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को

पुनःस्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

2. राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू करेगी जिससे आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्यों को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी। जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रूप से आपदा के समय सुचारु रूप से अपने कार्यों को स्वतंत्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सकेगा।

3. भावी आपदा प्रबंधन अस्थाई प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम है:-

क - दीर्घकालीन योजनाएं- राज्य योजनाएं/विभागीय योजनाएं अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनाई जावेगी एवं उन कार्यों के लिए अन्य प्लान कार्यों की तरह लगातार जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते बजट प्रावधान रखे जायेंगे। खासतौर से ड्रॉट प्रूफिंग के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

ख - आपदा प्रबंधन योजना- प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी संबंधित विभाग ग्राम स्तर की योजनायें बनायेंगे तथा ग्राम स्तर पर डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा यह सूचना प्रत्येक वर्ष अद्यतन प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा और आपदा प्रबंधन के लिए यह सूचना एक प्रभावशाली तंत्र का कार्य करेगा।

ग- क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे तथा राज्य स्तर पर एच.सी.एम. रीपा मॉडल एजेन्सी होगी। जो राज्य स्तर एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन की विभिन्न विद्याओं के रिसोर्स परसंस्करण तैयार करेगी तथा ये विशेष प्रशिक्षित रिसोर्स परसंस जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगों को आपदाओं से निपटाने के लिए क्षमता निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेंस विभाग में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक विशिष्ट टीम तैयार की जावेगी।

घ-समुदाय पर आधारित आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।

च-बहु आपदा रेस्पॉरेन्स व्यूह-रचना-बहु आपदाओं के तुरंत प्रबंधन के लिए इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है। उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

छ-एक इस प्रकार से संचार नेटवर्क विकसित किया जावेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिले से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (S.D.R.N.) एवं इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (I.D.R.N.) तैयार किया जायेगा।

ज-प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियंत्रण हेतु पृथक-पृथक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिए प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबंधन हेतु योजना एवं दिशा-निर्देश भी इस नीति में समायोजित किये जायेंगे।

झ-राज्य में विभिन्न आपदाओं से संबंधित मैनुअल सरल प्रक्रिया अनुसार तैयार किये जायेंगे। जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत/सहायता त्वरित गति से उपलब्ध करवाई जा सके।

आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था

3.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005—

इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किये गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)—

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह-अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

3.3 स्थानीय प्राधिकरण—

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.4 जिला प्रशासन—

जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

3.5 पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं—

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएँ, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहु- जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

3.6 नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स—

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जा सकती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन-जागरुकता के लिये उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रूप से ड्यूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.7 नेशनल क्रेडिट कोर्स (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन—

सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिये इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को ईश्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

EOC setup and facilities available in the district- शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं सहा. /बाढ./2017 /5678-710 दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में कलैक्ट्रेट में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रूम को लगातार हेल्प लाइन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) 15 जून 2017 से आगामी आदेशों तक मानसून/बाढ. नियंत्रण कक्ष के रूप में स्थापित किया जाता है। अतिवृष्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्ड दी क्लॉक" कार्यरत रहेगा। ई0ओ0सी0 के प्रभारी अधिकारी श्री देशराज बिशनोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ है, जिनके मोबाईल नंबर 94147-82529 है। ई0ओ0सी0 के टेलिफोन नंबर 01552-260299 तथा टोल फ्री नंबर 1077 है।

इस कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक कलैक्ट्रेट हनुमानगढ को सहायक प्रभारी अधिकारी (ई0ओ0सी0) बाढ. नियंत्रण कक्ष नियुक्त किया गया है। इनके कार्यालय के टेलिफोन नंबर 01552-260300 है। बाढ. नियंत्रण कक्ष में एक पंजिका का संधारण किया जाता है, जिसमें दैनिक घटनाओं का पूर्ण इन्द्राज किया जाएगा तथा उस पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट दर्शाई जाएगी। वर्षा संबंधी दैनिक सूचना प्रभारी अधिकारी, बाढ. नियंत्रण कक्ष एवं सहायक प्रभारी एवं सदर कानूनगो, कार्यालय हाजा मौसम विभाग, सहायता विभाग तथा श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। (ई0ओ0सी0) नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों/कर्मचारियों की पारी वाईज ड्यूटी लगाई जाती है, जो तीन पारियों में 24 घंटे लगातार राउण्ड दी क्लॉक ड्यूटी पर कार्यरत रहेंगे।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसीज— सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अन्तरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके।

अध्याय-4

रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेष रूप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संस्कृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। Measures कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थात् तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण।

4.1 स्ट्रक्चरल शमन उपाय— यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की और से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्टर प्लान स्पष्ट रूप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संसोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन परिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरूरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत-नियमितकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बढ़ने पर एक योजना बनाना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्डिंग कोड सख्ती से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही **Retrofitting** भी विशेष सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं—

- मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और
- भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

4.2 गैर संरचनात्मक शमन उपाय— गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रूप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

4.3 तैयारी क्रियाविधि— आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार कर के , पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। इस संबंध में **DDMA** इस नियमित आधार पर तैयारियों के लिये उचित पद्धति सुझाएगा और जिले की विभिन्न गतिविधियों की योजना होगी।

4.4 जागरुकता कार्यक्रम— हर जगह हड़तालें, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यहां गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रृंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचाने के लिये आयोजित किया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और

संचार(आईईसी) सामग्री के रूप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे—

- जनसभाएं
- पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने
- नुक्कड़ नाटक
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी
- ऑडियो/विडियो शो
- बैनर और हॉलिंग
- चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रूप से स्कूलों में छात्र रैलियां
- अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

4.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण—विशेष समूहों, जिला(DMTs), उप विभाजन और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है/ किया जाएगा।

सभी समुदाय आधारित संगठनों(CBOs), सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षेत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाएगा।

Summary of Mitigation measures(उपशमन उपाय) गृह रक्षा हनुमानगढ़

Task	Activity	Authority for implementation	Starting date	Date of completion	Cost	Source of Fund
1	2	3	4	5	6	7
Rescue service and law and order duty security	During operation	D.M.	When Need	N.A.	Rs. 679/- per vol per day for 8 hrs.	D.M.

जिले में स्थित अमोनिया, मैथेनॉल एवं अन्य गैसों को उपयोग लेने वाली फैक्ट्रियों की सूची

क्र.सं.	आरजे नं०	फैक्ट्री का नाम	काम में ली जा रही गैस का नाम
1.	22539	मै०श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया
2.	22178	मै० सरस्वती आईस फैक्ट्री ,हनुमानगढ़ टाउन	अमोनिया
3.	26787	मै० शिवा आईस फैक्ट्री,सतीपुरा	अमोनिया
4.	23013	मै० शिवम ऐडहैशिव प्रा०लि०,हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया
5.	28688	मै० मिडढा आईस फैक्ट्री,संगरिया	अमोनिया
6.	26263	मै० अग्रवाल आईस फैक्ट्री,संगरिया	अमोनिया
7.	28656	मै० राशि दूध सागर प्रा० लि०,रावतसर	अमोनिया
8.	29295	मै० जगदम्बा बर्फ फैक्ट्री,रावतसर	अमोनिया
9.	28296	मै० गणपति दुग्ध अवशीतन केन्द्र,नोहर	अमोनिया
10.	22619	मै० नवीन इण्डस्ट्रीज,नोहर	अमोनिया
11.	15620	मै० श्री गंगानगर दु.उ.स.सं. मिल्क चिलिंग सेन्टर,नोहर	अमोनिया
12.	28892	मै० अनिल इन्टरप्राइजेज,नोहर	अमोनिया
13.	30756	मै० गणपती आईस फैक्ट्री,पीलीबंगा	अमोनिया
14.	32461	मै० मिल्क फुड एडस प्रा०लि०,पल्लु	अमोनिया
15.	32483	मै० धुंधवाल मिल्क चिलिंग सेन्टर,पल्लु	अमोनिया
16.	29206	मै० हरी ओम आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर,हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया
17.	25523	मै० एस०एस० ब्लॉकम प्रा०लि०,हनुमानगढ़ जं.	क्लोरीन सल्फ्यूरिक एसिड कास्टिक सोडा
18.	29847	मै० बंसल चिलिंग सेन्टर,मानकसर	अमोनिया
19.	24993	मै० लिलाधर बिहाणी सॉल्टपिटर (इण्डिया) लि०,हनुमानगढ़ जं०	अमोनिया
20.	28163	मै० वरुण केमिकल्स,हनुमानगढ़ जं.	अमोनिया
21.	30570	मै० अपाला चिलिंग प्लांट,नोहर	अमोनिया
22.	30970	मै० जय दुर्गे आईस फैक्ट्री,भादरा	अमोनिया
23.	31739	मै० गिरधर गोपाल मिल्क अवशीतन केन्द्र,रावतसर	अमोनिया
24.	31803	मै० महेश इण्डस्ट्रीज,रावतसर	अमोनिया
25.	31846	मै० सुखद मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा०लि०,10 जेआरके,जण्डावाली	अमोनिया
26.	31724	मै० सहारण आईस फैक्ट्री नोहर	अमोनिया
27.	33777	मै० अन्जनी एन्टरप्राइजेज नोहर	अमोनिया
28.	33960	मै० शिवम ऐडिटिवज प्रा० लि० हनुमानगढ़ जं०	अमोनिया
29.	34128	मै० सत्यम फूड प्रोसेसिंग कम्पनी नोहर	अमोनिया
30.	35005	मै० न्यू गणेश आईस फैक्ट्री पीलीबंगा	अमोनिया
31.	35541	मै० राशि दुग्ध सागर प्रा० लि० पल्लू	अमोनिया
32.	35762	मै० सागर दूध डेयरी डाबड़ी	अमोनिया
33.	35991	मै० नानक एग्रो कोल्ड स्टोर चक ज्वालासिंहवाला	अमोनिया
34.	35927	मै० एसपीएल ऐडिटिवज प्रा०लि० हनुमानगढ़ जं०	क्लोरीन

अध्याय-5

तैयारियों के उपाय

आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न चरणों का विवरण

5.1 आपदा प्रबंधन योजना के तीन चरण:-

विभिन्न प्रकार की आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबंधन के लिए तीन चरण निम्न प्रकार से हैं:-

1. प्रथम चरण- आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना।
2. द्वितीय चरण- आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तत्कालिक राहत व्यवस्था करना।
3. तृतीय चरण- आपदा के बाद की पुर्नवास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना।

5.2. प्रथम चरण- आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना :-

आपदा घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (Prevention, Mitigation and Preparedness) शामिल है। इस चरण में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से संबंधित नोडल विभागों व संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आते हैं। जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जावेगा :-

1. **भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार करना-** केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (I.D.R.N.) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं जिला कलक्टर के पास कम्प्यूटर में वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन एवं शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री एवं मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेगी। आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता टेलीफोन नं० के भी उपलब्ध होगा, ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

अ-विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री एवं व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है उनकी जानकारी तैयार की जावेगी, जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों एवं राज्य के बाहर जहां भी वे संसाधन उपलब्ध होंगे उन्हें तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

ब-सामग्री मानव संसाधन, मशीनों व यंत्रों और उपकरणों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का प्रत्येक छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता व टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जायेगा व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित व आज दिनांक किया जायेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिले के जिला कलक्टर की होगी, परन्तु राज्य

सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पाबंद करें कि वे आवश्यक सूचनायें जिला कलक्टर को उपलब्ध करायें व उसमें नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

2. आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न— भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावे, जो प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। **अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूराईज्ड नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।**

3. नियोजित विकास करना—विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव व खतरों का कम करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को सतत विकास प्रक्रिया में शामिल किया जावे। जैसे— सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियरेटर्स से सुसज्जित होना, 24 घंटे विद्युत व्यवस्था होना, एम्बुलेंसों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनों, सरकारी भवनों आदि को उँचे क्षेत्रों में निर्माण करना जो भविष्य में आपदा के समय आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सके।

4. कानून, नियम उपनियम तथा दिशा—निर्देश का निर्माण करना— सफल आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट नीतियाँ, दिशा—निर्देशों एवं नियम हों एवं उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं, एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो, इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

क—भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण की संरचना व डिजाईन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम व भवनों के रेट्रोफिटिंग संबंधी विभिन्न दिशा—निर्देश।

ख—भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान।

ग—फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा—निर्देश व पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

घ—महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्य योजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश व विभागों की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

ड—बाढ़, आंधी, तुफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।

च—आपदा प्रबंधन से संबंधित कानूनों व नियमों का निर्माण।

छ—पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों, व पुराने फेमिन कोड व अन्य विभागीय मैनुअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संशोधन।

ज—बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनों में आग में बचाव के समस्त उपायों को आई.एस. कोड व एन. बी. कोड के प्रावधान को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन।

5. आपदा प्रबंधन कार्य योजनाओं का निर्माण करना— सभी आपदाओं से प्रभाव रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन योजना बनायेंगे व समय समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका प्रत्येक वर्ष पूर्वाभ्यास करेंगे।

6. आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढांचा तैयार करना— आपदा से पूर्व चेतावनी यदि उचित स्तर पर हो सके तो आपदा के प्रभाव व खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं आपदा से संबंधित नोडल विभाग पूर्व चेतावनी की पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

7. आपदा प्रबंधन की लोचपूर्ण प्रक्रिया अपनाना— कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत व बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुर्नवास व विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन को आपदा व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

8. क्षमता निर्माण करना— किसी भी आपदा के प्रभावी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं व आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है—

1. आपदा से संबंधित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने के लिए उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान।
3. आपदा से निपटने के लिए विशेष ज्ञान के समवर्गों की स्थापना एवं प्रशिक्षण व रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा के रेस्पोंस मेकेनिज़्म की स्थापना करना, जिससे आपदा के विशिष्टीकरण कैंडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से संबंधित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिए उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों में पाठ्यक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन संरचनाओं एवं मॉडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोगों को प्रदान करना एवं सभी इंजिनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक गांव व मौहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवा गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जाये एवं पीड़ित व्यक्ति को कहाँ एवं किस अस्पताल में पहुंचाया जावे इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाए आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पड़ोसी या उसके गांव व कालोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों के गांव व कस्बों में सतर्कता समितियों व स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना।

9. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना—

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की नोडल एजेन्सी एच.सी.एम. रीपा होगी।

1. ऐसे व्यक्ति जिसे आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने की आवश्यकता है उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।
2. इसके अतिरिक्त आपदा से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्यों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा जिससे आपदा के समय व बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सके।
3. उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
4. जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जावेंगे।

10. स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर व्यवस्था—

किसी भी आपदा में पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुंचाने में मेडिकल केयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की इतनी क्षमता एवं संसाधनों की उपलब्धता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हो। ऑपरेशन थियेटरों का सुसज्जित व पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घंटे विद्युत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसों एवं मोबाईल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये।

5.3 द्वितीय चरण—

आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना—

इस चरण में राज्य प्रशासन के आपदा के विरुद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहों एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत्त सक्षमताओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने की कार्यवाही इसकी पूर्व तैयारी सतर्कता एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा से निपटने के लिए इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है—

1. संचार व्यवस्था एवं कंट्रोल रूम की स्थापना करना—

1. आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ईमेल सुविधा व अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनायें प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये जायेंगे। यहां से सूचना माध्यमों व आम जनता के लिए आवश्यक सूचनायें सामान्य रूप से जारी की जावेगी व जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जावेगी।
2. आपदा स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे जहां से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यों से संबंध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सकें।
3. जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।
4. विशेष रूप से बनाये गये कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेंगे। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीक्षा राहत उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

2. सर्च एवं रेस्क्यू टीम का गठन करना—

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितना त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फंसे हुए लोगों को त्वरित गति से बाहर निकाला जायें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जायें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जायें यह सब जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर संभव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों से जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

3. आवश्यक सेवाओं की बहाली करना—

आपदा की स्थिति में बिजली पानी, संचार के साधन सड़क, पूल, आदि की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो तथा किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गई हो तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जावे। जिला प्रशासन, सभी विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

4. आपदा पीड़ितों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था कराना—

आपदा के समय खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अधिकांश लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते हैं। या बाढ़ भूकम्प व अग्निकांड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

5. आपदा के बाद राहत आंकलन करना—

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुए नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुंचाई जा सके।

अ— जन एवं सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलेक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यवाही करें। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।

ब— संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत एवं बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन एवं सम्पत्ति की हानि तथा बचाव व राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरन्तर दी जावेगी।

6. राहत पीड़ितों के लिए राहत पैकेज उपलब्ध करना—

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिये। उसमें किसी भी प्रकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

7. आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुंचाने की परिवहन की व्यवस्था करना—

आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस.आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जावे। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते हैं अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलेक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था कराएगी। यह कोष राज्य सरकार दानदाताओं एवं निजी आपरेटरों से एक निश्चित शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

8. क्रेन बुलडोजर एवं आवश्यकतानुसार संसाधनों का अधिग्रहण करना—

कई बार भूकंप एवं मकानों के ढहने की स्थिति में काफी लोग दब जाते हैं उन्हें तुरंत निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। उनके किराये एवं फसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलेक्टर को होगी।

5.4 तृतीय चरण—

आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना—

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास शीघ्र किये जायेंगे। मूलभूत अधो संरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है—

1. विस्तृत हानि का आंकलन—

आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जाता है। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थाई सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार की होगी।

2. प्रभावित लोगों को पुनःस्थापना—

यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में उन्हें बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विधुत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चों के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

3. पुनर्स्थापना एवं पुनः संरचना योजनाओं की स्वीकृति—

दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिए विस्तृत एस्टीमेट बनाना उसकी तकनीक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे की इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

4. धन का आवंटन एवं ऑडिट करना—

विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियंत्रण एवं ऑडिट आवश्यकता इस चरण में होती है। जिससे कि धन का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो सके।

5. परियोजना प्रबंधन—

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनीटरिंग की आवश्यकता है इसके मुख्य निम्न कार्य हैं—

- भवनों का आपदा प्रुफ एवं रेड्रोफिटिंग
- रेड्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनों का निर्माण
- आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध कैनल आदि के भी स्ट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव।
- आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएं जैसे सड़क, पावर स्टेशन एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवेलाइन, आदि योजनाओं का मोनीटरिंग।
- स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण प्राथमिक उपचार केन्द्र, डॉक्टरों व सर्जनों की आवश्यकता
- ध्वस्त औद्योगिक इकाईयों की पुनर्स्थापना
- आजीविका का पुनर्स्थापना।
- आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मसवरा।

6. संचार नेटवर्क एवं जनजागृति—

किसी भी आपदा के स्थाई समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

5.5 संवेदनशीलता—

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है। लोग स्थिति स्थान समय घटना भवन आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जनसुविधाएं, आवश्यक जन सेवायें जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि भौतिक साधन है। जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

अ— मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर।

ब— पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर।

स— सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचे के साथ।

द— हल्के, लकड़ी, पत्तो आदि की झोपड़ियाँ।

अ— मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर— जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान प्रभावित क्षेत्र में आता है।

ब— पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर— जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

स— सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचे के साथ— इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द— हल्के, लकड़ी, पत्तो आदि की झोपड़ियाँ— हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियाँ, हल्के लकड़ी पत्तो आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित हैं लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम/सै. से चलती हैं तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

य— आर्थिक, सामाजिक, संवेदनशीलता—हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

5.6 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी है और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. **दृष्टिकोण—** आपदाएं समय-समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ-साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक ताक कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

राजस्थान में सूखा या अकाल की स्थिति रहती आई है जिससे बड़ी संख्या में मानव तथा पशु प्रभावित हुए हैं तथा अकाल मौत का शिकार हुये हैं। हनुमानगढ़ जिले में से घग्घर नदी गुजरती है, जो बरसात के मौसम में अक्सर ऑवरफ्लो हो जाती है, जिससे कई बार बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जानमाल का नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा यहां सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर, लू, आग आदि आपदाएं अपना प्रभाव दिखाती रहती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विषम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परन्तु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. क्षमता निर्माण हेतु योजना—

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु-आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।
- अपनी कुशलता सिद्ध कर चुके ज्ञान-आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।
- अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

— राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विषलेषण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण— जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों, अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण— समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर-सरकारी संगठनों/रेड क्रॉस एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

1. नागरिक सुरक्षा/स्वयं सेवक (समस्त विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

3. आपदा प्रबंधन की शिक्षा

1. स्कूलों— जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन-जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।
4. कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करना— समय-समय पर इन कौशल उन्नयन प्रशिक्षणों की आवश्यक जांच की जाएगी।
5. प्रशिक्षित पेशेवरों की सूची, इंजीनियर्स, वास्तुविद, Masons, चिकित्सा, बचाव विशेषज्ञ (समस्त विवरण परिशिष्ट में है)

अध्याय— 7

प्रतिक्रिया और राहत उपाय

परिचय— हनुमानगढ जिले में जैसे राजस्थान कैनाल नहर, घग्घर पलड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डिपो, घग्घर धारा पर रेलवे ब्रिज, गोगामेड़ी मेला, पंजाब, हरियाणा राज्यों का सीमांत ईलाका होने के कारण बाढ़, भगदड़, अग्निकाण्ड, भूकम्प इत्यादी घटनाएँ संभावित है, इस आपदा से निपटने हेतु गृह रक्षा हनुमानगढ द्वारा निम्न प्रकार से कानून व्यवस्था/सुरक्षा/रेस्क्यू सर्विस इत्यादि हेतु मानवशक्ति उपलब्ध है।

गृह रक्षा स्वयंसेवक:— स्वीकृत नफरी—501, ऑनरोल—496, रिक्त— 05

ऑनरोल नफरी में अन्य विभिन्न कार्यों में दक्ष स्वयंसेवकों जैसे वाहन चालक, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, बैल्डर राजमिस्त्री की सूची परिशिष्ट में संलग्न है।

आवश्यकता होने पर उक्त मैनु पावर निम्नानुसार समय में उपलब्ध करवाई जा सकती है।

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1- छः घण्टे के नोटिस पर— | 20 प्रतिशत |
| 2- 12 घण्टे के नोटिस पर— | 50 प्रतिशत |
| 3- 18 घण्टे के नोटिस पर— | 70 प्रतिशत |
| 4- 24 घण्टे के नोटिस पर— | 100 प्रतिशत |

बहु— आपदा प्रतिक्रिया योजना, तैयारी तथा मूल्यांकन

1. नुकसान तथा आवश्यकता/जरूरत का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है।
2. प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट तैयार किया जाता है।

चेतावनी —

1. पूर्व चेतावनी प्रणाली, गावो तथा जिले की बीच संचार प्रणाली— समुचित संचार का व्यवस्था की जाएगी।
2. चेतावनी का प्रसार— सरल भाषा में प्रसार, विभिन्न मीडिया स्रोतों से चेतावनी जारी करवाई जाएगी।

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचय:— आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण हैं और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। ऐसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकड़े जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रूप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते हैं और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

8.1 लघु अवधि योजना—

अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती हैं और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती हैं।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षेत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी—

1. राहत के रूप में जुटाए जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीव्रता के आकड़ों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता है।
2. कुछ क्षेत्र आपदा से ग्रस्त हैं और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा, में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबंधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बाद:—

8.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव, निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना / नौसेना / वायु सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए। सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उद्योग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय

आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें। परंपरागत रूप से, चिन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेंसियों, जो बड़ी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे हैं। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर, दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढ़ाने और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा।

8.1.3 राहत अभियान

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीड़ितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प, आग, बाढ़, दंगे, आतंकवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

8.1.4 पुनर्वास

अल्पावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के शेष कार्यों को ले जायेगा।

8.2 दीर्घकालिक योजना

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नहीं है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।
2. पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है, के स्तर का फैसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आंकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।
3. एक समुदाय, जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते हैं विस्तृत सर्वेक्षण, बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।
4. दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोष जनक आश्रय, आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्देश्य नहीं है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।
5. लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है। उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए जरूरत है, एक ही भूमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।
6. लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

अध्याय— 9

DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

1. राज्य —

राज्य बजट/प्लान फण्ड

राज्य शमन निधि

राज्य प्रतिक्रिया निधि

2. जिला

जिला प्लानिंग फण्ड

जिला प्रतिक्रिया निधि

3. आपदा जोखिम बीमा

4. बुनियादी ढांचा/आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तपोषण विकल्प

DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

10.1 तैयारी और DDMP का अपडेशन—

संगठनात्मक DDMP में दिया सुझाव निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया जायेगा:—

योजनाओं के मामले में ही काम करेंगे। जब वर्तमान संगठनात्मक ढांचा अपने आपातकालीन कर्तव्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैं तो यह काम अच्छी तरह से किया जाता है। यह सबसे अच्छा है कि आपातकाल के दौरान संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। संकट में सरकार से सबसे कम समय पर तत्काल मुलाकात की जानी चाहिए। स्थानीय योजनाओं में यदि आवश्यक हो तो पूरक, अगले उच्च अधिकार क्षेत्र से प्रतिक्रिया के लिए कह सकते हैं। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया और निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की और जोर दिया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रबंधन साझेदारी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के सभी चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। DDMP योग और जिले के सभी क्षेत्रों और उर्ध्वधर आपदा प्रबंधन की योजना का पदार्थ है। क्षेत्रीय योजनाओं में पुलिस, अग्निशमन सेवा, एमएमसी के रूप में लाइन विभागों द्वारा तैयार योजना शामिल है, और एफसी विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों और कार्यक्षेत्र की योजना, उप मंडल की योजना, सामुदायिक योजना, स्कूल योजना, अस्पताल, निचले स्तर पर आदि योजनाओं में शामिल और राज्य आपदा प्रबंधन योजना और उच्च स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है। जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी जिले के जिला आपदा प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है। पहला मसौदा योजना पर DDMC में चर्चा की जायेगी और बाद में DDMC अध्यक्ष इसमें सुधार हेतु सुझाव देंगे।

योजना के दस्तावेज को अद्यतन करने में एक ही प्रक्रिया का पीछा किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अपडेट किया जा रहा है। दस्तावेज को अद्यतन करने के लिये, सभी क्षेत्रीय और उर्ध्वधर योजनाएं एकत्र की हैं और जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) को शामिल किया जाएगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) में से प्रत्येक अपडेशन के बाद, एक संस्करण संख्या क्रमानुसार दी जाएगी। अद्यतन दस्तावेज की प्रति जिले में आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितधारक को परिचालित की जाएगी।

10.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का रेगुलर अपडेशन—

DDMP को अद्यतन करने की उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा, एक नियमित रूप से डेटा संग्रह प्रणाली जिले के आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इओसी) में स्थापित किया जाएगा और सत्यापित डेटा अध्यक्ष, DDMC की देखरेख में प्रभारी ईओसी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

10.3 पोस्ट आपदा मूल्यांकन तंत्र—

आपदाएं हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। प्रत्येक आपदा मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान का कारण बनती है, और हर आपदा के लिये एक विशेष अंतराल के बाद दोहराता है। इसके अलावा एक विशेष आपदा से सबक सीखकर किसी संभावित खतरे के लिये योजना बनाने में मदद मिलेगी।

DDMC अध्यक्ष आकार और सुरक्षा की एक विशेष आपदा पर ध्यान दिये बिना डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। इस पोस्ट में आपदा मूल्यांकन तंत्र को अच्छी तरह से क्रॉसचेकड और आगे के संदर्भ के लिए ईओसी में प्रलेखित किया जाएगा। योग्य व्यवसायों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं और एकत्र आंकड़ों के साथ स्थापित किया जाएगा। इस दस्तावेज को उचित ध्यान में रखते हुये राहत और पुनर्वास उपायों के साथ किया जाएगा।

10.4 विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय—

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। और जितनी जल्दी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरूरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग-2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रूप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निपटने के लिये ज्यादातर मामलों में शामिल किया जाना है। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बड़ा मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रृंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रूप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में मल्टी सर्विस भागीदारी के लिये जरूरत की सराहना कर सकते हैं।

10.5 निष्कर्ष—

जिला स्तर के विभिन्न विभागों को विभिन्न गतिविधियां सौंपी गई है। इन विभागों की विभागीय नियमावली नीचे अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारियां रखना, आपदाओं को रोकने के लिये और एक आपदा की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया गतिविधियों की शुरुआत के लिए जिम्मेदारियों को भी शामिल किया है। हालांकि, इस योजना की जिम्मेदारियों को संबधित विभागीय मैनुअल में निर्धारित करने के लिए सीमित नहीं है। यह एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। विभिन्न संसाधन संग्रहनों के अधिकारियों को आपदा की स्थिति या एक आपदा के खतरे में अपने दम पर कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वे निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट और ईओसी कार्यवाही के बारे में सूचित उनके द्वारा लिया गया था और उच्च अधिकारी से निर्देशों के अनुसार तुरंत कार्य करने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। एक आपदा की स्थिति में, एक त्वरित राहत एवं बचाव मिशन के लिए आवश्यक है। हालांकि आगामी नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है, तो पर्याप्त तैयारियों के स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में, यह अतीत में देखा गया है, कि जब कभी ध्यान पर्याप्त तैयारियों के उपाय करने के लिए भुगतान किया गया है, जीवन और संपत्ति को नुकसान काफी कम हो गया है।

DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1 आपातकालीन सहायता कार्य (ESF)

आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) विभिन्न पहचान की प्रतिक्रिया टीम है, जो किसी भी आपात स्थिति से पहले अपनी ताकत का आकलन करेंगे और उसके अनुसार उनके मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेंगे, किसी भी आपदा को कम करने के लिए कर रहे हैं। उनकी अच्छी तरह से तैयारियों में किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इन आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) कुछ जरूरत के अनुसार पहचान की जायेगी ऐसे ESF चेतावनी (संचार) ESF –सड़क, मलबे निकासी ESF –राहत आदि इसलिए आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने के रूप में किसी भी आपदा के दौरान महसूस किया कार्य होता है।

(ESFs) का एक प्रभावी संचालन प्रणाली के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

—व्यक्तिगत ESFs उनका मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी और योजना तैयार करना होगा।

—इन योजनाओं को जिला रिस्पॉन्स योजना के फॉर्म करने के लिए एकीकृत किया जाएगा

—समय समय पर प्रत्येक ESF सिमुलेशन व्यायाम (मॉकड्रिल)का अभ्यास उनकी lacunas समझने के लिए होगा।

—वे नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया प्रणाली को अद्यतन करने के लिए है।

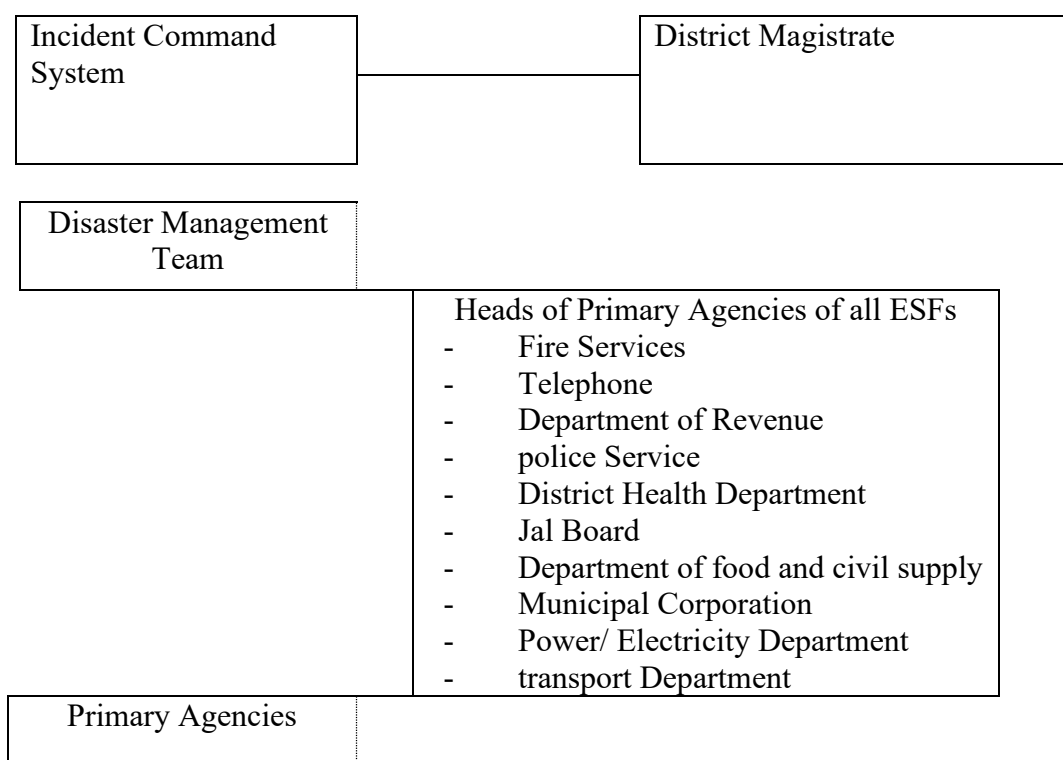
एक पुल राज्य, जिला स्तर और ऑनसाइट स्तर की इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों के बीच एक सूचना के आधार पर समर्थन करने के रूप में कार्य करने के लिए, वहां एक जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होने के लिए है और जमीनी स्तर से जानकारी इकट्ठा करने के लिए परिचालन हो रहा है, जिला स्तर के साथ ही राज्य स्तर के रूप में।

आपातकालीन सहायता कार्य ,अपने दल के नेताओं और समर्थन एजेंसी की सूची निम्न तालिका में जानकारी दी जाती है:—

ESF	Function	Team leader	Participation agencies
ESF1	Coordination	Distrist magistrate	Dig/SSP,ADMcity, nagar parished special officer,special officer district fire officer, chief medical officer,Dist supply officewr,city magistrate RTO, Executive Engineer, PWD , District information officer, Civil defence, Home guards and all other relevent departments
ESF2	Communication	SSP	ham radio operator clubs,Existing wireless operators(police,fire,revenue) Telecom dept, mobile operators, FM radio Doordarshan radio
ESF3	Debris clearance	Municiple commissioner	nagarparished,Forest officer, PWD NCC, Zila sanik Board Nearst army cant

ESF4	information dissemination	VC-MDA	NGO, Emergency operation centre, Media, NSS, scout & guide, education department
ESF5	Emergency Medical response	CMO/CMS Health	civil hospital, nagar parished, blood bank, red cross society, Nursing home, lion clubs, ambulance service, medicine stokist
ESF6	Evacuation(sea rch & rescue)	Chief fire officer	Fire service, police officer cum dog handler, civil defence, home gaurd, health, NCC, NSS, Zila sanik Board Nearst army cant
ESF7	Relief	ADM (relief)	District Supply officer, Food corporation of india, Local civil supply
ESF8	Electricity water Transport	ADM (city)	DM office, Police(traffic), Transport Dept, Public Health Engineering, Water Resource, PWD(Roads)
ESF9	Law and order	ADM (city)	SDM, ADDi.S.P., Home Guards, Other paramilitary agencies

11.2 जिला स्तर पर ESF संगठन सैटअप—



Secondary Agencies

These are the agencies coordinates under various ESFs as per their secondary functions and abilities

11.3 जिम्मेदारियां और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्य—

1. समन्वय—

टीम लीडर: जिलाधिकारी

भाग लेने वाली एजेंसियां—एसएसपी(एफ/आर), एडीएम (कानून और व्यवस्था), नगर निगम, एमडीए, जिला अग्निशमन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, डीटीओ, युवा सह-समन्वयक, इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अन्य संबंधित विभाग।

किसी भी आपदा की प्रत्याशा में जिला प्रशासन विभिन्न ऐहतियाती कदम उठाएगा। नियंत्रण कक्ष, नदी और नहर तटबंधों में पिछले उल्लंघनों के बंद होने के कामकाज और कमजोर अंक, बारिश रिकॉर्डिंग और वर्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गेज पढ़ने का संचार, बाढ़./ चक्रवात क्षेत्रों के कामकाज, शक्ति, नौकाओं की तैनाती, अस्थाई वीएचएफ स्टेशनों, टेलिफोन लाइनों की व्यवस्था, खाद्य सामग्री के भंडारण, जल निकासी, पशु चिकित्सा के उपाय, बाढ़./चक्रवात में आश्रयों का चयन आदि के लिये ठीक से व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी। विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों को आपदा के दौरान अपने कर्तव्यों से अवगत करवाया गया है।

2. संचार—

टीम लीडर: एसपी, हनुमानगढ़

एजेंसियां— हैम रेडियो ऑपरेटर क्लब, वायरलैस ऑपरेटरों, दूरसंचार विभाग मोबाइल ऑपरेटरों, एफ एम रेडियो, रेजीमेन्ट सेना, दूरदर्शन, रेडियो।

विभागीय योजनाएं—

दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक आपातकालीन संचार योजना माध्यमिक सहायक एजेंसियों की सहायता से कार्यात्मक अवधारणा का समर्थन करने के लिए विकसित करना होगा।

अत्यावश्यकता:—

यह संभव है कि टेलीफोन सेवा भुकम्प में बहुत बुरी तरह से बाधित हो जायेगी, टेलीफोन प्रणाली के सभी घटक समान रूप से प्रभावित हो जायेगें, लेकिन शुरू में भूमि आधारित घटकों की विफलता कुल प्रणाली की विश्वसनीयता की एक सामान्य विफलता का कारण होगा। टेलीफोन प्रणाली को धीरे- धीरे सुधार करके प्राथमिकताओं के अनुसार सेवा में वापस लाया जाता है।

इस कार्य में केवल आपातकालीन संचार आवश्यकताओं तक सीमित है, जैसे आपदा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संचार बहाली दूरसंचार विभाग के आपातकालीन कार्यों के एक भाग के रूप में है।

तत्काल कार्य—

- नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट का संग्रह
- राज्य/ देश के बाकी हिस्सों के साथ संचार की स्थापना के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति
- क्षेत्र में प्रमुख अधिकारियों की स्थिति

— राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के रूप में अच्छी तरह से राहत केंद्रों के साथ रेडियो संचार स्थापित करना

प्रारंभिक कार्रवाई—

— प्रभावित क्षेत्र के भीतर परिचालन दूरसंचार सुविधाओं को पहचानें

— प्रभावित साइट के लिये दूरसंचार सुविधाओं को ले जाने के लिये आपातकालीन परिचालन सेवायें

स्थापित करना

— उनकी सुविधाओं के पुनर्निर्माण की दिशा में निजी दूरसंचार कंपनियों के वास्तविक और सुनियोजित

कार्रवाई को पहचानें।

3. मलबा मंजूरी—

टीम लीडर: नगर आयुक्त

एजेंसियां— नगर निगम, लोक निर्माण विभाग(सड़क एवं भवन निर्माण), विद्युत बोर्ड, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जल बोर्ड

तत्काल कार्य—

— सभी तकनीकी अधिकारियों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिये अधिसूचित किया जाएगा

— आवश्यकताओं की बचत व जीवन को बचाने के लिये संसाधनों के संचालन का प्रावधान करना

— सभी सड़कों, नींव और खम्भों के नीचे पानी के निरीक्षण सहित पुलों का निरीक्षण

— पारगमन और राहत शिविरों, केंद्रों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिये स्थानों की पहचान करने में जिला मजिस्ट्रेट की मदद करना

— तैयार पृथ्वी की चेन, केबल के साथ उपकरण, क्रेन, ट्रैक्टर की मांग और ईंधन के बफर स्टॉक की व्यवस्था

— सड़कें जो अस्पताल और मुख्य सड़कों के लिये खोला जाएगा, की प्राथमिकता सूची तैयार करना

— राहत शिविरों और आपदा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा के लिये अस्थाई पारगमन के लिये उपयोग के लिये अस्थाई सड़कों का निर्माण

— संभावित तकनीकी नुकसान का आकलन

— तोड़फोड़, मलबे के मार्ग निकासी आदि

4. सूचना प्रसार—

टीम लीडर— पीअरओ

— आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकट्ठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है। राहत, पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था, जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बड़ी आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

— मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।

— जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन करती है।

5. इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स —

टीम लीडर— सीएमएचओ

ऐजेंसियां— नगर निगम, ब्लड बैंक, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, निजी अस्पताल, एनएसएस, रोटरी क्लब, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा Stockiest

आवश्यकता— एक गंभीर आपदा में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली शायद किसी अन्य तरीके से अधिक इसके प्रभाव की विशेषता है। वहां कई घायल व्यक्तियों के होने की संभावना, चोट के प्रकार, मलबे के नीचे फंसे जाने में तत्काल अस्पताल देखभाल की आवश्यकता है। एक ही समय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिये आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है।

— सभी राज्य और जिला स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है कि घायलों के लिये आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये जुटें। गंभीर रूप पे घायलों को अस्पताल में निरंतर देखभाल,

— एक स्थान, जहां बीमार और घायलों की देखभाल की जा सके वहां के लिये धायलों की निकासी,

— आम जनता की शिक्षा के माध्यम से महामारी की रोकथाम

— चिकित्सा की आपूर्ति, रक्त और रक्त उत्पादों के वितरण के लिये राज्य स्तरीय समन्वय, एंबुलेंस सेवाओं का संचालन

— महामारी के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत।

— स्वास्थ्य विभाग के कुछ सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब भी जरूरत, रोगियों को शिफ्ट करने के लिये है, प्रत्येक वार्ड में आम जनता के प्राथमिक चिकित्सा और डिस्पेंसरी, रक्त, पट्टी, कपास, बेंजीन, डेटॉल और जीवन रक्षक दवाओं/ इंजेक्शन की एक आरक्षित स्टॉक बनाए रखना चाहिये, के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्य—

— जिले के लिये नोडल स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करना

— सुनिश्चित करें कि जिले के भीतर काम कर रहे कार्मिक, जिला नोडल अधिकारी के सीधे नियंत्रण में आते हैं

— आपातकालीन रोगी के लिये कपड़े, मोबाइल अस्पताल, उपकरण आदि तैयार रखना,

— रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के लिये भाग लेने, आवश्यक रूप में जहां स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जहां निजी क्षेत्र की दवा की दुकानों से काम बंद हैं में आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का विस्तार, आदि।

6. निकासी (खोज एवं बचाव)—

टीम लीडर: मुख्य अग्निशमन अधिकारी

ऐजेंसियां— जिला मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सार्व0 निर्माण विभाग, फायर सर्विस, पुलिस अधिकारी सह डॉग हैंडलर, नागरिक सुरक्षा, हॉमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, जिला सैनिक बोर्ड, निकटतम सेना टुकड़ी.

आवश्यकता—

शहरी क्षेत्रों में इमारतों के ढहने, आग आदि में सेना के बूते बचाव स्थितियों को हल करने में शामिल हो सकते हैं। इन स्थितियों में व्यापक मलबे में, जहां स्पष्ट पता नहीं चलता, तो बचाव की विशेष जरूरत है। कुछ बचाव स्थितियों में फंसे लोगों को निकालने में भारी वस्तुओं को ले जानें में कटौती की जानी चाहिये, शायद टनलिंग तकनीक की जरूरत हो

सकती है। अक्सर जहां ऐसे हालात हों, वहां अन्य विशिष्ट कौशल जैसे प्राथमिक उपचार के परे ऑन दृश्य चिकित्सा देखभाल के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्य:

- घायल लोग हैं, जो क्षतिग्रस्त भवनों और अन्य संरचनाओं के मलबे में फंसे हों का पता लगाएं
- क्षतिग्रस्त भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाएं
- ऑन साईट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये ढही संरचनाओं से मृत को हटाने में सहायता
- खोज और भारी बचाव दल को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिये कि कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मियों की टीम उसके सहायकों के द्वारा पीछा के आदेश में रहता है। इसके अलावा वहां एक सर्जन, एक संरचनात्मक इंजीनियर, एक रसद व्यक्ति, खोजी कुत्ते और मजदूर आदि जैसे विशेषज्ञों के साथ एक जिला समन्वयक टीम हानी चाहिये।
- भारी बचाव समूह, भारी उपकरण समूह, सहायक बचाव समूह आदि तैयार रखने चाहिये।

7. राहत—

टीम लीडर— एडीएम (एफ/आर)

एजेंसियां: जिला आपूर्ति अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, चैंम्बर्स ऑफ कॉमर्स, स्थानीय नागरिक आदि

आवश्यकता:—

इस आपातकालीन स्थिति में अस्थाई आश्रय, आपदा के शिकार लोगों के लिये समन्वित राहत सामग्री के थोक वितरण के प्रावधान शामिल है। जिले में एक गंभीर आपदा आश्रय और भोजन की जरूरत में लोगों की एक बड़ी संख्या छोड़ देगा, परिवार के सदस्य अलग हो सकते हैं और जीवित बचे लोगों के बारे में जानकारी के लिये भारी मांग हो जाएगी। कई लोगों को तत्काल भावनात्मक समर्थन और संकट परामर्श की आवश्यकता होगी, हालांकि इमरजेंसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिये प्राथमिक जिम्मेदारी, जिला प्रशासन और नगर पालिकाओं के साथ टिकी हुई है।

तत्काल कार्य—

- रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन पर राहत सामग्री की आवाजाही के लिये अलग-अलग बिंदुओं पर लामबंदी केन्द्र की स्थापना,
- आपदा की घटना के 2-3 घंटे के भीतर राहत सामग्री तैयार रखने के लिये आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करें
- राहत सामग्री के परिवहन के लिये व्यवस्था
- राहत शिविरों की स्थापना करने के लिये बिल्डिंग, फर्नीचर, स्थानीय कार्यालय आदि जुटाने में सहायता करें।
- आपदा में शामिल परिवारों का पंजीयन, पीड़ितों के ठिकाने के विषय में रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ का जवाब देने, अलग परिवार के सदस्यों का पुनर्मिलन और Evacuees की संख्या पर प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना
- भोजन, गर्म पेय और स्नैक्स से स्वास्थ्य की रक्षा के लिये, प्रतिक्रिया कर्मियों की ताकत बनाए रखने के लिये और पीड़ितों को आश्वस्त करने के प्रावधान।

8. बिजली और जल आपूर्ति—

टीम लीडर: एडीएम (सिटी)

एजेंसियां— डीएम कार्यालय, पुलिस (ट्रेफिक), परिवहन विभाग, पीएचईडी, सार्व0 निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन

प्राथमिक कार्य:

- सभी स्तरों पर और सभी नोडल सहायता एजेंसियों के लिये चिकनी परिवहन लिंक सुनिश्चित करें
- अन्य राज्यों से सहायता के लिये बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को नुकसान का आकलन
- प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर बिजली वितरण प्रणाली की बहाली में खोज और बचाव कार्य में मदद करना
- जीवन रक्षक इमारतों में बिजली उपलब्ध कराना
- स्वच्छ पेयजल की खरीद
- सीवरेज पाईप, पेयजल से अलग रखा जाए।

9. कानून एवं व्यवस्था–

टीम लीडर: एडीएम (सिटी)

एजेंसियां– एसडीएम अपर, एसपी, होमगार्ड, अर्धसैनिक एजेंसियां

कानून और व्यवस्था की दिनचर्या में पुलिस की गतिविधियों की एक व्यापक रेंज है। यदि आवश्यक हो तो कानून और व्यवस्था की बहाली के लिये वहां सामान्य रूप से पालन करने वाला Law होना चाहिये। प्रतिक्रिया समारोह कानून और व्यवस्था की गतिविधियों के रखरखाव के अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में हो।

संभावना मौजूद है कि एक भूकम्प, जेल या सुधार केंद्रों पर भौतिक सुरक्षा का उल्लंघन का कारण है और एक आंतरिक दंगा या भागने की संभावना को जन्म दे सकती है।

तत्काल कार्य:

- जान बचाने और चोट या संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिये किसी भी आवश्यक कार्यवाही के लिये बाहरी मदद लेना
- मार्ग नुकसान का आकलन करने, योग्य आपातकालीन मार्गों की पहचान की अनुमति ली जाए
- आकलन और क्षमताओं के भीतर अन्य नुकसान की रिपोर्ट
- लोगों की मृत्यु के कारणों की जांच में सहायता, शरीर मचान क्षेत्रों की सुरक्षा, शव की पहचान
- आपातकालीन सूचनाओं के प्रसार में सहायता
- समन्वय केंद्रों की मैपिंग और उन्हें तत्काल रेडियो संचार का प्रावधान हो।

11.4 सामुदायिक टास्क फोर्स (सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी आदि) के लिये एसओपी–

Task Force Group	Primary	Secondary
Search and Rescue	To trace and locate people who are physically traooed and distressed, people in the buldings and houses etc. To move out these people to the safe locations indentified in advance and to organce futher care.	Administering primary health care to rescued victims. Assisting the sanitation group in carcass disposal and the cremation of dead bodies. cordinatiion with the evacuation teamto shift rescued persons to safe shelters in case of recurring heavy rains.

First Aid and Health	To provide primary health care to the ill or injured until more advanced care is provided and the patient is transported to a hospital.	Assisting the sanitation team to inoculate against water borne and other diseases. Assisting the communication team to disseminate precautionary information on post-disaster health hazards and remedies.
Water	Restoring and maintaining the water supply and minimum quality and quantity parameters.	Assisting the sanitation team in ensure that there is enough water stored in buckets at latrines and for bathing. Assisting the sanitation team in deciding the location for the construction of latrines away from ground water sources. Assisting the shelter group to ensure that there is sufficient water stored in the water tank in the safe shelter.
Sanitation	To ensure that the minimum basic facilities such as temporary toilets and common bathing units are constructed near the relief camp, that these facilities and the surroundings are kept clean, garbage disposed, dead bodies cremated and that normal drainage systems function smoothly.	Assisting the shelter team to ensure that water spouts and water harvesting tanks at the safe shelter are clean and functional. Assisting the relief group to ensure that containers for storing water are clean, narrow necked and covered.
Relief Coordination	To establishing contact with the District Control Room and organising the distribution of assistance in teams of food, water, medicines and so on, in a fair and equitable manner.	Co-ordinating with the shelter group in the distribution of material for the construction of temporary shelters. Assisting the shelter group to ensure that the safe shelter is well stocked in terms of dry food, water and so on in order to cater for the needs of evacuees after a cyclone or flood warning has been issued.
Warning and communication	To ensure that: (a) the warning of the impending disaster reaches every single household, thereby allowing people to take timely action to protect their lives and property (b) accurate information is provided regularly as events unfold (c) information flows quickly and reliably upwards to District level to Community/Neighbourhood/Village level.	Assisting the relief group in disseminating information about the quantity and type of ration to be distributed for each distribution cycle. Assisting the sanitation group in raising awareness about water borne diseases and vaccination programs.

Evacuation and Shelter Management	To construct/ identify maintain and make repairs to the flood shelter, to evacuate people on receipt of a warning and to make all the necessary arrangements to accommodate evacuees during a flood.	Assisting the Communities in accessing compensation. Assisting the relief group in stocking up dry food, medicines, water and temporary shelter materials. Assisting the sanitation group in the construction of latrines, soak pits and drainage channels.
---	--	---

SOP— मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन

12.1.1 जिला प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

जिलाधिकारी के निर्देशन पर्यवेक्षण और आपदाओं के लिए और जिला स्तर की योजना की तैयारी के लिए राहत उपायों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु होंगे। जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों से अधिक समन्वय और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। आपदा शमन या राहत के लिए वास्तविक संचालन के दौरान सभी कलेक्टरों की शक्तियों/डीसीएस काफी बढ़ा रहे हैं, आम तौर पर इस विषय पर निर्देश या आदेश कड़े हो कर, या द्वारा विशिष्ट सरकारों का आदेश है, यदि ऐसा है तो जरूरी है। कभी कभी संबधित राज्य परमिट के प्रशासनिक संस्कृति, हालांकि अनौपचारिक रूप में कलेक्टर उच्च शक्ति आपात स्थितियों में प्रयोग करने के लिए निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जिला मजिस्ट्रेट जिले, अर्थात सेना, वायु सेना और जल संसाधन आदि के बचाव में जिला प्रशासन और राहत कार्यों के प्रयास के पूरक के मंत्रालय में राज्य, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथनिकट सम्प्रक बनाए रखना होगा। जिला मजिस्ट्रेट भी गैर सरकारी ऐसी स्थितियों में काम करने में सक्षम संगठनों को जुटाकर सभी स्वेच्छक प्रयासों में समन्वय करेगा।

आपदा के समय में कर्तव्य

- दर्शनीय स्थलो पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण की रोकथाम, लूटमार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि बचाव वाहनों की मुक्त आवाजाही हो सके।
- लोगो की निकासी
- शवों के निपटान की व्यवस्था
- घायलो के लिए चिकित्सा व्यवस्था
- भोजन एवं पानी की लाइनों की आपूर्ति
- टेंट, धातु शेड की तरह अस्थायी आश्रय
- संचार और सूचना तंत्र की अहाली
- परिवहन मार्गो को बहाल करना
- नुकसान और क्षतिग्रस्त क्षेत्रो का आकलन करना
- महिला प्रतिनिधियों की योजना, निर्णय लेने कार्यान्वयन और मूल्यांकन

12.1.2 पुलिस के लिए कार्य योजना

- आपातकालीन सेवाओं के साथ संयोजन के रूप में जीवन की बचत
- आपातकालीन सेवाओं और अन्य संगठनों की समन्वय
- यातायात और भीड़ पर नियंत्रण कोलेशन और अनुकरणीय जानकारी के प्रसार
- पीड़ितों की पहचान, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की बहाली

प्रवेश और भीड़ नियंत्रण

जब भी किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो पुलिस प्रशासन को उस क्षेत्र को अपने घेरे में लेकर उस क्षेत्र में भीड़ पर नियंत्रण करेगी और वहा पर पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल यातायात व्यवस्था को सुधारेगी ताकि आपातकालीन सेवाओं के वाहनो को साइट तक पहुंचने के लिए कोई बाधा का सामना न करना पड़े। जिससे फायर बिग्रेड, एंबुलेस और अन्य आपदा से संबधित वाहन भी उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपदा से प्रभावित लोगो को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था करेगी।

खोज, बचाव और निकासी

आपदा के दौरान पुलिसकर्मी उस प्रभावित स्थान पर पहले पहुंच कर आपातकालीन सेवा कर्मियों के आने तक साइट से हताहतों की संख्या को कम करना चाहिए। अन्य सेवाओं और बचाव तथा निकासी के संचालन में स्थानीय प्राधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे।

दृश्य नियंत्रण और कानूनी कर्वाइ-

यह महत्वपूर्ण है कि किसी बड़ी घटना के आसपास के क्षेत्र को दृश्य के लिये संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि पीड़ितों की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। आपदा के दौरान चोरी, लूटपाट आदि के कारण प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण होना चाहिये।

यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये जिला या हादसा कमांडर के नियंत्रण में सुदृढ़ीकरण के लिये जल्दी कर्वाइ करने की आवश्यकता है।

वीआईपी दर्शक-

आपदा के समय वीआईपी के द्वारा दर्शन से जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ा सकती है। यह देखा गया है कि मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभाओं, स्थानीय पार्षदों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं आदि के लिये आपदा के दृश्य का दौरा करने और सार्वजनिक चिंता जाहिर करने से घायलों का मनोबल बढ़ता है। कभी कभी आपदा साइट के लिये अपनी यात्रा पर प्रतिकूल बचाव कार्य प्रभावित होने की संभावना रहती है, खासकर अगर हताहत अभी भी फंसे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके दर्शन, बचाव और जीवन को बचाने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। आपदा प्रतिक्रिया के समन्वयक के रूप में, उन्हें जमीनी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। हालांकि इस मामले में यात्रा से बचना असंभव हो जाता है, अतः इसे दर्शन के समय ठीक करना चाहिये। उनकी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त जरूरत भी समस्या का एक कारण होगा।

स्वागत केन्द्र-

आपदाओं के हाल के अनुभव से पता चला है, अगर उनका मानना है कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रभावित किया गया हो सकता है, यह संभव है कई लोग ऐसी यात्रा टर्मिनल के रूप में दृश्य के लिये या बैठक के अंक के लिये करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिये आवश्यक एक स्वागत केन्द्र स्थानीय प्राधिकारी और वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य संगठनों का संबंध है और पुलिस, स्थानीय प्राधिकारी और तैयार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्टॉफ के साथ परामर्श पुलिस द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये। एक आपदा में प्रभावित लोगों की पूरी संभव जानकारी enquirers को दी जानी चाहिये। सामान्य पूछताछ के लिये यह सबसे अच्छा विशिष्ट स्रोत है। दोस्तों और रिश्तेदारों को गहन चिंता, सदमे या दुःख महसूस हो सकता है, अतः सहानुभूति और समझ के साथ इलाज किया जाना चाहिये। स्वागत केन्द्र को देखकर बिन बुलाए मीडिया प्रतिनिधियों या दर्शकों द्वारा परेशान किया जा रहा हो तो उन लोगों को अंदर आने से रोकना चाहिये।

12.1.3 फायर सर्विस के लिये कार्य योजना-

- फायर सर्विस के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।
- साइट पर, संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिये स्थानीय स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जाएगा ताकि खोज और बचाव अभियान में भारी घने क्षेत्रों, बड़े भवनों, सामुदायिक केन्द्र, होटल, अस्पताल, सार्वजनिक इमारतों में एक उचित माध्यम से जगह ले सकें और किसी भी अन्य क्षेत्र की बड़ी भीड़ को नियन्त्रित किया जा सके।
- घायल लोगों को अत्यंत सावधानी से क्षतिग्रस्त भवनों से बाहर रखा जाना चाहिये।
- महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि वे अधिक प्रभावित हैं और किसी भी आपात स्थिति में असहाय होने की संभावना रहती है।

12.1.4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के लिये कार्य योजना-

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- नोडल अधिकारी ईओसी तक पहुंचने और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- समर्थन और कानून व्यवस्था के लिये हादसा कमान प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित कर खोज और बचाव व औसत दर्जे प्रतिक्रिया और ट्रौमा काउंसलिंग
- क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो चुकी संरचनाओं का पता लगाएं और प्रभावित लोगों को बचाएं।
- महिलाओं और बच्चों के समूहों के लिये विशेष देखभाल करना
- मेडिकल टीम के साथ प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में मदद करना

12.1.5 नगर परिषद के लिये कार्य योजना—

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- भारी आरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।
- मलबे और सड़क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।
- जेसीबी, टोस जरूरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
- सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना होने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरू करने हेतु मुलाकात करेंगे।
- सभी समर्थक एजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड़क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।
- आपदा पीड़ितों के लिये अस्थाई पारगमन और राहत शिविरों और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग के लिये काम करेंगे। अस्पताल में पीड़ितों के लिये खान-पान केन्द्रों की स्थापना
- प्रत्यक्ष और उपकरण सहायता, राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर सम्पर्क करेगा।

12.1.6 सार्व0 निर्माण विभाग के लिये कार्य योजना—

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- भारी आरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।
- मलबे और सड़क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।
- जेसीबी, टोस जरूरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
- सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना होने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरू करने हेतु मुलाकात करेंगे।
- सभी समर्थक एजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड़क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

- पीडब्ल्यूडी भी उचित लाश निपटान सुनिश्चित करने और चिकित्सा प्रतिक्रिया पर ESF के साथ समन्वय करेगा।
- अस्थाई सड़कों का निर्माण करेगा।
- सभी पक्का और unpaved सड़क, धार metaling सहित पट्टी और सतह की मरम्मत का कार्य।

जल बोर्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- पानी की लाईन की क्षति और प्रदूषण का त्वरित आंकलन।
- पानी के टैंकों की आपूर्ति
- प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती, मरम्मत और पानी की आपूर्ति लाइनों को बहाल करना

12.1.7 जल निकासी के लिये कार्य योजना एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग–

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- QRTs पानी की आपूर्ति के लिये दल के नेता के साथ समन्वय स्थापित करेगा
- QRTs बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिये समन्वय स्थापित करेगा
- QRTs ईओसी के लिये स्थिति और कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट देगा

12.1.8 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
- सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाई:

- राहत सामग्री की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ESFs के साथ समन्वय
- प्रभावित लोगों के लिये मुफ्त रसोई की सतत् व्यवस्था करना
- साइट राहत शिविरों में रिपोर्ट करना
- प्रभावितों को खाद्य सामग्री के वितरण का प्रबंध करना
- कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट ईओसी पर देना

12.1.9 परिवहन विभाग के लिये कार्य योजना–

- निकासी में मदद करना
- प्रभावितों को झोंपडियां प्रदान करने में नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे
- प्रभावित क्षेत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये एजेंसियों से अनुरोध और समर्थन

12.1.10 दूरसंचार विभाग–

- बीएसएनएल संचार सुविधाओं की बहाली के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

- बीएसएनएल, जानकारी के निर्बाध प्रवाह के लिये प्रतिक्रिया के प्रयासों में राज्य सतर पर संवेदनशील ढंग से आउटरीच को पुरा करेगा
- दल का नेता आपातकालीन मरम्मत टीमों के लिये आवश्यक उपकरण, टेंट और भोजन के साथ सुसज्जित प्रेषण हेतु जाएगा
- अन्य सहायता एजेंसियों अथवा निजी टेलिफोन ऑपरेटरों को समिति से संवाद करेगा
- निजी दूरसंचार कंपनियों के लिये कार्यवाही की एक योजना पर काम करेंगे और बैठक बुलाने पर चर्चा करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना
- सार्वजनिक ओर इस बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से घोषणा हेतु टेलिफोन की सुविधा स्थापित करना
- की गई कार्यवाही से जिले के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों को सूचित करना

12.1.11 हैम रेडियो ऑपरेटरों के लिये कार्य योजना—

- हैम क्लबों को सूचित करें, अन्य भागों से व्यक्तियों, जिला, राज्य
- जितनी जल्दी हो सके एक हैम संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये अपने सदस्यों को सक्रिय करें
- महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साझा करने के लिये समन्वय तंत्र
- मुख्य संचार संपर्कों तथा वैकल्पिक संचार नेटवर्क के सेट के रूप में बहाल करना

12.1.12 स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कार्य योजना—

रिस्पांस एक्टिवेशन:

- नोडल अधिकारी समर्थन एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे
- ESF के साथ समन्वय में, यह चिकित्सा पेशेवरों और सहायकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करेगा
- मदद तर्ज पर ESF की मदद से अस्पतालों में अस्थाई सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करेगा

की जाने वाली कार्यवाही:

- आवश्यक दवाइयां, टीके, मलहम, दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक
- रोगी की देखभाल के लिये प्रणालीगत दृष्टिकोण प्रदान करें।
- सभी रोगियों का इलाज कर इनका रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रेकिंग प्रणाली को अपनाए।
- मोबाइल अस्पताल की तैनाती की जाये
- QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबंधित ईओसी एस को टीम द्वारा रिपोर्ट करेंगे
- QRTs प्रभावित पीड़ितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.13 रेड क्रॉस सोसायटी के लिए कार्य योजना

रिस्पांस एक्टिवेशन

- नोडल अधिकारी QRTs को सक्रिय करेंगे
- चिकित्सा पेशेवरों और सहायकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त दवाएं और आवश्यक सामग्री के साथ साइटों तक पहुंचने के लिए मदद करना
- मदद तर्ज पर ESF की मदद में अस्पतालों में अस्थायी सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करें।

की जाने वाली कार्यवाही

- एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना
- स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था
- गम्भीर रूप से घायल पीड़ितों के प्रबंधन के लिए तैयार सभी अस्पतालों में मदद करने के लिए
- आवश्यक दवाइयां, टीके, मलहम, दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए

- मोबाइल अस्पतालों की तैनाती के रूप में आवश्यक
- QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबंधित ईओसी एस को टीम द्वारा रिपोर्ट करेंगे
- QRTs प्रभावित पीड़ितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.14 चुने हुए गैर सरकारी संगठनों/आरडब्ल्यूए और एनवाईकेएस के लिए कार्य योजना प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में उभरते रुझान आपदा प्रबंधन एजेंसियों और प्रभावित समुदाय के बीच एक कुशल संचार लिंक प्राप्त करने का सबसे प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में एक गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला है ठेठ आपदा की स्थिति में, वे निगरानी और प्रतिक्रिया में तैयारियों राहत और बचाव पुनर्वास और पुनर्निर्माण में मदद की हो सकती है और यह भी।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा प्रबंधन में एक संभावित प्रमुख तत्व है। के रूप में वे समुदाय की भागीदारी को लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों पर एक बढ़त हासिल कर गैर सरकारी संगठनों जमीनी स्तर पर काम कर रही एक उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि एनजीओ सेक्टर समुदाय के आधार के साथ मजबूत संबंधों की है और प्रक्रियात्मक मामलों तुलना –ए– पिज सरकार में काफी लचीलापन प्रदर्शन कर सकते हैं

गैर सरकारी संगठनों कह गतिविधियों का आयोजन/आरडब्ल्यूए/एनवाईकेएस/आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में

Stage	Activity
Pre-Disaster	Awareness and information, Training of local volunteers, Advocacy and planning
During disaster	immediate rescue and first aid, including psychological and supply of food, water, medicines and other immediate need materials ensuring sanitation and hygiene damage assessment
Post Disaster	Technical and material aid in reconstruction assistance in seeking financial aid monitoring

Annexure

परिशिष्ट-1: जिला प्रोफाईल-आपदाओं का इतिहास

1.1 हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति-

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के उत्तरपश्चिम छोर पर हनुमानगढ़ जिला उतरी क्षेत्र में 29°.5' से 30°.6' अक्षांश पर है। यह सात पंचायत समितियों एवं सात उपखंड क्षेत्रों में विभक्त है। जिले का 40 प्रतिशत भू-भाग नहरी तथा 60 प्रतिशत भू भाग मरुस्थलीय है। इसका कुल क्षेत्रफल 970315 हैक्टेयर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 1779650 है। जिसमें से 1428884 ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अनु. जाति की जनसंख्या 494189 व 14289 अ.ज.जा. कुल अनु.जाति/जनजाति की जनसंख्या 508478 (28.57 प्रतिशत) है। 80 प्रतिशत जनसंख्या के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि व पशुपालन है। जिले का साक्षरता प्रतिशत 68.37 है। जिले के 70 प्रतिशत भूभाग में भूमिगत जल खारा है। जिले में एकमात्र नदी घग्घर नदी प्रवाहित होती है। यह मौसमी नदी है।

1.2 क्षेत्रफल – वन क्षेत्र वर्ष 2022–23 (हैक्टर में)

क्र.सं.	नाम वन मंडल	आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1.	हनुमानगढ़	0	11324.66	12621.34	23946.00
	योग	0	11324.66	12621.34	23946.00

1.3 जनसंख्या :-

क्र.सं.	वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग	कमी/वृद्धि
1.	1991	645205	575128	1220333	44.60 %
2.	2001	801486	716519	1518005	24.39 %
3.	2011	933660	845990	1779650	17.24 %

जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या की स्थिति :-

क्र.सं.	विवरण	जनसंख्या
1.	पुरुष	933660
2.	स्त्री	845990
3.	योग	1779650
4.	ग्रामीण	1428884
5.	शहरी	350766
6.	जनसंख्या घनत्व	184
7.	कुल साक्षरता दर	68.37
अ.	पुरुष	78.82
ब.	स्त्री	56.91
8.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या	350766
9.	1000 पुरुष पर महिला	906

10.	जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर— 2001–2011	17.24
-----	--	-------

1.4 समाज (धार्मिक, जातीय समूह, सामाजिक ढांचा, सामंजस्य की स्थिति)— जिले में लगभग सभी जातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा सभी में परस्पर सामंजस्य तथा आपसी मेल-मिलाप रहता है। धर्म के नाम पर लोगों में कोई बेर-भाव नहीं है, तथा जिले की सामाजिक-धार्मिक स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से जीवन-यापन करने की है।

1.5 अर्थव्यवस्था (प्रमुख क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में प्रतिशत हिस्सा, वृद्धि एवं विकास की प्रवृत्ति)—

कृषि :— भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agriculture Research) के अनुसार हनुमानगढ़ जिला जलवायु की दृष्टि से Irrigated North Western Plain Zone-1B के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग “ थार ” रेगिस्तान के शुष्क एवं अधशुष्क जलवायु है। यह जिला हरियाणा व पंजाब के राज्य की सीमा से लगा हुआ है। जिले की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश में 29.5° से 30.6° तथा पूर्वी देशान्तर 74.0 से 75.7° स्थित है। उत्तरी हिस्से में श्रीगंगानगर जिला दक्षिण में चूरु जिला लगता है। इस क्षेत्र में असमान्य मानसून व वर्षा के असमान वितरण की प्रमुख समस्या है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,70,505 हैक्टर है। जिसमें कुल कृषि योग्य भूमि 8.71 लाख हैक्टर है। जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें हैं जिसमें मुख्यतया भाखड़ा नहर परियोजना, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व नव विकसित राजीव गांधी सिद्धमुख एवं नोहर सिंचाई परियोजना मुख्य हैं। इसके साथ-2 कुछ क्षेत्रों में ट्युबवेल से भी सिंचाई होती है। इस प्रकार जिले में सिंचित क्षेत्र 3.71 लाख हैक्टर है तथा शेष क्षेत्र असिंचित बलुई सैं बलुई दोमट भूमि व कहीं-2 पर 8-10 मीटर उंचाई तक के टिले भी है। जिले में असिंचित क्षेत्र 5.00 लाख हैक्टेयर है। कृषि उपजिला वार सिंचित, असिंचित, समस्त बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टर) में निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	विवरण	इकाई	कृषि उपजिला वार विवरण			
			हनुमानगढ़	नोहर	भादरा	योग
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	लाख है०	3.62	4.34	1.74	9.70
2	कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल	लाख है०	3.21	3.93	1.57	8.71
3	सिंचित क्षेत्रफल	लाख है०	2.71	0.69	0.31	3.71
4	असिंचित क्षेत्रफल	लाख है०	0.69	3.17	1.14	5.00
5	समस्त बोयागया क्षेत्रफल	लाख है०	5.79	4.54	2.45	12.78
6	शुद्ध बोयोगया क्षेत्रफल	लाख है०	3.20	3.44	1.68	8.32
7	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	लाख है०	2.81	0.90	0.75	4.46

(कृषि अंकतालिका 2011-12, कृषि गणना 2010-11)

जिले में कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है। एक मात्र घग्घर नदी सामान्य रूप से नाली के नाम से जानी जाती है जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का बरसाती पानी हनुमानगढ़ के समीप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बहता है। नाली क्षेत्र के आस पास ट्युबवैल है। जिसके कारण नाली क्षेत्र में वर्ष में दो से तीन फसलें ली जाती है। जलवायु की विपरीत परिस्थितियां जैसे भूजल की कमी व मिट्टी रेतीली होने के कारण जिले में वन संपदा बहुत कम है। जिले की औसत वर्षा 273.5 मिलीमीटर है। जिले का गर्मी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिले के सिंचित क्षेत्र में मुख्यतया गेहू, जौ,

सरसो, चना तथा खरीफ में धान, कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग, तिल व अरण्ड मुख्य फसले हैं। असिंचित क्षेत्र की मुख्य फसले रबी में चना, सरसो तथा खरीफ में ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल व अरण्ड आदि हैं।

भू स्वामित्व के अनुसार राज्य सूचकांकों की तुलना में जिले की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

भूमि का विवरण	हनुमानगढ़ (प्रतिशत में)		राजस्थान (प्रतिशत में)	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
0-1 हैक्टर	9.47	1.14	36.45	5.86
1-2 हैक्टर	17.04	5.03	21.94	10.23
2-4 हैक्टर	28.17	16.64	19.38	17.85
4-10 हैक्टर	34.22	43.25	16.36	32.73
10 हैक्टर से अधिक	11.10	33.94	5.87	33.33
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

1.6 बुनियादी ढांचा और सेवाएं(सड.कें, दूरसंचार, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, जल स्वच्छता आदि) (A) जिले में स्थित मोबाईल टॉवरो की सूची

क्र.सं.	तहसील	शहरी/ ग्रामीण	ग्राम का नाम	टॉवर कम्पनी का नाम						
				BSNL	AirTel	Voda Phone	Reliance	Rainbow	Idea	Tata
1	हनुमानगढ़	ग्रामीण	झाम्बर	—	1	—	—	—	—	—
2			चौहिलावाली	1	1	—	1	—	—	—
3			भोमपुरा	—	—	1	—	—	—	—
4			लखुवाली	—	1	1	—	—	—	—
5			जेरावरपुरा	1	1	—	—	—	—	—
6			रामसरा नारायण	1	1	—	—	—	—	—
7			फतेहगढ़	—	1	1	—	—	—	—
8			स्वजीपुरा	—	—	1	—	—	—	—
9			डबलीबास मौलवी	1	1	—	—	—	1	—
10			डबलीमिढडा	—	1	—	—	—	—	—
11			9एसटीजी	—	—	1	—	—	—	—
12			3जेआरके	—	—	—	1	—	—	—
13			जण्डावाली	1	1	1	—	1	1	—
14			पक्कासारण	1	1	—	1	1	—	—
15			धौलीपाल	1	1	1	1	—	1	1
16			रोड़ावाली	1	1	1	—	—	—	—
17			जोड़कियां	1	—	—	1	—	—	—
18			हिरणावाली	1	—	—	1	—	—	—
19			नौरंगदेसर	1	—	1	1	—	—	—
20			ळरिपुरा	—	1	—	—	—	—	—
21			किशनपुरा दिखनादा	—	1	1	1	—	1	—
1		शहरी		8	6	2	6	2	4	3

1	संगरिया	ग्रामीण	नगराना	1			1		1	
2			ढांवा	1	1		1			
3			ळरिपुरा	1	1	1	1			
4			सन्तपुरा	1						
5			नुकेरा	1	1		1		1	
6			किशनपुरा	1	1					
7			उतराधा							
8			बेलावाली	1	1	1				
9			मनकसर		1				1	
10			शेरगढ़		1					
11			जण्डवाला			1				
12			सिखान							
13			इन्द्रगढ़			1				
14			मोरजण्ड	1		1				
15			सिखान							
16			लीलावाली	1		1				
17	पीलीबंगा	ग्रामीण	भांखरावाली			1				
18			थककरवाली			1				
19		शहरी		2	1	2	1	1	1	1
20		ग्रामीण	बड़ोपल	1	1					
21			18एसपीडी		1					
22			श्रामपुरा		1					
23			34एसटीजी		1					
24			लखासर			1	1			
25			लिखमीसर	1					1	
26			अयालकी		1					
27			गेलूवाला	1	1	1	1		1	1
28			खोथांवाली		1	1	1			
29			डमेवाला							
30		शहरी		3	2	1	1	1	1	2
31	टिब्बी	ग्रामीण	सुरेवाला	1	1	1				
32			कुलचन्द्र	1						
33			पीरकामड़ीया	1	1					
34			खिनानीयां	1		1				
35			म्सीतावाली	1	1					
36			तलवाड़ा झील	1	1	1	1			1
37			गुड़िया	1		1			1	
38			सलेमगढ़			1			1	
39			खाराखेड़ा	1	1	1				
40			रामपुरा/रामसरा		1	1	1			
41			डबलीकलां		1					
42			भेहरवाला	1	1	1	1			
43		शहरी		1	1	1	1			1
44	रावत सर	ग्रामीण	16केडब्ल्यूडी							
45			चाईया							
46			क्नवानी		1	1				
47			न्योलखी		1					

5			मोटेर		1	1				
6			झोदासर	1	1	1				
7			ब्रमसर	1	1	1				1
8			पोहड़का		1	1	1			
9			पल्लू	1	1	1	1			1
10			सीरासर		1	1				
11			पूबसर	1	1					
12			नैयासर	1		1				
13		शहरी		1	3	2	1		2	1
क्र.सं.	तहसील	शहरी/ग्रामीण	ग्राम का नाम	टावर कम्पनी का नाम						
				BSNL	AirTel	Voda Phone	Reliance	Idea	Tata	other
1			देईदास	1	1	0	1	1	0	0
2			टोपरिया	1	0	1	0	1	0	0
3			रामगढ		1	0	1	1	0	0
4			थालडका	1	1	1	1	1	0	1
5			ब्रववाली	0	1	1	0	1	0	0
6			भूकरका	1	1	0	0	1	0	1
7			ढण्डेला	0	1	1	0	1	0	0
8			पाण्डूसर	1	1	1	0	1	0	0
9			टिडियासर	0	1	1	0	1	0	0
10			गंगोई	0	1	1	0	0	0	0
11			धानसिया	1	1	1	0	1	0	0
12			सोनडी.	1	0	1	1	1	0	1
13			खुईयां	1	1	1	0	1	0	0
14			थसंगरासर	0	1	0	0	0	0	0
15			थिराना	0	0	0	0	1	0	0
16			कानसर	2	0	0	0	0	0	0
17			छेवासर	1	0	0	0	0	0	0
18			श्योरानी	0	1	0	0	0	0	0
19			जबरासर	0	1	1	0	0	0	0
20			लाखासर	0	1	0	0	0	0	0
21			मेघाना	1	1	1	0	0	0	0
22			दुर्जाना	0	0	1	0	0	0	0
23			छलपतपुरा	0	0	0	0	0	0	0
24			रायसिंहपुरा	1	0	0	1	0	0	0
25			टापूवाला	0	0	0	1	0	0	0
26			25 एनटीआर	1	1	0	1	0	0	1
27			26 एनटीआर	0	0	0	0	0	0	1
28			25 जेएसएन	1	1	0	1	0	0	1
29			17 एनटीआर	1	0	0	0	1	0	1
30			19 एनटीआर	0	1	0	1	0	0	0
31			गुडिया	0	1	0	0	0	0	0
32			छीपलाना	0	1	1	0	0	0	0
33			गोगामेडी.	1	0	1	1	0	0	0
34			ललानाबास दि0	0	1	1	0	1	0	0
35			फेफाना, केएनएन	1	1	1	1	1	0	0

36		मलवानी, केएनएन	3	1	0	1	0	0	0	0
37		रतनपुरा, आरपीएम	1	1	1	1	0	1	0	0
38		गोरखाना		1	0	1	0	0	0	0
39		भगवानसर		0	0	1	0	0	0	0
40		थबरकाली		0	1	0	0	1	0	0
41		मन्दरपुरा		1	1	1	0	0	0	0
42		ननाऊ		0	1	1	0	0	0	0
43		मुन्सरी		1	1	1	0	0	0	0

(B) निजी चिकित्सा संस्थानों के नाम एवं दूरभाष नं.

जिला हनुमानगढ़ क्षेत्र के पंजीकृत निजी चिकित्सालयों की सूची

क्र. स.	निजी चिकित्सालयों का नाम	पूर्ण पता	संचालक का नाम	संचालक का मोबाईल नं०
1	हिसारिया मल्टीस्पेशलिटी होस्पिटल	बाईपास रोड टाउन	डॉ. सुरेश कुमार हिसारिया	9166168400
2	बेनीवाल होस्पिटल	भादरा	डॉ० कपिल बैनिवाल	9414501911
3	आरोग्य आथोपेडिक सेन्टर	नेहर	डॉ० सुशीला	9414307886
4	जैन होस्पिटल	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ० पारसमल जैन	9414210165
5	श्रीकान्हा राम सहारण मैमोरियल ट्रामो एण्ड मल्टीस्पेशलिटी होस्पिटल	सरकारी अस्पताल के सामने हनुमानगढ़ टाउन	डॉ. प्रदीप सहारण	9414332566
6	स्वामी होस्पिटल	नेहर	श्री प्रताप सिंह	9729960959
7	पारीक होस्पिटल एण्ड डेन्टल केयर	एमजीएम होस्पिटल के पीछे टाउन	डॉ. शंकरलाल पारीक	9414329383
8	खीचड मेटरनिटी एण्ड चार्डल केयर	सरकारी होस्पिटल के पास, हनुमानगढ़ टाउन	डॉ. सीमा खीचड	9414954411
9	चन्दीगढ़ होस्पिटल	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० सुतिन्द्र सिंह	9414095555
10	सहारण डेन्टल क्लीनिक एण्ड आर्थो सेन्टर	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ० संदीप सहारण	9828527927
11	जैन होस्पिटल	संगरिया		
12	नेहरा क्लीनिक	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ० ओमप्रकाश नेहरा	8769546834
13	पुनिया होस्पिटल	भादरा	डॉ० ममता	
14	वरदान होस्पिटल	नजदिक बस स्टेण्ड भादरा	श्री खेताराम	9549228612
15	बेनीवाल ओरथो एण्ड मेटरनिटी लैब	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ. नीतू बेनीवाल	9462220006
16	मंगलम आर्थोपेडिक होस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर	भादरा	श्री दलपि कुमार	9460959580
17	सोनी होस्पिटल एण्ड आईवीएफ सेन्टर	टाउन ज. रोड हनु. टाउन	डॉ सविता सोनी	9868934168
18	नेहरा नर्सिंग होम	भादरा	श्रीमति इकबाल कौर	9587033355

19	अपना अस्पताल	कुम्हार धर्मशाला पल्लु	श्री भवानी सिंह	6350651388
20	मील होस्पिटल	भादरा	श्री हवासिंह	9887430476
21	गंगा नर्सिंग होम	नेहर	डॉ० संतलाल	9414237938
22	गेट होस्पिटल	वेटरनरी होस्पिटल के सामने टाउन	डॉ. सुखवीर सिंह	9414246885
23	श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी	भादरा	डॉ० जितेन्द्र शर्मा	9414217329
24	मीनाक्षी मेटरनिटी होस्पिटल	एमजीएम होस्पिटल के पीछे टाउन	डॉ० भवानी सिंह ऐरण	9214467620
25	डॉ० महेन्द्र सिंह राठौड होस्पिटल	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ० महेन्द्र सिंह राठौड	9414094809
26	एलबीएम चावला नसिंग होम	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० बीके चावला	9414094428
27	भण्डडा सर्जिकल होस्पिटल	गुरुद्वारे के पीछे हनु टाउन	डॉ बिहारीलाल बंसल	9079053170
28	गौरी होस्पिटल	नजदीक सरकारी होस्पिटल, हनुमानगढ़ टाउन।	डॉ. यूसफ गौरी	9436764784
29	एपेक्स होस्पिटल	टाउन ज. रोड हनु. टाउन	डा. इन्द्रसिंह राठौड	8955658556
30	बतरा होस्पिटल	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० निशान्त बतरा	9414285653
31	चिरायु स्वा० गैस्ट्रो एण्ड लीवर होस्पिटल	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० हितेश शर्मा	9602766537
32	एम.एस. शेखावत होस्पिटल	महावीर मार्ग हनु. टाउन	डॉ. मदन सिंह शेखावत	9414094477
33	स्वास्तिक कौशिक होस्पिटल	टाउन ज. रोड हनु. टाउन	श्रीमति कमला शर्मा	9414095007
34	नांरग होस्पिटल	पेलीबंगा	श्री वेदप्रकाश	9414328005
35	ग्लोबल सर्जिकल सेन्टर	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० संदीप कुमार	7014465580
36	बी.बी. धीगडा स्कीन एण्ड लेजर क्लीनिक	नजदीक राजीव चौक हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ. भारत भूषण धीगंडा	9414276388
37	दहिया जनरल होस्पिटल	नेहर	श्री कृपाराम	9782764508
38	सहारण आई सेन्टर	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० बलबीर सिंह सहारण	9414452540
39	बीएसएलएनडी चैरीटेबल होस्पिटल	बाईपास रोड हनु. टाउन	भगवानश्रीलक्ष्मीनारायण	9812020405
40	श्रीवर्धमान जैन धर्मार्थ चिकित्सालय	संगरिया	डॉ विरेन्द्र कुमार	9351090300
41	बाबा मस्तनाथ मल्टीस्पेशलिटी होस्पिटल	नाथावाली थेडी, हनुमानगढ़	बाबा बालकनाथ	9460171825
42	जीवन ज्योति होस्पिटल	बस स्टेण्ड भादरा	डॉ० संजय रिणवा	9460206405
43	दक्ष मल्टीस्पेशलिटी होस्पिटल	हनुमानगढ़ जंक्शन	डॉ० निधी	9501612359
44	असोपा चिल्ड्रन होस्पिटल	विजय सिनेमा के सामने टाउन	डॉ. रमाकान्त असोपा	9414094280
45	जयपुर होस्पिटल हार्ट केयर एण्ड ट्रोमा सेन्टर	नेहर	श्रीमति कान्ता	9992319563
46	सुथार आई होस्पिटल	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ. ओमप्रकाश सुथार	9414578992

47	ममता होस्पिटल	सैक्टर 12, सुरतगढ रोड, हनु. ज.	डॉ0 कपुरीलाल गर्ग	9414094297
48	छाबडा होस्पिटल एण्ड मेटरनिटी होम	नजदीक ओवरब्रिज रावतसर रोड हनु टा.	डॉ. विजय छाबडा,	9461225960
49	बंसल नर्सिंग होम	श्रीगंगानगर रोड हनु ज.	डॉ. प्रकाशचन्द्र बंसल	9414095500
50	नवरत्न चिल्ड्रन होस्पिटल	हनुमानगढ जंक्शन	डॉ0 नवरत्न शर्मा	9799632129
51	सहारण क्लीनिक	नई आबादी के सामने टाउन	डॉ0 संदीप सहारण	9414226809
52	सरदार भगतसिंह होस्पिटल एण्ड लेबोरेटरी	28 जेआरके कान्हेवाला, गोलुवाला	श्री विजय सिंह	9509509595
53	महावीर अस्पताल एवं मेटरनिटी सेन्टर	टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ टाउन	डॉ. प्रताप सिंह शेखावत	9414094690
54	मील होस्पिटल	स्वामी होस्पिटल के पास, भादरा	श्री हवासिह	9887430476
55	आरोग्य आथोपेडिक सेन्टर	नेहर	डॉ0 सुनिल कुमार	9414307886
56	डॉ0 वेद बांडर स्किन सेन्टर	नेहर	श्री जगदीप सिंह	7340436745
57	आर0एस0 आई केयर सेन्टर	नजदिक पुचायत समिति नोहर	डॉ0 नितुबाला	9929620136
58	ओला होस्पिटल एण्ड मेटरनिटी सेन्टर	नजदीक राजकीय होस्पिटल हनु. टा	डॉ. रमेशचन्द्र	9414515915
59	वर्मा डेन्टल एण्ड जनरल होस्पिटल	रेलवे स्टेशन रोड भादरा	श्री बी.एस. वर्मा	9414513150
60	बेनीवाल होस्पिटल	हनुमानगढ जंक्शन	डॉ0 ओ0पी0 बेनिवाल	9414094632
61	न्यू आदर्श क्लीनिक	संगरिया	डॉ प्रिस योगी	782497597
62	जसमीरा होस्पिटल एवम् मेटरनिटी होस्पिटल	एमजीएम होस्पिटल के सामने टाउन	श्रीमति मदना देवी	8890097007
63	एपेक्स होस्पिटल	साहवा रोड, नोहर	डॉ. मनीषा मेहता	8708291437
64	बेनीवाल ओरथो एण्ड मेटरनिटी होस्पिटल	न्योलखी बस स्टेण्ड रावतसर	डॉ. धमेद्र रोज	8892232992
65	बीआर हार्ट होस्पिटल	जंक्शन टाउन रोड हनुमानगढ जंक्शन	श्री अमित	9950477841
66	शुभम सर्जिकल एण्ड जनरल होस्पिटल	नेहर	डॉ0 रेणु सग्गु	9462143080
67	एस.एल.जी होस्पिटल	हनुमानगढ टाउन	डॉ. भुपेन्द्र नारंग	9480997122
68	सुदर्शना सैनी होस्पिटल	रावतसर रोड हनुमानगढ टाउन	डॉ. दीपक सैनी	9414095921
69	डॉ. भानूप्रताप सर्जिकल होस्पिटल	पेलीबंगा	डॉ. भानुप्रताप	9413513764
70	विवेकानन्द स्वास्थ्य समिति	भादरा	श्री विकास सर्राफ	9509083480
71	बॉम्बे होस्पिटल	हनुमानगढ जंक्शन	डॉ. रेणु सेतिया	9660208700
72	बेनीवाल ओर्थो एण्ड मेटरनिटी होस्पिटल	हनुमानगढ टाउन	श्रीमति विजय कुमारी	9462220006

73	डॉ. गोपाल गोदारा सर्जिकल एण्ड मेटरनिटि होस्पिटल	नेहर	डॉ. गोपाल गोदारा	9929997566
74	एस.बी.एम लाडला जनसेवा होस्पिटल	चक 10 एचएमएच हनुमानगढ टाउन	श्री सागरमल लड्डा	9414095702
75	शुभम सर्जिकल एण्ड जनरल होस्पिटल	नेहर	डॉ. रेणु सग्गु	9462143080
76	सैफ केयर होस्पिटल	श्रावतसर	श्री नरेन्द्र सिंह	9829080307
77	एमडी नर्सिंग होस्पिटल	पल्लू	श्री देवेन्द्र कुमार	8769353570
78	अग्रवाल नर्सिंग होम	श्रावतसर	डॉ. गणेश अग्रवाल	9829128077
79	श्री बालाजी होस्पिटल	नेहर	डॉ. अनुराधा	9461535343
80	पीपीएम होस्पिटल	संगरिया	डॉ. स्वेता	9660278604

(ब) ब्लड बैंक की सुविधा

जिले में राजकीय एवं निजी ब्लड बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ब्लड बैंक का विवरण
राजकीय ब्लड बैंक	
1	महात्मा गांधी स्मृति राज.जिला चिकित्सालय,हनुमानगढ 9667404395
2	उप जिला चिकित्सालय,नोहर (स्वीकृति परन्तु संचालित नहीं)
राजकीय ब्लड स्टोरेज सेंटर	
1	उप जिला चिकित्सालय,नोहर 7976053054
2	उप जिला चिकित्सालय,भादरा 9694672833
3	सामु.स्वा.केन्द्र,रावतसर 9829425976
4	सामु.स्वा.केन्द्र,संगरिया 9494380689
निजी ब्लड बैंक	
1	विवेकानन्द चिकित्सालय समिति,भादरा 9509083480
2	लाईफ लाईन ब्लड बैंक,बॉम्बे होस्पिटल,हनुमानगढ जं. 9414088635
3	भटनेर ब्लड बैंक,मैगा हाइवे-हनुमानगढ टाउन 9694616333
4	सहारण ब्लड बैंक,कान्हाराम सहारण मल्टीस्पेशलिटी होस्पि.हनुमानगढ टा. 7015065104
5	अग्रण ब्लड बैंक,कोहला, हनुमानगढ टाउन 9649909847

(D) नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रभारी का नाम	दूरभाष नं.
1	बंसल स्कूल ऑफ नर्सिंग,हनुमानगढ जं.	डा.पी.सी.बंसल	01552-5120 42 8949282345
2	फ्लोरेंस नाइटिंगल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ टा.	डा.बिहारीलाल बांसल	01552-2820 71 9414413006
3	करुणा इंस्टी. ऑफ नर्सिंग,हनुमानगढ जं.	डॉ.एस.पी.गुप्ता	9351715861

4	राजकीय ए.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र,हनुमानगढ़	श्री रणवीर सिहाग	9414094620
5	बॉम्बे स्कूल ऑफ नर्सिंग	श्री रेवंत जी	8949282345

(E) :-एम्बुलेंस की सूचना

List of (104-108 Ambulance) Distt. Hanumangarh					
S.No.	Ambu.	Van no	Block	Place	Contact No.
1	104	RJ31PA2883	भादरा	पीएचसी अजीतपुरा	86909-86408
2	104	RJ13PA7549	भादरा	पीएचसी कलाना	86909-86415
3	104	RJ14PE6647	भादरा	पीएचसी डाबड़ी	86909-86417
4	104	RJ31PA3481	भादरा	सीएचसी भादरा	86909-86419
5	104	RJ31PA2893	हनुमानगढ़	पीएचसी धोलीपाल	86909-86416
6	104	RJ14PE7266	नेहर	पीएचसी मेघाना	86909-86412
7	104	RJ14PE6663	नेहर	पीएचसी मन्दरपुरा	86909-86413
8	104	HR39D1107	नेहर	पीएचसी धानसिया	86909-86414
9	104	MP06DA0525	पीलीबंगा	पीएचसी जाखड़ावाली	86909-86411
10	104	RJ31PA3479	पीलीबंगा	सीएचसी पीलीबंगा	86909-86418
11	104	RJ14PE7265	श्रावतसर	पीएचसी बरमसर	86909-86409
12	104	RJ31PA2885	संगरिया	पीएचसी दीनगढ़	86909-86410
13	104	RJ31PA4134	संगरिया	सीएचसी संगरीया	86909-86421
14	104	RJ31PA3483	टिब्बी	सीएचसी टिब्बी	86909-86422
1	108	RJ14PE8064	भादरा	पीएचसी घेउ	96729-74081
2	108	RJ14PE8063	भादरा	पीएचसी भिरानी	96729-70090
3	108	RJ14PD7076	भादरा	पीएस भादरा	74120-37261
4	108	RJ14PC7691	हनुमानगढ़	पीएचसी पक्का सारणा	96729-76591
5	108	RJ14PD0594	हनुमानगढ़	पीएस शेरगढ़	96727-86591
6	108	RJ14PD7036	हनुमानगढ़	पीसीआर हनुमानगढ़	74120-37286
7	108	RJ31PA4794	हनुमानगढ़	टीसीआर हनुमागढ़	96729-72773
8	108	RJ14PD7116	हनुमानगढ़	डीएच हनुमानगढ़	97733-05782
9	108	RJ14PD0016	नेहर	पीएस गोगामेड़ी	96729-78535
10	108	RJ14PD7056	नेहर	पीएस नोहर	74120-37348
11	108	RJ14PE7701	नेहर	सीएचसी नोहर	89059-98120

12	108	RJ14PD7028	पीलीबंगा	सीएचसी गोलुवाला	74120-37285
13	108	RJ14PE7594	पीलीबंगा	गोलुवाला कैन्चिया	96729-74082
14	108	RJ14PD0383	पीलीबंगा	पीएस पीलीबंगा	89059-97354
15	108	RJ14PD7099	पीलीबंगा	पीएस डबलीराठान	74120-35485
16	108	RJ14PE7704	श्रावतसर	सीएचसी रावतसर	97733-00971
17	108	RJ14PC7680	श्रावतसर	पीएस रावतसर	96729 76592
18	108	RJ14PD7059	श्रावतसर	पीएस पल्लु	74120-37349
19	108	RJ14PE7829	संगरिया	पीएस संगरिया	96729-77836
20	108	RJ14PE7830	टिब्बी	पीएस टिब्बी	96729-72771
21	108	RJ14PE7831	टिब्बी	मसीतांवाली हैड	96729-72774

(य)जिला/उपखण्ड/सामु./प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नं.की सूची

जिला/ब्लॉक स्तरीय,अधिकारियों के दूरभाष नं.की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल न.	फोन न.
1.	डॉ० नवनीत शर्मा	CMHO	7597222000	261190
2.	डॉ० सुनील विद्यार्थी	Dy. CMHO	9461001000	264295
3.	डॉ० ज्योति धींगड़ा	Addl. CMHO (FW)	9414243233	260225
4.	डॉ० विक्रम सिंह	RCHO	9461077909	261190
5.	डॉ० प्रीत मोहिन्द्र सिंह	DPC,RMSC,HMH	9460647411	261176
6.	डॉ० ज्योति धींगड़ा	BCMO, HANUMANGARH	9414243233	260702
7.	डॉ० मुकेश कुमार	BCMO, Tibbi	7568958485	234200
8.	डॉ० रवि खिचड़	BCMO, Sangria	8955550444	253122
9.	डॉ० मनिनन्द सिंह	BCMO,Rawatsar	8128022171	250068
10.	डॉ० मनोज अरोड़ा	BCMO, Pilibangan	9414513035	233729
11.	डॉ० प्रदीप कड़वासरा	BCMO, Nohar	9413431121	221502
12.	डॉ० लक्ष्य चौधरी	BCMO,Bhadra	9351858887	222979

(र) विभिन्न सामुदायिक स्वा.केन्द्रों/राजकिय चिकित्सालय प्रभारियों एवं चिकित्सकों के दूरभाष की सूची

जिला हनुमानगढ़ के राजकीय चिकित्सा संस्थानों के सम्पर्क सूत्र

क्र.सं.	ब्लॉक	संस्था का प्रकार	स्थान	प्रभारी का नाम	मोबाईल न0
1	हनुमानगढ़	जिला चिकित्सालय	हनुमानगढ़	डॉ0 मुकेश कुमार	9929046420
2	हनुमानगढ़	राज.चिकि.	हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 इन्द्रसैन	9828378002
3	भादरा	उप जिला चिकि	भादरा	डॉ0 सतवीर बैनिवाल	9694672833
4	नोहर	उप जिला चिकि	नेहर	डॉ0 जसवन्त मीणा	7976053054
5	टिब्बी	सीएचसी	टिब्बी	डॉ0 मांगीलाल	9001517191
6	टिब्बी	सीएचसी	सूरेवाला	डॉ0 रणविजय शेखावत	9997497899
7	संगरिया	सीएचसी	संगरिया	डॉ0 अरविन्द्र शर्मा	9414380689
8	संगरिया	सीएचसी	ढाबां	डॉ0 सुमित	9828660336
9	रावतसर	सीएचसी	पल्लू	डॉ0 जयप्रकाश	9529777766
10	नोहर	सीएचसी	फेफाना	डॉ0 भुपेन्द्र सिंह	9772269707
11	नोहर	सीएचसी	मेघाना	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार भाम्भु	9667511825
12	नोहर	सीएचसी	गोगामेडी	डॉ0 संदीप कुमार	9782823682
13	नोहर	सीएचसी	रामगढ़	डॉ0 राकेश सिंह	7240716129
14	भादरा	सीएचसी	छानीबडी	डॉ0 पुजा	9871889533
15	भादरा	सीएचसी	गाधीबडी	डॉ0 घनश्याम	9852302585
16	हनुमानगढ़	सीएचसी	धोलीपाल	डॉ0 अरविन्द्र कुमार	9928818123
17	हनुमानगढ़	सीएचसी	पक्कासारना	डॉ0 अशोक कुमार राठी	8502961264
18	रावतसर	सीएचसी	श्रावतसर	डॉ0 सुभाष भिडासरा	9829425976
19	पीलीबंगा	सीएचसी	पीलीबंगा	डॉ0 सुनील	9468876631
20	पीलीबंगा	सीएचसी	गेलूवाला	डॉ0 चिराग मोदी	9079002592
21	पीलीबंगा	सीएचसी	डबलीराठान	डॉ0 योगेश	9782555148
22	टिब्बी	पीएचसी	तलवाडाझील	डॉ0 अंकुर मीणा	9667741452
23	टिब्बी	पीएचसी	मिर्जावाली मेर	डॉ0 अभिषेक ढाका	8209909430
24	टिब्बी	पीएचसी	मेहरवाला	डॉ0 राजेश कुमार मीणा	9694606462
25	टिब्बी	पीएचसी	सिलवालाखुर्द	डॉ0 सुखवीर सिंह	8263022044
26	संगरिया	पीएचसी	दीनगढ़	डॉ0 गोपाल कृष्ण	9414677036
27	संगरिया	पीएचसी	ळरिपुरा	—	
28	संगरिया	पीएचसी	मलारामपुरा	डॉ0 गोपाल कृष्ण	9414677036
29	संगरिया	पीएचसी	नुकेरा	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	8058382614
30	संगरिया	पीएचसी	चक हीरा सिंह वाला	डॉ0 प्रशांत पंवार	8561813424
31	संगरिया	पीएचसी	किशनपुरा उत्तरादा	डॉ0 गौरव भुरटिया	8094823689

32	संगरिया	पीएचसी	शाहपीनी	डॉ0 भुपिन्द्र	8788700305
33	संगरिया	पीएचसी	लेलावाली	डॉ0 सिमरन	8764310720
34	भादरा	पीएचसी	उत्तरादाबास	डॉ0 राकेश	9929320104
35	भादरा	पीएचसी	नेठराना	डॉ0 मोनिका	9057234934
36	भादरा	पीएचसी	भिरानी	डॉ0 रुचिका	9416199998
37	भादरा	पीएचसी	टजीतपुरा	डॉ0 इन्द्रपाल	9813148303
38	भादरा	पीएचसी	क्लाना	डॉ0 सूरेश	9413600858
39	भादरा	पीएचसी	म्लसीसर	डॉ0 साहीन खान	8058504486
40	भादरा	पीएचसी	डाबडी	डॉ0 मोनिका	7665766645
41	भादरा	पीएचसी	गदरा	डॉ0 ज्ञानदीप	9187956944
42	भादरा	पीएचसी	घेरु	डॉ0 समेस्ता	8448665404
43	भादरा	पीएचसी	निनाण	डॉ0 निशा	7976586452
44	भादरा	पीएचसी	म्हराना	डॉ0 राकेश	7014252812
45	भादरा	पीएचसी	मुन्सरी	डॉ0 मोहित	7740876779
46	भादरा	पीएचसी	मलखेडा	डॉ0 हिताश्व	9664382283
47	भादरा	पीएचसी	डूंगराना	डॉ0 सुरेश	9413600858
48	भादरा	पीएचसी	शेरपुरा	डॉ0 यशवंत नेहरा	9413537128
49	भादरा	पीएचसी	अनुपशहर	डॉ0 प्रवीण	8696389950
50	भादरा	पीएचसी	जिगासरी छोटी	डॉ0 जयप्रकाश	9588052518
51	नोहर	पीएचसी	छीपलाना	डॉ0 दिनेश कुमार महला	9549394726
52	नोहर	पीएचसी	प्रलिका	डॉ0 अल्का	7976586512
53	नोहर	पीएचसी	ज्झाना	डॉ0 सुमित सिहाग	7014237696
54	नोहर	पीएचसी	टोपरियां	डॉ0 रितु अग्रवाल	9252174890
55	नोहर	पीएचसी	थ्वरकाली	डॉ0 सतोंष रानी	8811996280
56	नोहर	पीएचसी	मंदरपुरा	डॉ0 विश्वास प्रताप सिंह	7014255699
57	नोहर	पीएचसी	धानसिया	डॉ0 सचिन साबरवाल	6377242919
58	नोहर	पीएचसी	टीडियासर	डॉ0 वंदना राठौड	9829484199
59	नोहर	पीएचसी	खूईयां	डॉ0 अमनदीप	9782391605
60	नोहर	पीएचसी	ललाना दिखनादा	डॉ0 दीपक कुमार	7728984645
61	नोहर	पीएचसी	थिराना	डॉ0 विरेन्द्र	9602064434
62	रावतसर	पीएचसी	न्योलखी	डॉ0 राकेश बरोड़	9649916000
63	रावतसर	पीएचसी	केलनिया	डॉ0 हरलाल	8385941090
64	रावतसर	पीएचसी	ब्रमसर	डॉ0 जितेन्द्र	773724441
65	रावतसर	पीएचसी	मोटेर	डॉ0 हरलाल	8385941090
66	रावतसर	पीएचसी	गंधेली	डॉ0 मनीष	8104290757
67	रावतसर	पीएचसी	मोधूनगर	डॉ0 विरेन्द्र सिंह	9079399787
68	रावतसर	पीएचसी	रामपुरा मटोरिया	डॉ0 रमेश नेहरा	8003008783
69	रावतसर	पीएचसी	खोडा	डॉ0 रोहन गुर्जर	7737681889

70	पीलीबंगा	पीएचसी	जाखडावाली	डॉ0 गौरीशकर	7891553985
71	पीलीबंगा	पीएचसी	छोलतावाली	डॉ0 चन्दन जिन्दल	9782669916
72	पीलीबंगा	पीएचसी	बडोपल	डॉ0 विकास	7877172227
73	पीलीबंगा	पीएचसी	डबलीबास मिठारोही	डॉ0 सजय नासना	9001416945
74	पीलीबंगा	पीएचसी	लिखमीसर	डॉ0 अमिता	8946910255
75	पीलीबंगा	पीएचसी	खोथावाली	डॉ0 प्रेरणा लक्ष्मी	9462150000
76	हनुमानगढ़	पीएचसी	जण्डावाली	डॉ0 अनिदा सिडाना	8209866604
77	हनुमानगढ़	पीएचसी	मक्कासर	डॉ0 गरिमा छाबड़ा	7014928706
78	हनुमानगढ़	पीएचसी	रहजीपुरा	डॉ0 गिन्नी गर्ग	9413480494
79	हनुमानगढ़	पीएचसी	किशनपुरा दिखनादा	डॉ0 केवल धीरज	9602489222
80	हनुमानगढ़	पीएचसी	अराईयावाली	डॉ0 प्रभात कुमार	9460793183
81	हनुमानगढ़	पीएचसी	लखूवाली	डॉ0 अरविन्द बिश्नोई	7990748840
82	हनुमानगढ़	पीएचसी	भोमपुरा	डॉ0 अरविन्द बिश्नोई	7990748840
83	हनुमानगढ़	पीएचसी	मुण्डा	डॉ0 सुशीला	8107508275
84	हनुमानगढ़	पीएचसी	नौरंगदेसर	डॉ0 केवल धीरज	9602489222
85	हनुमानगढ़	क्षय निवारण केन्द्र	टी.बी. क्लीनिक, हनुमानगढ़	डॉ0 रविशंकर शर्मा	9414332764
86	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 रिश्व गुप्ता	7073696151
87	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	सुरेशिया	—	—
88	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ0 मनीष कात्याल	9463133131
89	नोहर	शहरी पीएचसी	नेहर	डॉ0 निधि सिंह	9179400202
90	नोहर	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.29 नोहर सरदारपुरा बास	डॉ0 प्रवीण	7877598844
91	नोहर	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.38 नोहर नेहरूनगर	डॉ0 मयंक	8769414127
92	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन	डॉ0 विरेन्द्र चौधरी	6377513285
93	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	खुंजा, हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 विजय भटनागर	9057535313
94	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.1 हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 कमल सैनी	9079729052

जिला चिकित्सालय में 200 बेड, उप जिला चिकित्सालय नोहर व भादरा में 100—100 बेड, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र संगरिया में 50 बेड, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र रावतसर में 75 बेड व अन्य सभी सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर 30—30 बेड की क्षमता है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बेड क्षमता 6—6 बेड है तथा जिले में 381 गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र है, जिनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है। सभी उपकेन्द्रों में 1—1 बेड स्वीकृत है।

1.7 राजनीतिक तंत्र (स्थानीय सरकार प्रणाली, परिषद आदि)– जिले को पांच विधानसभा क्षेत्रों तथा दो संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार है–

क्र०सं०	संसद/विधानसभा क्षेत्र	सांसद/विधायक का नाम	मोबा०न०
1	लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर	मा० श्री निहाल चन्द मेघवाल	9414090050
2	लोकसभा क्षेत्र चूरु	मा० श्री राहुल कस्वां	9560111599 9413364800
3	विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़	मा० गणेश राज बंसल	9414095763
4	विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा	मा० विनोद गोठवाल	9783007960
5	विधानसभा क्षेत्र संगरिया	मा० अभिमन्यू पूनियां	9462209992
6	विधानसभा क्षेत्र नोहर	मा० श्री अमित चाचाण	9783580000
7	विधानसभा क्षेत्र भादरा	मा० श्री संजीव बैनीवाल	9460120101

1.8 प्रशासनिक संरचना–

हनुमानगढ़ जिले में प्रशासनिक दृष्टि से 7 उपखंड तथा 8 तहसील हैं–

अतिरिक्त कलेक्टर	उप खण्ड एवं तहसील	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या			
			आबाद	गैर आबाद	कुल योग	शहरी क्षेत्र में शामिल
1. हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	41	347	12	359	1
	पीलीबंगा	340	336	16	352	0
	संगरिया	26	184	03	187	1
	टिब्बी	29	247	07	254	0
2. नोहर	श्रावतसर	36	306	11	317	4
	नेहर	47	208	15	223	1
	भादरा	49	203	12	215	0
	महायोग	268	1831	76	1907	7

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु अनुक्रिया योजना है तथा यह प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करती है। तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाली गतिविधियों को सुनिश्चित करती है।

परिशिष्ट:-2 आश्रय प्रबंधन व्यवस्था

2.1 जिले में उपलब्ध आश्रय स्थल/विवाह स्थल/होटलों/धर्मशालाओं की सूची (तहसीलवार)

क्रं. सं.	तहसील	आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता	कमरों की संख्या	सम्पर्क नम्बर	
				मोबाईल	टेलीफोन
1	पीलीबंगा	गंगा मैरिज पैलेस	1 हॉल 04 कमरे	9414095824	—
2	पीलीबंगा	गणपति मैरिज पैलेस	1 हॉल 07 कमरे	9982018030	—
3	पीलीबंगा	लग्न मैरिज पैलेस	1 हॉल 07 कमरे	9428956001	—
4	पीलीबंगा	सिद्धु रिसोर्ट 24 जेआरके	10 कमरे	9828680449	—
5	पीलीबंगा	अग्रवाल धर्मशाला	7	—	01508233257
6	पीलीबंगा	अरोड़वंश धर्मशाला	6	9414509364	—
7	पीलीबंगा	महेष्चरी धर्मशाला	6	9929187081	—
8	पीलीबंगा	धानक धर्मशाला	10	8769021957	—
9	पीलीबंगा	पंजाब मैरीज पैलेस	4	9413275897	—
12	पीलीबंगा	केजीएम गार्डन गोलूवाला	6	94137777172	—
11	पीलीबंगा	मंगलम होटल गोलूवाला	8	—	—
12	पीलीबंगा	दुर्गा धर्मशाला गोलूवाला	13	—	—

क्रं. सं.	तहसील	आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता	कमरो की संख्या	सम्पर्क नम्बर		क्षमता
				मोबाईल	टेलीफोन	
1	भादरा	मोती पैलेस-प्रथम	9+2 हॉल	9784053369		100
2	भादरा	मोती पैलेस-द्वितीय	4+1 हॉल	9784053369		100
3	भादरा	वीडीएस-प्रथम	12+1 हॉल	9828870141		200
4	भादरा	वीडीएस-द्वितीय	5	9828870141		100
5	भादरा	उत्सव मैरिज पैलेस	2+1 हॉल	8094446666		100
6	भादरा	विजय पैलेस		9414257951		200
7	भादरा	गोयल पैलेस		9828025782		150
8	भादरा	अम्बेडकर भवन		9414502850		100
9	भादरा	सार्व. भवन गणेशपुराबास		01504-466436		100

10	भादरा	अजय होटल	6+1 हॉल	9887026000		100
11	भादरा	स्तकार होटल रेल्वे स्टेशन	6			
12	भादरा	महीपाल अतिथि सदन	16+1 हॉल	9414536510		150
13	भादरा	चैनवालों की धर्मशाला	8+1 हॉल	9828836218		350
14	भादरा	लुहारीवाला धर्मशाला	13+1 हॉल			
15	भादरा	सिंधी धर्मशाला		9414513442		150
16	भादरा	कुम्हार धर्मशाला	10+1 हॉल	9828164863		400
17	भादरा	टीकमाणी विश्रामगृह		9875182476		50
18	भादरा	मुस्लिम धर्मशाला		9982782084		250
19	भादरा	कायमखानी धर्मशाला		9460467463		150
20	भादरा	आदर्श धर्मशाला		96107305		150
21	भादरा	कायमखानी धर्मशाला		8058222021		100
22	भादरा	रेगर धर्मशाला		9950272215		80
23	भादरा	मोची धर्मशाला		9529230455		80
24	भादरा	नाहटा धर्मशाला		8094446666		100
25	भादरा	जैन धर्मशाला	4+1 हॉल	73001741932		130
26	भादरा	कृष्णा अतिथि सदन	8+2 हॉल	8094866399		300
27	भादरा	बापूवालों की धर्मशाला	7+1 हॉल	9461565519		350
28	भादरा	चौहान गेस्ट हाऊस हाजी सद्दू के घर के पास	3+1 हॉल	9414951786		
29	भादरा	झूकिया रेस्टोरेन्ट	8			
30	भादरा	गणपति होटल	5+1 हॉल	9950227734		
31	भादरा	राजस्थान टेन्ट हाउस		9001007586		
32	भादरा	विशाल टेन्ट हाउस		9460486990		
33	भादरा	किसान टेन्ट हाउस		9314782539		
34	भादरा	राव टेन्ट हाउस		9414537594		

35	भादरा	पुनियां टेन्ट हाउस		9414502977		
36	भादरा	संदिप टेन्ट हाउस		9462177435		
37	भादरा	महावीर टेन्ट हाउस		9887096706		
38	भादरा	बैनिवाल टेन्ट हाउस		9166647935		
39	भादरा	चांदी टेन्ट हाउस		8875559238		
40	भादरा	न्यू किसान टेन्ट हाउस		7610061085		

क्रं. सं.	तहसील	आश्रय स्थल / विवाह स्थल / होटल का नाम व पता	कमरो की संख्या	सम्पर्क नम्बर	
				मोबाईल	टेलीफोन
1	पल्लु	नोहर धर्मशाला	42	9782847171	-
2	पल्लु	बठिण्डा धर्मशाला	130	9828644092	-
3	पल्लु	ऐलनाबाद धर्मशाला	20	8875419741	-
4	पल्लु	रामामंडी धर्मशाला	20	9460095595	-
5	पल्लु	कलावाली धर्मशाला	25	9416620153	-
6	पल्लु	सार्दुलषहर धर्मशाला	15	8955032541	-
7	पल्लु	मूंधड़ा धर्मशाला	10	9785167505	
8	पल्लु	नाथानी धर्मशाला	16	8824995598	
9	पल्लु	गधैया धर्मशाला	10	9460474120	
10	पल्लु	लीला धर्मशाला	20	9460535577	
11	पल्लु	जाट धर्मशाला	120	9772281901	
12	पल्लु	डबावाली धर्मशाला	20	9729740166	
13	पल्लु	पीलीबंगा धर्मशाला कमला टोला	10		
14	पल्लु	साहवा धर्मशाला	35	8239358644	
15	पल्लु	तारानगर धर्मशाला	15	9649868541	

16	पल्लु	कल्याणी धर्मशाला	40	9414874961	
17	पल्लु	कुम्हार धर्मशाला	15	9461586616	
18	पल्लु	होटल महामाया	8	9950501306	
19	पल्लु	होटल रामदेव	5	9772905057	
20	पल्लु	पीलीबंगा धर्मशाला	50		

क्रं. सं.	तहसील	आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता	कमरो की संख्या	सम्पर्क नम्बर	
				मोबाईल	टेलीफोन
1.	नेहर	सैन धर्मशाला	7	9414989010	-
2.	नेहर	पारीक धर्मशाला	14+1 हॉल	8560803580	-
3.	नेहर	चाचाण धर्मशाला	5+2 हॉल	9462171444	-
4.	नेहर	अग्रसेन धर्मशाला	24+2 हॉल	9460635711	-
5.	नेहर	सोनी धर्मशाला	10+2 हॉल	9875092978	-
6.	नेहर	जाट धर्मशाला	45+2 हॉल	9414511975	-
7.	नेहर	ग्रेन मर्चेट	4+1 हॉल	9875150918	-
8.	नेहर	स्वामी धर्मशाला	15+1 हॉल	8875082424	-
9.	नेहर	मेघवाल धर्मशाला	41+1 हॉल	9166076857	-
10.	नेहर	बिहाणी धर्मशाला	5+1 हॉल	7792069821	-
11.	नेहर	थिरानी धर्मशाला	6+1 हॉल	9461363427	-
12.	नेहर	पुष्करणा धर्मशाला	15+2 हॉल	9414511853	-
13.	नेहर	जांगिड़ धर्मशाला	6+1 हॉल	8561037281	-
14.	नेहर	तुलसी महापुंज	25+3 हॉल	9461169669	-
15.	नेहर	जैन तेरापंथ भवन	4+1 हॉल	-	-
16.	नेहर	होटल गुलाब रॉय	16+1 हॉल	9875136684	-
17.	नेहर	होटल ईवा इन	12	-	0155522019

18.	नेहर	होटल विनयदीप	10	8396820220	-
19.	नेहर	रामा मैरीज पैलेस	26+1 हॉल	9772284712	-
20.	नेहर	होटल स्टारलाईट	12	7062800494	-
21.	नेहर	होटल ओमकारा	10	9829019218	-

क्रं.सं.	तहसील	आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता	कमरो की संख्या	सम्पर्क नम्बर	
				मोबाईल	टेलीफोन
1.	टिब्बी	लायंस कल्ब धर्मशाला टिब्बी	6 + 1 हॉल	94140-95147	-
2.		अग्रवाल मैरिज पैलेस टिब्बी	6 + 1 हॉल	94145-07751	-
3.		धर्म धर्मशाला टिब्बी	10 + 1 हॉल	99996-74242	-
4.		सिधू मैरिज पैलेस टिब्बी	2 + 1	97838-83725	-
5.		एस.बी. रिसोर्ट टिब्बी	6 + 1	94140-95147	-
6.		केसरगढ मैरिज पैलेस टिब्बी	6 + 1	97993-46215	-
7.		सेलीब्रेशन मैरिज पैलेस चन्दूरवाली	1 हॉल	93142-78411	-

क्रं.सं.	तहसील	आश्रय स्थल/विवाह स्थल/ होटल का नाम व पता	कमरों की संख्या	सम्पर्क नम्बर	
				मोबाईल	टेलीफोन
1.	रावतसर	रामदेव धर्मशाला	10 + 1 हॉल	9783054100	-
2.	रावतसर	विष्वकर्मा धर्मशाला	5 + 1 हॉल	9001081187	-
3.	रावतसर	नामदेव धर्मशाला	4 + 1 हॉल	9782983621	-
4.	रावतसर	ग्रेन मर्चेट धर्मशाला	3 + 1 हॉल	9982093061	-
5.	रावतसर	खेतरपाल धर्मशाला	7 + 1 हॉल	9982335094	-
6.	रावतसर	सामुदायिक भवन अनुसुईया आश्रम वार्ड न0 05 रावतसर	4	9928774303	-
7.	रावतसर	सामुदायिक भवन जोधाबास वार्ड न0 01 रावतसर	2	9928774303	-

8.	रावतसर	सामुदायिक भवन गुरुद्वारे के पास वार्ड न0 13 रावतसर	2	9928774303	-
9.	रावतसर	सामुदायिक भवन धानक मोहल्ला वार्ड न0 02 रावतसर	2	9928774303	-
10.	रावतसर	सामुदायिक भवन गोगामेड़ी के पास वार्ड नं0 19 रावतसर	2	9928774303	-

2.2 जिले में उपलब्ध राजकीय/गैर राजकीय आश्रय स्थल की सूची (तहसीलवार)

2.2 तहसील में उपलब्ध राजकीय/गैर राजकीय आश्रय स्थल की सूची

तहसील का नाम / पता	गिरदावर/पटवार घर कमरों की संख्या	अम्बेडकर छात्रावास कमरों की संख्या	अम्बेडकर भवन कमरों की संख्या	टेलीफोन नं. /मोबाईन नम्बर
रावतसर	3	7	—	—
नेहर	1 हॉल	12+1 हॉल	3+1 हॉल	—
पल्लु	3	4	—	—
पीलीबंगा	2	10	—	—
हनुमानगढ़	—	—	—	—
संगरिया	—	—	—	—
टिब्बी	—	8	—	—
भादरा	1 हॉल	10	1+1 हॉल	—

नगरपरिषद हनुमानगढ़ क्षेत्र में गैर राजकीय आश्रय स्थल की सूची

क्र. सं	धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र का नाम	क्षमता	सुविधा
1	जाट धर्मशाला, कचहरी रोड	100	13 कमरे 2 हॉल
2	वाल्मिकी धर्मशाला, जाट धर्मशाला के पीछे	70	1 हॉल
3	जांगीड सुथार धर्मशाला, कचहरी रोड	80	15 कमरे 1 हॉल
4	गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला, कचहरी रोड	40	5 कमरे
5	व्यापार संघ धर्मशाला, कचहरी रोड	150	8 कमरे 3 हॉल
6	श्री अरोडवंश धर्मशाला, अम्बेडकर चौक के पास	80	7 कमरे 1 हॉल

7	कुम्हार प्रजापत धर्मशाला, कटेवा प्रेट्रोल पम्प के सामने,	50	1 हॉल
8	व्यापार मण्डल धर्मशाला, श्रीगंगानगर फाटक आरयुबी के पास	200	8 कमरे 4 हॉल
9	रविदास मन्दिर, रेलवे ऑवर ब्रिज के नीचे	30	1 हॉल
10	सामुदायिक भवन, सैक्टर नं. 12	150	2 कमरे 1 हॉल
11	दुर्गा मन्दिर धर्मशाला, दुर्गा कॉलोनी	250	45 कमरे 2 हॉल
12	अग्रसेन भवन, शिव मन्दिर सिनेमा के पास	100	5 कमरे 1 हॉल
13	अम्बेडकर भवन, करणी चौक के पास	150	2 हॉल
14	सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर नं. 06, पीली चक्की के पास	150	10 कमरे 2 हॉल
15	करणी धर्मशाला, करणी चौक के पास	50	9 कमरे
16	बद्रीनाथ धर्मशाला, सुरेशिया	50	3 कमरे 1 हॉल
17	सैन धर्मशाला, वार्ड नं. 01 हनुमानगढ जंक्शन	100	12 कमरे 1 हॉल
18	किसान भवन, कृषि उपज मण्डी समिति	100	5 कमरे 4 हॉल
19	करणी धर्मशाला, जिला अस्पताल के पास हनुमानगढ टाउन	100	15 कमरे 1 हॉल
20	फुडग्रेन एसो. धर्मशाला, पंचायत समिति के पास हनुमानगढ टाउन	150	16 कमरे 2 हॉल
21	बिश्नोई धर्मशाला, बाईपास रोड़ हनुमानगढ टाउन	150	10 कमरे 3 हॉल
22	अग्रवाल धर्मशाला, यातायात पुलिस थाने के पास हनुमानगढ टाउन	200	20 कमरे
23	महावीर दल धर्मशाला, बस स्टेण्ड के सामने हनुमानगढ टाउन	250	35 कमरे 2 हॉल

आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नं.
1 तहसील हनुमानगढ़			
राजकीय भवन			

डी.डी.ए.ओ हनुमानगढ जंक्शन	7	01552	260584
डी.ए.ओ. हनुमानगढ जंक्शन	14	01552	260584
पुराना ट्रेजरी भवन (वर्तमान सीएमएचओ कार्यालय), हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	261190
पुराना एसडीएम कोर्ट भवन (वर्तमान एनडीपीएस न्यायालय), हनुमानगढ जंक्शन	5	01552	262459
डी.आई.जी. स्टाम्पस , हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	260778
सर्किट हाउस , हनुमानगढ जंक्शन	15	01552	262116
सी.जे.एम. कोर्ट , हनुमानगढ जंक्शन	10	01552	262167
डी.जे. कोर्ट , हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	260207 260813
कम्प्लेक्स कोर्ट, हनुमानगढ जंक्शन	5	01552	262425
ड्रास वेयर हाउस , हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	261140
उप निदेशक कार्यालय , जीपीएफ एवं राज्य बीमा, हनुमानगढ जंक्शन	6	01552	260973
डी.आई.सी. भवन , हनुमानगढ जंक्शन	19	01552	260114
पुलिस लाइन, हनुमानगढ जंक्शन	51	01552	261106
सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ जंक्शन	21	01552	260560
विश्राम गृह , सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ जंक्शन		01552	
जिलाधीश कार्यालय भवन मय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हनुमानगढ जंक्शन	133	01552	260001 260546 200125 200037 260728 260003
पुलिस थाना, हनुमानगढ जंक्शन	30	01552	260615
पुलिस अधीक्षक, कार्यालय हनुमानगढ	5	01552	260757
रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ जं०	3	01552	261650
रा०उ०मा०वि०, छात्र, हनुमानगढ जं०	30	01552	260605
रा०उ०मा०वि०, छात्रा, हनुमानगढ जं०	16		
राजकीय मिडिल स्कूल, रेलवे	8		
राजकीय मिडिल स्कूल, कैनाल कालोनी	8		
राजकीय कन्या छात्रावास, हनुमानगढ जं०	26		
राजकीय मिडिल स्कूल, खुन्जा	7		
राजकीय मिडिल स्कूल, वार्ड नं 40	6		
पुरानी कलैक्ट्रेट भवन हनुमानगढ जं०	25		
सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय, हनु०जं०	1		
हनुमानगढ टाउन			
प्रथम- राजकीय भवन			

उपनिदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र, हनुमानगढ टा0	15	01552	231921
उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग	4		
पशु चिकित्सालय, हनुमानगढ टा0	3		
मत्स्य विभाग, कार्यालय	7	01552	222791
जिला आबकारी कार्यालय,	8	01552	222088
पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन	23	01552	222026
राजकीय अस्पताल	150	01552	231399
राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल	23	01552	222765
यातायात पुलिस थाना	13	01552	230226
रिकार्ड रुम	3		
भाखड़ा तहसील बिल्डिंग, गुरुद्वारा सर्किल	3		
शैक्षणिक भवन			
राजकीय कन्या छात्रावास	11		
राजकीय उ0मा0वि0 फोर्ट स्कूल	24	01552	231739
राजकीय मिडिल स्कूल नं 1 नजदीक पुराना अस्पताल	8		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 2	6		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 1, नजदीक फायर ब्रिगेड	1		
राजकीय मिडिल स्कूल कन्या, नजदीक हिसारिया मार्केट	8		
राजकीय प्राथमिक स्कूल, नजदीक राधास्वामी डेरा	3		
राजकीय मिडिल स्कूल नं 2, अम्बेडकर धर्मशाला	2		
II. TEHSIL SANGRIA			

Government Offices			
आश्रम स्थल का नाम व पता	कमरो की सं.	S.T.D. CODE	TEL NO.
SDM Office	8	1499	250950
Panchayat smiti	10	1499	250001
SUB REASURY BIDG WARD NO. 3	3	1499	253201
THE. BIDG WARD NO. 3	9	1499	250138
A.C.J. M. COURT	12	1499	253794
R.W.C.	3	1499	250074
K.U.M.S (Under construction)	0	1499	250064
KR Y VIKREY SAHKARI SAMTI	19	1499	250046
VETERINARY HOSPITAL	2	1499	9829914478
PHC & DCMHO	13	1499	250122
PHED SUB DIV.	8	1499	250014
R.S.E.B. COLONY	6	1499	250428
R.S.E.B. DIV.	3	1499	251146
IRRIGATION SUB DIV.	3	1499	9413184527
MINCIPLE CORPRATION & SUB RAGISTRAR	16	1499	250030
EXEISE OFFICE	3		
POLICE STN.	18		250076
DY. SP. OFFICE.	3		250036
PWD SUB DIV.	5		9414337041
B. EDUCATION			
GOBT. SR. SC. SCHOOL	20	1499	253800
GOVT. SR. SC. SCHOOL (GIRLS)	15	1499	251974
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	10	1499	250650
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 2	8		9461376818
GOVT.MIDDLE SCHOOL (GIRLS)	7	1499	
GOVT. PRIMARY SCHOOL, GURUNANAK BAGH	5		
GOVT. PRIMARY SCHOOL, 3 RTP - 2	4		9269482801
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	4		9414481372
GOVT. PRIMARY SCHOOL NO. 3	4		9667931237
GOVT. PRIMARY SCHOOL, 1 RTP	4		9413932127
GOVT. MIDDLE SCHOOL (GIRLS)	16		9315596574
GOVT. PRIMARY SCHOOL NO. 3	4		
GOVT. 3 RTP RATANPURA	2		
GOVT. SR. SC. SCHOOL	15		
GOVT. MIDDLE SCHOOL NO. 1	1		7597046236

III. TEHSIL PILLIBANGA			
A. Govt. Buildings			
PWD Insp. Hut, Sub&div.	3	01508	233374
Tehsildar (Revenue)	13	01508	233313
Police Station	13	01508	233013
RSEB Sub div.	9	01508	233249
PHED Sub div.	6	01508	233143
Forest Deptt.	3		9982576377
K.U.M. Samiti	10	01508	233067
B. Education			
Indira Gandhi Memo. College	24	01508	233027
Vyapar Mandal Public School	12	01508	235626
Govt. Girls Sr. Sec. School	14	01508	234542
Govt. Hr. Sec. School	28	01508	234506
Samaj Kalyan Hostel	10		7597056025
Genius Sr. Hr. Sec. School	32	01508	233211
Keshav Vidhyapeeth Middle School	20	01508	234561
Saraswati Baal Mandir School	9		9784469114
Bhartiya Vidhya Mandir Sr. Sch.	12		9414501153
I. TEHSIL TIBBI			
उपखण्ड कार्यालय टिब्बी	8 + 1 हॉल	-	01539 – 235001
तहसील कार्यालय टिब्बी	8 + 1 हॉल	-	01539 – 234123
पुलिस थाना टिब्बी	9	-	9572197722
नगरपालिका टिब्बी	4	-	9413726432
विकास अधिकारी, टिब्बी	8 + 1 हॉल	-	8058551941
मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, टिब्बी	40	-	7568958485
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, टिब्बी	2	-	9414989037
अधिष्ठापक अभियन्ता विधुत विभाग टिब्बी	6 + 1 हॉल	-	9413359649
पशुपालन विभाग टिब्बी	3	-	9783033000
ब्लॉक सांख्यिकी विभाग टिब्बी	2	-	8058772542
B. School and Colleges			
सिद्धी विनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी	12	—	9413378652
एस.डी. मार्डन उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी	8	—	8384912691
ग्यारसीलाल मुदगल माध्यमिक विद्यालय टिब्बी	8	—	9982104438
आर्दष ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय टिब्बी	7	—	9828478400
स्वामी दयानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी	12	—	9414509016

सिद्धी विनायक शिक्षण संस्थान टिब्बी	8	—	9413378652
जीएलएम सैकण्डरी स्कूल टिब्बी	7	—	9413934743
ग्यारसीलाल मुदगल सीनियर सैकण्डरी स्कूल टिब्बी	11	—	9413934875
एस.एच.के. प्राइमरी स्कूल टिब्बी	6	—	9460923345
एम.डी. पब्लिक उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	5	—	9413612055
सिद्धी विनायक कान्हेट स्कूल टिब्बी	5	—	9413378652
गायत्री विधापीठ उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	4	—	9166907152
डी.ए.वी. सैन्टरी उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	12	—	9413614901
दयानन्द आर्दष उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	5	—	9772035957
आईडियल किड्स मिडिल स्कूल	5	—	9461193555
प्रथमेश पब्लिक उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	5	—	9413378652
कंस्वा पब्लिक उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	6	—	9414509016
जी.डी.एम. पब्लिक उच्च प्राथमिक विधालय टिब्बी	6	—	9785187067
एकेडमिक पब्लिक स्कूल टिब्बी	5	—	9509230001

IV. TEHSIL NOHAR

A. Government Buildings

आश्रमस्थल का नाम व पता	कमरो की सं.	S.T.D. CODE	TEL. NO.
पुलिस थाना, नोहर	1+बैरक 2+18 हॉल		01555220007
विकास अधिकारी, नोहर	1हॉल+21		9672804313
सिंचाई विभाग, नोहर	स्टोर 2+14 2+रूमहॉल		8094943888
मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, नोहर	10		9413431121
उप जिला चिकित्सा प्रभारी, नोहर	हॉल 3+31		7597715399
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नोहर			9929229833
सहायक निदेशक कृषि विस्तार विभाग			9414637211
अधिशाषी अभियंता पीएचईडी आपणी योजना (ग्रामीण क्षेत्र)			9414137051

अधिकाशी अभियंता पीएचईडी आपणी योजना (शहरी क्षेत्र)	1+7		8894947279
सहायक अभियंता पीएचईडी नोहर	7		9414511798
अधिकाशी अभियंता पीडब्ल्यूडी नोहर	1+10		9461288044
अधिकाशी अभियंता विद्युत विभाग नोहर	2		9413359635
सहायक अभियंता विद्युत विभाग नोहर	6		9887606084
ब्लॉक सांख्यिकी विभाग नोहर	1+2		6367495988
महिला बाल विकास अधिकारी नोहर			9509389367
प्रोग्रामर पंचायत समिति नोहर ,	1+2		9460948110
कृषि उपज मंडी समिति नोहर	1+7		9414751575
राजस्थान राज्य परिवहन विभाग नोहर	2+12		9414579568
आयुर्वेद विभाग नोहर			7297803162
आबकारी विभाग नोहर	4		7728048888
उप कोषाधिकारी नोहर	1+3		9414636054
परिवहन विभाग नोहर	1+16		9462494740
पशुपालन विभाग नोहर	7		9772657679
समाज कल्याण विभाग नोहर			9414511417
वन विभागनोहर ,	2		9680509073
सहकारिता विभाग नोहर	4		9828793997
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर	20		
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर	14		
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नं 02 .नोहर	5		
महात्मा गांधी रा अंग्रेजी माध्यम .वि .मा.उ. 1 .नंनोहर	3		
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पंचायत समिति के पीछे	2		
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नेहरू नगर	2		
राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं 3 .वार्ड नं26 .	2		
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी सिखान	3		
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगीआसन	3		

महात्मा गांधी राजकीय उच्च मा विद्यालय. 6.नं	2		
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक राजासर	6		
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक सरदारपुरा	3		

Government Offices

V. TEHSIL Rawatsar

A. Government Buildings

आश्रमस्थल का नाम व पता	कमरो की सं.	S.T.D. CODE	TEL. NO.
पुलिस थाना , रावतसर	10 2+बैरक 1+हॉल	01537	250046
नगरपालिका रावतसर	10		7733020201
विकास अधिकारी, रावतसर	7	—	9413076961
मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, रावतसर	10	—	8128022171
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रावतसर		—	9460267085
अधिषांषी अधियंता पीडब्ल्यूडी, रावतसर	4	—	9560544438
अधिषांषी अभियन्ता विधुत विभाग रावतसर	3	—	7976451009
कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर	5	—	9414751575
उपकोष अधिकारी, रावतसर	3	—	—
पशुपालन विभाग रावतसर	4	—	9414481073
वन विभाग रावतसर	2	—	8003635334
ब्लॉक सांख्यिकी विभाग रावतसर	3	—	9521656555

B. School and Colleges

एम0 डी0 उच्च0 मा0 विद्यालय, रावतसर	15	—	—
रा0 उच्च मा0 विद्यालय, रावतसर	16	—	—
चौधरी पी0आर0टी0टी0 कॉलेज रावतसर	8	—	—
इण्डियन कॉलेज रावतसर	7	—	—
एम0डी0 कॉलेज रावतसर	9	—	—
चौधरी टी.टी. कॉलेज रावतसर	7	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाखरावाला	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 ए.जी.	13	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोधूनगर	13	—	—

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 सी.वाई.एम.	14	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 15 के.डब्ल्यू.डी.	15	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 डी.डब्ल्यू.एम.	15	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 29 डी.डब्ल्यू.डी.	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरुसरी	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैदासरी	13	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोडा	15	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धन्नासर	14	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासवाली	15	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैतावाली ढाणी	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा	13	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निरवाल	13	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवानी	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुरा	13	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाईया	12	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा	11	—	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गन्धेली	14	—	—

Government Offices			
VI. TEHSIL BHADRA			
A. Government Buildings			
आश्रमस्थल का नाम व पता	कमरो की सं.	S.T.D. CODE	TEL. NO.
Police Thana, Bhadra	12	01504	222028
B. School and Colleges			
Smt.Gorandevi Govt. Girls Senior Secondary School Bhadra Ward 11	31	01504	223686
Govt. Higher Secondary School, Bhadra Station Road	37	01504	222661
Govt.Middle School Bhadra, Ward No. 14	16		
Govt.Primary School Bhadra Ward No. 23	4		
Govt. Primary School No. 4 Bhadra Ward No. 13	5		
Govt.GirlsMiddle School Bhadra, Ward No. 14	12		
Govt.Primary School Bhadra, Ward No. 8	4		
Govt.Primary School Bhadra Ward No. 5	2		
Govt.Primary School Bhadra Ward No. 16	3		
Govt.Primary School Bhadra Ward No. 20	3		
Govt.Primary School Bhadra Ward No. 14	5		

Government offices			
AEN, PWD, Bhadra	5	01504	9413505566
AEN PHED Bhadra (PHED colony)	7	01504	9887689927
XEN WR Div. Bhadra (Irrigation colony)	7 rqsrp	01504	9414266066
AEN Siddmuch Div. I Bhadra	1		9460736923
AEN Siddmuch Div. II Bhadra	1		7597715468
AEN Appu Irrigation Div. Bhadra	1		Post Vacant
AEN RSEB O & M Bhadra (RSEB Colony)	8	01504	222090
AEN 132 KVGSS RSEB Bhadra	8	01504	222010
Secretary KUMS Bhadra(कृषि उपज मण्डी समिति) (Opp. Telephone Exchange)	9	01504	222052
Tahsildar, Bhadra (TDR Campus Bhadra)	14	01504	22055
ACM, Bhadra, SDM Bhadra	5	01504	224793
Area Forest Officer, Forest Deptt, Bhadra	4		9694013013
Block Education Officer	3		9414636130
Animal Husbandry Officer Sayam ji ke mandir ke pas	4		9414537542
Asstt Director Agriculture, Bhadra (Near Rly Station)	10	01504	222837
Samal Kalyan Bhadra, Panchayat Samiti Campus	1	01504	222130 9982333255

VII. TEHSIL PALLU

A. Government Buildings

1.	पुलिस थाना, पल्लु	7+2 बैरक 1 हॉल	01502	220100
----	-------------------	-------------------	-------	--------

B. School and Colleges

1	राजकीय उच्च मा० विद्यालय बांगासर	5	-	-
2	राजकीय उच्च मा० विद्यालय धांधुसर	5	-	-
3	राजकीय उच्च मा० विद्यालय बरमसर	8	-	-
4	राजकीय उच्च मा० विद्यालय मलकासर	4	-	-
5	राजकीय उच्च मा० विद्यालयद रामकां	6	-	-
6	राजकीय उच्च मा० विद्यालय पोहड़का	10	-	-
7	राजकीय उच्च मा० विद्यालय न्योलखी	10	-	-
8	राजकीय उच्च मा० विद्यालय चैलासरी	4	-	-
9	राजकीय उच्च मा० विद्यालय झेदासर	8	-	-
10	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय ढाणी बिजारणियां	4		
11	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय चान्देड़ी छोटी	5		

12	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय हमीरदेसर	4		
13	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय चान्देड़ी बड़ी	6		
14	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय लाखेरा	5		
15	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय बन्नासर	7		
16	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय धीरदेसर	5		
17	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय गुलाबगढ़	4		
18	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय लुणासर	4		
19	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय शेखचूलिया	3		
20	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय स्वरूपदेसर	5		
21	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय कुलचासर	4		
22	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय ढाणी कुलडियान (प्रेमपुरा)	4		
23	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय बिंझासर	4		
24	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय कल्लासर	3		
25	राजकीय उच्च प्रा० वि० विद्यालय लाडम	3		
26	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी लेघान	4		
27	राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूधली	7		
28	राजकीय उच्च मा० विद्यालय ढाणी माहेला	4		
29	राजकीय उच्च मा० विद्यालय माहेला	5		
30	राजकीय उच्च मा० विद्यालय पूरबसर	8		
31	राजकीय उच्च मा० विद्यालय दनियासर	10		
32	राजकीय उच्च मा० विद्यालय मोटेर	6		
33	राजकीय उच्च मा० विद्यालय सीरासर	4		
34	राजकीय उच्च मा० विद्यालय उदासर छोटा	5		
35	राजकीय उच्च मा० विद्यालय नैयासर	7		
36	राजकीय उच्च मा० विद्यालय पल्लु	10		
37	राजकीय उच्च मा० विद्यालय मालासर	4		
38	राजकीय उच्च मा० विद्यालय घनियासर	5		
39	राजकीय उच्च मा० विद्यालय बिसरासर	8		

परिशिष्ट-3: मीडिया भागीदारी-

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरूकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

परिशिष्ट-4:- चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना-

आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, नरेंगा, अकाल एवं बाढ़ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना

हनुमानगढ़ में प्रायः माह जून के मध्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की सम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आतंककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी, तोड़-फोड़, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं के समय जान-माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संस्थान का प्रकार	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	1
2	उप जिला चिकित्सालय	2
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/राज.चिकि.	18
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	63
5	शहरी प्राथ.स्वा.केन्द्र	5
6	जनता क्लिनिक	5
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र	396
	कुल संस्थान	490

(1) आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, अकाल एवं बाढ़ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आतंककारी हमलों/आपदाओं के दौरान :-

जिले में भीड़-भाड़ वाले तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले जान-माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था जिले के सभी राजकीय चिकित्सालयों में की गई है।

संवेदनशील क्षेत्र :-

1. रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ जं.
2. बस अड्डा, हनुमानगढ़ जंक्शन
3. भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन
4. बाबा रामदेव मन्दिर, ओवरब्रिज के नीचे, हनुमानगढ़ जं.
5. रोडवेज डिपो के सामने का चौक, सूरतगढ़ रोड, हनुमानगढ़ जं.
6. कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर, हनुमानगढ़ जं.
7. हनुमान जी का मन्दिर, टाउन रोड, हनुमानगढ़
8. अंबेडकर चौक, हनुमानगढ़ जं.

- 9.गंगानगर फाटक हनुमानगढ जं
- 10.सतीपुरा चौराहा, हनुमानगढ जं.
- 11.बस स्टेण्ड, हनुमानगढ टाउन
- 12.शिलापीर व बाबा सुखासिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में मेला, हनुमानगढ टाउन
- 13.सुभाश चौक व इन्द्रा चौक,नगरपालिका रोड, हनुमानगढ टाउन
- 14.हिसारिया मार्केट/लालाजी चौक, हनुमानगढ टाउन
- 15.चूंगी नं.6, हनुमानगढ टाउन
- 16.भद्रकाली मेला,हनुमानगढ टा.
- 17.बाबा रामदेव/खेतरपाल मेला, रावतसर
- 18.माता का मंदिर ,पल्लू
- 19.सिंधी/रानी बाजार, नोहर
- 20.गोगामेडी मेला/गोरखनाथ टीला, गोगामेडी
- 21.मूर्ती चौक, भादरा
- 22.तहबाजारी, पीलीबंगा
- 23.सोनडी बस अड्डा ,नोहर

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान:- घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा. केन्द्र, तलवाडाझील, सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबंगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औशधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेंगे। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर.एस. पैकेटस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फ्ल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्षा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्या:-

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया, पीलिया, हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे, बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी।

(घ) खान-पान संबंधी:-

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग, दूषित खाना खाने, दूषित जल पीने से उल्टी-दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बीमारीयां होने की संभावना रहती है। ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टॉफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव, रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च) अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना, सर्दी, बुखार, सिरदर्द, डि-हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है। इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है। नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ नर्स-2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है। इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगे वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता

एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2) आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, अकाल, बाढ़ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क) आपदा प्रबंधन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):— प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स—II एवं एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते हैं। ये टीम मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर-घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख) नियंत्रण कक्ष का गठन :—प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रों पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। जहां पर किसी भी समय दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से सूचना पहुंचने पर तुरन्त संबंधित स्वास्थ्य कर्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलों का गठन किया गया है ।

(ग) एम्बुलेंस की व्यवस्था :—

जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बुलेंस का उपयोग रोगियों को लाने ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने-ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बुलेंस में आपातकालीन औषधियां, स्ट्रेचर, की व्यवस्था रहेगी। जिले के विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतु एम्बुलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति सुविधा के लिये 104 नं. एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

एम्बुलेंसों की सूची संलग्न है।

रैपिड रेस्पॉन्स टीम (आर.आर.टी.), नियंत्रणकक्ष एवं एम्बुलेंस की सूची निम्न प्रकार से है

क्र. सं.	टीम के सदस्य	संस्थान का नाम	चिकित्सालय दूरभाष/प्रभारी के मोबाइल नं.
1	डा.सुनील नोखववाल,चि.अ. श्री जसवन्त जांगीड,व.न.अ. श्री देवीलाल,ववा.बॉय	उप जिला चिकि.भादरा	223940 / 9694672833
2	डा.सुनीता,चि.अ. श्री विजयकुमार नाई,न.अ. श्री कमलकुमार,वा.बॉय	उप जिला चिकि.नोहर	220022 / 7976053054
3	डा.महेन्द्र शर्मा,चि.अ. श्री दिनेश शर्मा,न.अ. श्रीमती कृष्णादेवी,वा.बॉय	सामु.स्वा.केन्द्र,रावतसर	250068 / 9829425976
4	डा.हरिऔम बंसल,व.चि.अ. श्री लक्ष्यकुमार,न.अ.	सामु.स्वा.केन्द्र,पीलीबंगा	233112 / 9468876631

	श्री लाधूराम, वा.बाँय		
5	डा.भूपेन्द्र कुमार,चि.अ. श्री रामस्वरूप,न.अ. श्री सुभाष,वा.बाँय	सामु.स्वा.केन्द्र,संगरिया	250122 / 9414380689
6	डा.राजपाल,चि.अ. श्री सुभाषचन्द्र,न.अ. श्री खीयाराम,वा.बाँय	सामु.स्वा.केन्द्र,टिब्बी	225216 / 9001517191
7	डा.अनुपमा,चि.अ. श्री राकेश सिहाग,न.अ. श्री नरेशकुमार,वा.बाँय	राज.चिकि.कैनाल कॉलोनी,हनु.	261887 / 9828378002
8	ब्लॉक हनुमानगढ से आवश्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	260702 / 9414243233
9	राज.जिला चिकि.हनुमानगढ से आवश्यकतानुसार	जिला मुख्यालय	231399 / 9929046420

(घ) औषधि भण्डारण :-

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :- जैसे हलोजन गोलियां, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस./क्लोरो क्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./ जी.डी.डब्ल्यू ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औषधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च) मलेरिया नियंत्रण हेतु उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतु बुखार के रोगियों का घर-घर सर्वे कर रक्त पट्टिकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिड़काव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिंग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल. ओ. डालकर उपचारित किया जाएगा।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतु जोहड तालाबों में गम्बूसियां मछलियां छोड़ी जाएगी। बीटीआई/वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :-

जिले के एपीआई-2 या अधिक के आबादी क्षेत्र/जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिड़काव किये जाते हैं। इसके लिये प्रतिवर्ष पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज) पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि. प्रयोगशाला में भिजवाये जाते हैं तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है। डिग्गी, कुण्डों, एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जाता है। सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनेशन की कार्यवाही भी की जाती है।

(झ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां:-

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है :-

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बांध कर या छाता लेकर ही निकले। लू-ताप घात से प्रायः कुपोषण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटाये कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें। रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें।
- सार्वजनिक स्थानों एवं विद्यालयों के आस-पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतु जन साधारण को जानकारी दी जाएगी।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतों का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतु नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जाँच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानों में बाढ़ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा० स्वा० केन्द्रों पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों, जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार क्लोरीन पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिश्चित की जाएगी।
- विगत वर्षों में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ़ बनाया जावेगा।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनों में असंतोषप्रद पाये पेयजल स्रोतों का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्रोतों का सुपरक्लोरीनेशन एवं नमूनों का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनों की कार्यवाही को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) चिकित्सा/जांच व्यवस्था :- सभी सीएचसी एवं जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानों में विशेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिये 150, नोहर, भादरा, रावतसर व संगरिया प्रत्येक सीएचसी में 50-50 अन्य सीएचसी में 30 तथा प्रत्येक पीएचसी में 6 बैड की क्षमता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था भी की जा सकती है।

जिला चिकित्सालय, सीएचसी छानीबडी, नोहर, भादरा, पीलीबंगा, संगरिया व रावतसर में एक्स-रे मशीन, वायल्स ऑपरेटर्स, ऑटोक्लेव मशीनों की व्यवस्था है। सभी चिकित्सालयों/सीएचसी में पैथोलोजी जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

(4) प्रचार प्रसार :-

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु समय-2 पर प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेट्स वितरण किये जाते हैं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारों श्लोगन लिखवाये जाते हैं। बैनर/हॉर्डिंग लगाये जाते हैं एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

जिला/उप जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों एवं केन्द्रों के दूरभाष नं. की सूची

जिला हनुमानगढ़ के राजकीय चिकित्सा संस्थानों के सम्पर्क सूत्र					
क्र.सं.	ब्लॉक	संस्था का प्रकार	स्थान	प्रभारी का नाम	मोबाईल न0
1	हनुमानगढ़	जिला चिकित्सालय	हनुमानगढ़	डॉ0 मुकेश कुमार	9929046420
2	हनुमानगढ़	राज.चिकि.	हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 इन्द्रसैन	9828378002
3	भादरा	उप जिला चिकि0	भादरा	डॉ0 सतवीर बैनिवाल	9694672833
4	नोहर	उप जिला चिकि0	नोहर	डॉ0 जसवन्त मीणा	7976053054
5	टिब्बी	सीएचसी	टिब्बी	डॉ0 मांगीलाल	9001517191
6	टिब्बी	सीएचसी	सूरेवाला	डॉ0 रणविजय शेखावत	9997497899
7	संगरिया	सीएचसी	संगरिया	डॉ0 अरविन्द्र शर्मा	9414380689
8	संगरिया	सीएचसी	ढाबां	डॉ0 सुमित	9828660336
9	रावतसर	सीएचसी	पल्लू	डॉ0 जयप्रकाश	9529777766
10	नोहर	सीएचसी	फेफाना	डॉ0 भुपेन्द्र सिंह	9772269707
11	नोहर	सीएचसी	मेघाना	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार भाम्मु	9667511825
12	नोहर	सीएचसी	गोगामेडी	डॉ0 संदीप कुमार	9782823682
13	नोहर	सीएचसी	रामगढ़	डॉ0 राकेश सिंह	7240716129
14	भादरा	सीएचसी	छानीबडी	डॉ0 पुजा	9871889533

15	भादरा	सीएचसी	गाधीबडी	डॉ0 घनश्याम	9852302585
16	हनुमानगढ़	सीएचसी	धोलीपाल	डॉ0 अरविन्द्र कुमार	9928818123
17	हनुमानगढ़	सीएचसी	पक्कासारना	डॉ0 अशोक कुमार राठी	8502961264
18	रावतसर	सीएचसी	रावतसर	डॉ0 सुभाष भिडासरा	9829425976
19	पीलीबंगा	सीएचसी	पीलीबंगा	डॉ0 सुनील	9468876631
20	पीलीबंगा	सीएचसी	गोलूवाला	डॉ0 चिराग मोदी	9079002592
21	पीलीबंगा	सीएचसी	डबलीराठान	डॉ0 योगेश	9782555148
22	टिब्बी	पीएचसी	तलवाडाझील	डॉ0 अंकुर मीणा	9667741452
23	टिब्बी	पीएचसी	मिर्जावाली मेर	डॉ0 अभिषेक ढाका	8209909430
24	टिब्बी	पीएचसी	मेहरवाला	डॉ0 राजेश कुमार मीणा	9694606462
25	टिब्बी	पीएचसी	सिलवालाखुर्द	डॉ0 सुखवीर सिंह	8263022044
26	संगरिया	पीएचसी	दीनगढ़	डॉ0 गोपाल कृष्ण	9414677036
27	संगरिया	पीएचसी	हरिपुरा	—	
28	संगरिया	पीएचसी	मालारामपुरा	डॉ0 गोपाल कृष्ण	9414677036
29	संगरिया	पीएचसी	नुकेरा	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	8058382614
30	संगरिया	पीएचसी	चक हीरा सिंह वाला	डॉ0 प्रशांत पंवार	8561813424
31	संगरिया	पीएचसी	किशनपुरा उत्तरादा	डॉ0 गौरव भुरटिया	8094823689
32	संगरिया	पीएचसी	शाहपीनी	डॉ0 भुपिन्द्र	8788700305
33	संगरिया	पीएचसी	लीलावाली	डॉ0 सिमरन	8764310720
34	भादरा	पीएचसी	उत्तरादाबास	डॉ0 राकेश	9929320104
35	भादरा	पीएचसी	नेठराना	डॉ0 मोनिका	9057234934
36	भादरा	पीएचसी	भिरानी	डॉ0 रुचिका	9416199998
37	भादरा	पीएचसी	अजीतपुरा	डॉ0 इन्द्रपाल	9813148303
38	भादरा	पीएचसी	कलाना	डॉ0 संदेश	9413600858
39	भादरा	पीएचसी	मलसीसर	डॉ0 साहीन खान	8058504486
40	भादरा	पीएचसी	डाबडी	डॉ0 मोनिका	7665766645
41	भादरा	पीएचसी	गदरा	डॉ0 ज्ञानदीप	9187956944
42	भादरा	पीएचसी	घेऊ	डॉ0 समेस्ता	8448665404
43	भादरा	पीएचसी	निनाण	डॉ0 निशा	7976586452
44	भादरा	पीएचसी	मेहराना	डॉ0 राकेश	7014252812
45	भादरा	पीएचसी	मुन्सरी	डॉ0 मोहित	7740876779
46	भादरा	पीएचसी	मलखेडा	डॉ0 हिताश्व	9664382283
47	भादरा	पीएचसी	डूंगराना	डॉ0 सुरेश	9413600858
48	भादरा	पीएचसी	शेरपुरा	डॉ0 यशवंत नेहरा	9413537128
49	भादरा	पीएचसी	अनुपशहर	डॉ0 प्रवीण	8696389950
50	भादरा	पीएचसी	जिगासरी छोटी	डॉ0 जयप्रकाश	9588052518
51	नोहर	पीएचसी	दीपलाना	डॉ0 दिनेश कुमार महला	9549394726

52	नोहर	पीएचसी	परलिका	डॉ0 अल्का	7976586512
53	नोहर	पीएचसी	जसाना	डॉ0 सुमित सिहाग	7014237696
54	नोहर	पीएचसी	टोपरियां	डॉ0 रितु अग्रवाल	9252174890
55	नोहर	पीएचसी	बिरकाली	डॉ0 सतोंष रानी	8811996280
56	नोहर	पीएचसी	मंदरपुरा	डॉ0 विश्वास प्रताप सिंह	7014255699
57	नोहर	पीएचसी	धानसिया	डॉ0 सचिन साबरवाल	6377242919
58	नोहर	पीएचसी	टीडियासर	डॉ0 वंदना राठौड	9829484199
59	नोहर	पीएचसी	खूर्इयां	डॉ0 अमनदीप	9782391605
60	नोहर	पीएचसी	ललाना दिखनादा	डॉ0 दीपक कुमार	7728984645
61	नोहर	पीएचसी	थिराना	डॉ0 विरेन्द्र	9602064434
62	रावतसर	पीएचसी	न्योलखी	डॉ0 राकेश बरोड़	9649916000
63	रावतसर	पीएचसी	केलनिया	डॉ0 हरलाल	8385941090
64	रावतसर	पीएचसी	बरमसर	डॉ0 जितेन्द्र	773724441
65	रावतसर	पीएचसी	मोटेर	डॉ0 हरलाल	8385941090
66	रावतसर	पीएचसी	गंधेली	डॉ0 मनीष	8104290757
67	रावतसर	पीएचसी	मोधूनगर	डॉ0 विरेन्द्र सिंह	9079399787
68	रावतसर	पीएचसी	रामपुरा मटोरिया	डॉ0 रमेश नेहरा	8003008783
69	रावतसर	पीएचसी	खोडा	डॉ0 रोहन गुर्जर	7737681889
70	पीलीबंगा	पीएचसी	जाखडावाली	डॉ0 गौरीशकर	7891553985
71	पीलीबंगा	पीएचसी	दोलतांवाली	डॉ0 चन्दन जिन्दल	9782669916
72	पीलीबंगा	पीएचसी	बडोपल	डॉ0 विकास	7877172227
73	पीलीबंगा	पीएचसी	डबलीबास मिठारोही	डॉ0 सजय नासना	9001416945
74	पीलीबंगा	पीएचसी	लिखमीसर	डॉ0 अमिता	8946910255
75	पीलीबंगा	पीएचसी	खोथांवाली	डॉ0 प्रेरणा लक्ष्मी	9462150000
76	हनुमानगढ़	पीएचसी	जण्डावाली	डॉ0 अनिदां सिडाना	8209866604
77	हनुमानगढ़	पीएचसी	मक्कासर	डॉ0 गरिमा छाबड़ा	7014928706
78	हनुमानगढ़	पीएचसी	सहजीपुरा	डॉ0 गिन्नी गर्ग	9413480494
79	हनुमानगढ़	पीएचसी	किशनपुरा दिखनादा	डॉ0 केवल धीरज	9602489222
80	हनुमानगढ़	पीएचसी	अराईयांवाली	डॉ0 प्रभात कुमार	9460793183
81	हनुमानगढ़	पीएचसी	लखूवाली	डॉ0 अरविन्द बिश्नोई	7990748840
82	हनुमानगढ़	पीएचसी	भोमपुरा	डॉ0 अरविन्द बिश्नोई	7990748840
83	हनुमानगढ़	पीएचसी	मुण्डा	डॉ0 सुशीला	8107508275
84	हनुमानगढ़	पीएचसी	नौरंगदेसर	डॉ0 केवल धीरज	9602489222
85	हनुमानगढ़	क्षय निवारण केन्द्र	टी.बी. क्लीनिक, हनुमानगढ़	डॉ0 रविशंकर शर्मा	9414332764

86	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 रिशभ गुप्ता	7073696151
87	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	सुरेशिया	—	—
88	हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी	हनुमानगढ़ टाउन	डॉ0 मनीष कात्याल	9463133131
89	नोहर	शहरी पीएचसी	नोहर	डॉ0 निधि सिंह	9179400202
90	नोहर	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.29 नोहर सरदारपुरा बास	डॉ0 प्रवीण	7877598844
91	नोहर	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.38 नोहर नेहरूनगर	डॉ0 मयंक	8769414127
92	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन	डॉ0 विरेन्द्र चौधरी	6377513285
93	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	खुंजा, हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 विजय भटनागर	9057535313
94	हनुमानगढ़	जनता क्लीनिक	वार्ड नं.1 हनुमानगढ़ जं.	डॉ0 कमल सैनी	9079729052

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. व खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र.

1	रावतसर	ट्रोमासेंटर	रावतसर	डॉ0 सुभाष भिडासरा	9829425976
2	नोहर	ट्रोमासेंटर	नोहर	डॉ0 जसवन्त मीणा	7976053054
3	हनुमानगढ़	ट्रोमासेंटर	हनुमानगढ़		

स्थान	संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़	आउटडोर, इण्डोर, विशेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच, एक्स-रे,सी.टी.स्केन, अल्ट्रासोनोग्राफी, निःशुल्क औषधियां, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑपरेशन, पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं, आपातकालीन जटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी, पोस्टमार्टम,एक्स-रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उप जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, विशेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच, एक्स-रे निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑपरेशन, पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं, आपातकालीन जटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी, पोस्टमार्टम,एक्स-रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर, इण्डोर, लैबोरेटरी जांच, निःशुल्क औषधियां,मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेस, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य,पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएं, एमएलसी, पोस्टमार्टम, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

उपकेन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएँ	निःशुल्क औषधियाँ, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएँ, जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, पट्टी, आधारभूत प्रसव सुविधाएँ, नमक में आयोडीन, पानी की एफ टीके विधि से जांच, आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
--------------------------------	---

परिशिष्ट नं. 5 चपेट में आने वाले गांवों तथा कस्बों की सूची

5.1 जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित तहसीलवार ग्रामों की सं. वर्ष 2022-23

क्र.सं.	नाम तहसील	2022-23
1	हनुमानगढ़	2
2	संगरिया	17
3	टिब्बी	39
4	नोहर	1

5.2 जिले में स्थित कच्ची बस्तियाँ, जहाँ बरसात/बाढ़ के समय पानी भरने की संभावना रहती है।

शहरी क्षेत्र

क्र. सं.	तहसील	कार्यालय का नाम	वह स्थान जहाँ पानी भरने की संभावना रहती है
1.	हनुमानगढ़	नगरपरिषद् हनुमानगढ़	बरकत कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन मुखर्जी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन लोहिया कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन अल्फा सिटी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ टाउन के आस-पास का निचला क्षेत्र, तुलसी बिहार, प्रेम नगर का निचला क्षेत्र, हनुमानगढ़ टाउन भट्टा बस्ती वार्ड नं. 15, 16, 12 हनुमानगढ़ जंक्शन सुरेशिया क्षेत्र वार्ड नं. 54 से 60 हनुमानगढ़ जंक्शन शंकर नगर वार्ड नं. 18 हनुमानगढ़ जंक्शन ढिल्लो कॉलोनी, वार्ड नं. 17 हनुमानगढ़ जंक्शन राजीवी एन्कलेव, ज्योती कॉलोनी, बाबा श्याम सिंह कॉलोनी, मेघराज कॉलोनी, दारा सिंह कॉलोनी वार्ड नं. 19 हनुमानगढ़ जंक्शन सावन कॉलोनी, एसडीएम कॉलोनी, गोल्डन सिटी, स्टार सिटी, विचित्र सिंह कॉलोनी, वैशाली नगर आनन्द विहार प्रथम एवं द्वितीय, साई कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन
2.	नोहर	नगरपालिका नोहर	वार्ड संख्या 20 महावीर पार्क व पीडब्लुडी रेस्ट हाऊस के पीछे की साईट, वार्ड संख्या 20 श्याम मंदिर व हनुमान मंदिर के मध्य का पुराना जोहड़ साईट,

			वार्ड संख्या 16 सूर्य भवन मंदिर के पीछे डेरा सच्चा सौदा के पास की साईट , वार्ड संख्या 1 शोभाणा जोहड़, वार्ड संख्या 29 श्याम बाबा कॉलोनी, वार्ड संख्या 6 ईदगाह के पीछे			
3.	पीलीबंगा	नगरपालिका पीलीबंगा	वार्ड नं. 17 गिनाणी के आस पास का क्षेत्र खरलिया रोड़ वार्ड नं. 11,25 के आस पास का क्षेत्र वार्ड नं. 4, 5 व 6 का क्षेत्र वार्ड नं. 03 में सांसी मोहल्ला व इसके आस पास का क्षेत्र वार्ड नं. 23 में गिनाणी का आस पास का क्षेत्र वार्ड नं. 22 में सबग्रिड स्टेसन के आस पास का क्षेत्र वार्ड नं. 20 में राजकीय उच्च प्रा. पाठशाला दुलमानी के आस पास का क्षेत्र			
4.	रावतसर	नगरपालिका रावतसर	वार्ड नं. 02, 03, 04 का कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 04, 05 का कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 07, 24 का कुछ क्षेत्र			
5.	संगरिया	नगरपालिका संगरिया	वार्ड संख्या— 1, 2, 3, 31, 32, 16, 34			
6.	टिब्बी	नगरपालिका टिब्बी	वार्ड नं:-01 में पीरखाना के नजदीक । वार्ड नं:-08 हनुमानगढ़ रोड़ से अम्बेडकर चौक से भगत सिंह चौक से पेट्रोल पम्प तक । वार्ड नं:-08 अम्बेडकर चौक से संगरिया मोड़ तक तथा गौरव पथ रोड़ । वार्ड नं:-20 में रूड़ा राम की मेड़ी के पास । .वार्ड नं:-18 में 6जीजीआर रोड़			
7.	भादरा	नगरपालिका भादरा	क्र. सं.	अति वृष्टि से प्रभावित होने वाले स्थानों का विवरण	समाधान	
			1	डूम सागर वार्डनं. 33 मोची मोहल्ला	डूम सागर वार्डनं. 33 मोची मोहल्ला में पानी निकासी हेतु विद्युत का 20 एचपी का मोनोब्लॉक मोटर व 1 10 एचपी का सबमर्सिबल पम्प लगा हुआ है जिसके माध्यम से बरसाती पानी की निकासी की जाती है।	
			2	वार्डनं. 10 व 12 का यमखानी बास चौक	क्या मखानी चौक पर पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी हेतु पम्पसैट व बिजली की मोटर लगी हुई है जिसके माध्यम से बरसाती पानी की निकासी की जाती है।	
			3	वार्डनं. 7 हाथीपुरा बास	हाथीपुरा बास डूम सागर में पानी निकासी हेतु बिजली मोटर 25 एचपी की लगी हुई है तथा एसपीएस प्लांट बना हुआ है जिसके माध्यम से बरसाती पानी की निकासी की जाती है।	

			4	वार्डनं. 3 अनाज मण्डी में पानी इकट्ठा	वार्डनं. 3 अनाज मण्डी में पानी इकट्ठा होने पर कृषि उपज मण्डी द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था की जाती है।
			5	वार्डनं. 9 कल्याणभूमि के पास गंदे पानी का जोहड़ एवं नाथवाना जोहड़	कल्याणभूमि के पास गंदे पानी के जोहड़ के स्थान पर पार्क विकसित कर दिया गया है एवं नाथवाना जोहड़ में वर्तमान में पानी भराव की समस्या नहीं है।
			6	राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाइन तक	राजकीय अस्पताल से साहवा बस स्टेण्ड एवं रेलवे लाइन के नीचे से होते हुए पानी वार्डनं. 7 हाथीपुरा बास डूम सागर में इकट्ठा हो जाता है जिसमें मडपंप के द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र

तहसील का नाम	गांव का नाम	वह स्थान जहां पानी भरने की सम्भावना रहती है
हनुमानगढ़		
संगरिया	भाखरावाली बोलावाली फतेहपुर इन्द्रगढ़ कीकरवाली मालारामपुरा मानकसर रासूवाला रतनपुरा हरिपुरा	साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी) साधारण जल भराव (डीजल पंपसेट, जोहड़ व खेतों में निकासी)
टिब्बी		टिब्बी ग्रामीण क्षेत्र तलवाड़ा झील, राठीखेड़ा/रत्ताखेड़ा, टिब्बी, मसाना, ढाणी तारासिंहवाली, शेरकां, कमरानी, पन्नीवाली, पीरकामड़िया, सुरेवाला, चन्दुरवाली।
रावतसर		शहरी क्षेत्र वार्ड नं- 9, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, वार्ड नं- 5, वेयरहाउस के पास, वार्ड नं- 3, रा0- प्रा0- पाठशाला के पास, वार्ड नं- 2, कश्मीर सिंह के मकान के पास, वार्ड नं- 17, ईट भट्टा का खड्डा, वार्ड नं- 20, बस स्टैण्ड के पास
पीलीबंगा	पीलीबंगा	शहरी क्षेत्र वार्ड नं- 2,4,5,6,11,17,20,21,22,25 की निकासी की व्यवस्था सही न होने के कारण
	सरावांवाला	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	दौलतावाली	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	सरामसर	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	टहमदपुरा	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	रावों की ढाणी	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	पण्डिता वाली	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	पीलीबंगा गांव	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती

	छुलमाना	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	कलीबंगा	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	थनहालपुरा	गांव की नीचे स्तर की कच्ची बस्ती
	गेलूवाला	वार्ड नं- 8, हरीराम मन्दिर से रामदेव मन्दिर तक
	सुरावाली	वार्ड नं-1
	श्रामपुरा	बिहारी बस्ती, गांव का पूर्वी भाग
	खरलियां	राय सिंखो के जोहड़ के पास
	थिराजवाला	बाबरी मोहल्ला
	हरदयालपुरा	जोहड़ के पास
	लिखमीसर	ग्राम पंचायत भवन, औशधालय का क्षेत्र
भादरा	शहरी क्षेत्र वार्ड नं.1 रीले केन्द्र के पास, वार्ड नं. 2 अनाज मण्डी व सिंचाई कॉलोनी के आगे, वार्ड नं.5,6 मुमताज खां की बाड़ी, वार्ड नं. 7 जुलाहों की ढाणी, वार्ड नं. 9 नथवाना जोहड़ा कल्याण भूमि के पास, वार्ड नं. 19 डूम सागर,	

परिशिष्ट:-6 जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची

6.1 हनुमानगढ़ जिले में स्थित पेट्रोल पम्पों की सूची

क्र० सं०	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	कहां स्थापित है लोकेशन	तहसील
1	13/90 मै० कटेवा ब्रदर्स हनुमानगढ़ जं० आईओसीएल	गगनगर हनुमानगढ़ रोड हनुमानगढ़ जं०	हनुमानगढ़
2	12/08 मे० जीएम पेट्रो सतीपुरा रोड हनुमानगढ़ टा० आईओसीएल	सतीपुरा बाईपास रोड	हनुमानगढ़
3	13/90 मै० कटेवा ब्रदर्स हनुमानगढ़ जं० आईओसीएल	गगनगर हनुमानगढ़ रोड हनुमानगढ़ जं०	हनुमानगढ़
4	12/08 मे० जीएम पेट्रो सतीपुरा रोड हनुमानगढ़ टा० आईओसीएल	सतीपुरा बाईपास रोड	हनुमानगढ़
5	7/90 मे० शिव ऑयल स्टार पक्कासारणा आईओसीएल	हनुमानगढ़ गंगानगर रोड बस स्टेण्ड पक्कासारण	हनुमानगढ़
6	28/90 मै० शंकर सिलिंग स्टेशन हनुमानगढ़ टा० आईओसीएल	रावतसर रोड कोहला हनुमानगढ़ जं०	हनुमानगढ़
7	6/2007 मै० दुधवाल किसान सेवा केन्द्र करणीसर तहसील हनुमानगढ़ आईओसीएल	चक 35 एसएसडब्ल्यू करणीसर	हनुमानगढ़
8	1/06 कोको डबली राठान तहसील हनुमानगढ़ आईओसीएल	सूरतगढ़ रोड डबलीराठान	हनुमानगढ़
9	180/90 दी हनुमान आटोमोबाईलस सेल्स कारपोरेशन हनु० टा० आईओसीएल	नई मण्डी स्टेशन के पास हनु० टा०	हनुमानगढ़
10	81/90 मै० एसडी गणेशगढ़िया फिलिंग स्टेशन हनु० जं० आईओसीएल	हनुमानगढ़ जं०	हनुमानगढ़

क्र० सं०	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	कहां स्थापित है लोकेशन	तहसील
11	2/97 मै0 करनी सर्विस स्टेशन हनुमानगढ़ आईओसीएल	सतीपुरा रोड हनु० ज०	हनुमानगढ़
12	[2/2004 ने० शिबिया ब्रदर्स चौहिलावाली आईओसीएल	लाली रोड	हनुमानगढ़
13	1/2005 मै० किसान पेट्रोल पम्प हनुमानगढ़ आईओसीएल	जक्शन टाउन रोड नजदीक आशीष सिनेमा हनु०ज०	हनुमानगढ़
14	5/2005 में गणपति फिलिंग स्टेशन हनु०ज० आईबीपी	जक्शन संगरिया रोड हनु० ज०	हनुमानगढ़
15	7/2007 मे जीएस फिलिंग स्टेशन बीपीसीएल	फतेहगढ़ चक 22 एचएमएच तह हनु	हनुमानगढ़
16	5/90 मै0 कुमार ब्रदर्स हनुमानगढ़ ज० बीपीसी	गंगानगर हनुमानगढ़ रोड हनुमानगढ़ ज०	हनुमानगढ़
17	60/90 मै० चिमनलाल महेन्द्रपताप हनुमानगढ़ बीपीसी	अबोहर हनुमानगढ़ टा० रोड	हनुमानगढ़
18	22/90 मै० बजाज पेट्रोलियम ट्रेडर्स हनुमानगढ़ ज० एचपीसीएल	बस अड्डा हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
19	2/2005 मै० गणेश फिलिंग स्टेशन हनु०टा० एचपीसीएल	चक 15 एचएमएच टिब्बी रोड हनु० ज०	हनुमानगढ़
20	1/96 मै0 मोहनलाल अग्रवाल हनु०टा० एचपीसीएल	रावतसर रोड हनुमानगढ़ टा०	हनुमानगढ़
21	3/2005 मै० चौधरी पेट्रोलियम हनु नायरा	हनुमानगढ़ संगरिया रोड हनु०जे०	हनुमानगढ़
22	4/2005 मेD मधुरादास चरणदास एण्ड कम्पनी हनु० ज० रिलायन्स	टाउन जक्शन रोड नजदीक हनुमान मंदिर हनु० ज०	हनुमानगढ़
23	18/2013 मे० एमआई जमींदारा आईओसीएल	खुन्जा बाईपास हनुमानगढ़ ज०	हनुमानगढ़
24	21/2013 मे० ख्वाजा गरीब नवाब किसान सेवा केन्द्र आईओसीएल	37 एसटीजी, ढालिया	हनुमानगढ़
25	24 / 2014 मे0 बराड फिलिंग स्टेशन आईओसी	पीलीबंगा रोड, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
26	28/2014 मे० गणपति पेट्रोलियम डबलीराठान बीपीसीएल	डबली राठान तहसील हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
27	16/2014 मे० गोदारा पेट्रो एचपीसीएल		हनुमानगढ़
28	31/2015 मे0 चौधरी फ्यूल स्टेशन नायरा	हनुमानगढ़ जंक्शन	हनुमानगढ़
29	34/15 विनायक फिलिंग स्टेशन नायरा	रोडावाली, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
30	40/2016 यादव पेट्रो केयर नायरा	कोहलारोड, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
31	42/2016 मै0 रिद्धि सिद्धि पेट्रोलियम स्टेशन नायरा	नौरगदेसर रोड, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
32	46/2017 मेसर्स मेसोन फ्यूल स्टेशन डबलीराठान, हनुमानगढ़ नायरा	डबलीराठान	हनुमानगढ़

क्र० सं०	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	कहां स्थापित है लोकेशन	तहसील
33	9/90 मे० सिबिया ब्रदर्स मालारामपुरा तह संगरिया आईओसीएल	संगरिया अबोहर रोड मालारामपुरा	संगरिया
34	21/90 मे० रमेश ऑयल कम्पनी संगरिया आईओसीएल	संगरिया से हनुमानगढ़ रोड़ पर	संगरिया
35	18/90 मै० बलदेव प्रसाद माधोप्रसाद संगरिया एचपीसीएल	रेलवे रोड़ मस्जिद के पास	संगरिया
36	1/92 मे० परसराम शुभकरण संगरिया बीपीसीएल	संगरिया से भगतपुरा रोड	संगरिया
37	4/2006 में. अजय फिलिंग स्टेशन पीलीबंगा आईओसीएल	हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड़ पीलीबंगा	पीलीबंगा
38	11/2008 मे० चौधरी किसान सेवा केन्द्र कालीबंगा चौराहा पीलीबंगा आईओसीएल	कालीबंगा चौराहा गांव पीलीबंगा	पीलीबंगा
39	77/90 में छगनलाल राठी पीलीबंगा	पीलीबंगा	पीलीबंगा
40	41/16 मै० शिवपना डीजल ग्राम आईओसीएल आईओसीएल	सूरतगढ़ रावतसर रोड जांखडावाली	पीलीबंगा
41	1/93 मै० जेकेसेल्स कारपोरेशन गोलूवाला तह पीलीबंगा आईओसीएल	पचायंत भवन के पास गोलूवाला	पीलीबंगा
42	1/2003 मे० हाईवे फिलिंग स्टेशन कैचियां तहसील पीलीबंगा आईओसीएल	सूरतगढ़ रोड़ कैचिया	पीलीबंगा
43	2/2006 कोको पीलीबंगा आईओसीएल	सूरतगढ़ रोड	पीलीबंगा
44	5/2005 मे० कन्धारी पेटो पवाईन्ट सूरतगढ़ रोड पीलीबंगा रिलायन्स	सूरतगढ़ रोड पीलीबंगा	पीलीबंगा
45	1/2002 मै० गुरु जम्बेशवर फिलिंग स्टेशन पीलीबंगा 17 पीबीएन एचपीसीएल	17 पीबीएन (अमरपुरा राठान) पीलीबंगा	पीलीबंगा
46	73/90 मे. सोहनलाल जनकलाल पीलीबंगा एचपीसीएल	पीलीबंगा	पीलीबंगा
47	13/2011 मे० पीलीबंगा फिलिंग स्टेशन पीलीबंगा बीपीसीएल	पीलीबंगा	पीलीबंगा
48	15/2011 मे० भवानी फिलिंग स्टेशन गोलूवाला सीसीएल	गोलूवाला	पीलीबंगा
49	17/2013 में बालाजी किसान सेवा केन्द्र लिखमीसर आईओसी	लिखमीसर	पीलीबंगा
50	26/2014 मे० अयालकी किसान सेवा केन्द्र आईओसीएल	चक 20 जेआरके	पीलीबंगा
51	32 / 2015 मे० गणपति किसान सेवा केन्द्र 3 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा आईओसीएल	एलजीडब्ल्यूडी पीलीबंगा	पीलीबंगा
52	39/2016 हरिऔरम पेट्रोलियम रोड, कालीबंगा रोड, पीलीबंगा आईओसीएल	कालीबंगा रोड, पीलीबंगा	पीलीबंगा
53	31/90 मै० सूरज आटो सर्विस सेन्टर टिब्बी आईओसीएल	टिब्बी ऐलनाबाद रोड टिब्बी	टिब्बी
54	43/90 मै० सोनी फिलिंग स्टेशन पल्लू रावतसर आईओसीएल	सरदारशहर रोड पल्लू	रावतसर

क्र० सं०	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	कहां स्थापित है लोकेशन	तहसील
55	68/90 मे० सुभाष ऑयल कम्पनी रावतसर आईओसीएल	नया बस स्टेण्ड के पास रावतसर	रावतसर
56	7/92 मै० अजय पेट्रोलियम रावतसर आईओसीएल	रावतसर नोहर रोड थालड़का	रावतसर
57	1/2004 मै० चौधरी आटो कैंपर धन्नासर कैचिया आईओसीएल	धन्नासर कंचिया रोड़	रावतसर
58	3/2004 मै० भादू ब्रदर्स रावतसर आईओसीएल	सरदारशहर रोड धानमण्डी के पास रावतसर	रावतसर
59	3/2006 मे० मटोरिया पेट्रोलियम धन्नासर आईओसीएल	धन्नासर सरदारशहर रोड	रावतसर
60	तह रावतसर 10/2008 मै० कृष्ण कन्हैयाफियूल फिलिंग	पल्लू	रावतसर
61	1/97 मे० रावतसर फिलिंग स्टेशन रावतसर बीपीसीएल	रावतसर सरदारशहर रोड पर	रावतसर
62	14/2011 ओमकारा फिलिंग स्टेशन गाव पल्लू तह० रावतसर एचपीसीएल	पल्लू मेगा हाईवे एसएच 7 पल्लू से सरदारशहर रोड	रावतसर
63	22/2014 मे० भादू पेट्रोलियम रावतसर आईओसीएल	रावतसर	रावतसर
64	23/2014 मे० मटोरिया पेटो रावतसर आईओसीएल	रावतसर	रावतसर
65	25/2014 मे० मटोरिया पेट्रोलियम दूधली पल्लू रावतसर आईओसी	दूधली रावतसर	रावतसर
66	27/2014 मे० चेतक पेट्रोलियम रावतसर आईओसी	बिसरासर रावतसर	रावतसर
67	29/2014 बिजारिणाया टैंडर्स, रावतसर एचपीसीएल	रावतसर	रावतसर
68	30/2015 मै० अलकुबेर फयूल स्टेशन बीपीसीएल	4 केडब्ल्यूडी रावतसर	रावतसर
69	35 / 2016 मे० सिहाग पेट्रोलियम, बरमसर, रावतसर एस्सार	रावतसर	रावतसर
70	36/2016 मै० कुलडिया पेट्रोसिटी पूरबसर, रावतसर आईओसी	रावतसर	रावतसर
71	44/16 मे० सोनम किसान सेवा केन्द्र गन्धेली आईओसी	30 आरडब्ल्यूडी, गन्धेली, रावतसर	रावतसर
72	45/16 मै० सहारण पेट्रोलियम रावतसर एस्सार	नोहर रोड, रावतसर	रावतसर
73	47/2017 मैसर्स नीलकण्ठ पेट्रोलियम, चाईया, रावतसर नायरा	चाईया, रावतसर	रावतसर
74	5/90 मै० श्यामलाल सुन्दरलाल भादरा आईओसी	बाईपास भादरा	भादरा
75	39/90 मै० लक्ष्मी ऑयल कम्पनी भादरा बीपीसीएल	रेलवे स्टेशन रोड भादरा	भादरा
76	40/90 मे. रामानन्द रतनलाल भादरा एचपीसीएल	भादरा साहबा रोड भादरा	भादरा
77	19/2013 मे० वीडिएस आयल कम्पनी नादरा आईओसी	भादरा	भादरा

क्र० सं०	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	कहां स्थापित है लोकेशन	तहसील
78	37/2016 हरचन्द्ररामजी सहारण किसान सेवा केन्द्र मलसीसर आईओसी	मलसीसर, भादरा	भादरा
79	18/2008 मे० कासनियां फिलिंग स्टेशन थालडका तह० नोहर	चक 22 आरडब्ल्यूडी थालडका	नोहर
80	16/90 मे० रामदेव सोनी एण्ड क० नोहर आईओसी	नई मण्डी नोहर	नोहर
81	5/06 में इण्डिया ऑटो एण्ड पेट्रो फियूल क० नोहर नायरा	चक जोगीआसन जयपुर गगानगर वाईपास रोड नोहर	नोहर
82	4/90 में गंगाधर मोहनलाल नोहर बीपीसीसी	रेलवे रोड नोहर	नोहर
83	9/2009 मे० पुनियां पेट्रो गोगामेडी तह नोहर एचपीसीएल	गोगामेडीहर	नोहर
84	20/2013 मे० चौधरी जोधाराम किसान सेवा केन्द्र आईओसी	नोहर	नोहर
85	33 / 2015 मे० श्रीराम फिलिंग स्टेशन पल्लू रोड बिरकाली बीपीसीएल	बिरकाली मोहर	नोहर
86	38/2016 मंगलम फिलिंग स्टेशन, नोहर आईओसी	साहया रोड, नोहर	नोहर
87	43/2016 चौ० भवरलाल बेनीवाल सेवा केन्द्र 19 एनटीआर, नोहर एसआर	19 एनटीआर, नोहर	नोहर
88	48/2017 मैसर्स श्री गणेश किसान सेवा केन्द्र खुईयां तहसील नोहर एस्सार ऑयल	खुईया, नोहर	नोहर
89	49/2017 मैसर्स किसान पेट्रोलियम ब्राह्मणवासी तहसील नोहर आईओसी	ब्राह्मणवासी, नोहर	नोहर
90	50/2017 एनजीएस फिलिंग स्टेशन दलपतपुरा नोहर नायरा	दलपतपुरा, नोहर	नोहर

6.2 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

क्र. सं.	निकाय कानाम	स्वीकृत रसोईयों की संख्या	कार्यरत रसोईयों की संख्या	संचालन संस्था का नाम	संचालित रसोई का स्थान मय पूर्ण पता	अधिकतम थालियों की संख्या (दोनों पारी में)	विशेष विवरण
	1	2	3	4	5	6	7
1.	टिब्बी	01	01	1. बीआर शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन 1473	किसान सेवा केंद्र टिब्बी	200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
2.	पीलीबंगा	03	03	1. मानव विकास टंकन प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ रसोई 1420 2. तिलक मैमोरियल शिक्षा संस्थान हनुमानगढ़ 540 3. युवा जागृति संस्थान हनुमानगढ़ रसोई 553	1. नया बस स्टैण्ड पीलीबंगा 2. रेलवे स्टेशन व पुराना बस स्टैण्ड के पास 3. खरलिया रोड़, भाम्बु मार्केट के पास	200 200 200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
3.	रावतसर	03	02	1. श्रीनाथ शिक्षण संस्थान रावतसर रसोई 122 2. श्रीनाथ शिक्षण संस्थान रावतसर रसोई 1268 3. लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति रसोई 544	1. मटोरिया गौराज के पास रावतसर 2. अम्बेडकर भवन रावतसर 3. बस स्टैण्ड रावतसर	200 वर्तमान में बन्द है 200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
4.	भादरा	03	02	1. ग्रामीण जागृति संस्थान भादरा रसोई 1269 2. ग्रामीण जागृति संस्थान भादरा रसोई 1270 3. शिव जनसेना समिति भादरा रसोई 1419	1. गांधी पार्क के पास एसबीआई बैंक के पीछे 2. विवेकानन्द ब्लड बैंक के सामने	200 200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
5.	संगरिया	03	03	1. श्री राम सोशल सोसायटी रसोई 338 2. श्री राम सोशल सोसायटी रसोई 532 3. श्री राम सोशल सोसायटी रसोई 531	1. वार्ड नं0 14 संगरिया 2. टिब्बी बस स्टैण्ड, सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास 3. उधम सिंह चौक के पास पुल के नीचे संगरिया	200 200 200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
6.	हनुमानगढ़	09	09	1. इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन रसोई 251 2. राधा किशन मेमोरियल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ जं0 रसोई 1418 3. इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन रसोई 336 4. श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन रसोई 530 5. महिला विकास समिति हनुमानगढ़ जंक्शन रसोई 529	1. बस स्टैण्ड रैन बसेरा हनुमानगढ़ टाउन 2. पुराना रैन बसेरा रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन 3. ट्रक युनियन हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन 4. श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन 5. चुंगी नं0 06 के हनुमानगढ़ टाउन	200 200 200 200 200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।

				6. बीआर शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन रसोई 1266	6. श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर धान मण्डी	200	
				7. संकल्प सेवा संस्थान हनुमानगढ़ जंक्शन रसोई 528	7. हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैण्ड	200	
				8. बीआर शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन रसोई 1267	8. चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन	200	
				9. श्री इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ टाउन रसोई 1265	9. कृषि उपज मंडी विश्राम गृह हनुमानगढ़ जंक्शन	200	
7.	नोहर	03	03	1. खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान चुरू रसोई 293	1. संस्थान किसान कैन्टिन धानमण्डी नोहर	200	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
				2. खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान चुरू रसोई 549	2. शिवाजी बस स्टैण्ड नोहर	200	
				3. डॉ भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति रायसिंहनगर रसोई 1007	3. भगवान महावीर पार्क नोहर	200	

6.3 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्रामीण कस्बे का नाम	विशेष विवरण
1.	हनुमानगढ़ (12)	जोड़किया चक	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 50-50 थाली का प्रावधान है।
		चक ज्वालासिंह वाला	
		मक्कासर	
		धौलीपाल	
		स्तीपुरा	
		न्वां	
		फतेहगढ़	
		पक्कासारणा	
		जण्डावाली	
		मुण्डा	
		वोहला	
2.	नोहर (6)	लखुवाली	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
		अरड़की	
		मेघाना	
		थरकाली	
		रामगढ़	
3.	पीलीबंगा (5)	गोगामेड़ी	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
		फेफाना	
		लिखमीसर	
		गोलुवाला सिहागान	
		गोलुवाला निवादान	
4.	भादरा (9)	डबलीमौलवी	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
		बडोपल	
		निनाण	
		भिरानी	
		छानी बड़ी	

		डाबड़ी टजीतपुरा मुन्वरी गांधी बड़ी नेठराना क्लाना	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
5.	संगरिया (3)	श्रतनपुरा लीलावाली ढाबां	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 50-50 थाली का प्रावधान है।
6.	रावतसर (2)	गंधेली	वर्तमान में प्रत्येक रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 100-100 थाली का प्रावधान है।
7.	टिब्बी (1)	तलवाड़ा झील	रसोई में प्रति दिवस अधिकतम् 50-50 थाली का प्रावधान है।

6.3 उचित मूल्य दुकानवार सूची जिला हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र व तहसीलवार

S. No.	Block	AREA	code	FPS Name	FPS_Address	Mobile No
1	भादरा	ग्रामीण	9970	कृष्ण कुमार / मोहर सिंह	भाड़ी	6350585507
2	भादरा	ग्रामीण	9972	शिवकुमार / श्यामलाल	भोजासर	9783325942
3	भादरा	ग्रामीण	9973	वेद प्रकाश	छानी बड़ी	9828221777
4	भादरा	ग्रामीण	9974	सरोज / दयाराम	छानी बड़ी	9587572529
5	भादरा	ग्रामीण	9975	लीलाधर शिवदानपुरा बुडेर	गढड़ा	9588065745
6	भादरा	ग्रामीण	9976	जसवन्त / झिण्डूराम	करणपुरा	9983178326
7	भादरा	ग्रामीण	9977	जय प्रकाश अस्थायी	करणपुरा	9610339939
8	भादरा	ग्रामीण	9978	हवा सिंह / लिछमन राम	मुन्दड़िया बड़ा	9828919623
9	भादरा	ग्रामीण	9979	लक्ष्मीनारायण/दलीप सिंह	मुन्दड़िया बड़ा	8094741238
10	भादरा	ग्रामीण	9981	रामकुमार / मनफूल	मुन्सरी	9929374567
11	भादरा	ग्रामीण	17872	भूपसिंह / चुन्नीराम	अजीतपुरा	9414502826
12	भादरा	ग्रामीण	17913	भगवाना राम / भाखाराम	अलायला	9982368777
13	भादरा	ग्रामीण	17932	सुरेन्द्र सिंह/भवरसिंह	अनूपशहर	9828889393
14	भादरा	ग्रामीण	17944	राम कुमार / श्योकरण नाई	भाड़ी	9982368777
15	भादरा	ग्रामीण	17956	सुमन/बलवंत सिंह	भागवाँ	9636227465
16	भादरा	ग्रामीण	17980	धर्मेन्द्र सिंह	भनाई	8078682621
17	भादरा	ग्रामीण	17990	विकास कुमार	भानगढ	6375041188
18	भादरा	ग्रामीण	18002	ग्राम सेवा सहसमिति भरवाना	भरवाना	9928855372
19	भादरा	ग्रामीण	18025	प्रेमचंद / ओमप्रकाश	भिरानी	9649717370
20	भादरा	ग्रामीण	18048	बृजलाल	भोजासर	9783325942
21	भादरा	ग्रामीण	18099	पवन कुमार / विजेंद्र सिंह अस्थायी	बिरान	9001606772
22	भादरा	ग्रामीण	18120	पालाराम	बोझला	9983116232
23	भादरा	ग्रामीण	18164	रामनिवास	छानी बड़ी	9785114087
24	भादरा	शहरी	18173	गुलामरसुल/सुलेमान	वार्ड 1	8003221189
25	भादरा	शहरी	18176	शिव कुमार अस्थायी	वार्ड 3	9928843209
26	भादरा	शहरी	18179	सुरेन्द्रसिंह/गौरीशंकर नाई	वार्ड 4	9413523995
27	भादरा	शहरी	18181	रामस्वरूप/मोमनराम	वार्ड 6	9414512964

28	भादरा	शहरी	18182	असलम खॉ/कादरखॉ	वार्ड 7	9414503025
29	भादरा	शहरी	18183	लियाकतअली/ सुलेखॉ	वार्ड 8	9414503025
30	भादरा	शहरी	18186	अब्दुल अजीज / हबीब खान	वार्ड 9 ए	9462026986
31	भादरा	शहरी	18188	श्योक्त खां	वार्ड 9 बी	9269777777
32	भादरा	शहरी	18190	शिव कुमार	वार्ड 10	8875692100
33	भादरा	शहरी	18191	विमल कुमार	वार्ड 11 ए	9610092431
34	भादरा	शहरी	18199	भावना / पवन कुमार	वार्ड 15	9929237036
35	भादरा	शहरी	18200	अब्दुला/गनीखॉ	वार्ड 16	9414512867
36	भादरा	शहरी	18203	लालचंद / विश्वनाथ सोनी	वार्ड 23 बी	9414940671
37	भादरा	शहरी	18204	पवनकुमार/ओमप्रकाश गोयल	वार्ड 18	9413764929
38	भादरा	शहरी	18207	लालचंद / विश्वनाथ सोनी अस्थाई	वार्ड 19 ए	9166259862
39	भादरा	शहरी	18216	फारुख	वार्ड 22 बी	9461367568
40	भादरा	शहरी	18219	योगेश कुमार/मंगतूराम	वार्ड 23 ए	6376658650
41	भादरा	शहरी	18222	बलदेव/विजयपाल	वार्ड 25	9414512834
42	भादरा	ग्रामीण	18236	सुरेन्द्र कुमार कृष्ण कुमार	चिड़िया गान्धी	7357789846
43	भादरा	ग्रामीण	18256	आरजू शर्मा / सुरेश कुमार	चिड़िया गान्धी	9828150046
44	भादरा	ग्रामीण	18289	रामस्वरूप / खेताराम	डाबड़ी	9982406000
45	भादरा	ग्रामीण	18307	महेन्द्र सिंह/काशीराम	डोबी	9530202914
46	भादरा	ग्रामीण	18328	लिछमा/सत्यनारायण	डूगराना	9828723178
47	भादरा	ग्रामीण	18390	राजेंद्र	गढड़ा	9483746658
48	भादरा	ग्रामीण	18411	सुनीता गढ़ीछानी	गढी छानी	9982530067
49	भादरा	ग्रामीण	18449	लिलादर/श्रीचंद अस्थाई	गान्धी बड़ी	9983405923
50	भादरा	ग्रामीण	18468	लिलादर/श्रीचंद	गान्धी बड़ी	9983405923
51	भादरा	ग्रामीण	18486	सतपाल	घेऊ	9784249962
52	भादरा	ग्रामीण	18515	हवा सिंह अस्थाई	जनाना	9649633774
53	भादरा	ग्रामीण	18529	रतन सिंह नेकीराम अस्थाई	जाटान	9982400046
54	भादरा	ग्रामीण	18576	संदीप झांसल	झांसल	9587040003
55	भादरा	ग्रामीण	18587	रामप्रसाद / मुंशीराम	जोगीवाला	7742177701
56	भादरा	ग्रामीण	18618	सुरेन्द्र / अमीलाल	कलाना	9694920911
57	भादरा	ग्रामीण	18642	सतपाल अस्थाई	कनाऊ	9799815435
58	भादरा	ग्रामीण	18762	जय प्रकाश	करणपुरा	9799539081
59	भादरा	ग्रामीण	18785	रामनिवास	खचवाना	9772625142
60	भादरा	ग्रामीण	18840	संजीव कुमार शंकर लाल अस्थाई	किराड़ा बड़ा	7878137381
61	भादरा	ग्रामीण	18856	विनोद कुमार	कुन्जी	9509154027
62	भादरा	ग्रामीण	18872	राजबाला सम्पतकुमार	मलसीसर	7891744307
63	भादरा	ग्रामीण	18889	विनोद कुमार/महेंद्र सिंह	मलखेड़ा	6377870851
64	भादरा	ग्रामीण	18922	रोहताश कुमार / चन्दुराम	मेहराना	9649929263
65	भादरा	ग्रामीण	19000	कृष्ण कुमार	मोठसरा	7665381414
66	भादरा	ग्रामीण	19019	भगवाना राम / भाखाराम अस्थाई	मुन्दड़िया बड़ा	9982368777
67	भादरा	ग्रामीण	19076	धनराज/काशीराम	मुन्सरी	9587039905
68	भादरा	ग्रामीण	19098	सुभाषचन्द्र / गुणराम	न्यांगल	9928808245
69	भादरा	ग्रामीण	19119	महावीर बाना / चन्नीराम	नेठराना	9929915196
70	भादरा	ग्रामीण	19141	मंगल सेन अस्थाई	नेठराना	9928613726
71	भादरा	ग्रामीण	19163	मंगल सेन	नेठराना	9928613726
72	भादरा	ग्रामीण	19197	हवा सिंह	निनाण	9413630031
73	भादरा	ग्रामीण	19230	सतवीर	राजपुरा	9784896500
74	भादरा	ग्रामीण	19251	नरेश कुमार/दलवीर सिंह	रामगढ़िया	7062211325

75	भादरा	ग्रामीण	19286	शेर सिंह / सुल्तान सिंह अस्थायी	रासलाना	8875231089
76	भादरा	ग्रामीण	19304	शेर सिंह / सुल्तान सिंह	रासलाना	8875231089
77	भादरा	ग्रामीण	19343	रमेश कुमार	सागड़ा	9664385421
78	भादरा	ग्रामीण	19360	पवन कुमार / विजेंद्र सिंह	साहूवाला	9772814832
79	भादरा	ग्रामीण	19377	कंवरपाल	सरदारगढिया	9414990041
80	भादरा	ग्रामीण	19413	योगेश कुमार / इन्द्रसेन	शेरड़ा	9551573333
81	भादरा	ग्रामीण	19431	महेंद्र सिंह	सूरतपुरा	9982126636
82	भादरा	ग्रामीण	19445	उममेद सिंह	उत्तरादाबास	9982124296
83	भादरा	शहरी	23941	मनीष / देवप्रकाश	वार्ड 11 बी	9929005001
84	भादरा	शहरी	23942	बलदेव/विजयपाल अस्थायी	वार्ड 17	9414512834
85	भादरा	ग्रामीण	24549	बंशीलाल	कनाऊ	9602989315
86	भादरा	ग्रामीण	24550	अनिल कुमार	अजीतपुरा	9511546122
87	भादरा	ग्रामीण	29654	मनोहर सिंह मोहब्बत सिंह	करणपुरा	9828154066
88	भादरा	ग्रामीण	29655	पुष्पा / शंकरलाल	डोबी	8875670167
89	भादरा	ग्रामीण	29656	पवन कुमार भगवान राम	सरदारगढिया	9251167061
90	भादरा	ग्रामीण	29674	संजीव कुमार शंकर लाल	किराड़ा बड़ा	7568245008
91	भादरा	ग्रामीण	29675	सुरेश कुमार नंदराम पालडी	भाड़ी	9982351144
92	भादरा	ग्रामीण	29676	सुन्दरपाल रामचंद	सागड़ा	7742177701
93	भादरा	ग्रामीण	29677	रतन सिंह नेकीराम	कलाना	8740038610
94	भादरा	ग्रामीण	29678	लीलूराम धनपत राम	कुन्जी	9667378354
95	भादरा	ग्रामीण	29721	सुरेन्द्र कुमार कृष्ण कुमार	चिड़िया गान्धी	7357789846
96	भादरा	ग्रामीण	30520	विनोद कुमार हंसराम	रामगढिया	9664329715
97	भादरा	ग्रामीण	30558	बैर दुग्ध उत्पा सह समिति बैर	गढी छानी	8619031038
98	भादरा	ग्रामीण	30980	चरण सिंह नथू राम	भानगढ	9982086373
99	हनुमानगढ	ग्रामीण	9335	अखतर हुसेन / शहबुदीन	लखूवाली	9950024574
100	हनुमानगढ	ग्रामीण	9363	विनोद कुमार बहलोलनगर	बहलोल नगर	9660976350
101	हनुमानगढ	ग्रामीण	9364	नतेन्द्र	बहलोल नगर	9001860126
102	हनुमानगढ	ग्रामीण	9365	रोहताश / रामकुमार	सहजीपुरा	8209921694
103	हनुमानगढ	ग्रामीण	9366	कृष्ण कुमार / सदासुख	फतेहगढ	9983989516
104	हनुमानगढ	ग्रामीण	9369	सोनू कुमार / कालूराम	भोमपुरा	9649636834
105	हनुमानगढ	ग्रामीण	9370	जसकरण सिंह / गुलजारा सिंह	रामसरा नारायणा	9664193524
106	हनुमानगढ	ग्रामीण	9371	सुभाष चन्द्र / प्रथ्वीराज	रामसरा नारायणा	9950212151
107	हनुमानगढ	ग्रामीण	9372	रणजीत राम / मनीराम	अमरपुरा थेड़ी	9829830900
108	हनुमानगढ	ग्रामीण	9373	ओम प्रकाश / बिरबलराम	झाम्बर	9982650073
109	हनुमानगढ	ग्रामीण	9374	अमीचन्द / सुरजाराम	झाम्बर	8385008179
110	हनुमानगढ	ग्रामीण	9375	प्रहलाद / आदराम	पक्का सारना	8949190665
111	हनुमानगढ	ग्रामीण	9376	मोहन लाल / रामलाल	पक्का सारना	9461169371
112	हनुमानगढ	ग्रामीण	9381	रामेश्वर लाल / रूपराम	जोड़किया	9929136456
113	हनुमानगढ	ग्रामीण	9382	जी एस एस लखुवाली	लखूवाली	9950573402
114	हनुमानगढ	ग्रामीण	9383	शर्मिला	चोहिलावाली	9929849318
115	हनुमानगढ	ग्रामीण	9384	विनोद कुमार / लीलाधर	चोहिलावाली	8619390703
116	हनुमानगढ	ग्रामीण	9924	रतीराम / मनीराम खिलेरीबास	फतेहगढ	9783127736
117	हनुमानगढ	ग्रामीण	9925	बालचन्द / केवलराम	जण्डावाली	7665195900
118	हनुमानगढ	ग्रामीण	9928	राय सिंह / सुरजाराम	मुण्डा	9079988119
119	हनुमानगढ	ग्रामीण	9929	जीएसएस नंवा गेंहू	नवां	9414094703
120	हनुमानगढ	ग्रामीण	9930	शयोपत	रणजीतपुरा	9024126950
121	हनुमानगढ	ग्रामीण	9931	चन्द्रमोहन / मेहरचन्द शर्मा	डबलीबास मौलवी	9784150066

122	हनुमानगढ	ग्रामीण	9932	कविता / सुरेन्द्र कुमार	डबलीबास मौलवी	9784150066
123	हनुमानगढ	ग्रामीण	9933	जीएसएस डबलीराठान	डबलीबास मौलवी	9829292650
124	हनुमानगढ	शहरी	17983	सुरेश/राममूर्ति	वार्ड 45	9588036834
125	हनुमानगढ	शहरी	17984	हनुमानगढ कैटरिंग सं0 वार्ड 2सी	वार्ड 3	8619533498
126	हनुमानगढ	शहरी	17985	नीता/ लालचन्द्र	वार्ड 2	9785162997
127	हनुमानगढ	शहरी	17986	रमजान/हेज मो0	वार्ड 4	8104014786
128	हनुमानगढ	शहरी	17987	सेवाराम/ पारीराम	वार्ड 6	7610855209
129	हनुमानगढ	शहरी	17988	सतगुरू प्रसाद/ चन्दगीराम	वार्ड 5	9414508670
130	हनुमानगढ	शहरी	17989	मनीराम/ रुलिया राम वार्ड 6	वार्ड 7	9636031266
131	हनुमानगढ	शहरी	17992	राजकुमार/ लक्ष्मणदास	वार्ड 9	9783046530
132	हनुमानगढ	शहरी	17993	निशा/सुरेन्द्र कुमार	वार्ड 9	8741088220
133	हनुमानगढ	शहरी	17994	महिला हैण्डीक्राफ्ट वार्ड 8बी	वार्ड 9	9462394407
134	हनुमानगढ	शहरी	17995	रतनलाल/ परसराम	वार्ड 8	9636031266
135	हनुमानगढ	शहरी	17997	भवानीशंकर/ मानकलाल	वार्ड 13	9413884654
136	हनुमानगढ	शहरी	17998	राजबाला/ हरिमोहन	वार्ड 14	7014756491
137	हनुमानगढ	शहरी	17999	पंकज	वार्ड 15	9414950800
138	हनुमानगढ	शहरी	18001	गोपालदास / गणेशराम वार्ड 17	वार्ड 17	9461566784
139	हनुमानगढ	शहरी	18004	शकुन्तला/ हंसराज	वार्ड 18	8947871044
140	हनुमानगढ	शहरी	18005	सरितादेवी/ राधेश्याम	वार्ड 18	9413513977
141	हनुमानगढ	शहरी	18006	सरितादेवी/ राधेश्याम अस्थाई	वार्ड 21	9413513977
142	हनुमानगढ	शहरी	18007	राजेश/ गोगिराज	वार्ड 22	9413430747
143	हनुमानगढ	शहरी	18008	हरीराम/ आईदान	वार्ड 23	7976678600
144	हनुमानगढ	शहरी	18009	इन्दकुमार	वार्ड 24	9414600325
145	हनुमानगढ	शहरी	18010	भव्य पराशर/संजय पराशर	वार्ड 25	9413614511
146	हनुमानगढ	शहरी	18011	कृष्णा	वार्ड 26	9413933448
147	हनुमानगढ	शहरी	18012	रघुवीर	वार्ड 27	9001257411
148	हनुमानगढ	शहरी	18013	सुभाष/हंसराज	वार्ड 28	9413614560
149	हनुमानगढ	शहरी	18016	आदर्श महिला बहुउद्देशीय वार्ड 26बी	वार्ड 29	9772627477
150	हनुमानगढ	शहरी	18017	सीमादेवी/ ओमप्रकाश	वार्ड 30	9983964041
151	हनुमानगढ	शहरी	18018	लक्ष्मीनारायण	वार्ड 31	9782980661
152	हनुमानगढ	शहरी	18019	संजय / मोहनलाल	वार्ड 32	9950673700
153	हनुमानगढ	शहरी	18020	रामस्वरूप/गंगाकशिन	वार्ड 33	9782980661
154	हनुमानगढ	शहरी	18021	प्रेमलता/ सतीश कुमार	वार्ड 20	9460102259
155	हनुमानगढ	शहरी	18022	तरसेमलाल/ बुधराम अस्थाई	वार्ड 19	9588868446
156	हनुमानगढ	शहरी	18023	यशपाल शर्मा / भूपेन्द्र शर्मा	वार्ड 34	9414904151
157	हनुमानगढ	शहरी	18024	गुलशन कुमार/ सेवाराम	वार्ड 37	9414318348
158	हनुमानगढ	शहरी	18027	ऋषि खदरिया/ दीनदयाल	वार्ड 11	7014756491
159	हनुमानगढ	शहरी	18028	सुभाष/करणीसिंह	वार्ड 10	8905589881
160	हनुमानगढ	शहरी	18029	भवानीशंकर/ मानकलाल अस्थाई	वार्ड 38	9413884654
161	हनुमानगढ	शहरी	18030	नेहा कपिल / मनीष कपिल	वार्ड 39	9875038828
162	हनुमानगढ	शहरी	18031	राजरानी/ओमप्रकाश	वार्ड 40	9414954382
163	हनुमानगढ	शहरी	18032	महिला सहकारी भण्डार वार्ड 39सी	वार्ड 40	9983187780
164	हनुमानगढ	शहरी	18033	रमेश कुमार गर्ग	वार्ड 44	9588036834
165	हनुमानगढ	शहरी	18034	हनुमानगढ प्रा0महिला बहु0 वार्ड 40F	वार्ड 42	9414210334
166	हनुमानगढ	ग्रामीण	19518	लाधुराम / गोविन्द गोदारा	30 एस.एस.डबलू	9828270771

167	हनुमानगढ	ग्रामीण	19552	सुनीता / विकास कुमार	31 एस.एस.डबलू	9929156493
168	हनुमानगढ	ग्रामीण	19723	सुल्तान मोहम्मद / कमरदीन	अमरपुरा थेड़ी	8562022955
169	हनुमानगढ	ग्रामीण	20248	संजय सेठी / श्रेष्ठ कुमार	डबलीबासमिढारोही	9414482150
170	हनुमानगढ	ग्रामीण	20315	सुनिल कुमार अस्थाई	डबलीबास चुगता	9460786619
171	हनुमानगढ	ग्रामीण	20336	सुनिल कुमार	डबलीबास चुगता	9460786619
172	हनुमानगढ	ग्रामीण	20353	बलौर सिंह	डबलीबास चुगता	9672783023
173	हनुमानगढ	ग्रामीण	20522	गुरबक्श सिंह	डबलीबास कुतुब	9414875163
174	हनुमानगढ	ग्रामीण	20542	जीएसएस डबलीबास पेमा (मलकोका)	डबलीबास पेमा	9414635839
175	हनुमानगढ	ग्रामीण	20561	सविता देवी / बिशन लाल	डबलीबास पेमा	9414635839
176	हनुमानगढ	ग्रामीण	20841	जीएसएस धौलीपाल	धौलीपाल	9785455199
177	हनुमानगढ	ग्रामीण	21245	सुनील कुमार/ सुरेन्द्र कुमार	हिरनावाली	9529076839
178	हनुमानगढ	ग्रामीण	21287	ममता रानी / रमेश कुमार	जण्डावाली	8561037184
179	हनुमानगढ	ग्रामीण	21290	राजेन्द्र कुमार / शोभाराम धानका	जण्डावाली	9413772930
180	हनुमानगढ	ग्रामीण	21296	पालाराम/मनीराम अस्थाई	ज्वालासिंहवाला	9610260005
181	हनुमानगढ	ग्रामीण	21299	अजायब सिंह	झाम्बर	7300180045
182	हनुमानगढ	ग्रामीण	21432	अर्जुन राम	किशनपुरा दि०	9462028419
183	हनुमानगढ	ग्रामीण	21446	श्यामलाल कोहला	कोहला	7220036061
184	हनुमानगढ	ग्रामीण	21501	सुशील कुमार / मनोहरलाल	मैनावाली	9414600266
185	हनुमानगढ	ग्रामीण	21513	जी एस एस जोरावर पुरा	मैनावाली	9460095138
186	हनुमानगढ	ग्रामीण	21529	रामेश्वर लाल	मक्कासर	9413231602
187	हनुमानगढ	ग्रामीण	21531	अमर सिंह	मक्कासर	9414075146
188	हनुमानगढ	ग्रामीण	21618	रणवीर कुमार / मोहनलाल जाट	मुण्डा	8441823501
189	हनुमानगढ	ग्रामीण	21623	सुरेन्द्र कुमार / भादरराम अस्थाई	मटोरियावाली ढाणी	9414094700
190	हनुमानगढ	ग्रामीण	21658	सुरेन्द्र कुमार / भादरराम	मुण्डा	9462028419
191	हनुमानगढ	ग्रामीण	21686	रणवीर कुमार / मोहनलाल जाट अस्थाई	नोरंगदेसर	8441823501
192	हनुमानगढ	ग्रामीण	21690	मोहम्मद ईस्तार / इमामदीन	नवां	9799323537
193	हनुमानगढ	ग्रामीण	21696	पृथ्वी राज/ धुकलराम	पक्का भादवा	9468730048
194	हनुमानगढ	ग्रामीण	21699	रविन्द्र कुमार / बनवारीलाल	पक्का भादवा	9414951925
195	हनुमानगढ	ग्रामीण	21912	इन्द्रसेन / होशियार सिंह	रणजीतपुरा	8441872107
196	हनुमानगढ	ग्रामीण	22023	जी.एस.एस. रोडावाली	रोडावाली	7891942331
197	हनुमानगढ	ग्रामीण	22181	विरेंद्र कुमार/ मोतीलाल	सतीपुरा	7851847217
198	हनुमानगढ	ग्रामीण	22269	प्रदीप कुमार	श्रीनगर	9983964068
199	हनुमानगढ	ग्रामीण	22439	दीपचन्द / गोकूल चन्द	उतमसिंहवाला	9414635839
200	हनुमानगढ	ग्रामीण	22465	आशाराम	उतमसिंहवाला	9928751545
201	हनुमानगढ	ग्रामीण	23944	सोनू कुमार / कालूराम अस्थाई	भोमपुरा	9649636834
202	हनुमानगढ	ग्रामीण	23945	गोपाल/ सत्यानारायण	धौलीपाल	9413613070
203	हनुमानगढ	ग्रामीण	23946	गुरप्रीत सिंह / कुलवंत सिंह	कोहला	8209534113
204	हनुमानगढ	ग्रामीण	23948	सुरेन्द्र कुमार/ लालचन्द	नोरंगदेसर	9414094700
205	हनुमानगढ	ग्रामीण	23950	राजेश कुमार/ ताराचन्द	रोडावाली	9799068410
206	हनुमानगढ	ग्रामीण	23951	मोहनलाल/ रामचन्द्र	रोडावाली	9414275774
207	हनुमानगढ	ग्रामीण	23953	कविता / राजेश कुमार	सहजीपुरा	9784381422
208	हनुमानगढ	ग्रामीण	24490	रोहताश / रामकुमार अस्थाई	अराईयावाली	8209921694
209	हनुमानगढ	ग्रामीण	24505	रश्मि देवी / भारत भूषण	जण्डावाली	6350374110
210	हनुमानगढ	ग्रामीण	24506	शीला देवी जोड़किया	जोड़किया	9530006006
211	हनुमानगढ	ग्रामीण	24507	कांता बिस्सू / संजय सिहाग	मक्कासर	9413516158

212	हनुमानगढ	ग्रामीण	24508	भगवानी देवी	मक्कासर	9460638820
213	हनुमानगढ	ग्रामीण	24509	बालचन्द / केवलराम अस्थाई	मानूका	9413772930
214	हनुमानगढ	ग्रामीण	24510	दलीप कुमार	मटोरियावाली ढाणी	9828864458
215	हनुमानगढ	ग्रामीण	24511	दलीप कुमार अस्थाई	मटोरियावाली ढाणी	9828864458
216	हनुमानगढ	ग्रामीण	24512	कपिल गोयल / मदन लाल	नवां	8562812150
217	हनुमानगढ	ग्रामीण	24514	सरजीत सिंह/ हरचन्द सिंह	डबलीबास कुतुब	9414580392
218	हनुमानगढ	ग्रामीण	24515	सविता देवी /बिशन लाल अस्थाई	डबलीबास पेमा	7878600672
219	हनुमानगढ	शहरी	25252	रमजान/हेज मो0 अस्थाई	वार्ड 1	8104014786
220	हनुमानगढ	शहरी	25253	सुरेन्द्र कुमार/ रामचन्द्र	वार्ड 41	9667075008
221	हनुमानगढ	शहरी	25258	शंकरलाल/ मोहनलाल	वार्ड 44	9414211936
222	हनुमानगढ	शहरी	25259	सतीश कुमार/ मंगतराम	वार्ड 2	9610877444
223	हनुमानगढ	शहरी	25260	मनोज कुमार / प्रयाग चंद	वार्ड 4	9982020448
224	हनुमानगढ	शहरी	25264	यशपाल/ खेपचन्द	वार्ड 8	9828277376
225	हनुमानगढ	शहरी	25269	जगनलाल/ कश्मीरी लाल	वार्ड 12	9414210334
226	हनुमानगढ	शहरी	25271	कृष्णलाल/ रामप्रकाश छाबड़ा	वार्ड 15	9414950800
227	हनुमानगढ	शहरी	25276	मोहनलाल/ शंकरलाल	वार्ड 16	9414094626
228	हनुमानगढ	शहरी	25283	हरीश/काशीराम	वार्ड 5	9414508670
229	हनुमानगढ	शहरी	25285	रमेश कुमार/ मुन्शीराम	वार्ड 19	9799084031
230	हनुमानगढ	शहरी	25287	इन्दकृमार अस्थाई	वार्ड 24	9461999316
231	हनुमानगढ	शहरी	25290	सोमचन्द/ अमीचन्द शर्मा	वार्ड 23	9783945709
232	हनुमानगढ	शहरी	25291	निशा / पुष्पा देवी	वार्ड 27	7232039250
233	हनुमानगढ	शहरी	25293	राहुल गुप्ता/ रमेश कुमार	वार्ड 27	9461310849
234	हनुमानगढ	शहरी	25295	हंसराज/ मुन्शीराम	वार्ड 28	9461014273
235	हनुमानगढ	शहरी	25297	रोशनलाल/ वेदराज	वार्ड 28	7009108074
236	हनुमानगढ	शहरी	25299	अंकित छाबड़ा/देवेन्द्र पाल	वार्ड 30	9783124131
237	हनुमानगढ	शहरी	25301	कृष्ण बलदेव/ मोहनलाल	वार्ड 30	7014221387
238	हनुमानगढ	शहरी	25304	हबीब रहमान/ अब्दुल रहमान	वार्ड 31	9928219890
239	हनुमानगढ	शहरी	25306	मनीषा गोयल/राकेश गोयल	वार्ड 32	9667469903
240	हनुमानगढ	शहरी	25308	तरसेमलाल/ बुधराम	वार्ड 33	9782903755
241	हनुमानगढ	शहरी	25310	राजकुमार/ भीमचन्द छाबड़ा	वार्ड 35	9414211895
242	हनुमानगढ	शहरी	25311	रामचन्द्र/ भीमचन्द	वार्ड 36	9783124131
243	हनुमानगढ	शहरी	25313	सुभाष/करणीसिंह अस्थाई	वार्ड 10	8905589881
244	हनुमानगढ	शहरी	25320	पवन कुमार/ मदनलाल	वार्ड 38	9462690745
245	हनुमानगढ	शहरी	25324	नेहा कपिल / मनीष कपिल अस्थाई	वार्ड 40	9875038828
246	हनुमानगढ	शहरी	25326	राजेश जगन लाल	वार्ड 40F	9414210334
247	हनुमानगढ	शहरी	25328	गोपीकिशन//मूलचन्द	वार्ड 41	9414904151
248	हनुमानगढ	शहरी	25329	कश्मीरीलाल	वार्ड 43	9887315761
249	हनुमानगढ	शहरी	25330	पवन कुमार/ रामप्रताप	वार्ड 42	9024235986
250	हनुमानगढ	ग्रामीण	28415	मामराज/मनफूल	पक्का सारना	9928732197
251	हनुमानगढ	ग्रामीण	29040	हरबंस लाल / जयकरण दास	डबलीबास मौलवी	7791803393
252	हनुमानगढ	ग्रामीण	29054	जी एस एस हिरनावाली	हिरनावाली	9785258520
253	हनुमानगढ	ग्रामीण	29118	राजकुमार ढालिया	सतीपुरा	9887113808
254	हनुमानगढ	शहरी	29185	हनु.ज.प्रा.सहकारी भण्डार	वार्ड 1 ए	9588036834
255	हनुमानगढ	ग्रामीण	31262	बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति, डबलीबास मौलवी	डबलीबासमिढारोही	8058884634
256	हनुमानगढ	ग्रामीण	31263	पालाराम/मनीराम	ज्वालासिंहवाला	9610260005

257	हनुमानगढ	ग्रामीण	31265	सुखदेव / इन्द्राज	22-23 एन.डी.आर.	9588228612
258	हनुमानगढ	ग्रामीण	31304	मोबिना बानो / अब्दुल खान	1 एसटीबी	9636435620
259	नोहर	ग्रामीण	9959	भादरराम / पतराम	अरडुकी	9414875256
260	नोहर	ग्रामीण	9962	माया / राजेन्द्र	चक सरदारपुरा	8562044432
261	नोहर	ग्रामीण	9963	माया / राजेन्द्र अस्थायी	चक सरदारपुरा	9785240044
262	नोहर	ग्रामीण	9964	जितेन्द्र सिंह / हिम्मत सिंह	गोगामेड़ी	9929230192
263	नोहर	ग्रामीण	9965	साहबराम मलवानी	मलवानी	9460381486
264	नोहर	ग्रामीण	9966	कृष्ण कुमार	ननाऊ	7725993148
265	नोहर	ग्रामीण	9967	श्रीमति निर्मला देवी / भूपसिंह	फेफाना	9782764857
266	नोहर	ग्रामीण	9968	सुनील भादू / मदनलाल जाट	फेफाना	9116613333
267	नोहर	ग्रामीण	9969	जीएसएस रामगढ	रामगढ	8824335363
268	नोहर	शहरी	18145	कमल कुमार/ मंगलचन्द्र पण्डा	वार्ड 2	9785231085
269	नोहर	शहरी	18146	सलीम खॉ/ सतारदीन	वार्ड 3	9521375783
270	नोहर	शहरी	18147	निशांत गुप्ता / पवन गुप्ता	वार्ड 4	9636153343
271	नोहर	शहरी	18148	महावीरप्रसाद/मगनीराम	वार्ड 5	9413430989
272	नोहर	शहरी	18149	पुष्पादेवी/श्याम सुन्दर	वार्ड 6	9982507580
273	नोहर	शहरी	18150	महेश कुमार/ चौथमल	वार्ड 7	9460392198
274	नोहर	शहरी	18151	विकास कुमार/ राधेश्याम	वार्ड 8	8949846737
275	नोहर	शहरी	18152	प्यारेलाल भोजक/भूरलाल	वार्ड 9	9414636415
276	नोहर	शहरी	18155	ख्यालीराम/पोकरराम सैनी	वार्ड 11	9828934800
277	नोहर	शहरी	18156	रामपाल मीणा	वार्ड 12	9828773050
278	नोहर	शहरी	18157	मांगीलाल/किशनलाल	वार्ड 13	9636153343
279	नोहर	शहरी	18159	द्रोपती/हीरालाल	वार्ड 15	9783458630
280	नोहर	शहरी	18160	सुनीता/मुकेश	वार्ड 16	9413295410
281	नोहर	शहरी	18161	कृष्ण कुमार/देवीलाल	वार्ड 17	9983072978
282	नोहर	शहरी	18163	अर्जुनराम /मुकनाराम	वार्ड 19	9413514408
283	नोहर	शहरी	18166	मनोज कुमार/ इन्द्राज	वार्ड 20	9784050411
284	नोहर	शहरी	18168	लालचन्द्र/ रमेश कुमार	वार्ड 22	9828698350
285	नोहर	शहरी	18171	रामप्रताप/रामेश्वरलाल	वार्ड 25	8209840560
286	नोहर	शहरी	18172	श्यामसुन्दर/रामेश्वरलाल	वार्ड 26	9950185530
287	नोहर	ग्रामीण	22503	महावीर प्रसाद / मांगीलाल	22 एन.टी.आर.	9982366618
288	नोहर	ग्रामीण	22640	जयवीर / शंकरलाल	अरडुकी	9982961784
289	नोहर	ग्रामीण	22648	राकेश कुमार /दुर्गाराम	बड़बिराना	9982851409
290	नोहर	ग्रामीण	22687	जीएसएस बरवाली	बरवाली	7742870002
291	नोहर	ग्रामीण	22704	धर्मपाल / हरीराम जाट	भंगूली	9983735832
292	नोहर	ग्रामीण	22734	श्योंनन्दराम	भोगराना	9983721520
293	नोहर	ग्रामीण	22744	सत्येन्द्र/हंसराज	भुकरका	9571354202
294	नोहर	ग्रामीण	22751	हरदत सिंह अस्थायी	भुकरका	9460562405
295	नोहर	ग्रामीण	22759	अश्वनी कुमार	भुकरका	9828716012
296	नोहर	ग्रामीण	22787	प्रदीप /मेघाराम	बिरकाली	8239380002
297	नोहर	ग्रामीण	22794	कमला	बिरकाली	8094107492
298	नोहर	ग्रामीण	22866	कृष्ण कुमार	देईदास	9799605500
299	नोहर	ग्रामीण	22878	हरदत सिंह	देईदास	9460562405
300	नोहर	ग्रामीण	22883	जी एस एस देईदास	देईदास	9079640415
301	नोहर	ग्रामीण	22898	जीएसएस दलपतपुरा	दलपतपुरा	9001467867
302	नोहर	ग्रामीण	22905	बंशी लाल	दीपलाना	9982956185
303	नोहर	ग्रामीण	22940	जीएसएस ढढेला	ढढेला	9928889989

304	नोहर	ग्रामीण	22969	आदराम	धानसिया	6375179105
305	नोहर	ग्रामीण	22986	दयाराम	ढीलकी जाटान	9680249744
306	नोहर	ग्रामीण	23055	जगदीशप्रसाद/भागीरथ	गोरखाना	8094617216
307	नोहर	ग्रामीण	23065	जीएसएस गोरखाना	गोरखाना	9982052111
308	नोहर	ग्रामीण	23107	कृष्ण कुमार	जबरासर	9649228130
309	नोहर	ग्रामीण	23118	रितु / कृष्ण कुमार	जबरासर	9829106295
310	नोहर	ग्रामीण	23129	कृष्ण कुमार/रघुवीर	जसाना	9413536423
311	नोहर	ग्रामीण	23157	सोहन लाल अस्थायी	कानसर	9929794368
312	नोहर	ग्रामीण	23165	भीमराज / कुरडाराम देवासर	कानसर	9983473707
313	नोहर	ग्रामीण	23209	संतोष कुमार नोरंग लाल	खुईयाँ	9784042511
314	नोहर	ग्रामीण	23213	धर्मपाल गोदारा	किकराली	7014141582
315	नोहर	ग्रामीण	23215	दुकलराम गोदारा	किकराली	9828319243
316	नोहर	ग्रामीण	23218	जीएसएस लाखासर	लाखासर	9024299563
317	नोहर	ग्रामीण	23221	जीएसएस ललाना दिखनादा	ललानाबास दिखनादा	7733097555
318	नोहर	ग्रामीण	23223	जीएसएसएस ललाना उतरादा	ललानाबास उत्तरादा	9799728653
319	नोहर	ग्रामीण	23226	राजेन्द्र सिंह	ललानाबास उत्तरादा	9982174188
320	नोहर	ग्रामीण	23227	प्रधान सिंह	ललानिया	9414951290
321	नोहर	ग्रामीण	23229	देवी लाल डूडी	ललानिया	9829466592
322	नोहर	ग्रामीण	23236	भादरराम / पतराम अस्थायी	मन्दरपुरा	9414875256
323	नोहर	ग्रामीण	23241	सूर्यप्रकाश/पवन कुमार	मेघाना	9079185429
324	नोहर	ग्रामीण	23244	धर्मपाल / हरीराम जाट अस्थायी	मेघाना	9983735832
325	नोहर	ग्रामीण	23256	पिकी रानी / जितेन्द्र सिंह	ननाऊ	9414445668
326	नोहर	ग्रामीण	23261	सावित्री / कमलेश कुमार	नीमला	9680276724
327	नोहर	ग्रामीण	23275	जीएसएस पदमपुरा	पदमपुरा	9462889447
328	नोहर	ग्रामीण	23284	आशाराम / उमदास अस्थायी	पाण्डूसर	9001168334
329	नोहर	ग्रामीण	23289	कृष्ण चन्द्र / रणजीत सिंह	परलीका	9414955160
330	नोहर	ग्रामीण	23291	रामेश्वरलाल / हेतराम जाट	परलीका	9461150815
331	नोहर	ग्रामीण	23316	महावीर प्रसाद / मनफुल	फेफाना	7891132545
332	नोहर	ग्रामीण	23324	श्रवण कुमार / राधेश्याम शर्मा	फेफाना	7597589205
333	नोहर	ग्रामीण	23327	बशी लाल/बृजलाल	पिचकराई	7976215946
334	नोहर	ग्रामीण	23421	सुभाषचन्द्रशर्मा/शिवकरणशर्मा	रामगढ	9694030077
335	नोहर	ग्रामीण	23477	रामकुमार/महावीरप्रसाद	रामसरा	8003265747
336	नोहर	ग्रामीण	23494	जीएसएस रतनपुरा	रतनपुरा	9784248042
337	नोहर	ग्रामीण	23579	जी एस एस श्योरानी	श्योरानी	9928681433
338	नोहर	ग्रामीण	23588	सोहन लाल	सिरंगसर	8003928087
339	नोहर	ग्रामीण	23597	जी एस एस सोनडी	सोनडी	9982289207
340	नोहर	ग्रामीण	23627	रघुवीर	थालड़का	9414950371
341	नोहर	ग्रामीण	23637	राम स्वरूप / अमीचन्द	टिडियासर	9610925237
342	नोहर	ग्रामीण	23645	हनुमान/फुलाराम	टिडियासर	9950607931
343	नोहर	ग्रामीण	23651	राम स्वरूप / अमीचन्द अस्थायी	टिडियासर	9610925237
344	नोहर	ग्रामीण	23654	भागीरथ सहारण	टोपरिया	9928699800
345	नोहर	ग्रामीण	23656	सुभाषचन्द्रशर्मा/शिवकरणशर्मा अस्थायी	उज्जलवास	7742325577
346	नोहर	ग्रामीण	24551	सूर्यप्रकाश/पवन कुमार अस्थायी	भंगूली	9079185429
347	नोहर	ग्रामीण	24554	रामस्वरूप/दुदाराम	गोरखाना	9982045777
348	नोहर	ग्रामीण	24555	रामप्रताप/बस्तीराम	गुडिया	9983922520
349	नोहर	शहरी	25016	सत्यपाल सेवग	वार्ड 30	9783882345

350	नोहर	ग्रामीण	25422	जीताराम/देवाराम	धानसिया	9660611482
351	नोहर	ग्रामीण	25423	आशाराम / उमदास	पाण्डूसर	9001168334
352	नोहर	ग्रामीण	29117	देवी लाल डूडी अस्थाई	लाखासर	9829466592
353	नोहर	ग्रामीण	31260	राजेश / अमर सिंह	सोनड़ी	9785240044
354	नोहर	ग्रामीण	31261	कृष्ण कुमार शर्मा / रामेश्वर प्रसाद	जसाना	9610986278
355	पीलीबंगा	ग्रामीण	9329	विष्णु दत्त / कुंजबिहारी	बड़ोपल	9928929385
356	पीलीबंगा	ग्रामीण	9331	जेत कुमार / रतीराम कुम्हार	प्रेमपुरा	8233536086
357	पीलीबंगा	ग्रामीण	9332	कुलदीप सिंह / दानाराम	लौंगवाला	9950720355
358	पीलीबंगा	ग्रामीण	9333	निर्मला देवी दुलमाना	दुलमाना	9799189200
359	पीलीबंगा	ग्रामीण	9362	महेंदर कुमार	रामपुरा	9828790414
360	पीलीबंगा	ग्रामीण	9896	ताराचन्द / धनराज	18 एस.पी.डी.	9783395000
361	पीलीबंगा	ग्रामीण	9897	रणजीत बड़ोपल	बड़ोपल	9784386781
362	पीलीबंगा	ग्रामीण	9900	अपनीघरबचत यो महि.सह.समिति अस्थाई	गोलूवाला निवादान	9982250751
363	पीलीबंगा	ग्रामीण	9901	रविना हांसलिया	हांसलिया	9829060183
364	पीलीबंगा	ग्रामीण	9902	लेखराम / गुरूदीता	हरदयालपुरा	9983374596
365	पीलीबंगा	ग्रामीण	9903	ताराचन्द / धनराज अस्थाई	जाखड़ावाली	9783395000
366	पीलीबंगा	ग्रामीण	9905	भजनलाल / सहीराम	कान्हेवाला	9982557961
367	पीलीबंगा	ग्रामीण	9907	विरेन्द्र कुमार / आत्माराम	मानक थेड़ी	9079366827
368	पीलीबंगा	ग्रामीण	9908	मदनलाल / रामस्वरूप	पंडितावाली	9929721322
369	पीलीबंगा	ग्रामीण	9909	सोमा बेलान / भुपेन्द्र सिंह	पंडितावाली	9783626850
370	पीलीबंगा	ग्रामीण	9910	जीएसएस	पंडितावाली	9602312238
371	पीलीबंगा	ग्रामीण	9911	मंजू देवी	पीलीबंगा गाँव	9660135325
372	पीलीबंगा	ग्रामीण	9912	राम सिंह / अमरजीत सिंह कुम्हार	प्रेमपुरा	9636307783
373	पीलीबंगा	ग्रामीण	9913	कुलदीप सिंह मेजर सिंह अस्थाई	सरावांवाला	9929275618
374	पीलीबंगा	ग्रामीण	9914	कुलदीप सिंह मेजर सिंह	सरावांवाला	9929275618
375	पीलीबंगा	शहरी	18089	तोजिन्द्रसिंह/ रामकरण वार्ड नंबर 1	वार्ड 1	9829761401
377	पीलीबंगा	शहरी	18097	देशराज/मोहनलाल वार्ड 17 अस्थाई	वार्ड 6	9414510513
378	पीलीबंगा	शहरी	18101	ओमप्रकाश/ नेमीचन्द वार्ड नंबर 6 अस्थाई	वार्ड 6	8963858813
379	पीलीबंगा	शहरी	18103	अमरनाथ/ भागीरथ वार्ड नंबर 7	वार्ड 7	9667268283
380	पीलीबंगा	शहरी	18106	दलीपकुमार/ ओमप्रकाश वार्ड14 अस्थाई	वार्ड 8	9414510513
381	पीलीबंगा	शहरी	18107	मालाराम/भुराराम वार्ड नंबर 9 अस्थाई	वार्ड 9	9667268283
382	पीलीबंगा	शहरी	18110	सुषमा देवी	वार्ड 10	7665449700
383	पीलीबंगा	शहरी	18111	शुभ कुमार वार्ड नंबर 11	वार्ड 11	9414950647
384	पीलीबंगा	शहरी	18114	रजनी / साधुराम वार्ड12	वार्ड 12	8058531385
385	पीलीबंगा	शहरी	18119	दलीपकुमार/ ओमप्रकाश वार्ड14	वार्ड 14	9667854934
386	पीलीबंगा	शहरी	18122	बंशीलाल/सुरजभान वार्ड15	वार्ड 15	7665449700
387	पीलीबंगा	शहरी	18127	देशराज/मोहनलाल वार्ड 17	वार्ड 17	9414510513
388	पीलीबंगा	शहरी	18128	चिमनलाल/लाहौरीराम वार्ड18	वार्ड 18	9414501031
389	पीलीबंगा	शहरी	18131	अमरनाथ/ भागीरथ वार्ड नंबर 7 अस्थाई	वार्ड 19	9667268283
390	पीलीबंगा	शहरी	18135	भूपेन्द्रसिंह/भगवानसिंह वार्ड22	वार्ड 22	9414990298
391	पीलीबंगा	शहरी	18137	इन्द्राजभादु/श्यालाल वार्ड 23	वार्ड 23	8058531385

392	पीलीबंगा	शहरी	18139	चाँदनी / सुभाष	वार्ड 24	8963858813
393	पीलीबंगा	शहरी	18141	मुकेशकुमार/अजमेर वार्ड25	वार्ड 8	8963854778
394	पीलीबंगा	ग्रामीण	19464	ताराचन्द / धनराज अस्थायी	18 एस.पी.डी.	9509190007
395	पीलीबंगा	ग्रामीण	19619	गुरमीत सिंह अहमदपुरा	अमरपुरा राठान	9929793012
396	पीलीबंगा	ग्रामीण	19636	रेणूबाला /नवीन कुमार	अमरपुरा राठान	9352571125
397	पीलीबंगा	ग्रामीण	19772	जीएसएस	अयालकी	9928613290
398	पीलीबंगा	ग्रामीण	20688	रामचंद्र	दौलतावाली	9950542430
399	पीलीबंगा	ग्रामीण	20710	रामचंद्र अस्थायी	दौलतावाली	9950542430
400	पीलीबंगा	ग्रामीण	20901	संगीता / भारतभूषण	डींगवाला	9660500832
401	पीलीबंगा	ग्रामीण	20942	गुरुमुख सिंह / अमरसिंह बावरी अस्थायी	डींगवाला	9352571125
402	पीलीबंगा	ग्रामीण	20964	रामेशवर दुलमाना	दुलमाना	9413453212
403	पीलीबंगा	ग्रामीण	21044	जीएसएस गोलूवाला निवादान	गोलूवाला निवादान	9462206566
404	पीलीबंगा	ग्रामीण	21064	पवन कुमार / रामस्वरूप	गोलूवाला निवादान	9664435135
405	पीलीबंगा	ग्रामीण	21200	विनोद कुमार / महावीर	हांसलिया	9828473616
406	पीलीबंगा	ग्रामीण	21263	ओम प्रकाश / सुखराम जाट	जाखड़ावाली	9413158603
407	पीलीबंगा	ग्रामीण	21333	रेणूबाला /नवीन कुमार अस्थायी	खरलिया	9352571125
408	पीलीबंगा	ग्रामीण	21378	गौरीशंकर /सहीराम	खोधावाली	7597051974
409	पीलीबंगा	ग्रामीण	21395	कालुराम / मनीराम	खोधावाली	8696700307
410	पीलीबंगा	ग्रामीण	21477	रणवीर सिंह / मंशाराम अस्थायी	लखासर	9460095207
411	पीलीबंगा	ग्रामीण	21491	ओमप्रकाश अस्थायी	लिखमीसर	9772032558
412	पीलीबंगा	ग्रामीण	21497	विश्वजीत / मांगीलाल	लौंगवाला	9950720355
413	पीलीबंगा	ग्रामीण	21552	रणजीत सिंह / लालचन्द	मानक थेड़ी	8107162140
414	पीलीबंगा	ग्रामीण	21725	अमर सिंह जाट / नथुराम	पंडितावाली	9414848613
415	पीलीबंगा	ग्रामीण	21741	विरेंद्र सिंह	पीलीबंगा गाँव	9660135325
416	पीलीबंगा	ग्रामीण	21819	पृथ्वी राज ब्रजलाल	रामपुरा	7014652735
417	पीलीबंगा	ग्रामीण	21847	बजरंग लाल राजपुत अस्थायी	रामपुरा	9079227852
418	पीलीबंगा	ग्रामीण	21855	बजरंग लाल राजपुत	रामपुरा	9166527106
419	पीलीबंगा	ग्रामीण	22128	लखविन्द्र सिंह / तेज सिंह	सरावांवाला	9460095312
420	पीलीबंगा	ग्रामीण	22274	भागीरथ सूरंवाली	सूरंवाली	9829103687
421	पीलीबंगा	ग्रामीण	22284	हनुमान प्रसाद / गोविन्दराम	सूरंवाली	9413231468
422	पीलीबंगा	ग्रामीण	22415	रणवीर सिंह / मंशाराम	उमेवाला	9460095207
423	पीलीबंगा	ग्रामीण	22429	वकील चन्द्र / सोहनलाल	उमेवाला	9461551400
424	पीलीबंगा	शहरी	23939	राजकुमार/ बालूराम	वार्ड 20	9667268283
425	पीलीबंगा	ग्रामीण	24517	बद्रीप्रसाद/पतराम	गोलूवाला सिहागान	9982250751
426	पीलीबंगा	ग्रामीण	24518	विनोद कुमार अस्थायी	गोलूवाला सिहागान	9828473616
427	पीलीबंगा	ग्रामीण	24519	लक्ष्मण	गोलूवाला सिहागान	9828878868
428	पीलीबंगा	ग्रामीण	24521	पवन कुमार/काशीराम	जाखड़ावाली	9929623400
429	पीलीबंगा	ग्रामीण	24522	चानन राम	जाखड़ावाली	9414368276
430	पीलीबंगा	ग्रामीण	24523	बद्रीप्रसाद/पतराम अस्थायी	खरलिया	9982250751
431	पीलीबंगा	ग्रामीण	24524	वेद प्रकाश	कालीबंगा	9829980606
432	पीलीबंगा	ग्रामीण	24525	ओमप्रकाश	लखासर	9772032558
433	पीलीबंगा	ग्रामीण	24526	संतोष	पीलीबंगा गाँव	9784244980
434	पीलीबंगा	ग्रामीण	24527	पवन गोपाल/ लिच्छीराम अस्थायी	पीलीबंगा गाँव	9784244980
435	पीलीबंगा	ग्रामीण	24528	जगदीश प्रसाद/ शिवलाल	प्रेमपुरा	9166425388
436	पीलीबंगा	शहरी	25003	राजकुमार/ बालूराम अस्थायी	वार्ड 2	9667268283
437	पीलीबंगा	ग्रामीण	25408	अपनीघरबचत यो महि.सह.समिति	गोलूवाला सिहागान	9982250751

438	पीलीबंगा	ग्रामीण	25410	कालूराम	पीलीबंगा गॉव	9001936402
439	पीलीबंगा	ग्रामीण	29116	महिला सहकारी समिति गोलू निवा	गोलूवाला निवादान	9462025625
440	पीलीबंगा	ग्रामीण	30523	गुरतेज सिंह हरबश सिंह	अयालकी	9549620005
441	पीलीबंगा	ग्रामीण	30559	लखविन्द्र सिंह करनैल सिंह	डींगवाला	9772766824
442	रावतसर	ग्रामीण	9406	रामा देवी/शिवभगवान	न्योलखी	9829477702
443	रावतसर	ग्रामीण	9407	अनीता देवी	चाईया	9610120782
444	रावतसर	ग्रामीण	9411	बाबूलाल / छगनलाल अस्थाई	खोडा	7878775367
445	रावतसर	ग्रामीण	9412	जगदीश चन्द्र / सहीराम	भैरूसरी	9799626018
446	रावतसर	ग्रामीण	9936	मोहनलाल / सुल्तान राम	29 डी.डबलू.डी.	9829411713
447	रावतसर	ग्रामीण	9937	साहबराम / भीखाराम	ब्रहमसर	7568734625
448	रावतसर	ग्रामीण	9938	रामरतन / मदनलाल	भाखरावाली	9829472208
449	रावतसर	ग्रामीण	9939	जीएसएस बुधवालिया	चाईया	9636538027
450	रावतसर	ग्रामीण	9940	भंवरलाल / हरिराम कल्लासर	केलनिया	9001602206
451	रावतसर	ग्रामीण	9945	मामराज / दुलाराम	नैयासर	9799770593
452	रावतसर	ग्रामीण	9946	सुलोचना	निरवाल	8239175904
453	रावतसर	ग्रामीण	9947	अमर सिंह / नौरगलाल	निरवाल	9460095620
454	रावतसर	ग्रामीण	9993	सुरजभान / बेगराज	25 आर.डब्ल्यू.डी.	9828413612
455	रावतसर	शहरी	18035	विकास बंसल / रतनलाल	वार्ड 1	9783821000
456	रावतसर	शहरी	18036	विनोदकुमार/ बंशीधर	वार्ड 2	9462202794
457	रावतसर	शहरी	18039	जगदीशप्रसाद/ हरनाम अस्थाई	वार्ड 5	9829452767
458	रावतसर	शहरी	18040	अजय कुमार/ सत्यनारायण	वार्ड 6	8385067200
459	रावतसर	शहरी	18041	अकरम/ इकरामुद्दीन	वार्ड 7	7976113306
460	रावतसर	शहरी	18042	जगदीशप्रसाद/ हरनाम	वार्ड 8	9828893340
461	रावतसर	शहरी	18043	पवन गोपाल/ लिच्छीराम	वार्ड 9	9610120782
462	रावतसर	ग्रामीण	18044	भवर लाल / इन्द्राज अस्थाई	रामपुरा	8239516751
464	रावतसर	शहरी	18052	कुलदीप	वार्ड 16	9829452767
465	रावतसर	शहरी	18053	कुलदीप अस्थाई	वार्ड 16	7597090189
466	रावतसर	शहरी	18054	ओमप्रकाश/ हनुमानप्रसाद	वार्ड 17	9649367337
467	रावतसर	शहरी	18055	अशोक कुमार	वार्ड 3	9461554888
468	रावतसर	शहरी	18056	कृष्णकुमार/कुम्भाराम	वार्ड 19	9950211723
469	रावतसर	शहरी	18057	अरुण कुमार / बंशीधर	वार्ड 22	8058499498
470	रावतसर	शहरी	18058	मुख्याअली/ अब्दुला	वार्ड 20	8104506186
471	रावतसर	ग्रामीण	22484	ओम सिंह	15 के.डबलू.डी.	9549851264
472	रावतसर	ग्रामीण	22487	सहकारी समिति 22 ए जी	22 ए.जी.	8740912067
473	रावतसर	ग्रामीण	22540	हसराम लिम्बा	25 आर.डब्ल्यू.डी.	9828840291
474	रावतसर	ग्रामीण	22570	सुमित्रा /शिवभगवान	29 डी.डबलू.डी.	9587013691
475	रावतसर	ग्रामीण	22620	बुद्धा देवी / मोहनलाल	4 डी.डबलू.एम.	9571524851
476	रावतसर	ग्रामीण	22630	सुशीला/सुशील	99 आर.डी.	9772028513
477	रावतसर	ग्रामीण	22657	मनी राम अस्थाई	ब्रहमसर	8239516751
478	रावतसर	ग्रामीण	22799	चरण सिंह / ईश्वरराम	बिसरासर	9982467538
479	रावतसर	ग्रामीण	22991	रामकुमार / ब्रजलाल	दनियासर	9982768789
480	रावतसर	ग्रामीण	23021	अनीता देवी अस्थाई	गन्धेली	9610120782
481	रावतसर	ग्रामीण	23079	चंद्रभान हरदासवाली	हरदासवाली	9828216324
482	रावतसर	ग्रामीण	23148	ओमप्रकाश / भादरराम	झेदासर	9460651681
483	रावतसर	ग्रामीण	23176	भवर लाल / इन्द्राज	कनवानी	9461378161
484	रावतसर	ग्रामीण	23183	काशिराम / मालाराम	केलनिया	9414509945
485	रावतसर	ग्रामीण	23200	सुशीला/सुशील अस्थाई	खेदासरी	9772028513

486	रावतसर	ग्रामीण	23232	मैनादेवी/धर्मपाल	मालासर	9772459053
487	रावतसर	ग्रामीण	23237	अमरचन्द / काशी राम	माहेला	9784269483
488	रावतसर	ग्रामीण	23247	नाजम अली / सदीक खान	मोधूनगर	8890461145
489	रावतसर	ग्रामीण	23249	संजय / सोहनलाल	मोटेर	8769165092
490	रावतसर	ग्रामीण	23277	साई बाबा स्वयं सहायता समूह	पल्लू	9929935063
491	रावतसर	ग्रामीण	23281	निकुराम / रामजीलाल	पल्लू	9649545205
492	रावतसर	ग्रामीण	23341	चंद्रभान हरदासवाली अस्थाई	पोहडका	9829411713
493	रावतसर	ग्रामीण	23377	मनी राम	पूरबसर	7742963805
494	रावतसर	ग्रामीण	23466	सुमित्रा /शिवभगवान अस्थाई	रामपुरा	9610120782
495	रावतसर	ग्रामीण	23562	जी एस एस सरदारपुरा	सरदारपुरा	9414502143
496	रावतसर	ग्रामीण	24556	मनीष	धन्नासर	9929800682
497	रावतसर	ग्रामीण	24557	बाबूलाल / छगनलाल	धन्नासर	7878775367
498	रावतसर	ग्रामीण	24558	राजपाल डुडी / मनफूल सिंह	धान्धूसर	9982293503
499	रावतसर	ग्रामीण	24560	सोना देवी / मदन सिंह	मालासर	9772459053
500	रावतसर	ग्रामीण	24561	कृष्णलाल/ केशरामराम	मोटेर	9983354160
501	रावतसर	ग्रामीण	24562	हंसराज/ लालचन्द	नैयासर	9079781184
502	रावतसर	ग्रामीण	24563	भगवानाराम/ जालूराम	पूरबसर	9950959497
503	रावतसर	शहरी	25426	मंजुबाला	वार्ड 18	9261430005
504	रावतसर	शहरी	25427	रतनलाल सम्पतलाल अस्थाई	वार्ड 10	9829452767
505	रावतसर	ग्रामीण	29680	राकेश कुमार / हजारीलाल	बिसरासर	9602667771
506	रावतसर	ग्रामीण	29694	निराणा राम श्योपत राम	माहेला	9785757461
507	रावतसर	ग्रामीण	29697	जी एस एस सरदारपुरा अस्थाई	सरदारपुरा	9414502143
508	रावतसर	ग्रामीण	29754	मिटू कँवर / भंवर सिंह	धान्धूसर	9462822227
509	रावतसर	ग्रामीण	30512	इशाक नबी महबूब खां	मोधूनगर	9001273541
510	रावतसर	ग्रामीण	30530	पवन कुमार रामकुमार	4 सी.वाई.एम.	8233421251
511	रावतसर	ग्रामीण	30542	हरप्रीत कौर बलविन्द्र सिंह	4 डी.डबल्यू.एम.	9610998993
512	रावतसर	ग्रामीण	30762	सुमन स्वयं सहा.समूह बन्नासर	दनियासर	9672134170
513	रावतसर	ग्रामीण	31138	विनोद कुमार	पल्लू	9413871309
514	संगरिया	ग्रामीण	9397	जसपालसिंह / लक्ष्मण सिंह	भगतपुरा	9413515649
515	संगरिया	ग्रामीण	9398	देवेन्द्रसिंह/ सुखदेव सिंह	ढाबां	9660710009
516	संगरिया	ग्रामीण	9399	सतीश कुमार / बसंतलाल	ढाबां	9784040388
517	संगरिया	ग्रामीण	9400	वीरपाल कौर / ओमप्रकाश	हरिपुरा	9352596087
518	संगरिया	ग्रामीण	9401	रजत कुमार / सुधीर कुमार	भाखरांवाली	8949471128
519	संगरिया	ग्रामीण	9404	जीएसएस संतपुरा	सन्तपुरा	9462024682
520	संगरिया	ग्रामीण	9405	प्रगट सिंह / गुरतेजसिंह	मोरजण्ड सिखान	9460785945
521	संगरिया	ग्रामीण	9948	जगदीश / भादुरराम जाट	नाथवाना	9414431830
522	संगरिया	ग्रामीण	9949	मोहन सिंह / जंग सिंह अस्थाई	नाथवाना	9950357661
523	संगरिया	ग्रामीण	9950	गुरदीप सिंह	सिंहपुरा	9116548098
524	संगरिया	शहरी	18059	राकेश कुमार/ हजारीलाल रैगर	वार्ड 1	9414632922
525	संगरिया	शहरी	18062	भूपेन्द्र स्वामी/ हरिकृष्ण	वार्ड 2	9414481473
526	संगरिया	शहरी	18063	सुरेन्द्र कुमार / केदारनाथ	वार्ड 3	9116635186
527	संगरिया	शहरी	18064	अनुराग	वार्ड 4	9413882279
528	संगरिया	शहरी	18065	मदनलाल/हंसराज	वार्ड 5	9461180970
529	संगरिया	शहरी	18067	मांगीलाल/ मनीराम	वार्ड 7	9829957152
530	संगरिया	शहरी	18068	बलवीर सिंह	वार्ड 8	7791912471
531	संगरिया	शहरी	18069	राकेश कुमार/ केसरीचन्द	वार्ड 9	9414508591

532	संगरिया	शहरी	18070	शिवकरण/सरजमल अग्रवाल अस्थाई	वार्ड 10	9667963003
533	संगरिया	शहरी	18071	पवनकुमार/ रामनिवास	वार्ड 11	9460788145
534	संगरिया	शहरी	18073	शिवकरण/सरजमल अग्रवाल अस्थाई	वार्ड 12	9414481473
535	संगरिया	शहरी	18075	शिवकरण/सरजमल अग्रवाल	वार्ड 14	9414629987
536	संगरिया	शहरी	18077	नारायणीदेवी/राजेन्द्र कुमार	वार्ड 16	8949198348
537	संगरिया	शहरी	18078	सतनामदास/हसंराज	वार्ड 17	9461377098
538	संगरिया	शहरी	18079	प्रकाशचन्द/ हरीशचन्द	वार्ड 18	9414481402
539	संगरिया	शहरी	18080	भगवानसिंह/रमनलाल पंवार	वार्ड 19	9001166200
540	संगरिया	शहरी	18081	दीनदयाल / मदनलाल	वार्ड 20	9672616116
541	संगरिया	शहरी	18082	दीनदयाल / मदनलाल अस्थाई	वार्ड 21	9414431823
542	संगरिया	शहरी	18084	तारासिंह/ चन्दसिंह	वार्ड 22	9782726609
543	संगरिया	शहरी	18085	रविन्द्रकुमार/ हरीराम	वार्ड 23	9649655054
544	संगरिया	शहरी	18086	सतीश कुमार/ मोहनलाल	वार्ड 24	9414431753
545	संगरिया	शहरी	18087	इन्दुबाला	वार्ड 25	9414629690
546	संगरिया	शहरी	18088	सुरेन्द्र कुमार / केदारनाथ अस्थाई	वार्ड 25	9829957152
547	संगरिया	ग्रामीण	19602	मनोज कुमार / रूपराम जाट	अमरपुरा जालू	9414509444
548	संगरिया	ग्रामीण	20051	गिरधारीलाल/खालीराम अस्थाई	बोलावाली	9413235011
549	संगरिया	ग्रामीण	20112	भगवानदास अस्थाई	चक हीरासिंहवाला	9829957152
550	संगरिया	ग्रामीण	20727	गिरधारीलाल/खालीराम	दीनगढ	9413235011
551	संगरिया	ग्रामीण	20748	पार्थ /जगदीश प्रसाद	ढाबां	9414508802
552	संगरिया	ग्रामीण	21026	अली शेर / हुसैन मोहम्मद	फतेहपुर	7891794786
553	संगरिया	ग्रामीण	21250	भगवानदास	इन्द्रगढ	9414535448
554	संगरिया	ग्रामीण	21257	अनिल कुमार	इन्द्रपुरा	9660119451
555	संगरिया	ग्रामीण	21268	जसवीर सिंह / नक्षत्र सिंह	जण्डवाला सिखान	9983036463
556	संगरिया	ग्रामीण	21416	शेर अली / हाकिम खां	किकरवाली	9983197284
557	संगरिया	ग्रामीण	21435	संजीव सहारण / सोहन लाल	किशनपुरा ऊ०	8560888153
558	संगरिया	ग्रामीण	21492	गुरविन्द्र सिंह / गुरतेज सिंह	लीलावाली	9950463056
559	संगरिया	ग्रामीण	21546	बुधराम	मालारामपुरा	9166726875
560	संगरिया	ग्रामीण	21645	कुलवीर सिंह / ममन सिंह	मोरजण्ड सिखान	9680749697
561	संगरिया	ग्रामीण	21662	राकेश कुमार/ ओमप्रकाश	नगराना	9460785919
562	संगरिया	ग्रामीण	21692	संदीप कुमार / जगदीश	नुकेरा	9799990913
563	संगरिया	ग्रामीण	21950	राजेन्द्र शर्मा	रतनपुरा	9414535488
564	संगरिया	ग्रामीण	22223	कुलदीप सिंह	अमरपुरा जालू	9983197284
565	संगरिया	ग्रामीण	22256	रमनदीप कौर / भूपेन्द्र सिंह	सिंहपुरा	9950445024
566	संगरिया	ग्रामीण	24538	जोधसिंह/ पालासिंह	भाखरावाली	9413742020
567	संगरिया	ग्रामीण	24539	सुखविंद्र कौर / कुलदीप	रासूवाला	9549720000
568	संगरिया	ग्रामीण	24540	रामकुमार/ नथूराम शेरगढ	मानकसर	9602410937
569	संगरिया	ग्रामीण	24541	प्रमोद कुमार	मानकसर	8003239952
570	संगरिया	ग्रामीण	24542	अनिक्षा गोदारा / ओमप्रकाश	नाथवाना	9828262387
571	संगरिया	ग्रामीण	24543	जीएसएस साहपीनी	शाहपीनी	8058322137
572	संगरिया	ग्रामीण	24547	सुखमहेन्द्र सिंह/ धर्मसिंह	चक हीरासिंहवाला	9461079299
573	संगरिया	ग्रामीण	30872	मोहन सिंह / जंग सिंह	किकरवाली	9950357661
574	संगरिया	ग्रामीण	31306	जीएसएस हरिपुरा	हरिपुरा	8118809747
575	टिब्बी	ग्रामीण	9387	अहमदअली / यासीन मोहम्मद	गुडिया	7427014299
576	टिब्बी	ग्रामीण	9388	कृष्ण सोनी	डबली कलां	9414577976

577	टिब्बी	ग्रामीण	9390	जी एस एस एस शोरेकां	शोरेकां	9309449233
578	टिब्बी	ग्रामीण	9391	राजेन्द्र कुमार / हुणताराम	बेहरवाला	9413932921
579	टिब्बी	ग्रामीण	9392	सोहन लाल	राठीखेड़ा	9413155545
580	टिब्बी	ग्रामीण	9394	महावीर प्रसाद / पूर्णराम	सूरेवाला	9521487775
581	टिब्बी	ग्रामीण	9395	हिमांशु / आत्माराम	सलेमगढ़	9462588886
582	टिब्बी	ग्रामीण	9916	बलवीर / दोलतराम अस्थायी	2 के.एस.पी.	9462588886
583	टिब्बी	ग्रामीण	9917	महिला सह समिति पत्नीवाली अस्थायी	मल्लड़खेड़ा	9929171009
584	टिब्बी	ग्रामीण	9918	किरताराम / सुरजाराम	मसीतावाली	9829996972
585	टिब्बी	ग्रामीण	9922	शिवप्रताप / रामस्वरूप गिलवाला	सहारणी	9079287159
586	टिब्बी	ग्रामीण	10038	कृष्ण थोरी अस्थायी	चाहूवाली	9982681877
587	टिब्बी	ग्रामीण	10039	विजय सिंह खिनानिया	खिनानिया	9783038731
588	टिब्बी	ग्रामीण	10042	ममता/ अनिल कुमार	डबली कलां	9694004238
589	टिब्बी	ग्रामीण	19585	देशराज	4 के.एस.पी.	9672221286
590	टिब्बी	ग्रामीण	19852	ताराचन्द / सन्तराम	बशीर	9680758232
591	टिब्बी	ग्रामीण	21351	जी एस एस श्योदानपुरा	खिनानिया	6377414891
592	टिब्बी	ग्रामीण	21466	राजपाल / रामचन्द्र कुम्हार	कुलचन्द्र	9461169539
593	टिब्बी	ग्रामीण	21536	सतपाल दोलतपुरा	मल्लड़खेड़ा	9929171009
594	टिब्बी	ग्रामीण	21593	पूनम महिला विकास समिति	मसीतावाली	9799300433
595	टिब्बी	ग्रामीण	21599	गणेशगिर / मुशीगिर	मसीतावाली	9414953292
596	टिब्बी	ग्रामीण	21634	सुभाष शर्मा	मिर्जावाली मेर	9828421496
597	टिब्बी	ग्रामीण	21665	रायसिंह	नाईवाला	7740880001
598	टिब्बी	ग्रामीण	21733	महिला सह समिति पत्नीवाली	पत्नीवाली	7665120007
599	टिब्बी	ग्रामीण	21738	सुशील कुमार / नत्थूराम	पीरकामड़िया	9024657772
600	टिब्बी	ग्रामीण	21871	कृष्ण थोरी	रामपुरा उर्फ रामसरा	9982681877
601	टिब्बी	ग्रामीण	22032	रामप्रताप	साबुआना	9928703130
602	टिब्बी	ग्रामीण	22052	सुरेन्द्र कुमार / रामस्वरूप	सहारणी	7740962695
603	टिब्बी	ग्रामीण	22068	सुखदेव सिंह / मुख्तयार सिंह	सलेमगढ़	9414578146
604	टिब्बी	ग्रामीण	22099	मंगलराम / लिखाराम	सालीवाला	9413614893
605	टिब्बी	ग्रामीण	22243	भीमसेन / बनवारीलाल	सिलवाला खुर्द	9413733632
606	टिब्बी	शहरी	22365	दीदार सिंह अस्थायी	टिब्बी	9414095147
607	टिब्बी	शहरी	24564	सुषमा	टिब्बी	9414507794
608	टिब्बी	शहरी	24565	जितेन्द्र कुमार / सुरेन्द्र कुमार	टिब्बी	9414509070
609	टिब्बी	शहरी	24566	प्रकाशचन्द/रमेश कुमार	टिब्बी	9414509011
610	टिब्बी	शहरी	24567	पन्नालाल/ नन्दलाल	टिब्बी	9414509011
611	टिब्बी	शहरी	24568	दीदार सिंह	टिब्बी	9414095147
612	टिब्बी	शहरी	24570	रणजीत अस्थायी	टिब्बी	9414509011
613	टिब्बी	ग्रामीण	24572	अंजू रानी / बलविद्र सिंह	तन्दूरवाली	9782710402
614	टिब्बी	ग्रामीण	24574	विविध महिला समिति	डबलीखुर्द	9414508891
615	टिब्बी	ग्रामीण	24575	विविध रोजगार महिला समिति	डबलीखुर्द	9414509041
616	टिब्बी	ग्रामीण	24576	रानी देवी / बाबूराम	खाराखेड़ा	8302756908
617	टिब्बी	ग्रामीण	24580	विरेंद्र कुमार / रामप्रताप	मेहरवाला	9414508891
618	टिब्बी	ग्रामीण	24581	रजीराम/ मन्नीराम	मिर्जावाली मेर	9828879110
619	टिब्बी	ग्रामीण	24584	जीएसएस पीरकामड़िया	पीरकामड़िया	9799084203
620	टिब्बी	ग्रामीण	24607	बलवीर / दोलतराम	राठीखेड़ा	9413155461
621	टिब्बी	ग्रामीण	24615	मो. सलीम / सराजदीन	सहारणी	9680010398
622	टिब्बी	ग्रामीण	24617	रिंकू / चिमनलाल	तलवाड़ा झील	7062142143

623	टिब्बी	ग्रामीण	24619	राधादेवी/ सीताराम	तलवाड़ा झील	9414509645
624	टिब्बी	ग्रामीण	24620	पवन कुमार एण्ड सन्स	तलवाड़ा झील	9460689317
625	टिब्बी	ग्रामीण	24622	राकेश कुमार/जय सिंह	खाराखेड़ा	9799850061
626	टिब्बी	ग्रामीण	25407	कृष्ण सिंह / रूप सिंह	शेरेकां	9079947067
627	टिब्बी	ग्रामीण	25424	कृष्णलाल/ लालचन्द	चाहवाली	9982808930
628	टिब्बी	ग्रामीण	29043	अपनी बचत घर योजना म.स.समिति	तलवाड़ा झील	9772700081
629	टिब्बी	शहरी	29044	शिवभगवान	टिब्बी	9414095147
630	टिब्बी	ग्रामीण	31305	वीरपाल कौर / हरीश सिंह	सूरेवाला	9982939802
631	भादरा	शहरी	18180	उस्मान	वार्ड 5/वार्ड 5	9414940671
632	भादरा	शहरी	18195	राजेन्द्र/तुलसीराम	वार्ड 13/वार्ड 13	9928843209
633	भादरा	शहरी	18211	मांगीलाल	वार्ड 21/वार्ड 21	9610092431
634	भादरा	शहरी	18220	कैलाश चन्द्र	वार्ड 24/वार्ड 24	9414512834
635	भादरा	ग्रामीण	30822	सुंदर सिंह	रामसरा/मुन्डड़िया बड़ा	7891744307
636	नोहर	शहरी	18144	राममोहन	वार्ड 1/वार्ड 1	9784050411
637	नोहर	शहरी	18169	सुमन कुमार	वार्ड 23/वार्ड 23	9950185530

6.4 छविग्रहों की सूची (तहसीलवार)

क्र.सं	नाम व पता	तहसील	एस-टी-डी- कोड	दूरभाष
1	शिव मन्दिर	हनुमानगढ़	01552	260719
2	कृष्णा टाकीज भादरा	भादरा	01504	01504
3	वितान विहार सिनेमा संगरिया	संगरिया	01499	250135

जिले मे उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था :-

CALL SIGN LIST WIRELESS STATION DISTT. HANUMANGARH

STATIC STATION			MOBILE STATION		
SN.	STATION	Call Sign	SN	STATION	Call Sign
1	SP CHAMBER/RESIDENCE	TIGER	1	SP HMG(2 VEH.)	TIGER
2	VHF CONTROL	CONTROL	2	COLLECTOR	ECHO
3	ADDL.SP.HMG	BRAVO	3	ADDL.SP.HMG	BRAVO
4	CITY CONTROL	CITY CONTROL	4	ADDL.SP.NOHR	BRAVO-2
5	PS HMG JN	FORT-1	5	ADDL.SP (SIUCAW) HMG	BRAVO-3
6	PS HMG TOWN	FORT-2	6	CO HMG	PETER-1
7	PS PILIBANGA	FORT-3	7	CO SANGRIA	PETER-2
8	PS TIBBI	FORT-4	8	CO NOHR	PETER-3
9	PS SANGRIA	FORT-5	9	CO RAWATSAR	PETER-4
10	PS RAWATSAR	FORT-6	10	C.O. SC/ST CELL HMG	PETER-5
11	PS PALLU	FORT-7	11	CO BHADRA	PETER-6
12	PS NOHR	FORT-8	12	DYSP. P.S.(CYBER) HMG	PETER-7
13	PS BHADRA	FORT-9	13	ADM HMG	ADAM-1
14	PS BHIRANI	FORT-10	14	ADM NOHR	ADAM-2
15	PS GOLUWALA	FORT-11	15	SDM HMG	POLO-1

16	P.S.SADAR HMG	FORT-12	16	SDM PILIBANGA	POLO-2
17	P/ LINE HMG	FORT-13	17	SDM TIBBI	POLO-3
18	PS TRAFFIC	FORT-14	18	SDM SANGRIA	POLO-4
19	P.S MAHILA HMG	FORT-15	19	SDM RAWTSAR	POLO-5
20	P.S. GOGAMERI	FORT 16	20	SDM NOHAR	POLO-6
21	P.S. TALWARA	FORT-17	21	SDM BHADRA	POLO-7
22	P.S KHUIYAN	FORT-18	22	SHO HMG JN	GAMA-1
23	P.S.NAHARI THANA NOHAR	FORT-19	23	SHO HMG TOWN	GAMA-2
24	P.S. PHEPHANA	FORT-20	24	SHO PILIBANGA	GAMA-3
25	OP DHABAN	BITA-2	25	SHO TIBBI	GAMA-4
26	OP SUREWALA	BITA-3	26	SHO SANGRIA	GAMA-5
27	OP MEHRANA	BITA-5	27	SHO RAWATSAR	GAMA-6
28	OP DABLI RATHAN	BITA-6	28	SHO PALLU	GAMA-7
29	OP LAKHUWALI	BITA-7	29	SHO NOHAR	GAMA-8
30	OP KENCHIYAN	BITA-9	30	SHO BHADRA	GAMA-9
31	OP JAKHRANWALI	BITA-10	31	SHO BHIRANI	GAMA-10
32	OP. SHERGARH	BITA-11	32	SHO GOLUWALA	GAMA-11
33	OP.DHANNASAR	BITA-12	33	SHO SADAR HMG	GAMA-12
34	OP THALRAKA	BITA-13	34	RI POLICE LINE	GAMA-13
35	OP MASITA WALI HEAD	BITA-14	35	SHO MAHILA HMG	GAMA-15
36	OP MALARAM PURA	BITA -16	36	SHO GOGAMERI	GAMA-16
37	Z.U. CID HMG	SEIRA-1	37	SHO TALWARA	GAMA-17
38	O.C.R.HMG	OCR	38	SHO KHUIYAN	GAMA-18
39	REPEATER STN. GOGAMERI	GORAKHTILL A	39	SHO NAHARI THANA NOHAR	GAMA-19
			40	SHO PHEPHANA	GAMA- 20
			41	I/C TRAFFIC(TSI)	TANGO
			42	VEH 3719 PS JN.	CHETAK-1
			43	VEH.3726 PS. TOWN	CHETAK -2
			44	VEH.TFC.0208	INTERCEPTOR -1
			45	VEH.TFC. 6852	INTERCEPTOR -2
			46	VEH.QRT	QRT
			47	VEH. OP LAKHUWALI 2413	MOBILE BITA- 7
			48	MT MINI BUS 4637 LP HMG	TANGO-6
			49	VEH. I/C DST HMG 3618	DST
			50	VEH.OP MASITAWALI 2342	MOBILE BITA- 14
			51	VEH. (112) PS HMG JN.	ALPHA-1
			52	VEH. (112) PS HMG TOWN	ALPHA-2
			53	VEH. (112) PS PILIBANGA	ALPHA-3
			54	VEH. (112) PS TIBBI	ALPHA-4
			55	VEH. (112) PS SANGARIA	ALPHA-5
			56	VEH. (112) PS RAWATSAR	ALPHA-6
			57	VEH. (112) PS PALLU	ALPHA-7
			58	VEH. (112) PS NOHAR	ALPHA-8
			59	VEH. (112) PS BHADRA	ALPHA-9
			60	VEH. (112) PS BHIRANI	ALPHA-10

परिशिष्ट- 7 विभिन्न संस्थाओं, स्वयं सेवकों की सूची

10.1 प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची (तहसीलवार)

क्रं. सं.	तहसील	स्वयंसेवी संस्था का नाम	पदाधिकारी			
			अध्यक्ष		सचिव	
			नाम	मोबाईल	नाम	मोबाईल
1	पीलीबंगा	एकता मंच	राजेश गोयल	9414318555	—	—
2	पीलीबंगा	तरुण संध	पवन मित्तल	7665133333	—	—
3	पीलीबंगा	भारतीय विकास परीषद्	सुशील गुप्ता	9414990311	—	—
4	पीलीबंगा	मारवाड़ी युवा मंच	उमेश सोनी	9414035395	—	—
5	पीलीबंगा	व्यापार मंडल	हनुमान जैन	9414509239	—	—
6	रावतसर	युवा लियो समिति	श्री राधेश्याम	94145—02184	श्री साहबराम	96499—01001
7	रावतसर	मदर ट्रेरेसा सेवा संस्था	श्री विजय सिंह डुडी	99280—97485	श्री दीपक गोयल	98294—68957
8	रावतसर	जीवन ज्योति सेवा संस्था	श्री मोहनलाल सोनी	99502—60287	श्री नारायण सिंह	94145—35312
9	रावतसर	श्री श्याम नवयुवक मंडल सेवा संस्था	श्री कृष्णलाल शर्मा	98870—74484	श्री सुभाष खदरिया	99294—22101
10	रावतसर	श्री अग्रसेन भवन धर्मशाला	श्री सुशील खदरिया	97853—52019	श्री मुरारीलाल खदरिया	94145—10327
11	रावतसर	महेश्वरी धर्मशाला	श्री सुरेन्द्र बिहाणी	98870—87501	श्री भोजराम बिहाणी	96658—63947
12	रावतसर	श्री रामदेव धर्मशाला	श्री बहादूर सिंह सहू	94602—66249	श्री मनसाराम सोनी	94132—31128
13	रावतसर	कुम्हार धर्मशाला रावतसर	श्री ओमप्रकाश सिंगाटिया	99839—76246	श्री राधाकृष्ण छापोला	99296—74382
14	रावतसर	श्री विश्वकर्मा	श्री भंवरलाल जाला	90010—81187	श्री ओमप्रकाश	94145—02275

		मन्दिर व धर्मशाला				
15	रावतसर	होटल नारायण टावर धर्मशाला	श्री ओम गोदारा	94135-38100	श्री अशोक कुमार	80949-49491
16	रावतसर	फूड ग्रेन धर्मशाला	श्री हरपाल सिहाग	99506-43999	श्री रायसिंह मील	96676-50650
17	रावतसर	मेघवाल धर्मशाला	श्री भानीराम	94135-38027	श्री रामसिंह मौर्य	72405-97518
18	रावतसर	चौपाल लोक जागृति शोध समिति रावतसर	श्री गिरधारीलाल कडवासरा	95496-04953	श्री रामजस बुरडक	94145-35354
19	रावतसर	ब्रह्मण धर्मशाला	श्री छगनलाल जोशी	98290-81699	श्री थानेश्वर शर्मा	77429-41444
20	रावतसर	श्री खेतरपाल	श्री प्रेम सिंह सुडा	94145-09753		
21	रावतसर	गौड ब्रह्मण सेवा समिति	श्री ओमप्रकाश शर्मा	94615-54897	श्री निरंजन शर्मा	98289-66847
22	संगरिया	श्री जुबली राम नाटक समिति	विनोद मोदी	9414480799	डिप्टी कंवल शर्मा	9414502050
23	संगरिया	समाज सुधार मंच	राजेन्द्र चौधरी	9413378790	डॉ अंग्रेज सिंह	9950368497
24	संगरिया	उपभोक्ता संरक्षण समिति	संजय आर्य	9414091400	विद्यासागर शर्मा	9413779014
25	संगरिया	श्री राम सोशल क्लब	हिमान्सू गोयल	9001012827	हैप्पी ग्रोवर	9828167000
26	संगरिया	डेरा सच्चा सौदा	कृष्णलाल	9785115453		
27	संगरिया	अभिनव संगरिया अभियान	प्रमोद डेलू	9414380711	कपील करवा	9887857269

28	नेहर	रिलीफ सोसायटी, नोहर		01555-220243		
29	नेहर	एपेक्स क्लब नोहर		01555-220014		
30	नेहर	लायन्स क्लब नोहर		01555-221180		

स्वयं सेवी संस्था टिब्बी

क्रं. सं.	स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम	अधिकृत व्यक्ति	सम्पर्क सूत्र
01.	मानवता भलाई केन्द्र(डेरा सच्चा सौदा)	—	98286-83018
02.	गुरुद्वारा सिंह सभा	श्री सुखजीत सिंह	94133-82251
03.	अम्बेडकर नवयुवक संघ	—	—

सूरतगढ़ की स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम मय दूरभाष

क्रं. सं.	नाम व पद	मोबाईल नम्बर
1.	<u>रोटरी क्लब</u> श्री जयकिशन अरोड़ा, अध्यक्ष	9636888828
2.	<u>महावीर इन्टरनेशनल</u> श्री दिलीप मिश्रा, अध्यक्ष	9672163120
3.	<u>बालाजी लंगर समिति</u> श्री ओम मनचन्दा, अध्यक्ष	9414504715
4.	<u>मारवाड़ी युवा मंच</u> श्री महेन्द्र जैन	8005799728
5.	<u>व्यापार मण्डल, सूरतगढ़</u> श्री संजय सोनी, अध्यक्ष	9461000000
6.	<u>अग्रवाल समाज सेवा दल, सूरतगढ़</u> श्री अनिल धानुका, अध्यक्ष	9414480110
7.	<u>यंग मैन एशोसिएसन, सूरतगढ़</u> श्री रतीराम यादव, अध्यक्ष	9571901862
8.	<u>जैन युवक संघ</u> श्री दिपेन्द्र रांका, अध्यक्ष	9928082283
9.	<u>पंजाबी वेलफेयर सोसाईटी</u> श्री परमजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष	9928928099
10.	<u>तेरापंथ युवक परिषद्</u> श्री पवन जी सेठिया, अध्यक्ष	9460100300

नागरिक सुरक्षा मे स्वयं सेवक के नाम व वितरण।

क्र. सं.	स्वयं का नाम	पिता का नाम	सदस्य सं.	मोबाईल
1	राकेश कुमार	माडूराम	01 / 18	9057872385
2	शयोपाल	चेतराम	02 / 18	9783044493
3	बलकरण सिंह	छोटू सिंह	03 / 18	9928648718
4	कुलदीप सिंह	गुरदेव सिंह	04 / 18	9660519606
5	अग्नेज सिंह	भोला सिंह	05 / 18	9649685007
6	सुखविन्द्र सिंह	बलवन्त सिंह	07 / 18	9660699832
7	पासा बाई	बन्त सिंह	08 / 18	8690045099
8	भागा बाई	बन्त सिंह	09 / 18	8955177615
9	सरैणा बाई	बलवन्त सिंह	10 / 18	9983152780
10	मन्जु रानी	बृजलाल	12 / 18	8529366629
11	गगनदीप कौर	जसविन्द्र सिंह	13 / 18	7742252084
12	सतवीर कौर	महेन्द्र सिंह	14 / 18	9521529020
13	राजवीर	जगसीर सिंह	15 / 18	7733960462
14	सुखचरण सिंह	बलेदव सिंह	16 / 18	9680807993
15	अशोक कुमार	जगदीश प्रसाद शर्मा	18 / 18	9001932807
16	गुरशरण सिंह	बलदेव सिंह	19 / 18	9587037000
17	पूर्णा राम	दलीप राम	20 / 18	9664044058
18	भूपेन्द्र सोनी	सन्तलाल	21 / 18	9782810554
19	विरेन्द्र कुमार	रमेश कुमार	22 / 18	7014896946
20	संजय कुमार	प्रभात कुमार	24 / 18	9521497899
21	जगदीश	गंगाजल	11 / 18	9772556910
22	अजय कुमार	नफे सिंह	27 / 19	8875218290
23	राजीव सिंह	सुखदेव सिंह	28 / 19	9460646018
24	गुरविन्द्र सिंह	हरमेल सिंह	29 / 19	9413621210
25	लखविन्द्र सिंह	ज्ञान सिंह	30 / 19	9680842827
26	राजकुमार	इन्द्रसैन	31 / 19	9929216789
27	भानीराम	चानणराम	32 / 19	9079782522
28	सोमपाल	धर्मपाल	33 / 19	9024306454
29	सुरेश कुमार	कृष्ण कुमार	34 / 19	9079782522
30	बलकार सिंह	लाभसिंह	35 / 19	8000170569
31	जंगजीत सिंह	धुकर सिंह	25 / 19	9610377755

32	गोविन्द सिंह	दलीप सिंह	37 / 19	7891999770
33	मनीष कुमार	रमेश कुमार	38 / 19	8955521300
34	सोनू अरोड़ा	अर्जुनलाल	39 / 19	9828268831
35	विजय कुमार	माडूराम	40 / 19	7665036267
36	संदीप कुमार	कृष्ण पचार	42 / 19	7014606582
37	सुभाष चन्द्र	इन्द्राज	43 / 19	8875090626
38	मन्दर सिंह	जगगाराम	57 / 19	9461150740
39	गुरुबक्श सिंह	बलदेव सिंह	46 / 19	9799300946
40	सुखचरण सिंह	गुरदेव सिंह	48 / 19	9001878385
41	सतपाल सिंह	लाभ सिंह	49 / 19	6377276076
42	संदीप सिंह	गुरदेव सिंह	50 / 19	7300090048
43	जसविन्द्र सिंह	सुरजीत सिंह	53 / 19	9001993426
44	अशोक कुमार	सोहन	54 / 19	9664238937
45	बलकरण सिंह	सुरजीत सिंह	52 / 19	9413884605
46	सुरेन्द्र कुमार	जयचंद	59 / 19	82557702500
47	धमेन्द्र बारीयां	ओमप्रकाश	60 / 19	9413537480
48	रमेश कुमार	जीवणराम	61 / 19	8003929639
49	सुभाष चन्द्र	कालूराम	62 / 19	8696356376
50	अश्वनी कुमार	विष्णुदास	64 / 19	9667867688
51	सुभाष चन्द्र	सरजन कुमार	65 / 19	9680796049
52	बबलू	लालचंद	66 / 19	6350388493
53	संध्या	नेहरूलाल	67 / 19	9785724233
54	हरप्रीत सिंह	जालोर सिंह	58 / 19	9588219785
55	जयदीप	जयपाल	71 / 19	9694192444
56	पूजा मिश्रा	सुभाष शर्मा	72 / 19	9461285743
57	प्रियंका शर्मा	मक्खनलाल शर्मा	73 / 19	6377447213
58	इकबाल सिंह	दलबारा सिंह	74 / 19	8504002853
59	सुनील कुमार	सुरेश कुमार	75 / 19	6377254035
60	मोहनलाल	गोपीराम	76 / 19	8387881058
61	राजेन्द्र कुमार	लेखराज	77 / 19	8387881058
62	विजय सिंह वर्मा	जोगीराम	78 / 19	7665036267
63	प्रतीक कुमार	जुगल किशोर	79 / 19	9352889747
64	सुभाष चन्द्र	संतलाल	80 / 19	7891750714
65	मनोज कुमार	रामलाल	81 / 19	9828977653
66	कुलदीप सिंह	रामकुमार	41 / 19	8619743321
67	हरदीप सिंह	अमर सिंह	47 / 19	9672622513
68	मुकेश कुमार	राजकुमार	85 / 19	9587321587
69	राहुल मिश्रा	रमेशचन्द्र	86 / 19	9587020002
70	जफर हुसैन	बाबूखान	87 / 19	7665270279

71	सुरजीत सिंह	प्यारा सिंह	88 / 22	9784404282
72	उग्रसेन	विजेन्द्र कुमार	89 / 22	9079267423
73	जुगल किशोर	शयोपत राम	90 / 22	6376593627
74	सजाद खाँ	नूरजमल	92 / 22	8890840447
75	भूपेन्द्र कुमार	बलराम वर्मा	93 / 22	9166438320
76	किंसमत अली	शरीफ	94 / 122	9521424653
77	विनोद कुमार	दलीप कुमार	26 / 19	9413515332
78	हेमराज	बनवारी लाल	56 / 19	7610089419

परिशिष्ट नं. 8 प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची-मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धता
8.1 जिले में उपलब्ध अग्निशमन वाहन / हाइड्रेंट पॉइन्ट्स की सूची
(तहसीलवार)

क्र.सं.	तहसील	पता	उपकरण	भराव क्षमता	ऊँचाई क्षमता	हाईड्रेंट पॉइंट
1.	हनुमानगढ़	अग्नि शमन केन्द्र हनुमानगढ़ टाउन	अग्निषामक सीओटू – 6 नग डी0सी0पी-5 नग रोप – 10 बण्डल लाईफ जैकेट – 5 नग हाईड्रोलिक कटर – 2 नग हेमर – 01 नग फायर सूट – 01 बी0ए0 सेट –01	अग्निषाम क वाहन – 6 (वाटर टेण्डर) पानी क्षमता 16500 लीटर	प्रत्येक अग्निषमन वाहन से 50 फुट तक वाटर जेट	1-अग्नि शमन केन्द्र टाउन
2.	नोहर	अग्नि शमन केन्द्र नोहर रिको एरिया 97835038 90	अग्निषामक सीओटू – 1 नग (4.5 किलो) डी0सी0पी-13 नग (9 किलो) AFFF फोम – 12 नग (240 लीटर) नाईलोन रोप – 01 नग लाईफ जैकेट – 04 नग प्लास्टिक रोप- 02 नग डिलिवरी हौज – 04 नग फायरमैन एक्स- 04 नग	अग्निषामक वाहन – 01 क्षमता 4500 लीटर	अग्निषमन वाहन से 50 फुट तक वाटर जेट	1.अग्नि शमन केन्द्र नोहर स्वयं का 2.डाकघर नोहर 3. दो अन्य निजी

			फोम ब्रांच -01 नग हेलमेट - 05 नग रोप लैडर - 01 नग अन्य ब्रांच - 04 नग टूल बॉक्स - कम्पलीट श्वसन यंत्र-01 फायर सूट-02			
3.	संगरिया	अग्नि शमन केन्द्र नगर पालिका संगरिया 01499-2530 01	अग्निषामक सीओटू - 4 नग (9 किलो) डी0सी0पी- 7 नग (10 किलो) नोजल-4 होज पाईप 7 नग (100 फुट) होज रील 100 फुट सैक्शन हॉज-4 (3 मीटर) क्रो बार 1 नग सिलिंग हुक 01 नग हैमर 1 नग कुल्हाड़ी - 01 नग फायरमैन एक्स-02 रोप सीढ़ी -1 नग	अग्निषामक वाहन - 01 क्षमता 4500 लीटर	अग्निषमन वाहन से 35 फुट तक वाटर जेट	—
4.	रावतसर	अग्नि शमन केन्द्र रावतसर	अग्निषामक सीओटू - 4 नग फोम - 14 नग डी.सी.पी. 8 नग नएलोने रोप - 01 नग प्लास्टिक रोप - 1 नग डिलीवरी रोप - 1 नग फोम ब्रांच - 1 नग हेलमेट- 4 नग रोप लेडर- 00 नग सीढ़ी- 1 नग होजरील -100 फुट	अग्निषामक वाहन - 01 क्षमता 4500 लीटर	अग्निषमन वाहन से 50 फुट तक वाटर जेट	3

			सेक्शन होज - 3 नग सीलिंग हुक- 3नग हेमेर - 1 नग कुल्हाड़ी -1 नग फायर बॉल- 8 नग गम बूट - 3 नग टूल बॉक्स - कम्पलीट			
5.	भादरा	नगर पालिका भादरा	अग्निशामक सीओटू - 12 नग (4.5 किलो) डी0सी0पी- 8 नग (9 किलो) डी0सी0पी- 4 नग (4 किलो) सैक्शन हॉज - 01 (3 मीटर) नोजल-10नग होज पाईप 11 नग (15 मीटर) होज पाईप 04 नग (30 मीटर) कुल्हाड़ी - 01 नग फायरमैन एक्स- 02 रोप सी लीटर रस्सा नाईलोन -30 मीटर	अग्निशामक वाहन - 01 क्षमता 4000 लीटर	अग्निषमन वाहन से 35 फुट तक वाटर जेट	1. अग्निषमन केन्द्र भादरा
6.	पेलीबंगा	अग्निषमन केन्द्र नगर पालिका पेलीबंगा	अग्निशामक सीओटू - 2 नग 4.5 किलो) डी0सी0पी- 15 नग नाइलोन रोप-01 नग लाइफ जैकेट - 0 प्लास्टिक रोप- 01 नग डिलेवरी हौज़- 26 नग फायरमैन एक्स - 01 नग	अग्निशामक वाहन - 03 क्षमता 15000 लीटर	अग्निषमन वाहन से 50 फुट तक वाटर जेट	

			फोम ब्रांच- 03 नग हेलमेट - 9 नग रोप लेडर- 01 नग अन्य ब्रांच - 06 नग सीढ़ी- 03 नग होज रील - 300 फुट सेक्शन ए होज -12 क्रो बार - 4 नग सीलिंग हुक - 03 नग हैमर - 02 नग कुल्हाड़ी -02 नग फायर बॉल -30 नग गम बूट - 06 जोड़ी हइड्रोलिक कटर - 01 नग टूल बॉक्स - कम्प्लीट			
--	--	--	--	--	--	--

Resource & Personal Kit

S.no.	Particular;	Qty.
1	Hand Tool Set(With Contents) Both cuter 12" & 30" Chisel for concrete 1/2" & 1" (Tab area of Eqvt.) Screw driver set (tab area) complete set Hacksaw 12" duvular with spre blades Claw hammer 4 kg. Crescent wrench 8"	01
2	Life Jacket	06
3	Alumunium Ext Ladder 25" folding	02
4	Emergency Light	05
5	Mega phone	02
6	Torch Light	10
7	Face Mask	03
8	Spade	10
9	Picks	10
10	Shoul/ Fawra	10
11	Light Axe	10
12	Stretcher	04
13	Blanket Red	10
14	buckets	10

15	BOB Roap 20kg. repelling rope 8mm x 200feet	02
16	Climbing Fiber Ropes 10mm x 100feet	03
17	Tent Canvas	01
18	First Aid Box with contents Bite Stics Flexi Splints various sçess bandage various types mask,Glove,Spongers,Scissors	01
19	Safety helmets	10
20	Box steels with 2 lock 6 x 3 x3	02
21	Rubber Tubes 4 fobocy	10
22	Pullies Single Sheave Doble sheave	02 02
23	Gum Boot	05
24	Hand Gloves rubber	05
25	Heavy Chain with lock bullies 3 mtrs	01

8.2 प्रशिक्षित अग्निशमन व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम व पता	तहसील	एसटीडी कोड नं.	टेलीफोन / मोबाईल नं.
1	मोहम्मद युनूस खा	सहा. अग्निशमन अधिकारी	01552-222855	9252802093
2	राजेश पारीक	चालक		9414276414
3	हरदीप सिंह	चालक		9461565274
4	विकास कुमार	फायरमैन		9783463898
5	रामनारायण	फायरमैन		9782857456
6	मोहन सिंह	फायरमैन		9929840596
7	रविन्द्र सिंह	फायरमैन		9587422852
8	रामु कुमार	फायरमैन		8949127619
9	सीताराम	फायरमैन		9636270430
10	आशाराम	फायरमैन		9649503387
11	सार्दूल कुमार	फायरमैन		9789263328
12	रामदेव	फायरमैन		9521725928
13	मेहर सिंह	फायरमैन		9996473833
14	शुभम सिंह	फायरमैन		9783252101
15	शेर सिंह	फायरमैन		9649373840
16	रजनी	फायरमैन		6376344966
17	शर्मिला	फायरमैन		9351829979
18	अन्जु	फायरमैन		7976165584
19	प्रीतम सिंह	च.श्रेणी. कर्मचारी		6875712623
20	ओमप्रकाश	अनु. चालक		9962172001
21	रवि शंकर	अनु. चालक		8209124573
22	सलामुद्दीन	अनु चालक		9413230830
23	सुनस कुरेशी	अनु चालक		9928219890

24	वंशीलाल	अनु चालक		9784645855
25	सुरेन्द्र कुमार	अनु चालक		9414953958
26	विक्रम	अनु चालक		8384948692
27	सोनू कुमार	अनु चालक		8209900252
28	रमेश कुमार	अनु चालक		9782567216
29	मदुसुदन	अनु. फायरमैन		9462171953
30	संजय कुमार	अनु फायरमैन		9602630753
31	संदीप कुमार सिल्लू	अनु. फायरमैन		7220042189
32	हैमन्त पारिक	अनु फायरमैन		9784354050
33	वैभव शर्मा	अनु. फायरमैन		8094141067
34	अजय गौद	अनु फायरमैन		9530006806
35	सुनील कुमार शीला	अनु. फायरमैन		9928338889
36	पवन कुमार	अनु फायरमैन		7665862006
37	लोकेश पारिक	अनु. फायरमैन		9549407115
38	शिव प्रकाश	अनु फायरमैन		9549187343
39	सन्दीप कस्वा	अनु. फायरमैन		9413603142
40	विनोद कुमारी	अनु फायरमैन		9358437814
41	कृष्ण कुमार	अनु. फायरमैन		9549797027
42	सुनील सवेटा	अनु फायरमैन		9610099990
43	समीर खां	अनु फायरमैन		8559999604
44	परवेज	अनु. फायरमैन		946277538
45	शक्ति सिंह	अनु फायरमैन		9694328495
46	रवि कुमार	अनु. फायरमैन		8003664918
47	कोमल कुमारी	अनु. फायरमैन		

संगरिया

क्र. स.	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम व पता	तहसील	एसटीडी कोड	टेलीफोन / मोबाईल नं.
1	श्री मोहन लाल, फायर मैन (प्रभारी फायर शाखा)	संगरिया	01499 / 253001	9460852103
2	श्री रामसिंह, फायर मैन			9413602350
3	श्री पवन कुमार, फायरमैन (एनजीओ)			7014784314
4	श्री नवजोत सिंह, फायरमैन (एनजीओ)			7014247113
5	श्री हरदीप सिंह, फायर मैन (एनजीओ)			9571607871
6	श्री मनीष, फायर मैन (एनजीओ)			9521320111
7	श्री संजय, फायर मैन (एनजीओ)			
8	श्री मनीष, फायर मैन (एनजीओ)			

भादरा

प्रशिक्षित कार्मिक का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
श्री आमीन खां	टिण्डल	9460102308
श्री अजीत सिंह	वाहन चालक	9829969882
श्री जयवीर	फायरमैन	6378805630
श्री कृष्ण कुमार	फायरमैन	8199913387
श्री सुनील कुमार	वाहन चालक	9694841442
श्री सुनील कुमार	फायरमैन	8529556601
श्री सीताराम	फायरमैन	9636270430
श्री सन्दीप	वाहन चालक (अनु.)	9019081070
श्री अनिल कुमार	वाहन चालक (अनु.)	7727914420
श्री मुकेश	फायरमैन (अनु.)	8003734538
श्री सुभाष	फायरमैन (अनु.)	9610174334
श्री दीलबाग सिंह	फायरमैन (अनु.)	9649281485
श्री राजकुमार	फायरमैन (अनु.)	9057394211

नोहर

क्र.सं.	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम व पता	तहसील	टेलीफोन/मोबाइल नं.
1.	श्री जगदीश चन्द्र लिडीग फायरमैन	नोहर	9549611541
2.	श्री महावीर फायर वाहन चालक	नोहर	9413838102
3.	श्री रोहताष फायरमैन	नोहर	9996497038
4.	श्री रमेश ढाका फायरमैन	नोहर	7340297303
5.	श्री राजेन्द्र फायरमैन	नोहर	8107346219
6.	श्री पवन कुमार फायरमैन	नोहर	8094562112
7.	श्री मुकेश कुमार वाहन चालक	नोहर	9509537610
8.	श्री अशोक कुमार	नोहर	8003837592

8.3 क्रेन, जे-सी-बी-, गैस कटर्स इत्यादि उपकरणों की सूची (तहसीलवार)

नगरपरिषद हनुमानगढ़ में उपलब्ध वाहनो की सूची :-

क्र. सं.	वाहन का नाम	संख्या	क्षमता
1	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	4	3 क्यूबीक
2	जेसीबी मशीन	3	3 क्यूबीक
3	कैम्पेक	3	
4	डम्पर प्लेसर	1	
5	जेटिंग मशीन	1	4500 लीटर
6	जीप	1	
7	सैक्शन मशीन	3	4500 लीटर 2000 लीटर 8500 लीटर
8	ओटो टिप्पर	33	
9	ई-रिक्शा	10	
10	टाटा सफारी	2	
11	नैनो जेटिंग मशीन	1	1000 लीटर
12	सुपर सकर मशीन	1	12000 लीटर

नगरपालिका संगरिया

क्र. सं.	उपकरण का नाम	विभाग के पास उपलब्धता
	सार्व. / निजी	नगर पालिका संगरिया
1	जे.सी.बी.	थनजी 01
2	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	थनजी 06
3	ऑटो टिप्पर	थनजी 09
4	रस्सा	थनजी 1
5	फावड़ा / कस्सी	थनजी 50
6	ब्लचा	थनजी 110
7	परात / तंगारी	थनजी 20
8	हथौड़ा	थनजी 5
9	सबल लोहे का	थनजी 4
10	पानी निकालने के पम्प	थनजी 10

नगरपालिका पीलीबंगा

क्र. सं.	उपकरण का नाम	विभाग के पास उपलब्धता
	सार्व. / निजी	नगर पालिका पीलीबंगा

1	जे.सी.बी.	निजी	01
2	ट्रैक्टर मय ट्रॉली	सार्व. / निजी	02 / 01
3	ऑटो टिप्पर	निजी	14
4	जेटिंग मशीन	सार्व	01
5	फावड़ा / कस्सी	सार्व	50
6	पम्प	सार्व	02
7	मोटर	निजी	02

नगरपालिका रावतसर

क्र. स.	उपकरण का नाम		विभाग के पास उपलब्धता
		सार्व. / निजी	नगर पालिका रावतसर
1	जे.सी.बी.	सार्व. / निजी	01
2	ट्रैक्टर मय ट्रॉली	सार्व. / निजी	03
3	ऑटो टिप्पर	सार्व.	09
4	जेटिंग मशीन	सार्व	01
5	फावड़ा / कस्सी	सार्व	50
6	टेन्कर	सार्व	01
7	बर्मा 08"	सार्व.	01
8	ट्रैक्टरबर्मा 12"	सार्व.	01
9	04 इन्ची वाटर पम्पिंग ईजन	सार्व.	01

नगरपालिका टिब्बी

क्र. स.	उपकरण का नाम		विभाग के पास उपलब्धता
		सार्व. / निजी	नगर पालिका टिब्बी
1	जे.सी. बी.	निजी	01
2	ट्रैक्टर मय ट्रॉली	निजी	01
3	ऑटो टिप्पर	निजी	03

4	रस्सा	निजी	1
5	फावड़ा / कस्सी	निजी	50
7	परात / तंगारी	निजी	50
8	पानी निकाल ने के पम्प	निजी	01

नगरपालिका भादरा

क्र.स.	उपकरण का नाम		विभाग के पास उपलब्धता
		सार्व. / निजी	नगर पालिका संगरिया
1	जे.सी.बी.	निजी	01
2	ट्रैक्टर मय ट्रॉली	निजी	04
3	ऑटो टिप्पर	निजी	03
4	रस्सा	निजी	100 फुट
5	फावड़ा / कस्सी	निजी	30
6	बेलचा	निजी	01
7	परात / तंगारी	निजी	35
8	हथौड़ा	निजी	01
9	सबल लोहे का	निजी	01
10	पानी निकालने के पम्प	निजी	04
11	जेटिंग मशीन	निजी	01

नगरपालिका नोहर

नेहर			
उपकरण का नाम		विभागों के पास उपलब्धता	
	सार्व. / निजी		नगर पालिकाएं
जेसीबी.	सार्व.	—	01 नग (खराब)
	निजी	—	—
ऑटोटीप र	सार्व.	—	11 नग
	निजी	—	—

जेटिंग मशीन	सार्व.	—	01 नग
	निजी	—	—
फावड़ा / कस्सी	सार्व.	—	100 नग
	निजी	—	—
परात / त गारी	सार्व.	—	50 नग
	निजी	—	—
सब्बल लोहे	सार्व.	—	01 नग
	निजी	—	—
ट्रैक्टर मय ट्राली	सार्व.	—	03 नग
	निजी	—	—
ट्रैक्टर मय लोडर	सार्व.	—	01 नग
	निजी	—	—
ऑटोहूपर 1 नग	सार्व.	—	01 नग
	निजी	—	—
रस्सा	सार्व.	—	100 फुट
	निजी	—	—
बेलचा	सार्व.	—	10 नग
	निजी	—	—
हथौड़ा	सार्व.	—	01 नग
	निजी	—	—
पानी निकालने के पम्प	सार्व.	—	03 नग
	निजी	—	—
कुल्हाड़ी	सार्व.	—	05
	निजी	—	—

8.4 राजकीय वाहनों की सूची (तहसीलवार) जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के पास वाहन

क्र.सं.	अधिकारियों का पद नाम	वाहन नं.	वाहन का नाम
1.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	2	इनोवा / बोलेरो
2.	अति. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
3.	अति. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	1	टवेरा सरकारी
4.	उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
5.	उपखण्ड अधिकारी संगरिया	1	बोलेरो सरकारी
6.	उपखण्ड अधिकारी टिब्बी	1	बोलेरो सरकारी
7.	उपखण्ड अधिकारी रावतसर	1	बोलेरो सरकारी
8.	उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा	1	बोलेरो सरकारी
9.	उपखण्ड अधिकारी नोहर	1	बोलेरो सरकारी
10.	उपखण्ड अधिकारी भादरा	1	बोलेरो सरकारी
11.	जिला पूल कार्यालय, हनुमानगढ़	2	बोलेरो सरकारी

12.	जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
13.	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
14.	तहसीलदार, भादरा	1	बोलेरो सरकारी
15.	तहसीलदार, नोहर	1	बोलेरो सरकारी
16.	तहसीलदार, रावतसर	1	बोलेरो सरकारी
17.	तहसीलदार, टिब्बी	1	बोलेरो सरकारी
18.	तहसीलदार, संगरिया	1	बोलेरो सरकारी
19.	तहसीलदार, पीलीबंगा	1	बोलेरो सरकारी
20.	तहसीलदार हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
21.	तहसीलदार पल्लू	1	बोलेरो सरकारी
22.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़	3	बोलेरो / कार निजी
23.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़	3	बोलेरो सफारी सरकारी
24.	पंचायत समिति हनुमानगढ़	2	बोलेरो सरकारी / निजी कार
25.	पंचायत समिति भादरा	2	अटिका निजी
26.	पंचायत समिति नोहर	2	बोलेरा सरकारी / कार निजी
27.	पंचायत समिति पीलीबंगा	2	बोलेरा सरकारी / कार निजी
28.	पंचायत समिति रावतसर	2	बोलेरा सरकारी / कार निजी
29.	पंचायत समिति संगरिया	1	बोलेरो सरकारी
30.	पंचायत समिति टिब्बी	1	कार निजी
31.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़	1	कार निजी
32.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीलीबंगा	1	कार निजी
33.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़	1	कार निजी
34.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, टिब्बी	1	कार निजी
35.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रावतसर	1	कार निजी
36.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नोहर	1	कार निजी
37.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भादरा	1	कार निजी
38.	अति. जिला परियोजना समन्वयक, हनुमानगढ़	1	कार निजी
39.	जिला शिक्षा अधिकारी मु. माध्यमिक हनुमानगढ़	1	कार निजी
40.	राजकीय मेडीकल कॉलेज, हनुमानगढ़	1	कार निजी
41.	राजकीय मेडीकल कॉलेज, हनुमानगढ़	1	बस सरकारी
42.	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण जोधपुर डिस्कॉम संगरिया	1	बोलेरो केम्पर निजी
43.	सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम टिब्बी	1	क्रेन सरकारी
44.	अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़	1	क्रेन सरकारी
45.	संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
46.	संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद हनुमानगढ़	1	जीप सरकारी
47.	संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद भादरा	1	कार निजी
48.	संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद नोहर	1	कार निजी
49.	प्रबंधक संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़	1	ट्रक सरकारी

50.	प्रबंधक संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़	1	कैम्पर निजी
51.	प्रबंधक संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़	1	बोलेरो निजी
52.	प्रबंधक संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़	1	बोलेरो निजी
53.	जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़	2	अर्टिका/टवेरा सरकारी
54.		1	बोलेरो निजी
55.	जिला परिवहन अधिकारी, नोहर	2	बोलेरो सरकारी
56.	खान एवं भू विज्ञान विभाग, हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
57.	नगर परिषद हनुमानगढ़	5	कार निजी
58.	नगर परिषद हनुमानगढ़	1	बोलेरो निजी
59.	नगर परिषद हनुमानगढ़	2	सफारी वाहन
60.	नगर परिषद हनुमानगढ़	2	कार सरकारी
61.	नगरपालिका संगरिया	1	हेग्जा सरकारी
62.	नगरपालिका नोहर	3	ट्रेक्टर मय ट्रौली सरकारी
63.	नगरपालिका नोहर	1	ट्रेक्टर मय लोडर
64.	नगरपालिका नोहर	1	जैटिंग व सैक्शन मशीन सरकारी
65.	नगरपालिका नोहर	12	ऑटो टीपर
66.	नगरपालिका नोहर	10	ऑटो टीपर निजी
67.	नगरपालिका नोहर	1	कार निजी
68.	नगरपालिका भादरा	1	अग्निशमन वाहन सरकारी
69.	नगरपालिका भादरा	1	जेसीबी सरकारी
70.	नगरपालिका भादरा	2	जैटिंग व सैक्शन मशीन सरकारी
71.	नगरपालिका भादरा	1	स्काई लिफ्ट मशीन सरकारी
72.	नगरपालिका भादरा	2	ऑटो हूपर
73.	नगरपालिका भादरा	2	ऑटो टीपर
74.	नगरपालिका भादरा	4	ट्रेक्टर मय ट्रौली सरकारी
75.	नगरपालिका भादरा	1	बोलेरो निजी
76.	नगरपालिका भादरा	11	ट्रेक्टर मय ट्रौली निजी
77.	नगरपालिका भादरा	1	ट्रेक्टर मय लोडर
78.	नगरपालिका रावतसर	1	बोलेरो सरकारी
79.	नगरपालिका रावतसर	1	अर्टिका निजी
80.	हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	1	कार निजी
81.	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़	1	कार निजी
82.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़	1	बोलेरो सरकारी
83.	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़	1	कार निजी

84.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	6	कार निजी
85.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	1	ट्रक सरकारी
86.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	2	बन्द बॉडी पिकअप सरकारी
87.	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ़	1	कार निजी
88.	अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ़	1	कार निजी
89.	अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीलीबंगा	1	कार निजी
90.	अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर	1	कार निजी
91.	अधिशायी अभियन्ता सर्वे एवं गुण नियंत्रक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, हनुमानगढ़	1	कार निजी
92.	अधीक्षण अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, हनुमानगढ़	1	कार अनुबंधित
93.	अधिशायी अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, नोहर	1	कार अनुबंधित
94.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, नोहर	1	बोलेरो अनुबंधित
95.	अधिशायी अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, भादरा	1	कार अनुबंधित
96.	अधिशायी अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, हनुमानगढ़	1	कार अनुबंधित
97.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, टिब्बी	1	बोलेरो अनुबंधित
98.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, भादरा I	1	बोलेरो अनुबंधित
99.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, भादरा II	1	बोलेरो अनुबंधित
100.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, पिलीबंगा	1	बोलेरो अनुबंधित
101.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, हनुमानगढ़ टाउन	1	बोलेरो अनुबंधित
102.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, हनुमानगढ़ जक्शन	1	बोलेरो अनुबंधित
103.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, संगरिया	1	बोलेरो अनुबंधित
104.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, रावतसर I	1	बोलेरो अनुबंधित
105.	सहायता अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त, रावतसर II	1	बोलेरो अनुबंधित
106.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	2	बोलेरो सरकारी
107.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	3	बोलेरो केम्पर सरकारी
108.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, हनुमानगढ़	1	कार निजी
109.	सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़	1	कार निजी
110.	कोषाधिकारी, हनुमानगढ़	1	कार निजी

राजकीय वाहनों की सूची जिला मुख्यालय पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों के पास वाहन

क्र.सं.	वाहन संख्या	मैक	मॉडल	अब तक किमी	तैनाती स्थान
1.	RJ-31UA5748	स्कोर्पियो	2025		पुलिस लाईन
	स्कोर्पियो कार				
2.	RJ-31-UA-4734	स्कोर्पियो	2022	97608	कार्या.पुलिस अधीक्षक

3.	RJ-31-UA-5113	बोलेरो	2023	57500	अति० पुलिस अधी०, नोहर हाल कोठी
4 ^ए	इरटिका				
5.	RJ-14-UE-6852	इरटिका	2018	202570	इन्टरसेप्टर वाहन, यातायात शाखा, हनु०
6.	RJ-14-UH-8403	इरटिका	2018	2500	इन्टरसेप्टर वाहन, यातायात शाखा, हनु०
	टीयूवी 300				
7.	RJ-31-UA-4190	टीयूवी	2018	243270	अति० पुलिस अधी०, त्वरित अनुसंधान, हनु०, हाल नोहर
8.	RJ-31-UA-4191	टीयूवी	2018	234670	सी०ओ० हनुमानगढ़.
9.	RJ-31-UA-4362	टीयूवी	2019	149457	अति० पुलिस अधी० महिला प्रकोष्ठ, हनु०
10.	RJ-31-UA-4363	टीयूवी	2019	217960	सी०ओ० एसएटी सैल, हनु०
11.	RJ-31-UA-4415	टीयूवी	2020	182654	सी.ओ. रावतसर
12.	RJ-31-UA-4416	टीयूवी	2020	211930	सी.ओ. भादरा
13.	RJ-31-UA-4423	टीयूवी	2020	211460	सी.ओ. संगरिया
	टवेरा				
14.	RJ-14-UE-0208	टवेरा	2015	266010	इन्टरसेप्टर वाहन, यातायात शाखा, हनु०
15.	RJ-31-UA-3240	टवेरा	2014	276250	पुलिस लाईन नाकारा
	बोलेरो				
16.	RJ-31-UA-5543	बोलेरो	2024	40400	डीएसटी टीम, सेक्टर हनु०
17.	RJ-31-UA-5545	बोलेरो	2024	33950	पी.एस. हनु० जं०
18.	RJ-31-UA-5546	बोलेरो	2024	43890	पी.एस. नोहर
19.	RJ-31-UA-5113	बोलेरो	2023	57700	अति० पुलिस अधी०, नोहर हाल कोठी
20.	RJ-31-UA-5130	बोलेरो	2023	81555	पी.एस. रावतसर
21.	RJ-31-UA-5131	बोलेरो	2023	90509	पी.एस. पीलीबंगा
22.	RJ-31-UA-8938	बोलेरो	2022	127278	पी.एस. गोलूवाला
23.	RJ-31-UA-8939	बोलेरो	2022	122606	पी.एस. संगरिया
24.	RJ-31-UA-8940	बोलेरो	2022		एटीएस, जयपुर अटैच
25.	RJ-31-UA-4727	बोलेरो	2022	167356	पी.एस. भिरानी
26.	RJ-31-UA-4728	बोलेरो	2022	177055	डीएसटी टीम, सेक्टर नोहर
27.	RJ-31-UA-4653	बोलेरो	2021	169880	पी.एस. हनुमानगढ़. टाउन
28.	RJ-31-UA-4654	बोलेरो	2021	117360	सी.ओ. नोहर
29.	RJ-31-UA-4698	बोलेरो	2021	72329	कार्या.अति० पुलिस अधी०, हनु०
30.	RJ-31-UA-4413	बोलेरो	2020	191900	सीओ साईबर, हनु०
31.	RJ-31-UA-4414	बोलेरो	2020	216863	पी.एस. तलवाडाझील
32.	RJ-31-UA-4193	बोलेरो	2018	324890	पी.एस. गोगामेंडी
33.	RJ-31-UA-4038	बोलेरो	2017	346027	पी.एस. टिब्बी
34.	RJ-31-UA-3914	बोलेरो	2017	363329	पी.एस. भादरा
35.	RJ-31-UA-3656	बोलेरो	2016	312800	सखी सेन्टर, महिला थाना, हनु०
36.	RJ-31-UA-3726	बोलेरो	2016	346010	महिला थाना, हनुमानगढ़.
37.	RJ-31-UA-3719	बोलेरो	2016	416880	पुलिस लाईन
38.	RJ-31-UA-3618	बोलेरो	2015	410600	चौकी सूरशिया
39.	RJ-31-UA-2078	बोलेरो	2012	378688	पुलिस लाईन आरआई साहब के पास
40.	RJ-31-UA-5735	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
41.	RJ-31-UA-5736	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
42.	RJ-31-UA-5737	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
43.	RJ-31-UA-5738	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
44.	RJ-31-UA-5739	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
45.	RJ-31-UA-5740	बोलेरो	2024		पुलिस लाईन
	बोलेरो केम्पर				
46.	RJ-31-GB-0553	बोलेरो केम्पर	2020	229510	पुलिस लाईन
47.	RJ-31-GA-8379	बोलेरो केम्पर	2015	386422	नहरी पानी चोरी निरोधक थाना, नोहर
48.	RJ-31-GB-3591	बोलेरो केम्पर	2025	2412	पुलिस लाईन
	जीप थार				
49.	RJ-31-UA-4194	जीप थार	2018	281300	पी.एस. पल्लू

50.	RJ-31-UA-4153	जीप थार	2018	399010	पी.एस. सदर, हनु0
51.	RJ-31-UA-4154	जीप थार	2018	364380	पी.एस. खूईयां
52.	RJ-31-UA-4155	जीप थार	2018	317715	ओ0पी0 ढाबां
53.	RJ-31-UA-4156	जीप थार	2018	315751	चौकी धन्नासर
54.	RJ-31-UA-4157	जीप थार	2018	343560	चेतक हनु0 जं0
55.	RJ-31-UA-4158	जीप थार	2018	224060	हाईवे हैड क्वाटर पीएस भादरा
56.	RJ-31-UA-4159	जीप थार	2018	395480	चेतक हनु0 टाउन
57.	RJ-31-UA-3915	जीप थार	2017	387405	पी.एस. फेफाना
58.	RJ-31-UA-3417	जीप थार	2015	326480	चौकी डबली राठान
59.	RJ-31-UA-3395	जीप थार	2015	349292	यातायात शाखा, हनु0
60.	RJ-31-UA-2416	जीप थार	2013	378170	हाईवे हैड क्वाटर, ओपी कैचियां गोलूवाला
61.	RJ-31-UA-2413	जीप थार	2013	417820	चौकी, लखूवाली
62.	RJ-31-UA-2376	जीप थार	2012	428655	पुलिस लाइन
63.	RJ-31-UA-2356	जीप थार	2012	455665	पुलिस लाइन नाकारा
64.	RJ-31-UA-2342	जीप थार	2012	366815	चौकी मसितावाली
65.	RJ-31-CA-8492	डीजायर	2015	79880	कार्या.पुलिस अधीक्षक

8.5 गैर सरकारी वाहनों की सूची

क्र.स.	संस्थाकानाम व पता	मोबाइलनम्बर	वाहनों की किस्म (संख्या)				
			ट्रक	बस	टेंकर	ट्रैक्टर	जीप
1	श्री किशन गोपाल चाचाण , चाचाण बस सर्विस, भादरा	9509709007	*	8	*	आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवा दिये जायेगे।	
2	श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, बंसल बस सर्विस, भादरा	9414513505	*	5	*		
3	श्री झूमरमल नाहटा, नाहटा बस सर्विस, भादरा	9461565433	*	6	*		
4	श्री ज्ञान सिंह मेहरिया, मेहरिया बस सर्विस, भादरा	9828890273	*	7	*		
5	श्री जगदीश मेहरिया, बालाजी बस सर्विस, भादरा		*	2	*		
6	श्री जयसिंह सहारण, साईबाबा बस सर्विस, भादरा	9783567947	*	2	*		
7	श्री शमशेर खान , खान बस सर्विस, भादरा		*	2	*		
8	श्री राकेश महिया , महिया बस सर्विस, भादरा	9783837324	*	2	*		
9	श्री धर्मपालपूनिया, पूनियां बस सर्विस, भादरा	9414578946	*	2	*		
10	श्री शंकरलाल, दडबेवाला बस सर्विस, भादरा	9414635880	*	2	*		
11	श्री राधेश्याम गोदारा, गोदारा बस सर्विस, भादरा		*	3	*		
12	श्री जगदीश, पेरिस बस सर्विस, भादरा	9812356841	*	5	*		
13	मै. मटोरिया बस सर्विस ,मै. मटोरिया बस सर्विस, नोहर	01555-220313 , 9414511941, 9636255611	*	19	*		

14	श्री शंकरलाल सिंवर, सिंवर बस सर्विस, नोहर	9414876144	*	7	*
15	श्री मनीराम सिंवर, सिंवर बस सर्विस, नोहर	9413431031	*	7	*
16	श्री सुरेन्द्र शर्मा, शर्मा बस सर्विस, नोहर	9414579171	*	1	*
17	श्री सुरेन्द्र शीलू, शीलू बस सर्विस, नोहर	9649329886	*	1	*
18	श्री नाथराज बैनीवाल, बैनीवाल बस सर्विस, नोहर	9414636206	*	10	*
19	श्री लालचन्द बैनीवाल	9783324381	*	4	*
20	श्री मोहर सिंह , धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9414579609	*	5	*
21	श्री हवासिंह, धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9828846390	*	14	*
22	श्री भागीरथ , धुंधवाल बस सर्विस, नोहर	9460120187	*	2	*
23	श्री रामसिंह , धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	2	*
24	श्री अमितपाल सिंह , धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	1	*
25	श्री सुरेन्द्र सिंह, धानसिया बस सर्विस, रावतसर	9414509841	*	2	*
26	श्रीहंसराज	9784758427	*	1	*
27	श्री साहबरामसह, लूसहू बस सर्विस, रावतसर	9983753517	*	2	*
28	श्री सुरेन्द्र सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	8003382319	*	1	*
29	श्री विजय सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	8003358787	*	2	*
30	श्री किशोर सिंह, राठौड़ बस सर्विस, रावतसर	9462202785	*	1	*
31	श्री शंकरलालसिंवर, सिंवर बस सर्विस, नोहर	9414876144	*	4	*
32	न्यूकोचर बस सर्विस , श्रीमनोहरलालकोचर	9414631971	*	13	*
33	जमींदारा बस सर्विस , श्रीमहेन्द्रगोदारा	9413536145	*	4	*
34	गुप्ता बस सर्विस , श्रीहरबन्सलाल	9414369127	*	2	*
35	भारत बस सर्विस , श्रीसुरेन्द्र सिंह	9214410361	*	5	*
36	न्यूभारत बस सर्विस , श्रीउदयपाल	8829028361	*	5	*
37	वधवा बस सर्विस , श्री हनुमाम वधवा	9414509137	*	14	*

38	कडवासरा बस सर्विस , श्री रमेशकडवासरा	9414535740	*	4	*
39	बलिहारा बस सर्विस , श्री पप्पूबलिहारा	9929117801	*	1	*
40	अग्रोहा बस सर्विस , श्री संजय	9413102122	*	5	*
41	महावीर बस सर्विस , श्री महावीर	9983787216	*	2	*
42	ढिल्लों बस सर्विस , श्रीषिमेन्द्र सिंह	9413342444	*	4	*
43	रूपाल बस सर्विस , श्रीइकबाल सिंह	9461077812	*	6	*
44	श्री राजूज्याणी	9929293461	*	3	*
45	श्री दयालज्याणी	9460487465	*	3	*
46	लालबाबा बस सर्विस , श्री गिन्नी	9254005306	*	5	*
47	श्रीतेजा सिंह	9636796265	*	3	*
48	श्रीगुरतेज सिंह	9783158908	*	1	*
49	श्रीप्रताप सिंह	9929156483	*	5	*
50	दूधवाल बस सर्विस , श्रीभागीरथ	9782592489	*	5	*
51	चौधरी बस सर्विस , श्रीमांगीलाल	9414950065	*	3	*
52	जमींदारा बस सर्विस , श्रीविजय	962015622	*	1	*
53	कामरा बस सर्विस , श्रीनितिनकामरा	8104143020	*	2	*
54	मान बस सर्विस , श्रीमनोज	9460014818	*	3	*
55	नागपाल बस सर्विस , श्रीराजूनागपाल	9983423553	*	1	*
56	रतन बस सर्विस , श्रीरतन	9983422935	*	4	*
57	प्रेमी बस सर्विस , श्रीमोमण	8003511525	*	3	*
58	चहल बस सर्विस	9983492391	*	15	*
59	कृष्णा बस सर्विस	9414369013	*	14	*
60	मान बस सर्विस	9414502025	*	12	*
61	नार्थन बस सर्विस	9417620999	*	10	*
62	अभिमन्यू बस सर्विस	9417396315	*	8	*
63	संजय बस सर्विस	9414508667	*	10	*
64	परमजीत बस सर्विस	9414637225	*	7	*
65	बाजिया बस सर्विस	9414431845	*	4	*
66	पूनिया बस सर्विस	9460621781	*	4	*
67	जे.पी.बस सर्विस	9414380729	*	7	*

68	बुडानिया बस सर्विस	9887852750	*	10	*
69	श्री श्रवण कुमार	8769353570	3	*	*
70	श्री बंशीधर मीणा		1	*	*
71	श्री मुखराम	9983671868	1	*	*
72	श्री भानीराम	9414875137	1	*	*
73	श्री चन्द्रप्रकाश	9413154593	1	*	*
74	श्री सुभाश	9829022457	1	*	*
75	श्री वकील	9784949608	1	*	*
76	श्री धर्मपाल		1	*	*
77	श्री औमप्रकाश	9783158991	1	*	*
78	श्री सोहनलाल		2	*	*
79	श्री लालचन्द		1	*	*
80	श्री संतलाल		1	*	*
81	श्री औमप्रकाश		1	*	*
82	श्री ओम धेतरवाल	9983232698	1	*	*
83	श्री सेठीराम		1	*	*
84	श्री रामजसभग वानसर	9772971575	1	*	*
85	श्री लूणाराम नोहर	9414875296	1	*	*
86	श्री रणवीर ढण्डेला	9668763440	1	*	*
87	श्री दयाराम	9660641428	1	*	*
88	श्री औमप्रकाश	9928410661	1	*	*
89	श्री नरेश कुमार	9929600781	1	*	*
90	श्री महबूब खा	9950223221	1	*	*
91	श्री भादर	9414955158	1	*	*
92	श्री अकबर खा	7092067749	1	*	*
93	श्री औमप्रकाश	9928947757	1	*	*
94	श्री शिशपाल	9460471685	3	*	*
95	श्री उदमीराम	9929044700	1	*	*
96	श्री सुभाश चन्द्र विकास दालमील	01555-220275	2	*	*
97	श्री नरेश कुमार विकास दालमील	01555-220275	8	*	*
98	श्री आजमअली	9982933028	1	*	*
99	श्री अयुब	9982103918	1	*	*
100	श्री सुभाशचन्द्र	9783144544	1	*	*
101	श्री नाजमअली	9950958536	1	*	*

102	श्री सुभाशचन्द्र	9462172374	1	*	*
103	श्री किशोरसिंह	9414093864	1	*	*
104	श्री जगदीश	9414270409	1	*	*
105	श्री भरत	9462029533	1	*	*
106	श्री किशोरसिंह	9414094865	1	*	*
107	श्री भागीरथ	9982552672	1	*	*
108	श्री धौलूराम	9983138347	36	*	*
109	श्री सुभाश गोदारा (ट्रक यूनियन अध्यक्ष)	9928045386	45	*	*
110	श्री शिव कुमार चावला (मैनेजर)	8058383571	30	*	*
111	श्री बबूअग्रवाल	9214380741	25	*	*
112	श्री अषोक मित्तल	9414305657	15	*	*
113	श्री मनमोहन सिंह	9214321101	8	*	*
114	श्री थानेश्वरगर्ग	9414320954	5	*	*
115	श्री सुभाष नागपाल	9414091132	3	*	*
116	श्री मनोहर धारणिया	9414091219	5	*	*
117	श्री राज सिंह	9414481493	4	*	*
118	श्री गजेन्द्र सिंह	8386028900	15	*	*
119	श्री जुगल किशोर राठी	9414095883	100	*	*
120	श्री लीलाधर शर्मा	9782807871	25	*	*
121	विरासत विद्यापीठ	9460625300	*	3	*
122	श्री महावीर प्रसाद	8824298564	*	1	*
123	श्री परमजीत सिंह	9461568925	*	1	*
124	श्री बंटी गहलोत	9602380651	*	1	*
125	श्री दुनीलाल	9413229932	*	1	*
	योग		368	347	

8.6 पावर स्टेशनों की सूची (तहसीलवार)

तहसील हनुमानगढ़

क्र.स.	पावर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	जीएसएस शेरगढ़	हनुमानगढ़	2x3.15 MVA	290 AMP		8764878716
2	पक्का भादवा	हनुमानगढ़	1*3.15	170 AMP		NA
3	पक्का सहारणा	हनुमानगढ़	2*3.15	350 AMP		8764878638
4	उत्तमसिंह वाला	हनुमानगढ़	1*3.15	70 AMP		NA
5	फतहगढ़	हनुमानगढ़	3.15*3	9.45		9413359641
6	करणीसर सहजीपूरा	हनुमानगढ़	3.15*3	9.45		9413359641
7	बहलोल नगर	हनुमानगढ़	3.15*3	9.45		9413359641
8	26 एसएसडब्ल्यू	हनुमानगढ़	3.15*1	3.15		9413359641
9	श्रीनगर	हनुमानगढ़	3.15*2	6.3		9413359641
10	डबली राठान	हनुमानगढ़	5*1+3.15*2	11.3		9413359669
11	चक ज्वाला	हनुमानगढ़	3.15*2	6.3		9413359669
12	2 पीबीएन	हनुमानगढ़	3.15*2	6.3		9413359669
13	डबली बास मिडा रोही	हनुमानगढ़	3.15*2	6.3		9413359669
14	14 केएसपी	हनुमानगढ़	5 MVA * 1	—	—	—
15	नौरंगदेसर	हनुमानगढ़	3.15 MVA * 2	—	—	—
16	मैनावाली	हनुमानगढ़	3.15 MVA * 1	—	—	—
17	चौहिलावाली	हनुमानगढ़	3.15 MVA * 2	—	—	—
18	कोहला	हनुमानगढ़	3.15 MVA * 1	—	—	9414058778
19	नाथावाली थेड़ी	हनुमानगढ़	5*2 / 3.15 MVA * 1	—	—	9414058814
20	राधास्वामी डेरा	हनुमानगढ़	5 MVA * 1	—	—	—
21	ईएन ऑफिस	हनुमानगढ़	5 MVA * 2	—	—	—
22	किला जीएसएस	हनुमानगढ़	5 MVA * 3	—	—	—
23	हॉस्पिटल जीएसएस	हनुमानगढ़	5 MVA * 1	—	—	01552-225001
24	इण्डस्ट्रीयल एरिया	हनुमानगढ़	5*1 / 3.15 MVA * 1	—	—	8764878651
25	झाम्बर	हनुमानगढ़	3.15 MVA * 1	—	—	8764878654
26	कमरानी	हनुमानगढ़	5*1 / 3.15 MVA * 1	—	—	—
27	132 अमरपुरा थेड़ी	हनुमानगढ़	5 MVA * 1	—	—	01552-223620
28	धोलीपाल	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			7375834293
29	नवां	हनुमानगढ़	1 X 3.15 MVA			9602523540
30	हिरणावाली	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			9782438780
31	जोड़कियां	हनुमानगढ़	2 X 5 MVA			9694030350
32	झण्डावाली	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			9462208010
33	धानकावाली	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			8946822090
34	ग्रेफ	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			9983130123
35	मक्कासर	हनुमानगढ़	2 X 3.15 MVA			9785065308

36	खुंजा	हनुमानगढ़	2 X 5 MVA			9414058766
37	हाउसिंग बोर्ड	हनुमानगढ़	2 X 5 MVA			9414058741
38	हाई ए खुंजा	हनुमानगढ़	1 X 5 MVA			9414058765
39	शिव मंदिर	हनुमानगढ़	1 X 8 MVA 1 X 5MVA			9414058748
40	गांधी नगर	हनुमानगढ़	1 X 5 MVA			9414058743
41	बिजली कॉलोनी	हनुमानगढ़	3 X 5 MVA			9414058819
42	भगत सिंह चौक	हनुमानगढ़	2 X 5 MVA			9414058757
43	जी शंकर नगर	हनुमानगढ़	2 X 5 MVA			9414058757
44	न्यू राजस्थान हाउसिंग बोर्ड	हनुमानगढ़	1 X 8 MVA			9462990902
45	फीडर नं 01	हनुमानगढ़	1 X 5 MVA			9887700089

तहसील टिब्बी

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	तारा सिंह ढाणी	टिब्बी	10 MVA			8764878719
2	जी शेरंका	टिब्बी	8.15 MVA			8764878722
3	मसानी	टिब्बी	11.30 MVA			8875197578
4	सिलवाला खुर्द	टिब्बी	8.15 MVA			8764878724
5	तलवाड़ा झील	टिब्बी	10 MVA			8764878720
6	3 TLW	टिब्बी	8.15 MVA			8764878723
7	रतीखेड़ा	टिब्बी	9.45 MVA			8764878721
8	मिर्जावाली मेर	टिब्बी	6.30 MVA			9116418760
9	कूचालसर	टिब्बी	2x3.15	315 AMP		8764878718
10	बसीर	टिब्बी	1x5+ 1x3.15	480 AMP		8764878712
11	खाराखेड़ा	टिब्बी	3x3.15	350 AMP		8764878715
12	मल्लडखेड़ा	टिब्बी	1x3.15 MVA	140 AMP		NA
13	पीरकामडिया	टिब्बी	5MVA*3	15		9413359672
14	नाईवाला	टिब्बी	3.15*2	6.3		9413359672
15	18 NGC	टिब्बी	5*2+1*3.5	13.15		9413359672
16	पन्नीवाली	टिब्बी	3.15*2	6.3		9413359672
17	सूरेवाला	टिब्बी	3.15*2+5*1	11.3		9413359672

तहसील भादरा

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	निणाण	भादरा	3.15 MVA	90 A		8764878681

2	छानी बड़ी	भादरा	3.15 MVA	145 A	15014	286347
3	झेल	भादरा	3.15 MVA	160 A		8003244986
4	जनाना	भादरा	3.15 MVA	110A		7665466256
5	शिवदानपुरा	भादरा	3.15 MVA	85A		7015915640
6	भिरानी	भादरा	6.30 MVA	220A		8875789107
7	ओल्ड पॉवर हाउस	भादरा	2x5 MVA	380AMP	1504	222090
8	न्यू पॉवर हाउस	भादरा	2x5MVA	170 AMP		8239735705
9	धोबी	भादरा	1x3.15MVA	140AMP		9680958942
10	भानई	भादरा	1x3.15MVA	80AMP		8505055272
11	डुंगरिया	भादरा	1*5MVA	152AMP		8503052963
12	किराड़ा	भादरा	1x3.15MVA	52AMP		7372999520
13	करणपूरा	भादरा	3.15 MVA	130 A		8764878696
14	नेठराना	भादरा	3.15 MVA	150A		8764878692
15	भोजासर	भादरा	6.30 MVA	380AMP		8764878695
16	132 केवी जीएसएस भादरा	भादरा	2*25 MVA	210 AMP	01504	294011

तहसील पीलीबंगा

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	पीलीबंगा गांव	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9660447688
2	झूरीयांवाली	पीलीबंगा	3.15	480	1508	9660637002
3	बड़ोपल बारानी	पीलीबंगा	3.15	160	1508	9929332477
4	अमरपूरा	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9079364862
5	रामपूरा	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9982016174
6	अहमदपूरा	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9783860009
7	प्रेमपूरा	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9783370001
8	सारणवाला	पीलीबंगा	3.15	320	1508	6375940272
9	थीरजवाला	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9462204680
10	सिटी जीएसएस	पीलीबंगा	5	320	1508	233049
11	शिव मंदिर	पीलीबंगा	3.15+5	360	1508	9983460004
12	दूलमाना	पीलीबंगा	3.15	165	1508	9887135017
13	जाखड़ावाली	पीलीबंगा	3.15	320	1508	9783540111
14	पंडितावाली	पीलीबंगा	3.15	165	1508	9610007711
15	कालीबंगा	पीलीबंगा	3.15	325	1508	9079905483
16	सूरांवाली	पीलीबंगा	1*3.15 MVA	147 AMP	1508	8764878640
17	गोलूवाला	पीलीबंगा	2*5 MVA	470 AMP	1508	250122
18	हांसलिया	पीलीबंगा	2*3.15	320 AMP		NA
19	आयलकी	पीलीबंगा	1*5	240 AMP		8279077902

20	लॉगवाला	पेलीबंगा	2*3.15	340 AMP		NA
21	डबली बास पेमा	पेलीबंगा	3.15*2	6.3		9413359669

तहसील रावतसर

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	रावतसर	श्रावतसर	5.75 MVA	195	1537	250372
2	24 DWD	श्रावतसर	1.5 MVA	240		9571024130
3	धन्नासर	श्रावतसर	1.5 MVA	255		8302568776
4	1 NGM	श्रावतसर	5 MVA	270		7357392608
5	मोधूनगर	श्रावतसर	6.30 MVA	105		7357392608
6	कनवानी	श्रावतसर	3.15 MVA	120		9783897099
7	रामपूरा मटोरिया	श्रावतसर	6.30 MVA	135		9784888343
8	गंधेली	श्रावतसर	2x3.15 MVA	280 AMP	01537	9783526292

तहसील संगरिया

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	एक्सईन ऑफिस	संगरिया	2x5 MVA	165 AMP	1499	250446
2	ओल्ड पॉवर हाउस	संगरिया	2x5MVA	215 AMP	1499	250146
3	रिको	संगरिया	1x5 MVA	275 AMP		8764878714
4	नगराना	संगरिया	1x3.15 MVA	120 AMP		8764878713
5	लीलावाली	संगरिया	3.15*2	6.3		9413359672
6	माणकसर	संगरिया	3.15*2	6.3		9413359672
7	फतेहपूर	संगरिया	3.15*3	9.45		9413359672
8	ढाबां	संगरिया	9.45 mva	440		8764878705
9	संतपूरा	संगरिया	3.15 mva	130		8764878706
10	कीकरवाली	संगरिया	3.15 mva	120		8764878702
11	जी शाहपीनी	संगरिया	3.15 mva	190		8764878704
12	नाथवाना	संगरिया	6.30 mva	180		8764878703
13	चक हीरा सिंह वाला	संगरिया	3.15 mva	160		8764878708

14	किशनपूरा	संगरिया	3.15 mva	170		8764878709
15	मालारामपूरा	संगरिया	3.15 mva	165		8764878707

तहसील नोहर

क्र.स.	पॉवर स्टेशन का नाम	तहसील का नाम	क्षमता	भार	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नम्बर
1	गोरखाना	नोहर	3.15 MVA	165 AMP	01555	9799065255
2	खूईया	नोहर	3.15 MVA	160 AMP	01555	9587604934
3	भावलदेसर	नोहर	3.15 MVA	155 AMP	01555	6367804154
4	नीमला	नोहर	2x 3.15 MVA	240 AMP	01555	7339994563
5	दलपतपूरा	नोहर	3.15 MVA	110 AMP	01555	9783189112
6	लालणिया	नोहर	3.15 MVA	160 AMP	01555	8094089191
7	बीरकाली	नोहर	3.15 MVA	120 AMP	01555	9928273699
8	थालड़का	नोहर	2x5.00 MVA	290 AMP	01555	8764878687
9	देईदास	नोहर	3.15 MVA	150 AMP	01555	8764878689
10	बर्मसर	नोहर	2x3.15 MVA	180+175 AMP		8764878701
11	पल्लू	नोहर	3x3.15MVA	200+100+180AMP		8764878700
12	लाडम	नोहर	1x5+ 1x3.15	250+200 AMP		8875339255
13	सिरासर	नोहर	1x5+ 1x3.15	260+190AMP		9664173272
14	कूलचासर	नोहर	1x3.15 MVA	195 AMP		NA
15	रतनदेसर	नोहर	1x3.15 MVA	190 AMP		NA
16	गोगामेड़ी	नोहर	9.45 MVA	360 A		8764878693
17	परलिका	नोहर	6.30 MVA	320A		8764878694
18	लालाणा	नोहर	3.15 MVA	90A		NA
19	नेहर	नोहर	10 MVA	10 MVA	1555	220448
20	चक राजासर	नोहर	8.15 MVA	8.15 MVA		8764878685
21	रिको	नोहर	5 MVA	3 MVA		
22	जसाना	नोहर	3.15 MVA	3.15 MVA		8764878691
23	रतनपूरा	नोहर	3.15 MVA	3.15 MVA		8764878690
24	फेफाना	नोहर	6.3 MVA	6.3 MVA		8764878684

8.7 जिले मे स्थित हाईडेंट पॉइन्ट

क्र-सं-	स्थान का नाम	हाईडेंट पॉइन्ट	टैंकरो में पानी भरने की सुविधा
1	हनुमानगढ टा-	हैड वाटर वर्क्स बाईपास हनुमानगढ टा-	2

2	हनुमानगढ जं०	हैड वाटर वर्क्स बाईपास हनुमानगढ जं—	2
3	संगरिया शहरी	हैड वाटर वर्क्स, संगरिया	1
4	नोहर शहरी	गउशाला के पीछे, गुरुद्वारा के पास	1
5	भादरा शहरी	हैड वाटर वर्क्स	1
6	रावतसर शहरी	हैड वाटर वर्क्स	1
7	टिब्बी	हैड वाटर वर्क्स	1

8.8 List of DCB/TW/Open Wells PHED Hanumangarh

S.No.	Tehsil	Name of Scheme	Tube Well	DCB	Open Well	Total
Urban						
1	Hanumangarh	ITI BASTI	1	0	0	1
2	Hanumangarh	SAWAN COLONY	1	0	0	1
3	Hanumangarh	KHUNJA VILLAGE	1	0	0	1
4	Hanumangarh	KHUNJA TUBE WELL	1	0	0	1
5	Hanumangarh	KHUNJA DCB	1	0	0	1
6	Hanumangarh	KHUNJA TAL	1	0	0	1
7	Hanumangarh	RHB	1	0	0	1
8	Hanumangarh	RHB	1	0	0	1
9	Hanumangarh	Sector no 06	1	0	0	1
10	Hanumangarh	Sector no 12	1	0	0	1
11	Hanumangarh	Sector no 12	1	0	0	1
12	Hanumangarh	Sector no 09	1	0	0	1
13	Hanumangarh	Sector no 09	1	0	0	1
14	Hanumangarh	Bhagat singh Chowk	1	0	0	1
15	Hanumangarh	HEAD WORKS	1	0	0	1
16	Hanumangarh	HEAD WORKS	1	0	0	1
17	Hanumangarh	BHATTA COLONY	1	0	0	1
18	Hanumangarh	BHATTA COLONY	1	0	0	1
19	Hanumangarh	CHUNGI ITI BASTI	1	0	0	1
20	Hanumangarh	SYAM SINGH COLONY	1	0	0	1
21	Hanumangarh	BY PASS KUNJA	1	0	0	1
22	Hanumangarh	Hanumansagar (OLD)	1	0	0	1
23	Hanumangarh	Hanumansagar (NEW)	1	0	0	1

24	Hanumangarh	Prem Nagar	1	0	0	1
25	Hanumangarh	Nathan well	1	0	0	1
26	Hanumangarh	Abandakar Colony	1	0	0	1
27	Hanumangarh	Radha Swami dera	1	0	0	1
28	Hanumangarh	Main Haedworks	2	0	0	2
29	Hanumangarh	Punjabi Mohalla	1	0	0	1
30	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
31	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
32	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
33	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
34	Sangaria	At Head works	1	0	0	1
35	Pilibangan	At Head works	2	0	0	2
36	Pilibangan	In Irrigation colony	1	0	0	1
Total Rural			38	0	0	38
Rural						
1	Hanumangarh	6 JRK	1	0	0	1
2	Hanumangarh	6 JRK	1	0	0	1
3	Hanumangarh	29 LLW	1	0	0	1
4	Hanumangarh	42 NGC	1	0	0	1
5	Hanumangarh	37 NGC	1	0	0	1
6	Hanumangarh	4 RRW	1	0	0	1
7	Hanumangarh	2 KNJ	1	0	0	1
8	Hanumangarh	2 PBN	1	0	0	1
9	Hanumangarh	11 DLP	1	0	0	1
10	Hanumangarh	5 KNJ	1	0	0	1
11	Hanumangarh	5 KNJ	1	0	0	1
12	Hanumangarh	14 LLW	1	0	0	1
13	Hanumangarh	14 LLW	1	0	0	1
14	Hanumangarh	1 NWN	1	0	0	1
15	Hanumangarh	1 NWN	1	0	0	1
16	Hanumangarh	39 NGC	1	0	0	1
17	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
18	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
19	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
20	Hanumangarh	1 DBL-A	1	0	0	1
21	Hanumangarh	9 JRK	1	0	0	1
22	Hanumangarh	4-6 SNM	1	0	0	1
23	Hanumangarh	20 HMM	1	0	0	1
24	Hanumangarh	29 SSW	2	0	0	2
25	Hanumangarh	43 SSW	2	0	0	2

26	Hanumangarh	22 KSP	1	0	0	1
27	Hanumangarh	5 LK	1	0	0	1
28	Hanumangarh	17 KSP	1	0	0	1
29	Hanumangarh	17 HMH	2	0	0	2
30	Hanumangarh	16 AG	1	0	0	1
31	Hanumangarh	9 MD	2	0	0	2
32	Hanumangarh	3 MW	1	0	0	1
33	Hanumangarh	14 NDR	2	0	0	2
34	Hanumangarh	15 NDR	1	0	0	1
35	Hanumangarh	8 NDR	1	0	0	1
36	Hanumangarh	13 HMH	1	0	0	1
37	Hanumangarh	49 NGC	2	0	0	2
38	Hanumangarh	50 NGC	1	0	0	1
39	Sangaria	14 MKS	2	0	0	2
40	Sangaria	20 FTP	2	0	0	2
41	Pilibangan	1 PBN-T	1	0	0	1
42	Pilibangan	3 T	2	0	0	2
43	Pilibangan	45 NDR /44 NDR	1	0	0	1
44	Pilibangan	67000 RD	1	0	0	1
45	Pilibangan	12 STB	2	0	0	2
46	Pilibangan	4 NR/29 STG	1	0	0	1
47	Pilibangan	5-6 HLM	1	0	0	1
48	Pilibangan	6 BHM	1	0	0	1
49	Pilibangan	36 STG-B	1	0	0	1
50	Pilibangan	23 PBN	1	0	0	1
51	Pilibangan	6 SGR	1	0	0	1
52	Pilibangan	15 LGW-c	2	0	0	2
53	Pilibangan	19 MOD	1	0	0	1
54	Pilibangan	22-24 JRK	1	0	0	1
55	Pilibangan	3 LGW	1	0	0	1
56	Pilibangan	46 SSW	3	0	0	3
57	Tibbi	22 NGC	2	0	0	2
58	Tibbi	13 GGR	2	0	0	2
59	Tibbi	8 GGR	3	0	0	3
60	Tibbi	30 NGC	1	0	0	1
61	Tibbi	4 HMH	1	0	0	1
62	Tibbi	19 GGR	1	0	0	1
63	Tibbi	18 NGC	1	0	0	1
64	Tibbi	14 NGC	1	0	0	1
65	Tibbi	4 FTP	1	0	0	1

66	Tibbi	9 CDR	1	0	0	1
67	Tibbi	7 CDR	1	0	0	1
68	Tibbi	3 FTP	1	0	0	1
69	Tibbi	1 TLW	1	0	0	1
70	Tibbi	12 CDR	1	0	0	1
71	Tibbi	1 MKS-A	1	0	0	1
72	Tibbi	3 DPM	1	0	0	1
	Total Rural		89	0	0	89
	Total Urban +Rural		127	0	0	127

List of DCB/TW/Open Wells PHED Division Bhadra

S.No.	Tehsil	Name of Scheme	Tube Well	DCB	Open Well	Total
Urban						
1	Bhadra	UWSS Bhadra	6	0	0	6
		Zero headworks	3	0	0	3
		Dungerbas	0	1	0	1
Rural						
1	Bhadra	Gandhibari	1	0	0	1
2	Bhadra	Karanpura_Munsari H/Ws	2	0	0	2
3	Bhadra	90.00 RD	2	0	0	2
4	Bhadra	81.00 RD	1	0	0	1
5	Bhadra	7 DPN	1	0	0	1
6	Bhadra	Gogamedi	2	0	0	2
7	Bhadra	10-11 DPN	1	0	0	1
8	Bhadra	Dhillaki	1	0	0	1
9	Bhadra	Ramgarh	3	0	0	3
10	Bhadra	Ujjalwas	1	0	0	1
11	Bhadra	Parlika	1	0	1	2
12	Bhadra	Deeplana	2	0	0	2
13	Bhadra	5 CHN	1	0	0	1
14	Bhadra	5 AMS	1	0	0	1
15	Bhadra	2 AMS	1	0	0	1
16	Bhadra	6 JGW	1	0	0	1
17	Bhadra	1 MRN	1	0	0	1
18	Bhadra	8 MRN	1	0	0	1
19	Bhadra	9 AMS	1	0	0	1
20	Bhadra	46.00 RD	1	0	0	1
21	Bhadra	Jhansal	1	0	0	1
22	Bhadra	Garhi Chhani	1	0	0	1
23	Bhadra	Sagra	1	0	0	1
24	Bhadra	Bheerani head	4	0	0	4

25	Bhadra	Ajeetpura	2	0	0	2
26	Bhadra	Utradabas	2	0	0	2
27	Bhadra	Bhanai	1	0	0	1
28	Bhadra	Dungrana H/Ws	4	0	0	4
29	Bhadra	Kalana	2	0	0	2
30	Bhadra	Jatan	1	0	0	1
			55	1	1	57

8.9 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के ठेकेदारों की सूची

जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत एवं विभाग में पंजीकृत संवेदकों की सूचीफर्म/ ठेकेदार का नाम	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	मोबाईल नं.
मैसर्स किसान इंटरप्राइजेज, पक्का सारणा	श्री विक्रम कुमार	, 94605-62752
मैसर्स कड़वासरा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री संदीप,	90791-89115
मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, श्रीगंगानगर	श्री दीपक लढ्ढा	94142-11941
मैसर्स श्याम सुन्दर मोदी, नोहर	श्री श्याम सुन्दर मोदी,	94133-77324
मैसर्स निर्मल सिंह कॉन्ट्रेक्टर, हरियाणा	श्री निर्मल सिंह,	094161-48217
मैसर्स सुरेन्द्र कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल	94140-93735
मैसर्स श्री गणपति कन्स. कम्पनी, श्रीगंगानगर	श्री धीरज कुमार	94140-89675
मैसर्स हरियाणा बिल्डर्स, हिसार	श्री अजीत घोटिया,	98134-39001
मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कारपोरेशन, बीकानेर	श्री मुकेश कुमार,	94141-37846
मैसर्स वर्मा कन्स. कम्पनी, संगरिया	श्री मनीष वर्मा,	97830-00097
मैसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, हनुमानगढ़	श्री नीरज दादरी,	70141-48829
मैसर्स करणी टैडर्स, बीकानेर	श्री विमल गुप्ता,	97997-55755
मैसर्स आर.के.गोयल कन्स. कम्पनी, पीलीबंगा	श्री राजेश गोयल,	85628-41234
मैसर्स सहारण कन्स. कम्पनी, बड़बिराना	श्री राजेश सहारण,	82091-80486
मैसर्स हेमराज एण्ड कम्पनी	श्री नीरज चलाना,	98297-98738

परिशिष्ट:- 9 आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची-फोन न0 सहित

9.1 गैस एजेन्सी व गोदामों की सूची (तहसीलवार) जिले में कार्यरत गैस एजेन्सियों के नाम एवं दूरभाष/मोबाईल/नाम मालिक की सूची-

क्र0 सं0	ब्लॉक	एजेन्सी का नाम	पता	फोन नम्बर
1	भादरा	भगवती इण्डेन ग्रामीण वितरक	अजीतपुरा	9928458917
2	भादरा	गणपति गैस सेवा भादरा	भादरा	9610400078
3	भादरा	जय अम्बे भारत गैस	भादरा	9829467858
4	भादरा	सरस्वती इण्डेन ग्रामीण वितरक	अनूपशहर	9982371225
5	भादरा	शिव इण्डेन ग्रामीण वितरक	डुंगराना	8875692975
6	भादरा	तिरुपति बालाजी इण्डेन वितरक	छानी बड़ी	9694249522
7	हनुमानगढ़	भटनेर इण्डेन गैस एजेन्सी	नई धान मण्डी हनुमानगढ़	9460557592
8	हनुमानगढ़	दुर्गा भारत गैस ग्रामीण वितरक पक्कासारणा	पक्कासारणा	9413230890
9	हनुमानगढ़	सोनी भारत गैस ग्रामीण वितरक	धोलीपाल	9784381325
10	हनुमानगढ़	सिधु भारत गैस ग्रामीण वितरक	डबली राठान	9460624524
11	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ गैस एजेन्सी	हनुमानगढ़	9414095195
12	हनुमानगढ़	कुलरिया भारत गैस	नई धान मण्डी हनुमानगढ़	8854000008
13	हनुमानगढ़	सहारा एचपी गैस	मुण्डा	9461331822
14	हनुमानगढ़	एससीएस इण्डेन गैस एजेन्सी	हनुमानगढ़ टाउन	7597041190
15	हनुमानगढ़	श्री बालाजी गैस एजेन्सी	हनुमानगढ़	9649918001
16	नोहर	गौरव भारत गैस	नोहर	9001279193

17	नोहर	जय हनुमान इण्डेन ग्रामीण वितरक	फेफाना	8104445534
18	नोहर	लक्ष्मी भारत गैस एजेन्सी	खुईयां	7414840004
19	नोहर	मंगलमूर्ति इण्डेन ग्रामीण वितरक	मेघाना	9413621567
20	नोहर	श्री रामदेव ग्रामीण वितरक	रामगढ़	9828507042
21	नोहर	श्री हनुमंत इण्डेन ग्रामीण वितरक	लाखासर	9166625363
22	नोहर	श्री जुगल गैस एजेंसी नोहर	नोहर	9610424521
23	पीलीबंगा	गिल गैस एजेन्सी	गोलूवाला	9414481162
24	पीलीबंगा	पीलीबंगा गैस सर्विस	पीलीबंगा	9414634678
25	रावतसर	महाकाली इण्डेन गैस एजेन्सी	पल्लु	9413342051
26	रावतसर	जय केसरा जी एचपी गैस ग्रामीण वितरक	बरमसर	9783218536
27	रावतसर	जय श्री बालाजी इण्डेन ग्रामीण वितरक	गन्धेली	9772041611
28	रावतसर	गोदारा भारतगैस एजन्सी	रावतसर	8875531348
29	रावतसर	श्री साईं भारतगैस रावतसर	रावतसर	7665565613
30	संगरिया	गुरु नानक एचपी गैस ग्रामीण वितरक	लीलावाली	9649630092
31	संगरिया	प्रियाश्री गैस सर्विस	संगरिया	7740910198
32	संगरिया	श्री हरि इण्डेन ग्रामीण वितरक	ढाबां	9414333661
33	टिब्बी	राधे भारतगैस रामपुरा	रामपुरा	9992020054
34	टिब्बी	टिब्बी एचपी गैस सर्विस	टिब्बी	9983597243

घग्घर नदी में पानी की अत्यधिक आवक होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर,
समाज सेवी संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	मो0नं0
1	राम शरणम् आश्रम	हनुमानगढ़ टाउन	9414094911
2	लॉएस कल्ब		9414094309
3	गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह		9460430470
4	सर्व सिक्ख समाज समिति	हनुमानगढ़	
5	इन्दिरा कॉलौनी गुरुद्वारा		9950127338
6	गुरुद्वारा प्रेम नगर	हनुमानगढ़	
7	भ्रदकाली विकास सेवा समिति	हनुमानगढ़	9414481316
8	मेडिकल कॉलेज,	हनुमानगढ़	
9	के. वी. एस स्कूल		
10	हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग	हनुमानगढ़	
11	राधा स्वामी डेरा	हनुमानगढ़	
12	भट्टा एसोसिएशन	हनुमानगढ़	
13	गौशाला	हनुमानगढ़ टाउन	
14	मोहनलाल बंसल		9414212213
15	व्यापार मण्डल (हिसारिया जी)		9414318485
16	गुरुद्वारा सिंग सभा	हनुमानगढ़ जं.	9568060460
17	श्री गौशाला सेवा समिति, अबोहर बाईपास रोड़	हनुमानगढ़ जं.	9414095696

9.2 सरकारी व सार्वजनिक भण्डारों की सूची (तहसीलवार)

क्र. सं.	सहकारी भण्डार का नाम व पता	एस.टी.डी. कोड	टेलीफोन नं.	खाद्य पदार्थ के प्रकार	भण्डारण क्षमता (एम.टी.में)
1	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़	01552	222031	गेहूँ, चावल, खाद, बीज	1650
2	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया	01499	250040	गेहूँ , चावल, खाद , बीज	600
3	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति नोहर	01555	220037	गेहूँ , चावल, खाद , बीज	1000
4	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति भादरा	01504	224506	गेहूँ , चावल, खाद , बीज	250
5	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति रावतसर	01537	250057	गेहूँ , चावल, खाद , बीज	750
6	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति पीलीबंगा	01508	233014	गेहूँ , चावल, खाद , बीज व दवाई	500 एमटी व समिति दुकान

7	हनुमानगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति गोलूवाला	01508	250807	खाद , बीज, दवाई	250 व 500 एमटी
---	---	-------	--------	-----------------	-------------------

9.3 जिले की गौशालाओं की सूची

क्र. सं.	गौशाला का नाम	जी.पी.कोड	तहसील	गौशाला में वर्तमान में संधारित गौवंश	आपदा की स्थिति में स्थानान्तरित किये जाने वाले निराश्रित गौवंश की संख्या
1	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI AJITPURA	1	BHADRA	1028	154
2	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI ANOOPSHAHAR	2	BHADRA	412	62
3	SHRI SHIV GORAKH AATM DARSHAN GO AV VANY JIV SEVA SAMITI BHADI	3	BHADRA	330	50
4	SHRI GOSHALA BHADRA	5	BHADRA	1883	282
5	SHIV SHAKTI GOSHALA SAMITI BHIRANI	7	BHADRA	774	116
6	SHRI RADHAKRISHAN BABA MAHESH MUNI GOSHALA SAMITI BHOJASAR	8	BHADRA	317	48
7	SHRI KRISHAN GOSHALA ENV SEWA SANSTHA CHHANIBARI	9	BHADRA	1299	195
8	SHRI MADAN GOPAL GOSHALA SAMITI DABRI	11	BHADRA	507	76

9	SHRI SHIV GOSHALA SAMITI DHOB	12	BHADRA	591	89
10	SHRI SHYAM DEVAY GOSHALA SAMITI DUNGRANA	13	BHADRA	1069	160
11	SHRI KRISHAN GOSHALA SANSTHA GANDHIBARI	14	BHADRA	1141	171
12	SHRI KRISHAN SUDAMA GOSHALA SAMITI GHEU	16	BHADRA	645	97
13	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI KALANA	17	BHADRA	950	143
14	SHRI PARKASH CHAND GOSHALA KARANPURA	19	BHADRA	570	86
15	SHRI RAM SAGAR GOSHALA SAMITI NETHRANA	21	BHADRA	2007	301
16	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI NINAN	22	BHADRA	583	87
17	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI RASLANA	23	BHADRA	935	140
18	SHRI GOVIND GOSHALA SAMITI SAGRA	24	BHADRA	474	71
19	SHRI SHIV GOSEWA SAMITI SHERDA	25	BHADRA	446	67
20	SHRI RAMKRISHAN GOSHALA SAMITI SHERPURA	26	BHADRA	289	43
21	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI JOGIWALA	193	BHADRA	593	89
22	SHRI KRISHAN PARNAMI	196	BHADRA	541	81

	GOSHALA SAMITI MEHRANA				
23	SHRI KUNJ BIHARI GOSHALA SAMITI BHINAI	197	BHADRA	345	52
24	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI UTRADHABAS	198	BHADRA	307	46
25	JAI SHREE KRISHANA GOSHALA SAMITI PACHARWALI	199	BHADRA	258	39
26	SHREE KRISHANA GOSHALA SAMITI KIRARABARA	200	BHADRA	883	132
27	DADA MEGHNATH KRISHAN GOSHALA MALISAR	217	BHADRA	367	55
28	SHRI NARAYAN DHAM GO SEWA SAMITI BHADRA	219	BHADRA	188	28
29	SHRI SHRI 1008 CHANDIGIRI JI MAHARAJ GOSHALA SAMITI BIRAN	220	BHADRA	427	64
30	SHREE BHAGWAN GAUSHALA SAMITI BHANGARH	256	BHADRA	267	40
31	SHRI RADHA KIRSHAN GOUSHALA SAMITI MUNSARI	262	BHADRA	409	61
32	SHRI KRISHNA PRANAMI GAUSALA SAMITI JANANA	269	BHADRA	296	44
33	SANT CHHOTU NATH GAUSHALA SAMITI BOJHLA	286	BHADRA	134	20
34	SHRI HARI GAUSHALA	GP15/00292	BHADRA	130	20

	SAMITI GHOTRA PATTA				
35	NAGARPARISHAD KANJI HOUSE HANUMANGARH JUNCTION	004	HANUMANGARH	396	40
36	NAGAR PARISHAD AGRO NEAR FORT HANUMANGARH TOWN	005	HANUMANGARH	864	86
37	SHRI GOPESHWAR GO SEWA SAMITI 22NDR	28	HANUMANGARH	232	23
38	SHRI RADHA KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI ARAIYAWALI	29	HANUMANGARH	394	39
39	SHRI KRISHAN SUDAMA GOSHALA SAMITI BHOMPURA	30	HANUMANGARH	373	37
40	SHRI KRISHAN GOSEWA SAMITI CHAK 1 RP MOHANMAGARIA	31	HANUMANGARH	524	52
41	SHRI HARI GOSHALA SAMITI CHAK HARIPURA	32	HANUMANGARH	380	38
42	SHRI BABA RAMDEV GO SEWA SAMITI CHOHILAWALI	33	HANUMANGARH	369	37
43	SHRI GURUNANAK DEV JI GOSHALA SAMITI DABLRATHAN	34	HANUMANGARH	206	21
44	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI DABLIBAS PEMA CHENA	35	HANUMANGARH	630	63
45	GO SEWA SAMITI DHOLIPAL	36	HANUMANGARH	419	42

46	SHRI KARNI GOSEWA SAMITI FATEHGARH	38	HANUMANGARH	544	54
47	SHRI GOSHALA SEWA SAMITI HANUMANGARH JUNCTION	39	HANUMANGARH	2208	221
48	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI HANUMANGARH JUNCTION	40	HANUMANGARH	419	42
49	SHRI GOSHALA SAMITI HANUMANGARH TOWN	42	HANUMANGARH	2761	276
50	GAU PANCHHI ENV MANAV SEWA SAMITI HANUMANGARH TOWN	43	HANUMANGARH	255	26
51	SHRI HANS TRIVENI GOSHALA SEWA SAMITI JORAWARPURA	47	HANUMANGARH	309	31
52	GOSHALA SEWA SAMITI JORKIYA	48	HANUMANGARH	433	43
53	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI KISHANPURA DIKHNADA	49	HANUMANGARH	563	56
54	GRAMOTHAN PASHU NASAL SUDHAR AV SHIKSHA SAMITI MAKKASAR	50	HANUMANGARH	595	60
55	SHRI HANUMAN GO SANWARDHAN KENDER MUNDA	51	HANUMANGARH	684	68
56	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI NORANGDESAR	52	HANUMANGARH	318	32
57	GO SEWA SAMITI PAKKABHADWA	53	HANUMANGARH	364	36

58	SHRI KRISHAN GO SANWARDHAN KENDER PAKKASAHARANA	54	HANUMANGARH	893	89
59	SHYAM GOSHALA SAMITI RAMSARA NARAYAN	55	HANUMANGARH	282	28
60	SHRI RAM GO SEWA SAMITI RANJITPURA	56	HANUMANGARH	464	46
61	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI RORAWALI	58	HANUMANGARH	297	30
62	SHRI RADHA KRISHAN GOSHALA SAMITI JHAMBAR	194	HANUMANGARH	478	48
63	SHRI NANDI GOSHALA KALYAN BHUMI SAMITI HANUMANGARH TOWN	205	HANUMANGARH	670	67
64	SHRI RADHAKRISHAN GOSHALA SAMITI NANDRAM KI DHANI	210	HANUMANGARH	202	20
65	SHRI HARI KRISHAN GOSHALA SEVA SAMITI KOHLA	218	HANUMANGARH	363	36
66	SHREE RAM KRISHAN GOSHALA SAMITI MATORIAWALI DHANI	227	HANUMANGARH	481	48
67	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI DABLIBAS MOLVI	236	HANUMANGARH	240	24
68	SANWARIA SETH GAU SEWA SAMITI AMARPURA THERI	259	HANUMANGARH	176	18

69	SHREE KHATU SHYAM NANDI GOUSHALA SAMITI PAKKASARNA	261	HANUMANGARH	152	15
70	SHRI DEVKINANDAN GOU SEWA SAMITI 28 NDR	263	HANUMANGARH	162	16
71	SHRI RADHEY KRISHAN GOU SEWA SAMITI 2 KNJ	272	HANUMANGARH	201	20
72	NANDISHALA PANCHAYT SAMITI HANUMANGARH	GP15/PN001	HANUMANGARH	340	34
73	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI BARWALI	63	NOHAR	630	95
74	MAHANT KALAINATH GOSHALA SAMITI BHUKARKA BARANI	64	NOHAR	564	85
75	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI BIRKALI	65	NOHAR	825	124
76	SHRI KRISHAN GOPAL GOSEWA SAMITI CHAINPURA	66	NOHAR	230	35
77	SHRI RADHA KRISHAN GOSHALA SAMITI DEIDAS	67	NOHAR	367	55
78	SHRI RADHA KRISHAN GOSHALA SAMITI DHANDHELA	68	NOHAR	376	56
79	SHRI RADHA KRISHAN SARVDALIY GOSHALA SAMITI DHANSIYA	69	NOHAR	749	112

80	SHRI BANKE BIHARI GOSHALA SAMITI DHILKI JATAN	70	NOHAR	654	98
81	GOVANS RAKSHA KENDER VAIDIK SADHU ASHRAM SAMITI GOGAMEDI	71	NOHAR	1337	201
82	SHRI GOPAL KRISHAN GO SEWA SAMITI JASANA	73	NOHAR	436	65
83	SHRI VASUDEV GOSHALA SAMITI KANSAR	74	NOHAR	590	89
84	SHRI GOVIND SHARNARTHI GOSHALA SAMITI KAROTI	75	NOHAR	560	84
85	SHRI SARVDHARM GOSHALA SAMITI KHUIYA	76	NOHAR	537	81
86	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI LAKHASAR	77	NOHAR	283	42
87	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI LALANA	78	NOHAR	1008	151
88	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI MALWANI	79	NOHAR	788	118
89	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI MANDERPURA	80	NOHAR	786	118
90	SHRI KRISHANA GOSHALA SAMITI NANAU	81	NOHAR	337	51
91	BALAJI SEWA SAMITI NOHAR	82	NOHAR	145	22
92	SHRI GOSHALA NOHAR	83	NOHAR	2416	362
93	SHRI HARIKRISHANA	84	NOHAR	551	83

	GO SEWA SADAN SAMITI NOHAR				
94	SHRI KRISHAN BAL BACHHA GO SEWA SAMITI NOHAR	85	NOHAR	144	22
95	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SAMITI PADAMPURA	86	NOHAR	445	67
96	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI PARLIKA	87	NOHAR	799	120
97	SHRI GO SEWA SANGH PHEPHANA	88	NOHAR	965	145
98	SHRI KARNI JI GOSHALA SEWA SAMITI RAISINGHPURA	89	NOHAR	628	94
99	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI SHYORANI	91	NOHAR	597	90
100	SHRI BANKE BIHARI GOSHALA SAMITI SIRANGSAR	92	NOHAR	626	94
101	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI SONARI	95	NOHAR	546	82
102	SHRI MAHARSHI DAYANAND GOSHALA SAMITI THALRKA	96	NOHAR	611	92
103	RADHE RADHE GOSHALA SAMITI THIRANA	97	NOHAR	601	90
104	SHRI KRISHAN PARNAMI GOSHALA SAMITI MEGHANA	195	NOHAR	336	50
105	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SAMITI JABRASAR	201	NOHAR	536	80
106	SHRI BHABHUTA SIDH NAKHAT	202	NOHAR	223	33

	BANNA GOSHALA SAMITI MUNSARI				
107	SHRI RADHESHYAM GOSHALA SAMITI SURJANSAR	206	NOHAR	220	33
108	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI NIMLA	207	NOHAR	452	68
109	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI MALIYA	208	NOHAR	202	30
110	KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI BHAGWAN	212	NOHAR	443	66
111	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI TIDIYASAR	214	NOHAR	247	37
112	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SEWA SAMITI KIKRALI	221	NOHAR	192	29
113	SHRI SHYAM GOSHALA SEWA SAMITI SURPURA	222	NOHAR	291	44
114	SHREE RADHE RADHE GO SEWA SAMITI KARAMSANA	230	NOHAR	230	35
115	SHREE GO DHAM SEWA SAMITI NOHAR	231	NOHAR	240	36
116	RADHA KRISHAN GO SEWA SAMITI TOPRIYAN	238	NOHAR	460	69
117	SHREE KRISHAN GO SEWA SAMITI DHANI LAL KHAN	239	NOHAR	264	40
118	SHREE GAU GOPAL GOSHALA SAMITI BHAGWANSAR	242	NOHAR	312	47
119	SHREE RADHE KRISHAN GOSHALA SEWA	243	NOHAR	782	117

	SAMITI PANDUSAR				
120	SHREE KRISHAN PARNAME GOSHALA SAMITI JOKHASAR	244	NOHAR	259	39
121	SHREE NARAYAN GOSHALA SAMITI 22 NTR	246	NOHAR	284	43
122	SHREE KRISHAN PARNAME GOSHALA SAMITI DURJANA	248	NOHAR	129	19
123	SHREE SHYAM GAUSHALA SEWA SAMITI NAGRASARI	253	NOHAR	126	19
124	SHREE KRISHAN GAUSHALA GAUDHAAM SAMITI BADBIRANA	255	NOHAR	490	74
125	SHRI KRISHANA GAU SEWA SAMITI ASARJANA	257	NOHAR	187	28
126	DADA BALI NATH GOSHALA SAMITI DEVASAR	258	NOHAR	203	30
127	SHREE KRISHNA GAUSHALA KHARSANDI LALANIA	260	NOHAR	285	43
128	SHRI SHIV GORAKSH GOUSHALA SAMITI GORKHANA	264	NOHAR	332	50
129	SHREE KRISHNA GOUSHALA SEWA SAMITI BHAWALDESAR	266	NOHAR	145	22
130	MAHANT SHRI KLAI NATH GO SEWA SAMITI BHUKARKA	268	NOHAR	166	25

131	SHREE MUKUT BIHARI GAU SEWA SAMITI AATHUNABAS BHAWALDESAR	270	NOHAR	163	24
132	SHIV KRISHAN GOSHALA SAMITI BALASAR	271	NOHAR	111	17
133	SHRI SHRI 108 BABA SHANKARGIRI JI MAHARAJ ANDH GOUSHALA SAMITI CHAK 6 3 KNN PHEPHANA	275	NOHAR	132	20
134	SHRI KRISHAN GAUSHALA SEWA SAMITI RATUSAR	279	NOHAR	158	24
135	SHREE RADHAKRISHAN GOUSHALA SAMITI ARADKI	284	NOHAR	174	26
136	PANCHAYAT SAMITI STARIYA NANDISHALA NOHAR	GP15/00291	NOHAR	252	38
137	SHRI GORAKH GO SEWA SAMITI 18 SPD	98	PILIBANGA	211	74
138	SHRI GOSHALA SAMITI 36STG B	99	PILIBANGA	353	124
139	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI AYALKI	101	PILIBANGA	392	137
140	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SAMITI BHAGSAR	102	PILIBANGA	268	94
141	SANT DYA DRISHTI GOSHALA SAMITI 6BLW SINGHPURA	103	PILIBANGA	254	89
142	SHRI KRISHANA GOSHALA KAMETI GOLUWALA	104	PILIBANGA	937	328

143	ANATHA AV APAHIJ GOSHALA SAMITI GOLUWALA NIVADAN	105	PILIBANGA	717	251
144	SHRI GOSHALA SEWA SAMITI HARDAYALPURA	106	PILIBANGA	410	144
145	RADHA VALLABH GOSHALA SAMITI JAKHRAWALI	107	PILIBANGA	935	327
146	SHRI GOPAL GOSHALA PARBANDHAN SAMITI KHARACHAK KANHEWALA	108	PILIBANGA	215	75
147	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SEWA SAMITI KHARLIYA	109	PILIBANGA	281	98
148	SHRI SHYAM GOSHALA SEWA SAMITI KHOTAWALI	110	PILIBANGA	430	151
149	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI LAKHASAR	111	PILIBANGA	237	83
150	LUDHANA GOSHALA SAMITI LUDHANA	112	PILIBANGA	128	45
151	SHRI GOPAL KRISHAN GOSHALA SAMITI MANAKTHEDI	114	PILIBANGA	359	126
152	RADHA KRISHAN GO SEWA SAMITI PANDITAWALI	115	PILIBANGA	529	185
153	SHRI GAU SEWA ASHRAM SAMITI PILIBANGA	116	PILIBANGA	404	141
154	SHRI GOSHALA SEWA SAMITI PILIBANGA	117	PILIBANGA	1273	446

155	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI PILIBANGA GANV	119	PILIBANGA	291	102
156	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI PREMPURA	120	PILIBANGA	422	148
157	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI SURANWALI	122	PILIBANGA	225	79
158	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI UMMEWALA	123	PILIBANGA	374	131
159	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI PILIBANGA	203	PILIBANGA	332	116
160	DERA BABA BHAGATRAM JI GOSHALA SEWA SAMITI 8 NSW NIHALPURA	234	PILIBANGA	130	46
161	SHRI SHYAM NANDI GOSHALA SAMITI MANDI GOLUWALA	251	PILIBANGA	283	99
162	SHRI KARNI TAPOVAN GAUSHALA SAMITI DULMANA	254	PILIBANGA	266	93
163	SHRI KHETARPAL NANDI SHALA SEVA SAMITI WARD NO 35 RAWATSAR	273	PILIBANGA	157	55
164	SHRI KRISHAN GOU SEWA SAMITI 7 STB	280	PILIBANGA	114	40
165	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI 16DWD	124	RAWATSAR	423	85
166	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SAMITI BARAMSAR	126	RAWATSAR	618	124

167	SHRI SHYAM GOSHALA SEWA SAMITI 5SPD BHERUSARI	127	RAWATSAR	317	63
168	VASUDEV GOSHALA SEVA SAMITI BISRASAR	128	RAWATSAR	301	60
169	SWAMI VIVEKANAND GO SEWA SAMITI BUDHWALIYA	129	RAWATSAR	425	85
170	SHRI GOSHALA SAMITI CHAIYA	130	RAWATSAR	672	134
171	SHRI GO SEWA SAMITI CHAK 9AM	132	RAWATSAR	323	65
172	SHRI SHIV GOSHALA SAMITI DHANNASAR	134	RAWATSAR	559	112
173	SHRI RADHA KRISHAN GO SEWA SAMITI GANDHELI	135	RAWATSAR	447	89
174	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SEVA SAMITI HARDASWALI PURVI	136	RAWATSAR	357	71
175	SHIV GOSHALA SAMITI JHEDASAR	137	RAWATSAR	426	85
176	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI KANWANI	138	RAWATSAR	701	140
177	SHRI GOVIND GO DHAM GOSHALA SAMITI KHODA	140	RAWATSAR	608	122
178	SHRI KRISHAN GOVANSI SEWA SAMITI KIKRALIYA	141	RAWATSAR	562	112
179	SHREE KRISHAN GO SEWA SAMITI NYOLKHI	143	RAWATSAR	1305	261
180	SHRI JAI DURGA BARHMANI GOSHALA SAMITI PALLU	145	RAWATSAR	1022	204

181	SHRI GHANSHYAM GOSHALA SAMITI PURABSAR	146	RAWATSAR	383	77
182	SHRI SHIV STHAL GO SEWA SAMITI RAMKAN	147	RAWATSAR	431	86
183	SHRI GOSHALA SAMITI RAWATSAR	148	RAWATSAR	824	165
184	SHRI GURU GORAKH NATH GO SEWA SAMITI RAWATSAR	149	RAWATSAR	291	58
185	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI RAWATSAR	150	RAWATSAR	229	46
186	SHRI SHYAM BIHARI GOSHALA SEWA SAMITI RAWATSAR	153	RAWATSAR	274	55
187	SHRI KRISHAN GOPAL GOSHALA SAMITI SARDARPURA KHALSA	155	RAWATSAR	767	153
188	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI SIRASAR	156	RAWATSAR	310	62
189	SHRI KRISHAN GO SEWA SAMITI POHDKA	213	RAWATSAR	467	93
190	SHRI RADHA KRISHAN GO SEWA SAMITI CHANDERI BADI	215	RAWATSAR	202	40
191	SHREE NANDI GOU SEWA SAMITI GANDHELI	223	RAWATSAR	260	52
192	SHRI KESHAVGOPAL GOSHALA SAMITI NIRWAL	224	RAWATSAR	248	50
193	SHREE NAGA JI GOSHALA SEWA	225	RAWATSAR	234	47

	SAMITI CHAK 34 RWD				
194	PIR JI GOSHALA SEWA SAMITI DHANDHUSAR	226	RAWATSAR	252	50
195	SHREE KRISHAN GOPAL GO SEWA SAMITI 8 KM SARDARPURA KHALSA	228	RAWATSAR	198	40
196	SHREE HARI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI KHEDASARI	229	RAWATSAR	440	88
197	SHRI SHYAM GOSHALA SAMITI RAMPURA MATORIA	232	RAWATSAR	490	98
198	SHREE BANKE BIHARI GO SEWA SAMITI BANGASAR	235	RAWATSAR	263	53
199	SHREE KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI 10 KWD BHAKHRANWALA	237	RAWATSAR	143	29
200	SHREE KRISHAN SUDAMA GO SEWA SAMITI MAHELA	240	RAWATSAR	228	46
201	SHREE GOPAL KRISHAN GO SEWA SAMITI 1516 KWD	241	RAWATSAR	121	24
202	SHRI RAMDEV GAUSHALA SAMITI MODHUNAGAR	250	RAWATSAR	259	52
203	SHREE GURU GORAKH NATH GO SEWA SAMITI MOTER	278	RAWATSAR	227	45
204	SHRI GOURAKH NATH GAUSHALA	281	RAWATSAR	158	32

	29 DWD RAWATSAR				
205	SHRI KRISHAN GAUSHALA SEVA SAMITI DHANI MAHELA	282	RAWATSAR	209	42
206	SHRI BALAJI GAU SEVA SAMITI DHANI LEGHAN	283	RAWATSAR	217	43
207	SHRI KRISHAN GOPAL GAU SEVA SAMITI LALPURA	285	RAWATSAR	223	45
208	SHREE SUNDARKANG GO GRAS SEVA SAMITI	GP15/00263	RAWATSAR	234	47
209	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI AMARPURA JALU	157	SANGARIA	238	71
210	SHRI KRISHAN GAUSHALA GO SEWA SAMITI BHAKHRAWALI	158	SANGARIA	249	75
211	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI BOLANWALI	159	SANGARIA	615	185
212	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI DEENGARH	160	SANGARIA	356	107
213	SHRI GOPAL RAIGAR BABA GAUSHALA SAMITI DHABAN	161	SANGARIA	385	116
214	GARIB GOSHALA SEWA SAMITI HARIPURA	162	SANGARIA	459	138
215	SHRI GOPAL GOSHALA SEWA SAMITI KISHANPURA UTRADHA	163	SANGARIA	352	106
216	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI LILAWALI	164	SANGARIA	431	129

217	AAJAD GOSHALA SEWA SAMITI MANAKSAR	165	SANGARIA	236	71
218	BHAGWAN SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI NAGRANA	166	SANGARIA	599	180
219	SHRI KRISHAN GOSHALA NATHWANA	167	SANGARIA	446	134
220	GOSAI GOSHALA SAMITI NUKERA	168	SANGARIA	529	159
221	SHRI BHOMIYA JI GOSHALA SEWA SAMITI RASUWALA	169	SANGARIA	366	110
222	BHAGWAN SHRI KRISHAN GOSHALA SANGARIA	170	SANGARIA	851	255
223	MAHAVIR DAL BAALGOPAL GOSHALA SAMTI SANGARIA	171	SANGARIA	265	80
224	SHRI SHIV GO SEWA SADAN SANGARIA	172	SANGARIA	540	162
225	BABA SANGU SINGH GOSHALA SAMITI SANTPURA	173	SANGARIA	266	80
226	SANT BABA SHERSINGH GOSHALA SAMITI SHAHPINI	174	SANGARIA	309	93
227	SHREE GO SEWA SAMITI SANGRIA	267	SANGARIA	253	76
228	SHIV NANDI GAUSHALA SAMITI CHAK 5 NGR NAGRANA	274	SANGARIA	204	61
229	SHREE RADHE GAUSHALA SEVA SAMITI RATANPURA	276	SANGARIA	188	56

230	SHRI SHIV GO SEWA SAMITI 4 5 RWB	175	TIBBI	292	29
231	SHRI KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI BASHIR	176	TIBBI	401	40
232	SHRI KRISHAN GOSHALA SAMITI BHURANPURA	177	TIBBI	488	49
233	SWAMI BRAHMDEV GO SEWA SAMITI CHAHUWALI	178	TIBBI	440	44
234	GOPAL GO SEWA SAMITI DABLIKALAN	179	TIBBI	802	80
235	HARIOM SABAR GOSHALA SEWA SAMITI MASITAWALI	181	TIBBI	298	30
236	RAJASTHAN GO SEWA SAMITI MEHARWALA	182	TIBBI	690	69
237	SHRI SHIV GOSHALA SAMITI MIRJAWALIMER	183	TIBBI	811	81
238	SHRI SHIV GOSHALA SAMITI PEERKAMDIA	184	TIBBI	721	72
239	GO SEWA SAMITI RAMPURA URF RAMSARA	185	TIBBI	740	74
240	SHRI KRISHAN BHAGWAN GOSHALA SALIWALA	186	TIBBI	496	50
241	GO SEWA SAMITI SHEREKA	187	TIBBI	627	63
242	GOVANS RAKSHA SAMITI SHYODANPURA	188	TIBBI	403	40
243	GO SEWA SAMITI SUREWALA	189	TIBBI	1200	120
244	SURBHI GOSHALA SEWA SAMITI TALWARAJHEEL	190	TIBBI	398	40

245	GAYATRI GOSHALA SAMITI TIBBI	191	TIBBI	540	54
246	NAMDEV NANDI GOSHALA SAMITI RAMPURA URF RAMSARA	209	TIBBI	277	28
247	KAMDHENU SARVDHARM GOSHALA SAMITI SALEMGARH MASANI	233	TIBBI	415	42
248	SHREE RADHE KRISHAN GOSHALA SEWA SAMITI SILWALA KHURD	245	TIBBI	410	41
249	BABA BHOLAGIRI GOU SEWA SAMITI 21 KNN KHINANIA	249	TIBBI	226	23
250	SHREE KRISHAN MURARI GAUSHALA SAMITI KHARAKHERA	265	TIBBI	408	41

परिशिष्ट-10

तहसील टिब्बी के गोताखोरों का विवरण

क्र. स.	गोताखोरों का नाम	संबंधित का नाम	दूरभाष नम्बर	अनुमानित क्षमता
1	कृष्ण सिंह / मोडिया सिंह बावरी	गोताखोर	96722-85434	सूरेवाला
2	बग्गासिंह / मोडिया सिंह	गोताखोर	96729-14414	सूरेवाला
3	मुन्ना सिंह	गोताखोर	99831-63469	सूरेवाला
4	मख्खनसिंह / चिमन रायसिख	गोताखोर	86967-05535	सूरेवाला
5	भोलूसिंह / बलविन्द्र सिंह रायसिख	गोताखोर	84260-01874	सूरेवाला
6	रामू नायक	गोताखोर	79768-69531	10 जीजीआर हैड
7	महेन्द्र नायक रायसिख	गोताखोर	82392-19196	10 जीजीआर हैड
8	कालू नायक	गोताखोर	95874-91365	10 जीजीआर हैड
9	सतनाम बावरी	गोताखोर	78779-97503	10 जीजीआर हैड

10	पृथ्वीराज नायक	गोताखोर	77909-71984	10 जीजीआर हैड
11	श्योप्रकाश	गोताखोर	95714-30001	10 जीजीआर हैड
12	संदीप नायक	गोताखोर	97722-19791	10 जीजीआर हैड
13	करणी नायक	गोताखोर	85609-28493	10 जीजीआर हैड
14	राजाराम	गोताखोर	89478-71670	10 जीजीआर हैड
15	राजू नायक	गोताखोर	—	10 जीजीआर हैड

हनुमानगढ़ के गोताखोरों का विवरण

क्र. स.	गोताखोरों का नाम	संबंधित का नाम	पता	दूरभाष नम्बर
1.	श्री जुगलकिशोर / श्री श्योपतराम	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	6376593627
2.	श्री किस्मत अली / श्री शरीफ	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	9521424153
3.	श्री कृष्ण लाल / श्री श्योपतराम	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	9829949637
4.	श्री असलम / श्री शरीफ	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	7357730054
5.	श्री रवि / श्री ओमप्रकाश	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	8504941809
6.	श्री मनोज / श्री बीरबल राम	गोताखोर	लखुवाली हैण्ड हनुमानगढ़	8290112796
7.	श्री मनोज / श्री रामलाल	गोताखोर	सुर्यनगर कॉलोनी, हनुमानगढ़	9828997076
8.	श्री सुरजभान / श्री रामस्वरूप	गोताखोर	डबली कलां, हनुमानगढ़	8824526603

नोट :-

1. उक्त गोताखोर दैनिक मजदूरी से जीवन यापन करते हैं आवश्यकता पड़ने पर दैनिक मजदूरी पर उपलब्ध हो सकते हैं।
2. आपदा के समय में यदि कोई नावों की आवश्यकता होती है तो घग्घर डिप्रेषन व इंदिरा गांधी नहर के ठेकेदारों के पास लगभग 50 नावें हैं जिन्हें काम में लिया जा सकता है।

**परिशिष्ट-11 फोन डायरेक्ट्री जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों की सूची
(तहसीलवार व विभागवार)**

क्र.सं.	पद	कोड	कार्यालय	मोबाइल न०
1.	जिला कलक्टर	01552	260001	99505-25303
2.	एस.पी.हनुमानगढ़	01552	260003	98281-18786
3.	अति.जिला कलक्टर प्रशा० हनुमानगढ़	01552	260125	74278-28848
4.	अति. जिला कलक्टर नोहर	01555	220508	94147-73739
5.	अति. पुलिस अधीक्षक,हनुमानगढ़	01552	260708	97997-77799
6.	डी.आई.जी. (स्टाम्प)	01552	260778	94145-06790
7.	मुख्य कार्य. अधि.जिला परिषद हनु०	01552	261094	94133-21521
8.	उप वन संरक्षक	01552	260861	86194-21404
9.	अति.मु.का.अधि.जिला परिषद हनु०	01552	264999	94147-82529
10	राजस्व अपील अधिकारी हनु०	01552	261117	94142-23623
11	सहायक निदेशक अभियोजन	01552	265249	95210-99047
12	एमडी डेयरी	01552	260522	94143-28023
13	उपनिदेशक महिला एवं बाल वि० वि०	01552	260050	96940-27049
14	कार्यक्रम महिला एवं बाल अधि०विभाग हनु०	01552	260050	96940-27049
15	जिला रसद अधिकारी	01552	261114	96363-60206
16	कोषाधिकारी हनुमानगढ़	01552	260727	94606-48163
17	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा०अधिकारी	01552	261190	95972-22000
18	अधीक्षण अभियन्ता, चम्ब हनु०	01552	260553	94141-37051
19	अधीक्षण अभियन्ता, च्क हनुमानगढ़	01552	260154	94142-60643
20	अधीक्षण अभियन्ता, श्रवटटछहनुमानगढ़	01552	260548	94133-59632
21	आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़	01552	223008 222930	98285-73275
22	मुख्य आयोजना अधिकारी	01552	262402	94625-77044

23	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01552	261187	96803—89117
24	सांख्यिकी अधिकारी हनुमानगढ़	01552	262402	94131—10875
25	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी हनु0	01552	265778	81078—46351
26	सहायक सूचना विज्ञान अधिकारी हनु0	01552	264400	98295—14134
27	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी हनु0	01552	260909	70621—70000
28	एओ लेखा शाखा	01552	260299	75689—20970
29	उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	01552	260546	94613—73739
30	उपखण्ड अधिकारी संगरिया	01499	250950	99828—85885
31	उपखण्ड अधिकारी टिब्बी	01539	235001	90012—45572
32	उपखण्ड अधिकारी रावतसर	01537	251921	83027—19199
33	उपखण्ड अधिकारी नोहर	01555	220018	95889—69603
34	उपखण्ड अधिकारी भादरा	01504	224793	99285—41327
35	उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा	01508	235133	70738—14001
36	एसीएम फास्ट ट्रेक भादरा	01504	224793	99285—41327
37	तहसीलदार हनुमानगढ़	01552	260637	79764—08759
38	तहसीलदार संगरिया	01499	250138	90792—30106
39	तहसीलदार टिब्बी	01539	234123	85276—22611
40	तहसीलदार रावतसर	01537	250123	89468—28043
41	तहसीलदार नोहर	01555	220187	84260—27829
42	तहसीलदार भादरा	01504	222055	90790—87490
43	तहसीलदार पीलीबंगा	01508	233313	83026—12959
44	विकास अधिकारी टिब्बी	01539	235011 235012	95716—79908
45	विकास अधिकारी संगरिया	—	—	82902—07507
46	विकास अधिकारी नोहर	01555	220035	99838—40404
47	विकास अधिकारी भादरा	01504	222130 224462	94645—76101

48	विकास अधिकारी रावतसर	—	—	98294—57421
49	विकास अधिकारी हनुमानगढ़	—	—	94144—81013
50	विकास अधिकारी पीलीबंगा	—	—	99822—57966
51	आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़	01552	223008 — 222930	98285—73275
52	जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़	01552	262202	99118—54690
53	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी	01552	261190 260945	75972—22000
54	अधिशायी अधिकारी हनुमानगढ़	—	—	98285—73275
55	अधिशायी अधिकारी टिब्बी	—	—	94137—26432
56	अधिशायी अधिकारी रावतसर	—	—	73401—98621
57	अधिशायी अधिकारी भादरा	—	—	94602—07367
58	अधिशायी अधिकारी नोहर	—	—	94609—66477
59	अधिशायी अधिकारी पीलीबंगा	—	—	94137—26432
60	अधिशायी अधिकारी संगरिया	—	—	90792—30106
61	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़	—	—	97847—94308
62	जिला परिवहन अधिकारी नोहर	—	—	94144—31308
63	जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़	—	—	99118—54690
64	प्रबंधक लीड बैंक	—	—	90018—93879
65	श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ़	01552	263398	94162—06020
66	उप वन संरक्षक हनुमानगढ़			86194—21404
67	जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हनुमानगढ़			75977—14099
68	खनन विभाग हनुमानगढ़			90018—07755
69	मुख्य प्रबंधक रोड़वेज हनुमानगढ़			95496—53525
70	सहायक निदेशक देवस्थान विभाग हनुमानगढ़			94140—43696
71	उप निदेशक आयुर्वेद हनुमानगढ़	01552	224174	94149—89697

72	सांसद लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर	—	—	94140—64546
73	विधायक विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़	—	—	94140—95763
74	विधायक विधानसभा क्षेत्र संगरिया	—	—	94622—09992
75	विधायक विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा	—	—	97830—07960
76	विधायक विधानसभा क्षेत्र नोहर	—	—	97835—80000
77	विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा	—	—	94601—20101
78	जिला प्रमुख हनुमानगढ़	—	—	94626—90702
79	मुख्य शिक्षा अधिकारी (मा.) हनु0	01552	261193	94144—03129
80	मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्रा.) हनु0	01552	266268	93527—07766
81	संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हनु0	01552	260584	94148—35354
82	संयुक्त निदेशक पशुपालन हनु0	01552	226689	94143—49737
83	महाप्रबंधक जिला उधोग हनु0	01552	260114	94616—77969
84	जिला आबकारी अधिकारी हनु.	01552	222088	80059—48748

नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन— नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(ए) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनित किये गये हैं :—

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	उप नियंत्रक (अतिरिक्त जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा	01552-260125	74278-28848
2.	संचार सेवा	प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम एवं मुख्य प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड हनुमानगढ़	01552-260299	94625-77044 94160-69789
3.	वार्डन सेवा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास) हनुमानगढ़	01552-261094	99289-80450
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़	01552-222855	98285-73275

5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़	01552-260125	74278-28848 98286-35775
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी	01552-261190	75972-22000
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़	01552-294153	94142-60643
8.	साल्वेज सेवा	जिला कोषाधिकारी	01552-260727	94606-48163
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़	01552-261114	96363-60206
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक रोडवेज हनुमानगढ़	01552-262202	99118-54690 95496-53525
11.	कल्याण सेवा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़	01552-261094	94133-21521
12.	शव निपटान सेवा	आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायतीराज	01552-222930	98285-73275 94147-82529

Contact No. of officers under Jd.VVNL, Hanumangarh Circle

Sn.	Name of Officer	Designation	STD	OFFICE	Mob. No.
1	Sh. Richpal singh charan	SE, Hanumangarh	01552	260548	9413359632
2	Sh. Anil Shyoran	XEN (TA to SE)	01552	260548	9413359634
3	Smt. Renu yadav	AEN (Tech./ Audit), Hanumangarh			9079587694
4	Sh. Veer Singh	AEN (Recovery), HMG			9079977911
5	Sh. Anil Shyoran	AEN under SE Office			8209073367
6	Sh. Mohit Kumar	AEN under SE Office			9784870670
7	Mrs. Priyanka	JEN Under SE Office	01552	260548	8955241541
8	Sh. Vijay Singh	JEN Under SE Office			
9	Sh. Sunny Sharma	Personnel Officer	01552	260015	9413359601

10	Sh. Girdhar Gopal Arora	Accounts Officer	01552	260670	9413359664
11	Sh. Shakti Singh	XEN DDUGJY/RDSS	01552	260528	9413359651
12	Sh. Vikash Sharma	AEN			7014805652
13	Sh. A. K. Gadhwal	XEN,Hanumangarh	01552	260528	9413359633
14	Sh. Amit Singh	AEN, Goluwala	01508	250256	9413359644
15	Sh. Ramavtar	JEN Paccasarna			9636997673
16	Vacant	JEN Longwala	01552	241227	9413359685
17	Sh. Ravi Berwal	JEN Goluwala	01508	250122	9413359588
18	Sh. Murari Lal Meena	ARO	01508	250256	9414021408
19	Sh Kuldeep Kumar	AEN, HMH	01552	260674	9413359640
20	Asha Rani	BS Chouk	01552	268576	9413359655
21	Vacant	Rural	01552	276006	9413359658
22	Vacant	JEN Shiv Mandir	01552	268576	9413359591
23	Devender Kumar Gupta	JEN Khunja	01552	268576	9413359667
24	Sh. Vikash Kumar	ARO	01552	260674	9414021407
25	Sh. Mukesh Sharma	AEN, Hanumangarh Town	01552	222956	9413359643
26	Sh. Nutan Godara	JEN City I	01552	222844	9414058804
27	Vacant	JEN City II	-	-	9413359668
28	Sh.Jaipal	JEN City III	01552	231236	9413359684
29	Vacant	JEN Norangdesar	01552	281181	9413359674
30	Sh. Kishan Kumar	ARO	01552	222956	9414021418
31	Sh. H. C. Dhaliya	AEN(R),Hanumangarh	01552	263657	9413359641
32	Vacant	JEN Perkamdiya	01552	283333	9413359669
33	Sh. Aanad Kumar	JEN Dablrathan	01552	285609	9413359672
34	Sh. Amandeep Singh	JEN Fategarh	01552	272031	9413358978
35	Sh. Sukhveer Dhaka	ARO	01552	263657	9414021405
36	Sh. Govind nath	AEN,Pilibanga	01508	233249	9413359642
37	Sh. Subham Jain	JEN City	01552	225001	9413359652
38	Sh. Mandeep Singh	Rural-I	01508	282196	9413359671
39	Vacant	Rural-II			9413359594
40	Sh. Rahul Pacharwal	ARO	01508	233249	9414021423
41	Sh. Babu Lal Sirvi	XEN Nohar	01555	221083	9413359635
42	Sh. D.K. Sriwastav	AEN (O&M),Nohar	01555	220448	9413359677
43	Sh. Ramgopal	City-I	01555	230138	9413359653

44	Sh. Chetan Meena	City-II			9413359914
45	Sh. Ramratan	Phefana			9413359919
46	Sh. Anil Nayak	ARO			9414059586
47	Sh. Giriraj Parsad Jajoriya	AEN (Rural),Nohar			9413359552
48	Sh. Mohit Verma	JEN Thaldka	01555	222070	9413359673
49	Sh. Navneet Singh	JEN Khuiya	01555	283038	9462084021
50	Vacant	JEN Dalpatpura	01555	284442	9413359921
51	Sh. Keshav Kumar Garg	ARO			9414059724
52	Sh. Rohitash	AEN (O&M),Badhra	01504	224090	9413359647
53	Sh. Ashish Kumar	JEN CITY-I	01504	224090	9413359686
54	Sh. Saurav Dudi	JEN City-II	01504	224090	9413359680
55	Vacant	JEN Kirada	—	—	9413359613
56	Sh. Abhishek Shrimaal	ARO			9414059210
57	Sh. Ishwar Singh Jaggal	AEN (Rural),Badhra	01504	224090	9413359543
58	Vacant	JEN Chhanibdi	01504	224090	9413359657
59	Sh. Satish Kumar Bairwa	JEN Ninan			8279077901
60	Vacant	JEN Bhirani	01504	224090	9413359769
61	Vacant	ARO	01504	224090	9414059261
62	Sh. N.K. Daiya	AEN,Rawatsar	01537	250289	9413359645
63	Sh. Sandeep Kumawat	JEN City			9413359956
64	Sh. Bhupender Joshi	JEN Dhannasar	01508	283460	9413359683
65	Sh. Rajat Verma	JEN Rural			9413359969
66	Sh. Mahendra Kumar Meena	ARO	01537	250289	9414021419
67	Sh. Hardan Singh Gurjar	AEN,Pallu	—	—	9413359556
68	Sh. Parmod Kumar Mourya	JEN Ladam	—	—	—
69	Vacant	JEN Pallu			9413359978
70	Sh. Hardan Singh Gurjar	Barmsasar			9413359982
71	Sh.Rakesh Kumar	ARO			9414059752
72	Sh. Ashutosh Pandey	AEN,Gogameri	01555	211312	9413359646
73	Vacant	JEN Gogameri			9413359597
74	Sh. Tulsi Ram	JEN Karanpura			9413359679
75	Sh. Ram Kumar Rai	JEN Ramgarh			9413359678
76	Sh. Rajesh kumar	ARO			7412813209
77	Sh. Bhagirath Shekhu	XEN,Sangaria	01499	251146	9413359636
78	Sh. Vijay Singh Meena	AEN,Sangaria	01499	251246	9413359648

79	Vacant	JEN City	01499	220146	9413359609
80	Miss Monika Jakhar	Nagrana, Shergaad	01499	210491	9413359639
81	Sh. Pankaj Giri	JEN, Baseer			9413359610
82	Mrs. Manveer Sran	ARO			9414059832
83	Sh. Rajesh Bhuriya	AEN(Rural), Sangaria	01499	252146	9413359681
84	Sh. Naveen Kumar	Dhaba	01499	210508	9413359687
85	Sh. Ajay Kumar	Nathwana	01499	210538	9413359676
86	Sh. Yudhveer Bishnoi	Chak Hirasingsh Wala	01499	210502	9413359905
87	Sh. Pankaj sharma	ARO	01499	252146	9649964996
88	Sh Dinesh Kumar	AEN, Tibbi	01539	234237	9413359649
89	Miss Silpi	JEN Tibbi	01539	224189	9413359654
90	Sh. Irfan Ali	JEN Taslwara			9413359675
91	Vacant	JEN Masani	01539	224044	9413359794
92	SH. Dinesh Meena	JEN Mirzawali Mer			9413359794
93	Sh. Sumit Kumar	ARO			9414059773
94	Sh. PAWAN KHYALIYA	AEN, Protection	01552	262043	9413359682
95	Sh Umashankar	JEN	01552	262043	9413359598
96	Smt. Jyoti	JEN	01552	262043	9602515503
97	Smt. Meenu Sharma	JEN	01552	262043	9413359600
98	Sh. Sandeep Saharan	ACOS, Hanumangarh	01552	260612	9413359689
99	Sh. Anil Bishnoi	JEN under ACOS, HMH			8562850646
100	Sh. Ajay Sharma	XEN (Vig.), HMH			9413359637
101	Sh. Pushpendra Singh	AEN (Vig.), HMH			9413359688
102	Vacant	XEN (M&P)			9413359638
103	Sh. Tushar Bishnoi	JEN			8619207646
104	Yena Bishnoi	AEN (M&P)			9413359659
105	Sh. Vinay Khatri	AEN(Civil)			9413359593

Contact No. of officers under PHED, Hanumangarh Circle

क्र.सं.	अधिकारी/कार्यालय का नाम	दूरभाष एवं मोबाईल नं.
	खण्ड हनुमानगढ़	
1	हेमन्त कुमार, अधिशाषी अभियंता जन स्वा अभि विभाग खण्ड हनुमानगढ़	8890777534
2	दीक्षा, सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक जन स्वा अभि विभाग खण्ड हनुमानगढ़	8890138451
3	सोनू, सहायक अभियंता (मोने0) जन स्वा अभि विभाग खण्ड हनुमानगढ़	8952971722
	उपखण्ड हनुमानगढ़ जं	
4	दीपक गोदारा, सहायक अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ जं	6378007905
5	अलवीना, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ जं	6377312080
6	मनीषा, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ जं	9783434774
	उपखण्ड हनुमानगढ़ टा0	
7	अमित कुमार खीचड़, सहायक अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ टा0	9672146330
8	रमेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ टा0	8385981314
9	भीमसैन, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ टा0	8503007090
10	माया, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड हनुमानगढ़ टा0	8955415966
	उपखण्ड पीलीबंगा	
11	राहुल सोनगरा, सहायक अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड पीलीबंगा	8118855277
12	राकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड पीलीबंगा	9672536319
	उपखण्ड संगरिया	
13	उपदेश अग्रवाल, सहायक अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड संगरिया	9785001289
	उपखण्ड टिब्बी	
14	प्रमोद कुमार, सहा0 अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड टिब्बी	9782576345
15	कुलवंत सुथार, कनिष्ठ अभियंता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड टिब्बी	7300301560
	खण्ड भादरा	

16	श्री प्रकाश चौधरी, अधिषाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड भादरा	01504-294161 9461158018
17	श्री सुनील कुमार सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड भादरा	8561821341
	उपखण्ड भादरा	
18	श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड भादरा	9887689927
19	श्री ईमरान खान, कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड भादरा (अनभाग गोगामेड़ी)	9549778244
	उपखण्ड II भादरा	
20	श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड II भादरा	8003067211
21	श्री प्रहलाद गोदारा, कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड II भादरा (अनभाग उत्तरादाबास एवं भिरानी)	9828841683
22	श्रीमती मंजीता कुमारी, कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड II भादरा (अनभाग डुंगराना)	9887193352
	खण्ड नोहर	
23	श्री लालबहादूर गोदारा अधिषाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड नोहर	9414506443
24	श्री शांतनु सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक जन स्वा0 अभि0 विभाग, खण्ड भादरा	9413813579
	उपखण्ड नोहर	
25	श्री विक्रान्त सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड नोहर	8894947279
26	श्री महेन्द्र जाटव कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड नोहर (शहरी)	8741967271
	उपखण्ड रावतसर शहरी	
27	श्री विजय सिंह सहायक अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग, उपखण्ड रावतसर शहरी	7023088005
	उपखण्ड रावतसर ग्रामीण	
28	राधेश्याम पुनिया, सहायक अभियन्ता जन स्वा अभि विभाग उपखण्ड रावतसर ग्रामीण	8619101996
29	श्री राजेश सैनी कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग उपखण्ड रावतसर ग्रा0	9887079564

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ जंक्शन विभागाध्यक्ष की सूची

NAME	DESIGNATION	DIRECT	MOBILE NUMBER
UGRASEN SAHARAN	MANAGING DIRECTOR	01552-260522	9414328023
G.C. SWAMI	INCHARGE (P & I)	01552-260793	9829934395
SURENDRA KUMAR SETIA	INCHARGE (PLANT)		7726007316
MUKESH KUMAR	INCHARGE (QC) & P&A	-	7206588429
LILADHAR VERMA	INCHARGE MARKETING	01552-260588	8387870308
VINOD KUMAR SHARMA	INCHARGE ENGG.		9413538174

उक्त कार्य योजना गोपनीय है, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ उम्मेदी लाल मीण, (कार्यालय नं. 01552-260125, निवास नं.01552-260126,) से सम्पर्क किया जा सकता है।

Information regarding latitude and Longitude, Dist. Hanumangarh

S. No.	Name of Station	Place	Latitude	Longitude
1	Hanumangarh JN.	Stadium Ground	29° 36' N	74° 17' E
2	Hanumangarh Town	NMPG College Ground	29° 34' N	74° 19' E
3	Tibbi	Senior Secondary School Ground	29° 33' N	74° 30' E
4	Sangria	Agriculture College Ground	29° 48' N	74° 28' E
5	Pilibanga	Gandhi Stadium	29° 29' N	74° 03' E
6	Rawatsar	1.5 KM From Tehsil Office	29° 16' N	74° 24' E
7	Nohar	Stadium Ground	29° 11' N	74° 40' E
8	Bhadra	School Ground, Near Tehsil office	29° 06' N	75° 10' E

